वार्षिक रिपोर्ट
2011-12

इस्पात मंत्रालय
भारत सरकार

SLUDGE SCRAPER

वार्षिक रिपोर्ट
2011-12

सत्यमेव जयते

इस्पात मंत्रालय
भारत सरकार

विषय-सूची

अध्याय		पृष्ठ संख्या
1.	मुख्य उपलब्धियाँ	4
2.	संगठनात्मक ढांचा और इस्पात मंत्रालय के क्रियाकलाप	13
3.	भारतीय इस्पात क्षेत्र : विकास एवं सम्भावनाएं	19
4.	सार्वजनिक क्षेत्र	27
5.	निजी क्षेत्र	39
6.	अनुसंधान और विकास	43
7.	ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन	48
8.	सूचना प्रौद्योगिकी का विकास	61
9.	सुरक्षा	68
10	शिप ब्रेकिंग	74
11.	समाज के कमज़ोर वर्गों का कल्याण	76
12.	सतर्कता	81
13.	शिकायत निवारण तंत्र	88
14.	निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन	92
15.	हिन्दी का प्रगामी प्रयोग	95
16.	महिला सशक्तिकरण	101
17.	इस्पात के इस्तेमाल को प्रोत्साहन	106
18.	निगमित सामाजिक दायित्व	110
19.	इस्पात मंत्रालय के अधीन तकनीकी संस्थान	118
20.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन	120
21.	पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास	123
22.	अन्तरराष्ट्रीय सहयोग	125
परिशिष्ट		**126–148**

वर्ष 2011–12 (अप्रैल–दिसंबर 2011) के उत्पादन, वित्त और अन्य संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।

माननीय इस्पात मंत्री, श्री बेनी प्रसाद वर्मा लखनऊ में डीलर्स की सभा को संबोधित करते हुए

अध्याय-I

मुख्य उपलब्धियां

1. इस्पात क्षेत्र की प्रवृत्तियां एवं विकास

- भारत वर्तमान में कच्चे इस्पात का उत्पादन करने वाला दुनिया का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है जबकि 2003 में यह आठवें स्थान पर था। आशा है कि वर्ष 2015 तक यह कच्चे इस्पात का उत्पादन करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन जाएगा।
- भारत डायरेक्ट रेड्यूस्ड आयरन (डीआरआई) या स्पंज आयरन के विश्व में सबसे बड़े उत्पादक देश की अपनी स्थिति बनाए हुए है।
- विभिन्न राज्यों के साथ 301 सहमति–पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिससे नियोजित क्षमता लगभग 488.56 मिलियन टन की जा रही है।

विभिन्न राज्य सरकारों के साथ हस्ताक्षरित 301 सहमति–पत्रों का विवरण नीचे दिया गया है :

राज्य	हस्ताक्षरित सहमति–पत्रों की संख्या	प्रस्तावित क्षमता (प्रति वर्ष मिलियन टन में)
उड़ीसा	63	81.16
झारखंड	49	105.11
छत्तीसगढ़	76	60.00
पश्चिम बंगाल	16	39.40
कर्नाटक	57	173.00
आन्ध्र प्रदेश	18	11.79
अन्य राज्य	22	18.20*
कुल	**301**	**488.66**

*अनुमानित

- प्रमुख निवेश योजनाएं उड़ीसा, झारखण्ड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में हैं।
- देश में जिस इस्पात क्षमता की स्थापना का निश्चय किया गया है उससे 2020 तक ₹5–10 लाख करोड़ का निवेश हो सकता है।
- इस्पात क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2% का अंशदान करता है तथा इसमें 5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है।
- प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत 2005–06 में 38 किलोग्राम से बढ़कर 2010–11 में 55 किलोग्राम हो गई है।
- 2005–06 में कच्चा इस्पात उत्पादन क्षमता 511.7 लाख टन प्रति वर्ष से बढ़कर 2010–11 में 780 लाख टन प्रति वर्ष हो गई है।
- कच्चा इस्पात उत्पादन में प्रति वर्ष 8% की वृद्धि (चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर [सीएजीआर]) हुई। यह 2005–06 में 464.6 लाख टन से बढ़कर 2010–11 में 695.7 लाख टन हो गई।
- वर्ष 2010–11 में तैयार इस्पात का उत्पादन 660.1 लाख टन रहा जबकि 2005–06 में यह 465.7 लाख टन था। इस प्रकार औसत वार्षिक विकास दर (सीएजीआर) 7% रही।
- तैयार इस्पात का उपभोग गत छः वर्ष में 9.6% चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर से बढ़ा।
- वर्ष 2010–11 में तैयार इस्पात का निर्यात 34.6 लाख टन था जबकि आयात 67.9 लाख टन रहा।

गणतंत्र दिवस समारोह, 2012 में इस्पात मत्रांलय ने "इस्पात राष्ट्र की शक्ति है" नाम की एक झांकी प्रस्तुत की।

1.1 औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धियां (दिसंबर 2011 तक)

अप्रैल–दिसम्बर 2011–12 (अनंतिम) के दौरान गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में औद्योगिक परिदृश्य निम्न रहा :

- कच्चे इस्पात का उत्पादन 533.57 लाख टन था, जो गत वर्ष की अपेक्षा 3.5 प्रतिशत की वृद्धि है। प्रमुख उत्पादकों (सेल, आरआईएनएल, टाटा स्टील, एस्सार, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसडब्ल्यू इस्पात स्टील और जिंदल स्टील एंड पावर) ने इस अवधि के दौरान कुल मिलाकर 299.84 लाख टन उत्पादन किया, जो विगत वर्ष की तुलना में 8.07 प्रतिशत की वृद्धि है। शेष, अर्थात् 233.73 लाख टन योगदान अन्य उत्पादकों का था, जो विगत वर्ष की तुलना में 1.3 प्रतिशत बढ़ोतरी दिखाता है।
- अप्रैल–दिसम्बर 2011–12 में बिक्री के लिए कच्चे लोहे का उत्पादन 42.47 लाख टन रहा, जो विगत वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 0.7 प्रतिशत की वृद्धि है। इस उत्पादन में प्रमुख उत्पादकों का योगदान लगभग 10 प्रतिशत रहा, जबकि शेष योगदान (90%) अन्य उत्पादकों से मिला।
- कुल तैयार इस्पात (मिश्र + गैर–मिश्र) के मामले में अप्रैल–दिसम्बर 2011–12 के दौरान :
  - बिक्री के लिए उत्पादन 520.61 लाख टन था, जो 7.5 प्रतिशत अधिक है।
  - इस्पात के निर्यात में 23.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 30.48 लाख टन तक पहुंच गया, जबकि आयात लगभग 49.84 लाख टन रहा, जो 7 प्रतिशत की कमी दर्शाता है।
  - भारत इस्पात का विशुद्ध आयातक बना रहा।
- देश में इस्पात की वास्तविक खपत 508.65 लाख टन हुई, जो 4.4 प्रतिशत की वृद्धि है।

1.2 इस्पात मंत्रालय द्वारा वर्ष के दौरान किए गए प्रमुख उपाय

- कम मूल्यों पर स्वदेशी उपयोग के लिए लौह अयस्क के संरक्षण के उद्देश्य से लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क 30.12.2011 से बढ़ा दिया गया और यह सभी प्रकार के लौह अयस्क (पैलेट को छोड़) 30 प्रतिशत एड वेलोरम किया गया।
- मंत्रालय के अधीन संयुक्त कारखाना समिति (जेपीसी) ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात की मांग का मूल्यांकन करने तथा इस्पात का उपभोग बढ़ाने की क्षमता पर विचार करने के लिए एक अध्ययन प्रारम्भ किया है। यह अध्ययन देश भर के सभी 35 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के 300 जिलों, 1500

ग्रामों, 4500 निर्माताओं और 8000 रिटेलरों में किया जा रहा है। संयुक्त कारखाना समिति (जे.पी.सी.) ने जुलाई, 2011 में तभी अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी और वह परीक्षणाधीन है।

- सरकार द्वारा किए गए निर्णयों के अनुसार बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज के अधीन ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड (ईआईएल) में सरकार के 51 प्रतिशत शेयर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) को हस्तांतरित किए गए। इस प्रकार आरआईएनएल ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड (ईआईएल) की धारक कंपनी बन गई और उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन (ओएमडीसी) तथा बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (बीएसएलसी) 5.1.2011 से आरआईएनएल की सहायक कंपनियां बन गईं।
- इस्पात मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों के लिए "इस्पात खेलकूद नीति" को 30 जून, 2011 को स्वीकृति प्रदान की गई। इसका उद्देश्य अद्वितीय खिलाड़ियों और खेलकूद को बढ़ावा देना है।
- सेवोत्तम अनुरूप सिटीजन चार्टर में संशोधन किया गया है, जिससे कि नागरिकों/ग्राहकों को तुरंत सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
- आगामी 30 वर्षों के लिए नई राष्ट्रीय इस्पात नीति/ध्येय को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- इस्पात क्षेत्र के लिए नई अनुसंधान एवं विकास नीति को अंतिम रूप दिया गया/कार्यान्वयन के लिए स्वीकार किया गया।
- इस्पात मंत्रालय की वेबसाइट को पुनः डिजाइन किया गया है तथा अब उसे पूर्ण रूप से उपभोक्ता–अनुकूल बनाया गया है।
- इस्पात मंत्रालय के लिए आईएसओ : 9001 प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना और गुणवत्ता मैनुअल तैयार किया गया है।
- इस्पात मंत्रालय में भ्रष्टाचार से प्रेरित होने वाले क्षेत्रों को कम से कम करने के लिए एक कार्य योजना बनाई है।
- विभिन्न क्षेत्रों में इस्पात क्षेत्र के लिए चार (4) नई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई।
- मंत्रालय में संवेदनशील पदों पर स्थानांतरण नीति के आधार पर अदला–बदली की कार्रवाई पूरी की गई।
- इस्पात क्षेत्र के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के कार्य निष्पादन में अंतरराष्ट्रीय स्तर के सुधार लाने के उद्देश्य से नए तकनीकी–आर्थिक मापदण्ड तैयार व लागू किए गए और इन पर निकट से नजर रखी जा रही है।
- इस्पात मंत्रालय में इस्पात क्षेत्र से संबंधित आविष्कारिक विचारों को प्रोत्साहन देने के लिए इस्पात आविष्कार परिषद् का गठन किया है। इस परिषद् की पहली बैठक 6.1.2012 को आयोजित की गई।
- इस्पात मंत्रालय के कार्य के परिणामों के आधार पर वर्ष 2010–11 के लिए मूल्यांकन "अद्वितीय" माना गया।
- इस्पात मंत्रालय की झांकी "इस्पात राष्ट्र की शक्ति है" ने गणतंत्र दिवस परेड–2012 में भाग लिया। झांकी में सभी क्षेत्रों में इस्पात की उपस्थिति प्रस्तुत की गई। एक ही मंच पर भारी मशीनों से लेकर कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात के बहु–आयामी उपयोग–को प्रदर्शित किया गया।
- सचिव (इस्पात) की अध्यक्षता के अधीन अन्तर–मंत्रालयीय समूह की नियमित बैठकें की जाती हैं जिनमें रेलवे, सड़कों, बन्दरगाहों, जमीन आदि से संबंधित आधारिक संरचना बाधाओं का निवारण किया जाता है।

1.3. सार्वजनिक उपक्रमों में प्रमुख पहल

1.3.1. सेल और आरआईएनएल में विशाल विस्तारीकरण योजनाएं

इस्पात के सार्वजनिक उपक्रम क्षमता विस्तार योजनाओं से गुजर रहे हैं। आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण योजनाओं में मुख्य बल ऐसी सर्वश्रेष्ठ आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने पर है, जो किफायती व ऊर्जा

बचत में मददगार हो और पर्यावरण–अनुकूल हो। मंत्रालय द्वारा सेल और आरआईएनएल में विस्तार योजनाओं की प्रगति पर नियमित रूप से नजर रखी जाती है। इसके परिणामस्वरूप परियोजना कार्यान्वयन प्रणालियों में अनेक सुधार किए जा सके हैं।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

(i) स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) ने भिलाई, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर और बर्नपुर में अपने एकीकृत इस्पात कारखानों तथा सेलम स्थित विशेष इस्पात कारखाने में आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण कार्य हाथ में लिया है। चालू चरण में, कच्चे इस्पात की क्षमता 128 लाख टन से बढ़ाकर 214 लाख टन प्रति वर्ष की जा रही है। चालू चरण में लगभग ₹62 हजार करोड़ के निवेश का अनुमान है। सेल की खानों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए लगभग ₹10 हजार करोड़ रखे गए हैं।

(ii) विभिन्न आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण पैकेज के लिए लगभग ₹55,500 करोड़ मूल्य के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। दिसंबर 2011 तक कुल खर्च ₹31,670 करोड़ रहा जिसमें चालू वित्त वर्ष के दौरान दिसंबर 2011 तक ₹7,315 करोड़ शामिल हैं।

(iii) सेलम इस्पात कारखाने का विस्तारीकरण कार्य पूरा हो चुका है। यही नहीं, इससे सम्बद्ध अन्य कारखानों में कुछ सुविधाएं भी स्थापित की जा चुकी हैं। आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण योजना पर कार्य पूरी गति से किया जा रहा है। आशा है कि आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण का चालू चरण वर्ष 2012–13 तक पूरा हो जाए।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)–विशाखापटनम स्टील प्लांट

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की क्षमता अति आधुनिक टेक्नोलॉजी के समावेश से 29 लाख टन से दुगनी कर 63 लाख टन प्रति वर्ष करने संबंधी पहले चरण पर कार्य पूरा किया जा चुका है। जहां एक ओर अनेक यूनिटें चालू की जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर शेष को चालू करने के लिए तैयार किया जा रहा है।

एनएमडीसी लिमिटेड

(i) एनएमडीसी ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ छत्तीसगढ़ के नगरनार में 30 लाख टन वार्षिक क्षमता का एक एकीकृत इस्पात कारखाना स्थापित करने के लिए करार किया है। इस पर लगभग ₹15,525 करोड़ के खर्च का अनुमान है। कारखाना स्थापित करने का कार्य जारी है।

(ii) एनएमडीसी ने रूस के सबसे बड़े इस्पात निर्माता सेवरास्टल के साथ कर्नाटक में नए स्थान पर कारखाना स्थापित करने के लिए सहमति–पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। 10 नवंबर, 2011 को 30 लाख टन वार्षिक क्षमता का एकीकृत इस्पात कारखाना लगाने के लिए कार्यान्वयन स्वरूप संबंधी करार पर हस्ताक्षर किए गए।

(iii) एनएमडीसी ने ऑस्ट्रेलिया की लीगेसी आयरन ओर लिमिटेड नामक कंपनी के साथ 21.5.2011 को सहमति–पत्र पर हस्ताक्षर किया है जिसके अंतर्गत 188.9 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के कुल निवेश से कंपनी की 50 प्रतिशत इक्विटी अधिग्रहित की जाएगी। शेयरों में अंशदान संबंधी समझौते पर 20.10. 2011 को हस्ताक्षर किए गए तथा कंपनी के शेयर अधिग्रहित करने के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है।

(iv) सेल के नेतृत्व में बनाए गए महासंघ एफिस्को (अफगान आयरन एंड स्टील कंसोर्शियम) ने हाज़ीगाक, अफगानिस्तान की खानों के बी,सी,डी ब्लॉकों में खनन कार्रवाई के लिए प्राथमिकता प्राप्त निविदाकर्ता का दर्जा प्राप्त किया है। इन खानों में लगभग 17700 लाख टन लौह अयस्क के भण्डार हैं। आरआईएनएल और एनएमडीसी भी इस महासंघ के सदस्य हैं।

1.3.2 पीएसयू का विलय/अधिग्रहण/पुनरुद्धार एवं पुनर्गठन

इस्पात क्षेत्र के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के संबंध में निम्नलिखित विलय/पुनरुद्धार/अधिग्रहण/पुनर्गठन कार्य हुए/संयुक्त उद्यम बनाए गए :

- **सेल–एससीएल लिमिटेड** – कालीकट स्थित स्टील कॉम्प्लेक्स में 13.02.2011 से केरल सरकार के साथ संयुक्त उद्यम में वर्तमान सुविधाओं के पुनरुत्थान का कार्य किया जा रहा है। सेल ने औपचारिक रूप से संयुक्त उद्यम कंपनी का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया है। संयुक्त उद्यम निदेशक मण्डल ने केरल सरकार से रोलिंग मिल को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने की प्रार्थना की है।
- **कोबे स्टील के साथ आईटीएमके3 टेक्नोलॉजी के संबंध में संयुक्त उद्यम** – इसके अंतर्गत दुर्गापुर स्थित मिश्र इस्पात कारखाने में 5 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता के लौह छिद्रिल बनाने का कारखाना स्थापित करने की योजना है। यह कारखाना लौह अयस्क चूर्ण और गैर कोकिंग कोयले से उच्च श्रेणी के लौह नगेट (छिद्रिल) तैयार करेगा। मैसर्स कोबे स्टील के साथ संयुक्त उद्यम (50:50 इक्विटी भागीदारी) गठित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।
- सेल, आरआईएनएल, सीआईएल, एनटीपीसी और एनएमडीसी के साथ **"इंटरनेशनल कोल वेंचर्स लिमिटेड"** (आईसीवीएल) नामक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) बनाई गई है, जो विदेशों में कोयला खानों के अधिग्रहण का कार्य देखेगी। कंपनी का इक्विटी आधार ₹3500 करोड़ और ऋण लगभग ₹7000 करोड़ होगा। आईसीवीएल किसी नवरत्न कंपनी की तरह कार्य करेगी तथा इसे ₹1500 करोड़ तक के निवेश संबंधी प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार होगा। यह कंपनी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडोनेशिया, मोजाम्बिक और अमरीका में कोयला संसाधनों की खोज कर रही है। आईसीवीएल और केलीमेंटन, इंडोनेशिया के प्रांतीय गवर्नर के बीच 25 जनवरी, 2011 को हस्ताक्षर किए गए, जिसके अंतर्गत आईसीवीएल को प्रत्यक्ष खनन संसाधन आबंटन किए जाने का प्रावधान है।
- फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की सिंदरी यूनिट के पुनरुत्थान के लिए सेल और नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड (एनएफएल) के एक महासंघ को नामजद किया गया है। शर्त यह है कि औद्योगिक और वित्तीय पुनरुत्थान मण्डल (बीआईएफआर) इसकी स्वीकृति प्रदान करे। इस उद्देश्य से 8.11.2011 को **"सेल–सिंदरी प्रोजेक्ट लिमिटेड"** नाम से एक विशेष कार्य संस्था (एसपीवी) का निगमन किया गया है। बीआईएफआर से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् सेल द्वारा निवेश योजना सहित विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।
- **हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)** को काफी समय से हानि उठानी पड़ रही है। इसे बीआरपीएसई के पास भेजा गया जिसने नकदी और गैर नकदी सहायता आधार पर पुनरुत्थान पैकेज की सिफारिश की है। वित्त मंत्रालय तथा अन्य को यह स्वीकार्य नहीं था। अब अन्य सम्बद्ध मंत्रालयों से विचार–विमर्श के पश्चात् कुछ नए संशोधित प्रस्ताव तैयार किए गए हैं जिनके अंतर्गत नकदी प्रवाह की आवश्यकता नहीं होगी। पुनरुत्थान के लिए एचएससीएल के पुनर्गठन के संबंध में एक टिप्पणी को अंतिम रूप दिया गया है।
- स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) में चन्द्रपुर (महाराष्ट्र) स्थित पूर्व **महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड (एमईएल)** के विलय के पश्चात् यह कंपनी 12.7.2011 से सेल की एक यूनिट (नियत तिथि 1.4.2010) बन गई है तथा इसका नाम बदलकर सेल का चन्द्रपुर फैरो एलॉय संयंत्र (सीएफपी) कर दिया गया है।
- **बर्नपुर स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल) की सेलम रिफ्रैक्टरी यूनिट** सेल की हाल ही में गठित सहायक कंपनी, सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड (एसआरसीएल) को 16 दिसंबर, 2011 से हस्तांतरित की गई। हस्तांतरण की प्रक्रिया 10, जून 2010 को सरकार द्वारा बीएससीएल के वित्तीय पुनर्गठन को स्वीकृति देने के साथ प्रारम्भ हो गयी थी।
- राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल), विशाखापटनम स्टील प्लांट और पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावर ग्रिड) ने आधुनिक उत्पादों के संबंध में अनुसंधान एवं विकास कार्यों सहित ट्रांसमिशन लाइन टावर तथा टावर के हिस्से बनाने के लिए सहमति–पत्र पर हस्ताक्षर किए।

1.3.3 वितरण नेटवर्क का विस्तार

सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात यूनिटें देश के दूरदराज के इलाकों और जिला केंद्रों तक पहुंचने के लिए अपने डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क का विस्तार कर रही हैं। इस समय देश के 630 जिलों में कुल मिलाकर सेल के

माननीय इस्पात मंत्री, श्री बेनी प्रसाद वर्मा (बाएं से दूसरे), इस्पात सचिव, श्री पी.के. मिश्रा (एकदम बाए) और सेल अध्यक्ष श्री सी.एस. वर्मा (एकदम दाए) वित्त वर्ष 2011 हेतु ₹425.36 करोड़ का अन्तरिम लाभांश चेक माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार, डा. मनमोहन सिंह को प्रस्तुत करते हुए।

विपणन नेटवर्क में 2665 डीलर, 66 मालगोदाम, 37 शाखा बिक्री कार्यालय और 27 उपभोक्ता संपर्क कार्यालय हैं। सेल ने अगस्त 2011 में नई ग्रामीण डीलरशिप योजना शुरू की जिसे इस समय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कारोबार बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है। ग्रामीण डीलरशिप योजना का प्रमुख उद्देश्य ब्लॉक, तहसील और तालुक स्तरों पर छोटे ग्रामीण उपभोक्ताओं की इस्पात की मांग पूरी करना है।

1.4 अप्रैल–दिसंबर 2011 के दौरान सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू) की मुख्य उपलब्धियां

1.4.1 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

- 31 दिसंबर, 2011 को समाप्त अवधि में कर–पूर्व लाभ ₹2849.51 करोड़ और कर–पश्चात् लाभ ₹1965.74 करोड़ रहा।
- अप्रैल–दिसंबर, 2011 के दौरान कुल बिक्री कारोबार ₹35,564 करोड़ रहा, जो गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4.8 प्रतिशत अधिक है।
- 31 दिसंबर 2011 को कंपनी का शुद्ध मूल्य ₹38,618 करोड़ था।
- वित्त वर्ष 2011–12 हेतु सेल बोर्ड ने शेयर धारकों को कंपनी की चुकता शेयर पूंजी के 12% की दर से ₹495.66 करोड़ अंतरिम लाभांश अनुमोदित किया।
- अप्रैल–दिसंबर, 2011 के दौरान कंपनी ने 105.1 लाख टन तप्त धातु, 99.6 लाख टन कच्चा इस्पात और 91.1 लाख टन विक्रेय इस्पात का उत्पादन किया।
- सेल ने कार्यनिष्पादन वर्ष 2010–11 के लिए सरकार को ₹850.73 करोड़ के लाभांश की अदायगी की।

1.4.2. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

- अप्रैल–दिसंबर 2011 के दौरान अभी तक का सबसे अधिक बिक्री कारोबार ₹9,944 करोड़ प्राप्त किया

गया जो गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 28 प्रतिशत अधिक है।

- उत्पादन लगातार दसवें वर्ष क्षमता के 100 प्रतिशत से अधिक रहा तथा तप्त धातु, कच्चे इस्पात और विक्रेय इस्पात का उत्पादन क्षमता का क्रमशः 111 प्रतिशत, 108 प्रतिशत और 110 प्रतिशत रहा।
- अप्रैल–दिसंबर, 2011 में परियोजना बिक्री 5.11 लाख टन रही जबकि गत वर्ष की इसी अवधि में यह 4.06 लाख टन थी – 26 प्रतिशत की वृद्धि।
- मूल्य संवर्धित इस्पात की बिक्री में 4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अप्रैल–दिसंबर, 2011 में 17 लाख टन इस्पात की बिक्री की गई।
- अप्रैल–दिसंबर, 2011 में उपोत्पादों की बिक्री ₹385 करोड़ पर पहुंची जो 50 प्रतिशत वृद्धि है।
- सीमलैस ट्यूब उद्योग के लिए एसएई 1019एस श्रेणी और औजार इस्पात उद्योग के लिए सी–70 श्रेणी के दो नए उत्पाद चालू वर्ष में बाजार में उतारे गए।
- 63 लाख टन प्रति वर्ष तरल इस्पात क्षमता के लिए चालू विस्तार कार्य समाप्ति पर लाया गया। अनेक यूनिटें चालू की गईं और उनमें उत्पादन शुरू किया गया। इनमें शामिल हैं :
  - विवेच्य वर्ष में ऑक्सीजन संयंत्र चालू किया गया जो अपनी शत–प्रतिशत क्षमता से अधिक पर कार्य कर रहा है।
  - नए कास्टर में पहला बिलेट तैयार।
  - लैडल हीटिंग भट्टी चालू।
  - सभी स्टोवों के प्रज्ज्वलन के बाद धमन भट्टी–3 चालू तथा तप्त धातु उत्पादन इसी वर्ष शुरू हो जाएगा।
  - वायर रॉड मिल 2–रीहीटिंग भट्टी चालू तथा बिलेट के साथ मिल का एकीकरण कार्य जारी।
  - जल प्रणाली, वैद्युत प्रणाली, गैस सप्लाई यूनिट, जल शीतलन संयंत्र भी चालू तथा आवश्यकतानुरूप प्रचालन।

इस्पात सचिव, श्री पी.के. मिश्रा (एकदम दाएं) की उपस्थिति में वर्ष 2010–11 के लिए ₹54.10 करोड़ का अंतिम लाभांश चेक माननीय इस्पात मंत्री श्री बेनी प्रसाद वर्मा (बाएं से तीसरे) को प्रस्तुत करते हुए श्री के.जे. सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मॉयल (बाएं से दूसरे)।

- आरआईएनएल ने कार्य निष्पादन वर्ष 2010–11 के लिए सरकार को ₹271.47 करोड़ का लाभांश दिया।

1.4.3. एनएमडीसी लिमिटेड

- वर्ष 2011–12 (दिसंबर 2011 तक) के दौरान एनएमडीसी ने देश में 204.6 लाख टन के लौह अयस्क की बिक्री की जबकि पूर्व वर्ष की इसी अवधि में 163.3 लाख टन की बिक्री की गई थी।
- कंपनी ने वर्ष 2011–12 में (दिसंबर 2011 तक) तक कुल 208.5 लाख टन लौह अयस्क की बिक्री की, जबकि पूर्व वर्ष की इसी अवधि में यह 179 लाख टन थी।
- एनएमडीसी ने वर्ष 2011–12 में (दिसंबर 2011 तक) 202.8 लाख टन लौह अयस्क का उत्पादन किया जबकि गत वर्ष की इसी अवधि में 165.3 लाख टन का उत्पादन किया गया था।
- एनएमडीसी ने वर्ष 2011–12 के दौरान (दिसंबर 2011 तक) ₹8320.23 करोड़ का कर पूर्व–लाभ अर्जित किया जबकि पूर्व वर्ष की इसी अवधि में ₹6587 करोड़ लाभ अर्जित किया था।
- एनएमडीसी ने कार्य निष्पादन वर्ष 2010–11 के लिए सरकार को ₹1177.58 करोड़ का लाभांश दिया।

1.4.4. मॉयल लिमिटेड

- मॉयल लिमिटेड ने वर्ष 2011–12 में (दिसंबर 2011 तक) 7.55 लाख टन मैंगनीज अयस्क का उत्पादन किया।
- वर्ष 2011–12 (दिसंबर 2011 तक) में कंपनी की कुल आय ₹833.40 करोड़ (अनंतिम) थी।
- वर्ष 2011–12 (दिसंबर 2011 तक) में कंपनी का कर–पूर्व लाभ ₹445.07 करोड़ (अनंतिम) रहा।
- वर्ष 2011–12 (दिसंबर 2011 तक) में कंपनी का कर–पश्चात् लाभ ₹297.23 करोड़ (अनंतिम) रहा।
- मॉयल ने कार्य निष्पादन वर्ष 2010–11 के लिए सरकार को ₹84.16 करोड़ का लाभांश अदा किया।

1.4.5 एमएसटीसी लिमिटेड

- अप्रैल–नवंबर 2011 में कुल कारोबार ₹10,938 करोड़ रहा।
- ई–कॉमर्स के क्षेत्र में, एमएसटीसी ने अप्रैल–नवंबर 2011 के दौरान ₹8,594 करोड़ का कारोबार किया।
- वर्ष 2010–11 में अब तक का ₹149 करोड़ का सर्वाधिक कर पूर्व–लाभ अर्जित किया गया। अप्रैल–नवंबर 2011 में कर–पश्चात् लाभ ₹82 करोड़ था।
- माननीय उच्चतम न्यायालय ने बेल्लारी हॉसपेट क्षेत्र में लौह अयस्क खानों के मुहाने पर जमा लौह अयस्क की नीलामी के लिए एमएसटीसी को सेवा प्रदाता नियुक्त किया है। प्रथम ई–नीलामी 14.9.2011 को की गई और नवंबर '11 तक एमएसटीसी ने ₹1,775 करोड़ मूल्य के लौह अयस्क की बिक्री की है।
- तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम (टीटीडी) ने एमएसटीसी को "मानवीय बाल" की ई–नीलामी के लिए नामित किया है। प्रथम ई–नीलामी में अपार सफलता प्राप्त हुई और ₹133 करोड़ मूल्य के बाल बेचे गए।
- एमएसटीसी स्क्रेप सामग्री की प्रोसेसिंग के लिए श्रेडिंग संयंत्र लगाने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गई है।
- एमएसटीसी ने वर्ष 2010–11 के लिए सरकार को ₹1.98 करोड़ का लाभांश अदा किया।

1.4.6 हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

अप्रैल–दिसंबर, 2011 के दौरान :

- कंपनी के समग्र कार्य निष्पादन में गत वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा सुधार हुआ।
- कुल कारोबार में गत वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा ₹160.38 करोड़ (25.59 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

- ऑर्डर बुक करने का ₹1260 करोड़ का लक्ष्य पार कर ₹1652.64 करोड़ की रिकार्ड बुकिंग की गई (131%)। एमओयू के अंतर्गत वर्ष 2011–12 के लिए ₹1800 करोड़ का लक्ष्य भी पार किया गया।
- ₹41.12 करोड़ का प्रचालन लाभ प्राप्त किया गया जो गत वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा ₹4.73 करोड़ अधिक था।

1.4.7. मेकॉन लिमिटेड

सितंबर 2008 में, मेकॉन ने अपने ऋणात्मक निवल मूल्य को धनात्मक करके उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की और सितंबर 2009 में अपने संचित घाटे को पूर्णतः समाप्त कर दिया। 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार, मेकॉन का निवल मूल्य ₹236.21 करोड़ (अनंतिम) था। 31.03.04 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के (–) ₹257.91 करोड़ के ऋणात्मक निवल मूल्य की तुलना में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कार्य निष्पादन वर्ष 2010–11 में मेकॉन ने सरकार को ₹3.15 करोड़ का लाभांश अदा किया।

1.4.8 केआईओसीएल लिमिटेड

- अक्टूबर 2011 माह में 2.93 लाख टन पैलेट का उत्पादन किया गया जो जनवरी 2006 से बाहरी स्रोत से खरीदे गए हेमेटाइट अयस्क का उपयोग शुरू करने के बाद से, किसी भी माह में उत्पादित पैलेट से अधिक है।
- जुलाई 2011 माह के दौरान 3,26,837 टन पैलेट का प्रेषण किया गया जो वर्ष में हेमेटाइट अयस्क का उपयोग शुरू करने के बाद से, किसी भी माह में प्रेषण से अधिक है।
- केआईओसीएल लिमिटेड ने माननीय इस्पात मंत्री, भारत सरकार और केरल के माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में 22.9.2011 को केरल के सरकारी प्रतिष्ठान, केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (केएसआईडीसी) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके अंतर्गत खनिज उपलब्धि में प्रमुख केरल राज्य में लौह अयस्क खनन परिष्करण और पैलेटीकरण संयंत्र स्थापित किया जाएगा।
- केआईओसीएल ने कार्य निष्पादन वर्ष 2010–11 के लिए सरकार को ₹15.70 करोड़ का लाभांश अदा किया।

1.4.9 बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज (बीजीसी)

(1) ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (ईआईएल)

- वर्ष 2011–12 (अप्रैल–दिसंबर 2011 तक) के दौरान कर–पूर्व लाभ ₹1.88 करोड़ (अनंतिम) रहा और कर–पश्चात् लाभ ₹1.48 करोड़ (अनंतिम) था।
- ईआईएल ने कार्य निष्पादन वर्ष 2010–11 के लिए सरकार को ₹0.15 करोड़ का लाभांश अदा किया।

(2) उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी (ओएमडीसी)

- वर्ष 2011–12 (अप्रैल–दिसंबर 2011 तक) के दौरान कर–पूर्व लाभ ₹7.56 करोड़ (अनंतिम) रहा और कर–पश्चात् लाभ ₹5.86 करोड़ (अनंतिम) था।

(3) दी बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (बीएसएलसी)

- वर्ष 2011–12 (अप्रैल–दिसंबर 2011 तक) में कर–पूर्व लाभ ₹ (–) 5.73 करोड़ (अनंतिम) था। नवंबर 2011 से खनन गतिविधियों का प्रचालन रोक दिया गया है और बीएसएलसी का प्रचालन और बिक्री बंद हो गई है। इसके परिणामस्वरूप राजस्व सृजन पर कुप्रभाव पड़ा है और उक्त हानि उठानी पड़ी है।

अध्याय–II

संगठनात्मक ढांचा और इस्पात मंत्रालय के क्रियाकलाप

2.1 प्रस्तावना

इस्पात मंत्रालय इस्पात मंत्री के अधीन है। यह मंत्रालय लौह और इस्पात उद्योग के विकास, कच्चे लोहे, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मेंगनीज अयस्क, क्रोमाइट्स, फेरॉ–एलॉय, स्पंज आयरन आदि के योजना निर्माण, विकास तथा अन्य संबंधित क्रियाकलापों के लिए जिम्मेवार है। मंत्रालय को आवंटित विषयों की सूची परिशिष्ट–I में देखी जा सकती है। इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र की सूची इस अध्याय के अंत में दी गई है। प्रभारी मंत्री और उप सचिव स्तर तक के अधिकारियों की सूची परिशिष्ट–II में दी गई है।

2.1.1 इस्पात मंत्रालय के प्रमुख कार्य

- सरकारी और निजी क्षेत्रों में स्टील संयंत्रों, री–रॉलिंग उद्योग और फेरो–एलॉयज का विकास
- लौह और इस्पात तथा फेरो एलॉयज के उत्पादन, वितरण और कीमतों से जुड़ीं नीतियों का निर्धारण
- सार्वजनिक क्षेत्र में कच्चे लोहे की खान और मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क, लाइमस्टोन और लौह–इस्पात उद्योग में उपयोग होने (खदान पट्टे या इससे जुड़े अन्य मामलों को छोड़कर) वाली अन्य अयस्क खानों का विकास
- देश में इस्पात के सभी उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच बातचीत के लिए एक मंच उपलब्ध कराना
- इस्पात मंत्रालय द्वारा जरूरी बुनियादी ढांचा और अन्य संबंधित सुविधाओं की पहचान
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू), उनकी सहायक इकाइयों के निष्पादन की निगरानी करना

2.1.2 जिम्मेदारियों का आबंटन

एक सचिव के अलावा इस्पात मंत्रालय में चार संयुक्त सचिव, तीन निदेशक, चार उप सचिव, एक संयुक्त निदेशक (राजभाषा) और अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी हैं। मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव स्तर का एक वित्तीय सलाहकार, एक आर्थिक सलाहकार और एक मुख्य लेखा नियंत्रक है। एक औद्योगिक सलाहकार के अधीन एक तकनीकी विंग अनुसंधान एवं विकास जैसे तकनीकी कार्य स्वरूप वाले सचिवालीय कार्यों के निष्पादन के अलावा तकनीकी मामलों में सलाह देती है।

2.2 मंत्रालय के प्रमुख अनुभागों/इकाइयों के कार्य

2.2.1 प्रशासन

- सामान्य कार्यालय प्रशासन और देखभाल कार्य
- कार्यालय के उपकरण, उपलब्धता और रखरखाव
- नागरिक सुरक्षा
- विभागीय सुरक्षा
- चिकित्सा दावे
- मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न प्रासंगिकी मदें जारी करना
- प्रोटोकॉल मामले

2.2.2 स्थापना

इस्पात मंत्रालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशासनिक/कार्मिक मामलों और महिलाओं के कल्याण

1.1.2012 को इस्पात मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट

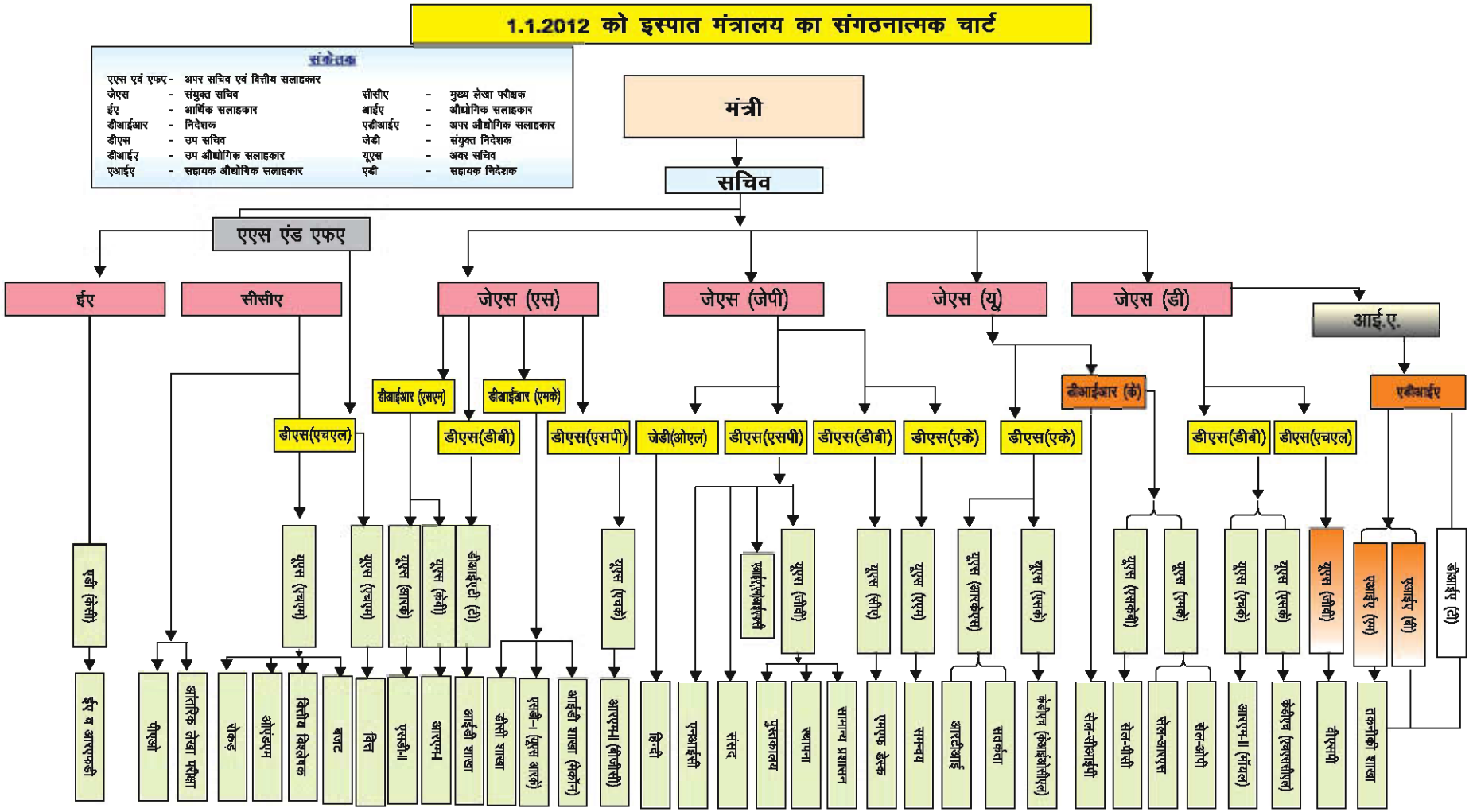

से जुड़े मामले।

2.2.3 संसद कक्ष

इस्पात मंत्रालय से जुड़े संसदीय मामले, परामर्शदात्री समिति और स्थायी समिति की बैठकें; संसदीय समितियों के दौरे/सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के अध्ययन समूह/इस्पात मंत्रालय के अधीन परियोजनाएं।

2.2.4 पुस्तकालय

पुस्तकों, मैनुअल, अखबारों, पत्र–पत्रिकाओं, अन्य संदर्भ पुस्तकों की खरीद और पुस्तक सूची यानी कैटेलॉग आदि से जुड़े तमाम मामलों की संदर्भित पुस्तकों से संबंधित कार्य पुस्तकालय देखता है।

2.2.5 एनआईसी कक्ष

एनआईसी कक्ष सूचना और संचार टेक्नोलॉजी के संबंध में (आईसीटी) मंत्रालय की सहायता करता है। इसमें ई–गवर्नेंस के डिजाइन, विकास और क्रियान्वयन, मंत्रालय के इंट्रानेट पोर्टल के उपयोग और आईसीटी समर्थित सेवाओं, आईसीटी बुनियादी ढांचा की स्थापना और रखरखाव, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) डोमेन में मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट के डिजाइन, होस्टिंग और रखरखाव, मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए इन–हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम संचालित करके सूचना–तकनीक के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, मंत्रालय व इसके पीएसयू तथा अधीनस्थ संगठनों में आईसीटी से संबंधित मामलों में तकनीकी सलाह उपलब्ध कराना एनआईसी कक्ष के कार्यक्षेत्र में शामिल हैं।

2.2.6 हिंदी अनुभाग

राजभाषा नीति के क्रियान्वयन के लिए इस्पात मंत्रालय में एक हिंदी अनुभाग कार्य करता है।

2.2.7 सूचना का अधिकार कक्ष (आर टी आई कक्ष)

यह कक्ष इस्पात मंत्रालय में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का क्रियान्वयन और इसके तहत आने वाले पीएसयू और अन्य कार्यालयों में इसके क्रियान्वयन की निगरानी के अलावा मुख्य सूचना आयुक्त को आरटीआई क्रियाकलापों से जुड़ी वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराता है।

2.2.8 समन्वय अनुभाग

मंत्रालय का यह अनुभाग विभिन्न अनुभागों/डेस्क को आवंटित विषयों से जुड़े सभी मामलों के बीच समन्वय स्थापित करने का काम करता है।

- अन्य मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त ड्राफ्ट, कैबिनेट नोट्स पर टिप्पणी करना।
- माननीय मंत्री के पत्रकार सम्मेलन/बैठकों के लिए संक्षिप्तों नोट/एजेंडा तैयार करना।
- मंत्री/सचिव के लिए इंडक्शन नोट और राष्ट्रपति के संसदीय संबोधन के लिए सामग्री तैयार करना।
- सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के संबंध में विभिन्न एजेंसियों द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांत/आदेश/निर्देशों का प्रचार।
- इस्पात मंत्रालय से जुड़े अन्य मंत्रालयों/विभागों के संसदीय प्रश्नों/आश्वासनों से संबंधित और संसदीय समिति।
- इस्पात मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट की तैयारी।
- मंत्रालय के नागरिक/उपभोक्ता चार्टर को अन्तिम रूप देना और उसके कार्यान्वयन पर नजर।
- केन्द्रीयकृत सार्वजनिक शिकायत निपटान मॉनिटरिंग प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) की देखरेख।
- इस्पात मंत्रालय के अधीन इस्पात कारखानों की सुरक्षा से संबंधित कार्यों की देखरेख।

2.2.9 सतर्कता डेस्क

यह यूनिट जिन महत्वपूर्ण गतिविधियों को देखती है, उनमें शामिल हैं :

- गलत क्रियाकलापों/लोभ–लालच के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और सरकारी क्रियाकलापों में विश्वसनीयता/कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय करना।
- शिकायतों की जांच और उचित जांच उपाय शुरू करना।

- केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच रिपोर्ट पर केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को मंत्रालय की टिप्पणी देना।
- सीवीसी और कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग की सलाह से पीएसयू में मुख्य सर्तकता अधिकारियों (सीवीओ) की नियुक्ति।

2.2.10 तकनीकी शाखा

अनुसंधान और विकास, ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन, पूरे सचिवालय से संबंधित प्रशासनिक कार्यों को निपटाना और सर्वश्रेष्ठ एकीकृत स्टील संयंत्र के लिए प्रधानमंत्री की ट्रॉफी के विजेता का निर्णय लेने के अलावा तकनीकी सलाह देना।

2.2.11 औद्योगिक विकास शाखा

औद्योगिक विकास शाखा (आईडीडब्ल्यू) मुख्य रूप से निजी क्षेत्र में लौह और इस्पात उद्योग की तरक्की और विकास से जुड़ी हुई है।

2.2.12 अन्य विभाग/डेस्क

सेल, ओपी, पीसी, सीआईपी और आरएस अनुभाग, आरएम–I और आरएम–II अनुभागों, केडीएच अनुभाग, एमएफ डेस्क, इस्पात विकास और वीएसपी डेस्क अपने–अपने पीएसयू से जुड़े सभी मामलों को देखते हैं।

2.2.13 लौह और इस्पात विकास आयुक्त (डीसीआई एंड एस) कक्ष

व्यय सुधार आयोग (ईआरसी) की सिफारिशों के आधार पर कोलकाता में लौह और इस्पात के लिए विकास आयुक्त (डीसीआई एंड एस) कार्यालय और इसके चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और नई दिल्ली स्थित चार क्षेत्रीय कार्यालयों को 23.5.2003 से बंद करने का प्रशासनिक निर्णय लिया गया। सेकेंडरी सेक्टर से आंकड़ों के संग्रह को छोड़कर बाकी कार्यों को इस्पात मंत्रालय की डी सी सैल को हस्तांतरित कर दिया गया।

डीसीआई एंड एस कक्ष लघु उद्योग निगम (एसएसआईसी)/राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के जरिए लघु उद्योग (एसएसआई) को लौह और इस्पात मदों के आबंटन से संबंधित मामले देखता है।

उचित कीमतों पर लघु उद्योगों को कच्चे माल मिल जाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार निगमों से लगभग ₹500–550 प्रति टन का आंशिक संचालन शुल्क लेती है। एसएसआई इकाइयों को वितरित करने के लिए पिछले तीन सालों के दौरान लौह और इस्पात के सामान का आबंटन इस प्रकार है :

(मात्रा '000 मीट्रिक टन में)

निगम	2009-10	2010-11	2011-12*
एसएसआईसी	581	567	579
एनएसआईसी	162	199	205
कुल	743	766	784

*26 दिसम्बर 2011 की स्थिति

2.2.14 आर्थिक अन्वेषण तथा वार्षिक परिणाम रूपरेखा दस्तावेज विभाग

- मंत्रिमंडलीय सचिवालय को प्रेषण के लिए मंत्रालय का वार्षिक परिणाम रूपरेखा दस्तावेज तैयार करना।
- रूपरेखा दस्तावेज में बताए गए उद्देश्यों, लक्ष्यों और सफलता मानकों की मॉनिटरिंग।
- कैबिनेट सचिव को मासिक डीओ पत्र के रूप में प्रमुख उपलब्धियां प्रेषित करना।
- मंत्रालय के इस्पात सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के तकनीकी–आर्थिक मापदण्डों की मॉनिटरिंग।
- इस्पात क्षेत्र के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के भौतिक एवं वित्तीय निष्पादन की मॉनिटरिंग।

2.3 इस्पात मंत्रालय से संबंधित अन्य संगठन

2.3.1 संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी)

आईएसओ 9001:2008 द्वारा प्रमाणित संयुक्त कारखाना समिति देश में एकमात्र ऐसी संस्था है जिसे इस्पात मंत्रालय/भारत सरकार ने सरकारी तौर पर भारतीय लोहे और इस्पात उद्योग के संबंध में आंकड़े जमा करने का अधिकार दिया है जिसके परिणामस्वरूप इस उद्योग से संबंधित पूरा डाटा बैंक न केवल तैयार हो पाया है बल्कि उसे बनाए रखा जा रहा है।

जेपीसी का मुख्यालय कोलकाता में हैं। इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में आंकड़े एकत्र करने में लगे हैं और इकोनॉमिक रिसर्च यूनिट नई दिल्ली तकनीकी–आर्थिक अध्ययन तथा नीति अन्वेषण का कार्य करती है। जेपीसी के अध्यक्ष इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव हैं तथा इसमें सेल, आरआईएनएल, टाटा स्टील और रेलवे बोर्ड को सदस्यों के रूप में स्थान दिया गया है।

जेपीसी के चार क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता स्थित मुख्यालय से निकट संपर्क स्थापित कर निम्न महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं :

- उत्पादकों से उत्पादन, भण्डार तथा कच्चे माल संबंधी आंकड़ों का संग्रह।
- सीमा शुल्क संस्थाओं से आयात और निर्यात संबंधी आंकड़ों का संग्रह।
- घरेलू बाजार में कीमतों का संग्रह।
- उद्योग के साथ विभिन्न मामलों पर निगरानी, उन पर कार्रवाई और संपर्क गतिविधियां।
- गलती करने वाले इस्पात उत्पादक यूनिटों का दौरा कर मौके पर आंकड़े एकत्र करना।
- क्षेत्र विशेष सर्वेक्षण के दौरान सूचना एकत्र करने में व्यावहारिक भूमिका।
- इस्पात मंत्रालय के इस्पात उपभोक्ता परिषद् बैठक, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में इस्पात पवेलियन जैसे अवसरों पर संगोष्ठी/प्रदर्शनियों में संगठनात्मक सहयोग।

2.3.2 आर्थिक अनुसंधान इकाई

जेपीसी की नई दिल्ली स्थित आर्थिक अनुसंधान इकाई अनुसंधान सहयोग, भविष्य के बारे में संभावनाएं व्यक्त करने तथा नीतिगत मामलों/तकनीकी–आर्थिक अध्ययनों की समीक्षा का कार्य करती है। हाल के समय में ईआरयू ने इस्पात के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु मांग–आपूर्ति के आकलन का कार्य पूरा किया है। ईआरयू प्रधानमंत्री की ट्रॉफी और इस्पात मंत्री की ट्रॉफी के लिए सचिवालय के तौर पर भी कार्य करती है।

2.3.3 जेपीसी और ईआरयू के क्रियाकलाप

ग्रामीण इस्पात मांग पर अध्ययन

जेपीसी ने ग्रामीण भारत में इस्पात की मांग के मूल्यांकन के संबंध में एक अध्ययन किया है। इस अध्ययन से ग्रामीण भारत में इस्पात उपभोग के स्तर से संबंधित जानकारी प्रकाश में आई है तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इस्पात उपभोग के स्तर की प्रवृत्ति समझने में सहायता मिली है।

जेपीसी द्वारा निधि प्रबंधन सेवाएं

जेपीसी इस्पात विकास निधि (एसडीएफ) प्रबंधन समिति के सचिवालय के रूप में भी कार्य करती है। इस्पात मंत्रालय में सचिव इसके अध्यक्ष हैं जबकि इसके अन्य सदस्य सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग; सचिव, योजना आयोग और संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय हैं, जो सदस्य सचिव के तौर पर भी कार्य करते हैं। इस्पात विकास निधि से उद्योग को टेक्नोलॉजी उन्नयन, प्रदूषण नियंत्रण उपायों, अनुसंधान तथा विकास से संबंधित गतिविधियों जैसी परियोजनाएं हाथ में लेने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। जेपीसी को फेरस स्क्रैप समिति (एफएससी) के सचिवालीय कार्य भी सौंपे गए हैं जिनमें अन्य के अतिरिक्त फेरस स्क्रेप डेवलपमेंट फण्ड (एफएसडीएफ) का प्रबंधन भी शामिल है।

2.3.4 फेरस स्क्रैप समिति (एफएससी)

जेपीसी को फेरस स्क्रैप समिति (एफएससी) के सचिवालीय कार्य भी सौंपे गए हैं, जो अन्य कार्यों के साथ–साथ फैरस स्क्रैप विकास कोष का भी प्रबंधन करती है। एफएससी की स्थापना 1979 में भारत सरकार, तत्कालीन इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय, इस्पात विभाग, द्वारा की गई। 28 जुलाई 1997 को इसका पुनर्गठन किया गया। इस समय इसमें निम्नलिखित सदस्य हैं:

- अध्यक्ष–भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय का संयुक्त सचिव

- भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय का निदेशक/उप सचिव (वित्त)
- लोहा, इस्पात स्क्रैप एंड शिपब्रेकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष
- गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ

एफएससी निम्नलिखित कार्य करती हैं :

- शिप ब्रेकिंग क्रियाकलापों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा के विकास के लिए सहायता
- स्क्रैप उठाने–रखने/विधाययन सुविधाओं के लिए सहायता
- शिप ब्रेकिंग के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन

2.4 इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की सूची

क्र. सं.	कंपनी का नाम	मुख्यालय	सहायक कंपनियां
1.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड	इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003,	सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लि., पो.बै. नं–565, सेलम–636005 (तमिलनाडु)
2.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, विशाखापतनम–530031, (आंध्र प्रदेश)	बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज एजी104, सौरभ अबासन द्वितीय तल, सेक्टर–II सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता–700091
3.	एनएमडीसी लिमिटेड	खनिज भवन, 10–3–311/ए, कैसल हिल्स, मसाब टैंक, हैदराबाद–500028, (आंध्र प्रदेश)	जे एंड के मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, 143–ए, गांधी नगर, जम्मू–180004 (जम्मू एवं कश्मीर)
4.	मॉयल लिमिटेड	मॉयल भवन, 1–ए, काटोल रोड, नागपुर–440013, (महाराष्ट्र)	
5.	एमएसटीसी लिमिटेड	225–सी, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता–700020 (पश्चिम बंगाल)	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, एफएसएनएल भवन, इक्विपमेंट चौक, सेंट्रल एवेन्यू, भिलाई–490001 (छत्तीसगढ़)
6.	हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	5/1, कमीसेरिएट रोड, (हेस्टिंग्स), कोलकाता–700022, (पश्चिम बंगाल)	
7.	मेकॉन लिमिटेड	मेकॉन बिल्डिंग, रांची–834002 (झारखंड)	
8.	केआईओसीएल लिमिटेड	III ब्लॉक, कोरमंगला, बंगलुरू–560034 (कर्नाटक)	
9.	आईसीवीएल (एसपीवी)	इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003,	

*महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड अब 12.7.2011 से सेल की एक यूनिट बन गयी है तथा इसका नाम बदलकर सेल का चन्द्रपुर फैरो एलॉय प्लांट (सीएफपी) कर दिया गया है।

अध्याय–III

भारतीय इस्पात क्षेत्र : विकास एवं सम्भावनाएं

3.1 प्रस्तावना

सन् 1947 में स्वतंत्रता के समय देश में केवल तीन इस्पात कारखाने – टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी और विश्वेश्वराया आयरन एंड स्टील लिमिटेड और कुछ विद्युत और भट्टी आधारित कारखाने भी थे। सन् 1947 तक देश में भले ही इस्पात उद्योग का आकार छोटा रहा हो, लेकिन उसका योगदान महत्वपूर्ण था। उस समय इस्पात उद्योग की वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग 10 लाख टन थी और यह पूरी तरह निजी क्षेत्र में थी। आजादी के समय 10 लाख टन क्षमता के उद्योग से बढ़कर अब भारत दुनिया में कच्चे इस्पात का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक और स्पंज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक लौह एवं इस्पात उद्योग देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में करीब दो प्रतिशत का योगदान करता है। किसी समय में भारतीय इस्पात उद्योग की विश्व में उपस्थिति लगभग न के बराबर थी जबकि अब भारतीय इस्पात उद्योग विश्व में अपने उत्पादों की क्वालिटी के लिए जाना जाता है। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् अपने लम्बे इतिहास में भारतीय इस्पात उद्योग ने चुनौतियों और कारोबारी उतार–चढ़ाव का सामना किया है। इस क्षेत्र में पहला बड़ा परिवर्तन पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं (1952–70) के दौरान आया जब लौह एवं इस्पात उद्योग को सरकारी नियंत्रण में लिया गया। 50 के दशक के मध्य और सन् 1970 के दशक के आरंभ में भारत सरकार ने भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारो में बड़े एकीकृत इस्पात उद्योगों की स्थापना की। इन वर्षों के दौरान उद्योग के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित नीतियां थीं :

- क्षमता नियंत्रण के उपाय : क्षमता की लाइसेंसिंग, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमता विकसित करने के लिए आरक्षण।
- दोहरी कीमत निर्धारण प्रणाली : निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के बड़े और एकीकृत उत्पादकों के लिए कीमत और वितरण नियंत्रण व्यवस्था काम कर रही थी जबकि शेष उद्योग मुक्त व्यापार व्यवस्था के अंतर्गत था।

सेल के भिलाई इस्पात संयंत्र के क्षितिज के रूप में ब्लास्ट फर्नेसों का एक विहंगम दृश्य।

1970 में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के तत्कालीन प्रभारी निदेशक मेजर जनरल बी.पी. वढ़ेरा के साथ भारत की पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी संयंत्र का निरीक्षण करते हुए।

- मात्रात्मक प्रतिबंध और उच्च शुल्क अवरोध।
- रेलवे मालभाड़ा समकरण नीति : संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास सुनिश्चित करना।
- प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और पूंजीगत वस्तुओं तथा वित्तीय संग्रहण तथा निर्यात।

इन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत व्यापक पैमाने पर क्षमता निर्माण ने भारत को दुनिया का 10वां सबसे बड़ा इस्पात निर्माता बना दिया। इसके अलावा कच्चे इस्पात का उत्पादन भी वर्ष 1947 के 10 लाख टन प्रति वर्ष से बढ़कर एक दशक के भीतर 150 लाख टन हो गया। सन् 1970 के दशक के बाद कुछ समय तक आर्थिक मंदी ने भारतीय इस्पात उद्योग के विकास पर बुरा प्रभाव डाला। परन्तु 1991–92 में हालात में परिवर्तन हुआ और देश ने वैश्वीकरण के संदर्भ में नियंत्रित शासन के स्थान पर मुक्त और अनियमित व्यवस्था प्रारम्भ की। सन् 1990 के दशक के आरंभ में लाई गई नई आर्थिक नीति ने देश के इस्पात उद्योग पर निम्न प्रकार से प्रभाव डाला :

- बड़े पैमाने पर उत्पादन की क्षमता वाले संयंत्रों को उन उद्योगों की सूची से निकाल दिया गया जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थीं। अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंसिंग की आवश्यकता को भी हटाकर स्थानीय निर्बंधों का विषय बना दिया गया।
- संपूर्ण व्यवस्था में निजी क्षेत्र की प्रमुख भूमिका हो गई।
- कीमत निर्धारण और वितरण पर नियंत्रण की प्रक्रिया भंग कर दी गई।
- लौह एवं इस्पात उद्योग को विदेशी निवेश की उच्च प्राथमिकता सूची में रखा गया। इसके तहत 50 प्रतिशत तक के विदेशी निवेश को स्वतः मंजूरी प्रदान की गई। परन्तु इस प्रक्रिया में आमतौर पर ऐसे निवेश की देखरेख करने वाले विभिन्न कानूनों तथा विदेशी एक्सचेंजों के निर्देश लागू रहे।
- एक समान माल भाड़ा योजना को माल भाड़ा की उच्चतम सीमा वाली प्रणाली से बदल दिया गया।
- मात्रात्मक आयात प्रतिबंधों को बड़े पैमाने पर हटाया गया। निर्यात प्रतिबंध भी हटाये गये।

तत्पश्चात् इस प्रणाली में भी कई परिवर्तन किए गए। इस्पात निर्माताओं के लिए मुक्त अर्थव्यवस्था ने कई नए अवसर उत्पन्न किए। एक ओर जहां उनके लिए विदेशी बाजारों से आवश्यक कच्चा माल आदि खरीदने का मार्ग प्रशस्त हुआ वहीं विदेशी बाजारों के द्वार भी उनके उत्पादों के लिए खुल गए। उद्योग को विश्व में इस्पात उत्पादन के लिए परिचालन और तकनीक की जानकारी भी मिलने लगी। यही नहीं इससे वैश्विक बाजारों की प्रतिस्पर्द्धा के दबाव के साथ–साथ इससे किफायत का स्तर सुधारने की जरूरत भी महसूस हुई ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी उत्पाद तैयार किए जा सकें। दूसरी ओर इस्पात उपभोक्ता के पास भी अब चयन की सुविधा थी और वह कई उत्पादों में से अपनी पसंद के उत्पाद का चयन कर सकता था। इसमें देशी और विदेशी दोनों तरह के उत्पाद शामिल थे। चयन की इस स्वतंत्रता ने न केवल उपभोक्ताओं की संप्रभुता स्थापित की बल्कि निर्माताओं को भी मजबूर किया कि वे उपभोक्ताओं की जरूरतों पर आधारित उत्पादों और सेवाएं उपलब्ध कराएं। सन 1992 में मुक्त अर्थव्यवस्था के आगमन के बाद ही देश की इस्पात निर्माण क्षमता में तेजी से विकास हुआ। निजी क्षेत्र में एस्सार स्टील, इस्पात इंडस्ट्रीज, जिंदल ग्रुप आदि द्वारा बड़े इस्पात कारखाने स्थापित किए गए। टाटा स्टील ने भी अपनी क्षमता में वृद्धि की। इस अवधि में हासिल किए गए कुछ प्रमुख मील के पत्थर निम्नलिखित हैं :

- अधुनातन टेक्नोलॉजी के सहारे निजी क्षेत्र का लगभग 90 लाख टन इस्पात उत्पादन क्षमता के साथ बाजार में प्रवेश।
- शुल्क संबंधी अवरोधों को हटाने अथवा घटाने, रुपये की संचारी कीमत के आधार पर कारोबार तथा वैश्विक प्रौद्योगिकियों की पहुंच से वैश्विक निर्यात बाजार में भारतीय इस्पात की प्रतिस्पर्द्धात्मक पहुंच मजबूत हुई।

वर्ष 1996–97 के बाद घरेलू आर्थिक विकास दर में लगातार गिरावट आने के बाद भारतीय इस्पात उद्योग की गति सभी सूचकांकों के आधार पर धीमी हुई। इनमें क्षमता वृद्धि, उत्पादन, खपत, निर्यात और कीमत/लाभ सूचकांक शामिल थे। इस्पात उद्योग के कार्य निष्पादन में भी गिरावट आई और यह औसत से नीचे चला गया। विदेशी कारोबार में भारतीय इस्पात पर एंटी डंपिंग/सेफगार्ड शुल्क लगाया जाता था क्योंकि अधिकतर विकसित देशों ने गैर शुल्क अवरोध लगा रखे थे। एशिया में आए वित्तीय संकट के कारण आर्थिक क्षति हुई तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी आने व नए इस्पात उत्पादक देशों (पूर्व सोवियत संघ से अलग हुए इस्पात उत्पादक देश) का इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था।

लेकिन, वर्ष 2002 के बाद वैश्विक उद्योग जगत ने वापसी की, जिसमें चीन का बहुत बड़ा योगदान था। चीन के तीव्र आर्थिक विकास और तेजी से विस्तृत होते आधारभूत संरचना क्षेत्र ने इस्पात की मांग में जबरदस्त वृद्धि हुई। यह मांग इतनी ज्यादा थी कि उसकी घरेलू आपूर्ति इसके लिए पर्याप्त नहीं थी। ठीक इसी समय अन्य प्रमुख बाजारों में भी सुधार हुआ। वहां न केवल उत्पादन में इजाफा हुआ बल्कि कीमतों में भी सुधार हुआ, मुनाफा दोबारा शुरू हुआ और नए बाजारों का भी आगमन हुआ तथा व्यापार संबंधी अवरोध हटाए गए। अंततः दुनिया भर में इस्पात की मांग में वृद्धि हुई। भारतीय बाजारों के लिए भी परिस्थितियां इससे अलग नहीं थीं और अब वहां भी अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर जोर दिया जा रहा था। घरेलू प्रतिव्यक्ति इस्पात की खपत में वृद्धि के कारण और आयात प्रतिस्थापन के उपाय किए गए। बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्यात बढ़ाने की कोशिश हो रही थी तथा वैश्विक बाजार से कच्चा माल प्राप्त करने के लिए उसे खंगाला जा रहा था।

उद्योग की तीव्र विकास दर और बाजार के रुझानों को देखते हुए कुछ दिशा–निर्देशों तथा ढांचे की आवश्यकता थी। इसके साथ ही राष्ट्रीय इस्पात नीति की अवधारणा का जन्म हुआ। इसका उद्देश्य देश के इस्पात उद्योग को विकास व प्रगति का रास्ता दिखाना था। राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी) की घोषणा नवंबर 2005 में की गई। यह प्रतिस्पर्द्धी इस्पात क्षेत्र का बुनियादी खाका था। राष्ट्रीय इस्पात नीति 2005 का दीर्घकालिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि भारत में वैश्विक मानकों के अनुरूप एक आधुनिक व किफायती इस्पात उद्योग विकसित हो, ताकि इस्पात संबंधी विविध जरूरतों को पूरा किया जा सके और उत्पादन व उत्पादकता के मामले में विश्वस्तरीय मानकों को हासिल किया जा सके। राष्ट्रीय इस्पात नीति 2005 उन प्रक्रियागत और नीतिगत अवरोधों को भी दूर करना चाहती थी जिनके कारण उत्पादन के लिए कच्चे माल में कमी, शोध एवं विकास संबंधी निवेश में इजाफा न होने, सड़क, रेल और बंदरगाह संबंधी बुनियादी विकास न होने, की समस्याएं सामने आ रही थीं। नीति का ध्यान घरेलू क्षेत्र में इस्पात उद्योग के विकास की दर तेज करने तथा खपत बढ़ाने के प्रयास पर भी था क्योंकि इससे निर्यात की संभावनाओं को भी बल मिलता है। इस समय भी इन बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप नवीकरण किया जा रहा है।

3.2 इस्पात का उत्पादन, खपत और विकास

नीचे दी गई तालिका देश में कुल तैयार इस्पात की बिक्री, आयात, निर्यात और उपभोग के लिए कुल तैयार इस्पात (मिश्र + गैर–मिश्र) का रुझान दर्शाती है :

वर्ष	कुल तैयार इस्पात (मिश्र + गैर–मिश्र) ('000 टन)			
	बिक्री हेतु उत्पादन	आयात	निर्यात	वास्तविक उपभोग
2006-07	52529	4927	5242	46783
2007-08	56075	7029	5077	52125
2008-09	57164	5839	4437	52351
2009-10**	60624	7382	3251	59339
2010-11*	66013	6798	3461	65610
अप्रैल–दिसं. 2011-12*	52061	4984	3048	50865
स्रोतः जेपीसी; * = अनंतिम, ** = संशोधित आंकड़े				

कच्चे इस्पात के उत्पादन में वर्ष 2006–07 के बाद से क्षमता के साथ–साथ लगातार वृद्धि हुई है। कच्चे इस्पात के उत्पादन, क्षमता और क्षमता के उपयोग से संबंधित आंकड़े नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए हैं :

वर्ष	कच्चा इस्पात		
	क्षमता ('000 टन)	उत्पादन ('000 टन)	क्षमता का उपयोग (प्रतिशत)
2006-07	56843	50817	89
2007-08	59845	53857	90
2008-09	66343	58437	88
2009-10**	75001	65839	88
2010-11*	78001	69575	89
अप्रैल–दिसं. 2011-12*	84461	53357	84
स्रोतः जेपीसी; * = अनंतिम, ** = संशोधित आंकड़े			

ऊपर दिए गए कच्चे इस्पात के कार्यनिष्पादन में बहुत बड़ा योगदान इस्पात निर्माण के वैद्युत मार्ग का, खासतौर पर इंडक्शन फर्नेस मार्ग का रहा। यह वर्ष 2010–11 (अनंतिम) के दौरान देश में 32 प्रतिशत कच्चे इस्पात के उत्पादन के लिए जिम्मेदार रहा और कच्चे इस्पात उत्पादन का प्रमुख प्रणेता उभरकर सामने आया। वर्ष 2006–07, 2010–11 और अप्रैल–दिसंबर 2011–12 (अनंतिम) के दौरान देश में कच्चे इस्पात के उत्पादन में ऑक्सीजन मार्ग की तुलना में वैद्युत मार्ग से उत्पादन के उदय के जो सूचक दिखाए गए है :

प्रक्रिया मार्ग से कच्चे इस्पात का उत्पादन	प्रतिशत अंश (प्रतिशत)		
	2006-07	2010-11*	अप्रै.–दिसं 2011-12*
बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस (बीओएफ)	50	45	43
इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएएफ)	20	23	26
इंडक्शन फर्नेस (आईएफ)	30	32	31
कुल	100	100	100
स्रोतः जेपीसी; * = अनंतिम			

भारत कोयला आधारित संयंत्रों के साथ स्पंज आयरन का भी बहुत बड़ा उत्पादक है। ये संयंत्र देश के खनिज प्रधान राज्यों में हैं। बीते वर्षों के दौरान कोयला आधारित रूट कुल उत्पादन में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उभरकर सामने आया है। कुल उत्पादन में इसका योगदान वर्ष 2010–11 (अनंतिम) में 78 प्रतिशत और अप्रैल–दिसंबर 2011–12 (अनंतिम) में 80 प्रतिशत हो गया। स्पंज आयरन की निर्माण क्षमता में भी बीते सालों के दौरान वृद्धि हुई है और वर्तमान में यह 350 लाख टन के लगभग है। नीचे दी गई तालिका में देश में स्पंज आयरन के उत्पादन के आंकड़े दिए गए हैं। इसमें कोयला और गैस आधारित उत्पादन प्रविधियों (रूट) का ब्यौरा दिया गया है :

वर्ष	स्पंज आयरन का उत्पादन (इकाई : दस लाख टन)					
	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10**	2010-11*	2011-12* अप्रैल–दिसं.
कोयला आधारित	13.08	14.53	15.57	18.18	20.92	17.08
गैस आधारित	5.26	5.84	5.52	6.15	5.79	4.14
कुल	18.34	20.37	21.09	24.33	26.71	21.22
स्रोतः जेपीसी; * = अनंतिम, ** = संशोधित आंकड़े						

भारत पिग आयरन का भी एक महत्वपूर्ण उत्पादक है। उदारीकरण के बाद निजी क्षेत्र में भी कई इकाइयों की स्थापना होने के बाद न केवल आयात में भारी कमी आई, बल्कि भारत पिग आयरन का निर्यातक बनकर सामने आया। 2010–11 (अनंतिम) में बिक्री–योग्य पिग आयरन के उत्पादन का 90 प्रतिशत निजी क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। घरेलू बाजार में पिग आयरन की उपलब्धता निम्न तालिका में दी गई है :

पिग आयरन की घरेलू उपलब्धता का परिदृश्य (इकाई : '000 टन)						
वर्ष	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10**	2010-11*	2011-12* अप्रैल–दिसं.
बिक्री हेतु उत्पादन	4953	5284	6207	5884	5541	4247
आयात	3	11	8	11	9	7
निर्यात	707	560	350	362	358	306
खपत	4336	4621	5870	5531	5153	4060
स्रोतः जेपीसी; * = अनंतिम, ** = संशोधित आंकड़े						

3.3 विश्व में भारतीय इस्पात की स्थिति

2011 में दुनिया भर में कच्चे इस्पात का उत्पादन 15150 लाख टन रहा, जो कि वर्ष 2010 के मुकाबले 6.8 प्रतिशत अधिक था। चीन 6830 लाख टन उत्पादन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश बना हुआ था, जो वर्ष 2010 की तुलना में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। भारत एक बार फिर से विश्व का चौथा सबसे बड़ा कच्चे इस्पात का उत्पादक था और देश ने वर्ष 2010 की तुलना में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। वर्ष 2011 में भारत विश्व के सबसे बड़े स्पंज आयरन उत्पादक देश के रूप में भी उभरा।

2011 में विश्व में कच्चा इस्पात उत्पादन* (मिलियन टन)		
रैंक	देश	उत्पादन
1	चीन	683.26
2	जापान	107.59
3	अमरीका	86.25
4	भारत	72.20
5	रूस	68.74

6	दक्षिण कोरिया	68.47
7	जर्मनी	44.29
8	यूक्रेन	35.33
9	ब्राजील	35.16
10	टर्की	34.10
स्रोतः वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन रिपोर्ट दिनांक 19.1.12; * = अनंतिम		

3.4 इस्पात : प्रमुख तथ्य

भारतीय इस्पात का परिदृश्य : अप्रैल–दिसंबर 2011–12*		
तैयार इस्पात (मिश्र + गैर–मिश्र)	**मात्रा (मिलियन टन)**	**गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में : बदलाव**
बिक्री हेतु उत्पादन	52.061	7.5
आयात	4.984	-7.0
निर्यात	3.048	23.8
वास्तविक खपत	50.865	4.4
कच्चा इस्पात		
उत्पादन	53.357	3.5
क्षमता उपयोग (प्रतिशत)	84	-
स्रोतः जेपीसी; * = अनंतिम		

वर्ष 2011 में विश्व का चौथा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादन करने वाला देश बनने (अनंतिम) के अलावा, भारत ने स्पंज आयरन/डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (डीआरआई) के उत्पादन के क्षेत्र में भी अपनी पहचान स्थापित की। इसका कारण देश के खनिज प्रधान इलाकों में कोयला आधारित स्पंज आयरन संयंत्रों का विकास था। इसके बाद घरेलू बाजारों में स्पंज आयरन का उत्पादन तेजी से बढ़ा, जिससे देश को वैश्विक बाजार में शीर्ष स्थान हासिल करने और उसे कायम रखने में मदद मिली। इस समय कई बड़ी परियोजनाएं या तो पूरी हो चुकी हैं या प्रस्तावित हैं, जो एक बार चालू हो जाने के बाद इस्पात उद्योग की संरचना, उसके स्वरूप की गाथा पुनः लिखी जाएगी और घरेलू अर्थव्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया को और बल मिलेगा। घरेलू अर्थव्यवस्था के सहारे सुधारों को लागू किए जाने के बाद भारतीय इस्पात उद्योग का भविष्य बहुत आशावादी है।

इस्पात क्षेत्र में उत्पादन, उपभोग, आयात, निर्यात आदि से संबंधित आंकड़े परिशिष्ट III से XI में दिए गए हैं।

3.5 निजी/सार्वजनिक क्षेत्र उत्पादन में प्रवृत्तियां

निम्नलिखित तालिका में देश में कच्चे इस्पात के उत्पादन में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा अप्रैल–दिसंबर, 2011–12 और गत पांच वर्षों में कुल उत्पादन व योगदान पर प्रकाश डाला गया है :

भारतीय कच्चा इस्पात उत्पादन						(इकाई : मिलीयन टन)
	2006–07	**2007–08**	**2008–09**	**2009–10****	**2010–11***	**2011–12* (अप्रै.–दिस.)**
सार्वजनिक क्षेत्र	17	17.09	16.37	16.71	16.99	12.26
निजी क्षेत्र	33.81	36.77	42.07	49.13	52.67	41.10
कुल उत्पादन	50.81	53.86	58.44	65.84	69.57	53.36
सार्वजनिक क्षेत्र की % भागीदारी	33	32	28	25	24	23
स्रोतः जेपीसी; * = अनंतिम **संशोधित आकड़े						

3.6 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) के लिए योजना प्रावधान

योजना आयोग ने 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) के लिए ₹45607.08 करोड़ के कुल प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है (अर्थात् ₹45607.08 करोड़ आन्तरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन [आई एंड ईबीआर] तथा ₹217 करोड़ के सकल बजटीय मदद [जीबीएस])।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रावधान (स्वीकृत)		
		आई एंड ईबीआर	जीबीएस	कुल
क.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की योजना			
1.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.	27409.00	0.00	27409.00
2.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	9569.18	0.00	9569.18
3.	स्पंज आयरन इंडिया लि.*	25.00	0.00	25.00
4.	हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि.	0.00	35.00	35.00
5.	मेकॉन लि.	9.00	63.00	72.00
6.	एमएसटीसी लि.	30.00	0.00	30.00
7.	फैरो स्क्रैप निगम लि.	60.00	0.00	60.00
8.	एनएमडीसी लि.	7147.00	0.00	7147.00
9.	केआईओसीएल लि.	650.00	0.00	650.00
10.	मॉयल लि.	342.90	0.00	342.90
11.	बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज़	148.00	1.00	149.00

* 1.7.2010 से एनएमडीसी लि. के साथ विलय

ख.	इस्पात मंत्रालय की योजना			
1.	लोहे और इस्पात क्षेत्र में अनु. एवं विकास प्रोत्साहन योजना	0.00	118.00	118.00
	कुल (क+ख)	**45390.08**	**217.00**	**45607.08**

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान "लोहे और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास" के लिए एक नई योजना कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत की गई। इसके लिए ₹118 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्रालय ने यह योजना इस टिप्पणी के साथ स्वीकृत की है कि योजना वर्ष 2009–10 में शुरू की जाए। योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए परियोजनाओं की पहचान की गई है। योजना के अधीन दिसंबर, 2011 तक ₹40.70 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं।

3.7 इस्पात मंत्रालय की भूमिका

विनियमन से पहले इस्पात मंत्रालय की एक नियामक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका थी जो आर्थिक परिदृश्य तथा इस्पात निर्माण में काम आने वाले कच्चे माल की कमी के बीच देश में इस्पात उत्पादन कम होने के कारण इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक थी। आबंटन के मुद्दे पर कुशल और न्यायसंगत निर्णयों के कारण तथा कीमतों आदि से संबंधित नीति निर्माण के कारण इस्पात मंत्रायल ने इस चरण के दौरान इस्पात उद्योग को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

विनियमन के बाद के दौर में इस्पात मंत्रालय की भूमिका मूल रूप से भारतीय इस्पात उद्योग के सहायक की रही है। यह लौह एवं इस्पात उद्योग के विकास के लिए योजनाएं बनाने में सक्रिय रहा है। लौह अयस्क, चूना

पत्थर, डोलोमाइट, मैंगनीज अयस्क, क्रोमाइट्स, फेरो एलॉय, स्पंज आयरन और अन्य संबंधित क्रियाकलाप कराना ही उसका प्रमुख काम रहा है। मौजूदा समय में अपनी भूमिका में इस्पात मंत्रालय निम्नलिखित मामलों में देश के लौह एवं इस्पात उद्योग को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है, जैसेः

- सक्रिय समन्वय और सही नीतिगत निर्देशों के कार्यान्वयन के जरिए इस्पात क्षमता निवेशों की प्रकिया को तेज बनाना। देश में प्रमुख इस्पात निवेशों की निगरानी और समन्वय के लिए सचिव (इस्पात) की अध्यक्षता में इस्पात मंत्रालय में एक अंतर–मंत्रालीय समूह (आईएमजी) काम कर रहा है।
- नए संयंत्र की स्थापना और पुराने संयंत्रों के विस्तार के लिए कच्चे माल की संलग्नता उपलब्ध कराना तथा रेल सुविधा उपलब्ध कराना।
- उत्पादकों को कच्चे माल की अबाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ–साथ उन्हें कोयले के अलावा अन्य कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा वैगन की जरूरतों को पूरा करना।
- नए संयंत्रों की स्थापना के प्रस्ताव और पुराने संयंत्रों के क्रियान्वयन के दौरान सामने आई समस्याओं को देखते हुए उनकी समीक्षा करना तथा इस संबंध में कारोबारियों से निरंतर बातचीत करना।
- इस्पात उद्योग की जरूरत के मुताबिक बुनियादी क्षेत्र की पहचान करना और संबंधित मंत्रालयों/विभाग के साथ इस्पात क्षेत्र की बुनियादी अपेक्षाओं का समन्वय करना।
- इस्पात के प्रभावी ढंग से इस्तेमाल को उचित बढ़ावा देना और ग्रामीण तथा अर्द्धशहरी इलाकों में विनिर्माण के क्षेत्र में इसके इस्तेमाल पर कोलकाता में 'इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील डेवलपमेंट एंड ग्रोथ (इन्सडैग)' की मार्फत जोर देना।
- इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना। देश में लौह एवं इस्पात संबंधी अनुसंधान प्रयासों को समग्र दिशा प्रदान करने के लिए इस्पात सचिव की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति है, जो अपने समक्ष प्रस्तुत विशिष्ट शोध परियोजनाओं के लिए स्टील डेवलपमेंट फंड से विशिष्ट शोध परियोजनाओं के वास्ते पूर्णतः अथवा आंशिक धन जुटाने के लिए मंजूरी देती है। देश में शोध एवं विकास की गतिविधियों को और बढ़ाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसके लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार द्वारा बजटीय सहायता दी जा रही है।
- लोहे, इस्पात, फेरो–एलॉय, रिफैक्ट्रीज और इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात को सुव्यवस्थित बनाने के लिए आउटपुट–इनपुट प्रावधानों की समीक्षा/निर्धारण के लिए वाणिज्य मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल ऑफ फारेन ट्रेड (डीजीएफटी) से संबद्ध मानक समिति को तकनीकी जानकारी मुहैया कराना।
- क्लीन डेवलपमेंट मेकेनिज्म (सीडीएम) एवं यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) के तहत मेजबान देश में मंजूरी अनुदान के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी मदद प्रदान करना।
- लौह एवं इस्पात उत्पादों के लिए भारतीय मानक तैयार करने/संशोधन करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के साथ समन्वय स्थापित करना।
- पर्यावरण प्रबंधन व प्रदूषण नियंत्रण एवं अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित करना।
- प्रधानमंत्री ट्रॉफी स्कीम के जरिए एकीकृत इस्पात कंपनियों के प्रदर्शन में सुधार। इसके तहत भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली कंपनी को पुरस्कार।
- भारत में लौह और इस्पात उद्योग के विकास और प्रगति के लिए तकनीकी कौशल से लैस कर्मचारियों की कमी की समस्या का समाधान।
- इस्पात उपभोक्ता परिषद संगठन देश में सभी इस्पात उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिए संपर्क मंच की भूमिका निभाता है।

अध्याय-IV

सार्वजनिक क्षेत्र

4.1 प्रस्तावना

इस्पात मंत्रालय के अधीन कंपनियों ने पिछले पांच सालों में अच्छा प्रदर्शन किया है। इस्पात मंत्रालय से जुड़ी कंपनियों का वर्ष 2011–12 (दिसंबर 2011 तक) कर पश्चात् लाभ (पीएटी) लगभग ₹8390.34 करोड़ था। विवरण परिशिष्ट–XIV (क) में देखा जा सकता है। उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, लाभांश, निगमित कर, विक्रय कर, रॉयल्टी आदि के जरिए केंद्र और राज्य सरकार के कोष में वर्ष 2011–12 (दिसंबर 2011 तक) इनका योगदान लगभग ₹14554.78 करोड़ था। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए परिशिष्ट–XV एवं XV (क) को देखा जा सकता है।

4.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी और भारत सरकार का एक उपक्रम है। इसके पांच एकीकृत इस्पात कारखाने–भिलाई (छत्तीसगढ़), राउरकेला (उड़ीसा), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), बोकारो (झारखंड) और बर्नपुर (पश्चिम बंगाल) में हैं। सेल के तीन विशेष और मिश्र इस्पात कारखाने अर्थात् दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) स्थित मिश्र इस्पात कारखाना, सेलम (तमिलनाडु) स्थित सेलम स्टील कारखाना और भद्रावती (कर्नाटक) स्थित विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात संयंत्र है। सेल की कुछ अन्य यूनिटें अर्थात् लोहे और इस्पात के लिए अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (आरडीसीआईएस), इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी केन्द्र (सीईटी), प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान (एमटीआई) और सेल सुरक्षा संगठन (एसएसओ) सभी रांची स्थित, धनबाद स्थित केन्द्रीय कोयला आपूर्ति संगठन (सीसीएसओ), कच्चा माल डिवीजन (आरएमडी), पर्यावरण प्रबंधन डिवीजन (ईएमडी) तथा ग्रोथ डिवीजन (जीडी) सभी कोलकाता स्थित और बोकारो स्थित रिफ्रैक्टरी यूनिट हैं। आलोच्य वर्ष में सेल की भूतपूर्व सहायक कंपनी, महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड (एमईएल) का सेल के साथ कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391–394 के अंतर्गत विलय हो गया। एमईएल अब सेल

सेल अध्यक्ष, श्री सी.एस. वर्मा, 11 अप्रैल 2011 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल, से पर्यावरण उत्कृष्टता एवम् अनवरत विकास के लिए स्कोप प्रतिमा पुरस्कार प्राप्त करते हुए। इस अवसर पर भारी उद्योग एवम् सार्वजनिक उपक्रम मंत्री माननीय श्री प्रफुल्ल पटेल भी उपस्थित थे।

सेल अध्यक्ष, श्री सी.एस.वर्मा, 31 जनवरी, 2012 को माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से विज्ञान भवन में एमओयू उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त करते हुए। चित्र में भारी उद्योग एवम् सार्वजनिक उपक्रम मंत्री माननीय श्री प्रफुल्ल पटेल भी देखे जा सकते हैं।

का एक कारखाना बन गया है और इसका नाम बदलकर चन्द्रपुर फैरो एलॉय प्लांट कर दिया गया है।

केंद्रीय विपणन संगठन (सीएमओ), जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, देशव्यापी विपणन और वितरण नेटवर्क के बीच समन्वय का काम करता है। सेल परामर्शदात्री डिवीजन (सेलकॉन) नई दिल्ली से काम करती है।

4.2.1 पूंजी संरचना

सेल की अधिकृत पूंजी ₹5000 करोड़ है। 31 मार्च, 2011 को कंपनी की चुकता पूंजी ₹4130.40 करोड़ थी। इसमें से 85.82 प्रतिशत भारत सरकार के पास और बाकी 14.18 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों/जीडीआर धारकों/ बैंकों/ कर्मचारियों/व्यक्तियों इत्यादि के पास हैं।

4.2.2 अतिरिक्त सार्वजनिक पेशकश (एफपीओ)

सरकार ने सेल द्वारा दो अलग किश्तों में समान राशि की मौजूदा चुकता शेयर पूंजी की 10 प्रतिशत राशि अतिरिक्त शेयर पूंजी जारी करने और सरकार के शेयर के 10 प्रतिशत विक्रय के प्रस्ताव को 08.04.2010 को मंजूरी दी। विद्यमान बाजार परिस्थितियों के अधीन एफपीओ को उपयुक्त समय पर जारी किया जाना था। बाजार की अस्थिर परिस्थितियों को देखते हुए, पहली किश्त जारी करना आस्थगित कर दिया गया है।

4.2.3 वित्तीय कार्यनिष्पादन

वित्त वर्ष 2010–11 में कंपनी ने ₹47,041 करोड़ का कारोबार किया। इस साल के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ ₹4904.74 करोड़ रहा। कंपनी ने 2010–11 के लिए लाभांश के रूप में चुकता इक्विटी पूंजी का 24 प्रतिशत की दर से अदा किया है। दिसंबर 2011 को समाप्त के लिए बिक्री कारोबार और कर–पश्चात् लाभ क्रमशः ₹35,564 करोड़ और ₹1,965.74 करोड़ रहा।

4.2.4 उत्पादन कार्यनिष्पादन

वास्तविक उत्पादन के बारे में नीचे जानकारी दी गई है :

(000 टन)

मद	2010–2011	2011–12 (दिसम्बर 2011 तक)
तप्त धातु	14888	10518
कच्चा इस्पात	13761	9958
बिक्री योग्य इस्पात	12887	9107

4.2.5 कच्चा माल

सेल ने 2010–11 के दौरान अपने कारखानों की निजी खानों से कच्चे लोहे का कुल 244.5 लाख टन उत्पादन कर कारखानों की लौह अयस्क आवश्यकताओं की पूर्ति की। निजी खानों से 23.3 लाख टन फ्लक्स निकाला गया। वर्ष 2010–11 के दौरान सेल की कोयला खानों से लगभग 11 लाख टन कोयला प्राप्त हुआ।

वर्ष 2011–12 के दौरान (अप्रैल–दिसम्बर 2011) सेल की निजी खानों से लौह अयस्क, फ्लक्स तथा कोयले का उत्पादन क्रमशः 170.1 लाख टन, 14.9 लाख टन और 4.4 लाख टन रहा।

4.2.6 जनशक्ति

1 अप्रैल, 2011 को सेल के कर्मचारियों की संख्या (एमईएल/सीएफपी सहित) 1,11,475 थी जबकि 1.1.2012 को यह संख्या 1,07,841 रह गई (15751 कार्यपालक/92090 गैर–कार्यपालक)। इस प्रकार वर्ष 2011–12 (दिसंबर 2011 तक) जनशक्ति में 3634 की कमी हुई।

4.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

विशाखापतनम इस्पात कारखाने (वीएसपी) की निगमित कंपनी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) ने समुद्र तट पर अपना पहला एकीकृत इस्पात कारखाना स्थापित किया। इस कारखाने का शुभारंभ अगस्त 1992 में प्रति वर्ष 30 लाख टन तरल लोहे (एमटीपीए) के उत्पादन के साथ हुआ। इस कारखाने को अत्याधुनिक तकनीक अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी के समावेश से बनाया गया था। इसमें ऊर्जा की अधिकतम बचत और प्रदूषण नियंत्रण उपायों का अधिकतम ख्याल रखा गया है। आरआईएनएल–वीएसपी का शानदार लेआउट है जिसे बढ़ाकर 20 एमटीपीए तक किया जा सकता है। आरआईएनएल–वीएसपी आज विकास पथ पर अग्रसर है और अपनी तरल इस्पात उत्पादन क्षमता को लगभग दोगुना करते हुए 63 लाख टन प्रति वर्ष करने जा रहा है। नई इकाइयां एक के बाद एक 2011–12 से काम करना शुरू कर देंगी।

शुरू होने के बाद थोड़े ही समय में कारखाने ने उत्पादन और टेक्नोलॉजी संबंधी मामलों में प्रदर्शन का उच्च स्तर हासिल किया है। अपने एकीकृत संचालन वर्ष से ही वीएसपी ने बेहतरीन गुणवत्तायुक्त उत्पादों के साथ देश और विदेशों के बाजारों में अपनी स्थिति मजबूत बना ली है। वीएसपी ने सभी तीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रमाणपत्र, अर्थात् आईएसओ 9001:2000, आईएसओ 14001:1996 और ओएचएसएएस 18001:1999 हासिल किए हैं। आरआईएनएल–वीएसपी 'केपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटिग्रेटिड (सीएमएमआई) – स्तर–3' प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाला पहला भारतीय इस्पात कारखाना है। आरआईएनएल में आईटी प्रणालियों को कार्यान्वित करने के लिए यह प्रमाणपत्र 'सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट (एसईआई), कारनेगी मेलन यूनिवर्सिटी', अमरीका द्वारा जारी किया जाता है। आरआईएनएल–वीएसपी ऐसा पहला सार्वजनिक उपक्रम और इस्पात क्षेत्र का पहला ऐसा प्रतिष्ठान है जिसे बीएस इएन 16001 (ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली) प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है। कंपनी अच्छे निगमित नागरिक के रूप में उभरी है और इस क्षेत्र के विकास के लिए काफी योगदान दिया है।

आरआईएनएल के विशाखापटनम इस्पात कारखाने का विहंगम दृश्य।

वित्त वर्ष 2011–12 (दिसंबर 2011 तक वास्तविक और जनवरी–मार्च 2012 तक संभावित) में उत्पादन और वित्तीय/ विपणन कार्यनिष्पादन के साथ–निर्धारित क्षमता की प्रतिशत प्राप्ति की दृष्टि से भौतिक कार्यनिष्पादन नीचे दिया जा रहा है :

मद	2010–11	2011–12	
		वास्तविक (अप्रैल–दिसंबर)	पूर्वानुमान (जन.–मार्च)*
उत्पादन (लाख टन में) और (क्षमता उपयोग %)			
तप्त धातु	3.830 (113%)	2.848 (111%)	1.052 (124%)
कच्चा इस्पात	3.235 (115%)	2.297 (108%)	0.888 (126%)
विक्रय इस्पात	3.077 (116%)	2.199 (110%)	0.836 (126%)
वित्तीय निष्पादन (₹ करोड़ में)			
सकल कारोबार	11517	9944.68	4439.14
कर पश्चात् लाभ	658.49	401.27	218.83
शुद्ध निवल	13229	13630.49	13849.32

*अनुमानित आंकड़े

अप्रैल–दिसंबर '11 के दौरान 17.15 लाख टन मूल्य संवर्धित इस्पात उत्पाद तैयार किए गए जो कुल उत्पादित बिक्री योग्य इस्पात का 78 प्रतिशत है।

इस्पात सचिव, श्री पी.के. मिश्रा की उपस्थिति में, एनएमडीसी के अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक, श्री राणा सोम, सार्वजनिक उपक्रम विभाग के सचिव, श्री भास्कर चटर्जी से पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार 2011 प्राप्त करते हुए।

4.4 एनएमडीसी लिमिटेड

15 नवम्बर, 1958 में निगमित एनएमडीसी भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अधीन एक 'नवरत्न' सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है और उद्योग के लिए खनन संसाधनों के विकास और दोहन के व्यवसाय से जुड़ी हुई है। यह लौह निर्माण तथा अन्य मूल्य संवर्धित उत्पादों के क्षेत्र में भी विस्तार कर रही है।

कभी एक उत्पाद–एक खरीदार वाली यह कंपनी अब स्वदेशी इस्पात उद्योग को लौह अयस्क सप्लाई करने वाली एक प्रमुख कंपनी के तौर पर उभरी है। यह आन्ध्र प्रदेश में हीरों और तंजानिया में सोने जैसे उच्च मूल्य के खनिजों की खोज में भी लगी है।

एनएमडीसी देश में छत्तीसगढ़ के बैलाडिला और कर्नाटक के डोनिमलाई में लौह अयस्क की बड़ी यांत्रिक खदानों का संचालन करती है। एनएमडीसी की हीरा खान पन्ना (मध्य प्रदेश) में है।

एनएमडीसी की लौह अयस्क की सभी उत्पादक इकाइयों को आईएसओ 9001:2008, आईएसओ 14001:2004 और ओएचएसएएस 18001:2007 प्रमाणपत्र प्राप्त हैं। एनएमडीसी के अनुसंधान और विकास केंद्र को आईएसओ 9001:2008 मान्यता मिली हुई है।

नए स्थानों पर कारखाने स्थापित करने/विविधता कार्यक्रम के अंश के तौर पर एनएमडीसी छत्तीसगढ़ स्थित नगरनार में 30 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता का एकीकृत इस्पात कारखाना लगा रहा है। इस परियोजना पर ₹15,525 करोड़ की लागत आने का अनुमान है। निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

एनएमडीसी अपने कारोबार का विस्तार करने के उद्देश्य से (क) छत्तीसगढ़ में 20 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता का पैलेट संयंत्र, (ख) कर्नाटक में दोनीमलाई में 12 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता का पैलेट संयंत्र, और (ग) दोनीमलाई में 3.6 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता का बीएचजे अयस्क परिष्करण संयंत्र भी लगा रहा है।

एनएमडीसी ने कोयले, रॉक फास्फेट, चूना–पत्थर, सोना और हीरों के अपने कारोबार के समतल एकीकरण द्वारा कारोबार के विस्तार की भी योजना बनाई है।

एनएमडीसी ने कर्नाटक में 'विण्ड मिल' स्थापित कर ऊर्जा पुनर्प्राप्ति क्षेत्र में प्रवेश किया है तथा यह सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सम्भावनाओं का भी पता लगा रहा है।

4.4.1 पूंजी संरचना

कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹400 करोड़ है। चुकता इक्विटी शेयर पूंजी ₹396.47 करोड़ है।

4.4.2 वित्तीय कार्यनिष्पादन

2011–12 के लिए कंपनी का वित्तीय कार्यनिष्पादन गत वर्ष 2010–11 के मुकाबले इस प्रकार रहा :

(₹ करोड़ में)

मद	2010–11	2011–12	
		दिसंबर तक (अनंतिम)	जन.–मार्च (अनुमानित)
बिक्री / कारोबार	11369	8623	3084
सकल मार्जिन	9852	8327	2965
कर–पूर्व लाभ	9727.17	8320.23	2839.77

4.5 मॉयल लिमिटेड

मॉयल लिमिटेड जिसे पहले मैंगनीज़ ओर (इण्डिया) लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, इस्पात मंत्रालय के अधीन मिनीरत्न श्रेणी–I का एक सार्वजनिक उपक्रम है। यह भारत में मैंगनीज़ अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। मॉयल की स्थापना 1962 में हुई थी। स्थापना के समय इसमें सेंट्रल प्रोविंस मैंगनीज़ ओर कंपनी लिमिटेड (सीपीएमओ) की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी और भारत सरकार, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र की बराबरी के आधार पर 51 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। बाद में 1977 में भारत सरकार ने मॉयल में सीपीएमओ की हिस्सेदारी खरीद ली और मॉयल अक्टूबर 1977 से पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी बन गई।

मॉयल विभिन्न श्रेणियों के मैंगनीज़ अयस्क का उत्पादन और विक्रय करती है। ये हैं :

- फेरो मैंगनीज़ के उत्पादन के लिए उच्च श्रेणी का अयस्क

मॉयल का बालाघाट स्थित एकीकृत मैंगनीज़ बेनिफिशिएशन संयंत्र।

- सिलिको मैंगनीज के उत्पादन के लिए मध्यम श्रेणी का अयस्क
- तप्त धातु के उत्पादन के लिए अपेक्षित ब्लास्ट फर्नेस श्रेणी का अयस्क, और
- सूखी बैटरी सैल और रसायन उद्योग के लिए डायऑक्साइड।

मॉयल ने इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डायऑक्साइड (ईएमडी) के निर्माण के लिए देशी तकनीक के आधार पर एक संयंत्र स्थापित किया है। इस उत्पाद का निर्माण ड्राई बैटरी सैलों के उत्पादन के लिए किया जाता है। कंपनी द्वारा तैयार ईएमडी की क्वालिटी बहुत अच्छी है तथा बाजार में इसकी अच्छी मांग है। मॉयल लिमिटेड द्वारा मूल्य संवर्धन के लिए 1998 में प्रति वर्ष 10,000 मी. टन उत्पादन क्षमता का एक फेरो मैंगनीज संयंत्र स्थापित किया गया। मॉयल ने बालाघाट खान में 5,00,000 टन प्रति वर्ष क्षमता का एकीकृत मैंगनीज़ परिष्करण संयंत्र तथा मध्य प्रदेश में देवास के निकट नागड़ा और रतेड़ी पहाड़ियों में 20 मेगावाट क्षमता की विण्ड फार्म स्थापित कर हवा से बिजली पैदा करने के क्षेत्र में भी प्रवेश किया है।

4.5.1 पूंजी संरचना

31 दिसम्बर, 2011 को कंपनी की अधिकृत तथा चुकता पूंजी क्रमशः ₹250 करोड़ तथा ₹168 करोड़ थी। भारत सरकार के मॉयल में 71.57% और महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश सरकारों के क्रमशः 4.62% और 3.81% शेयर हैं।

4.5.2 प्रचालन और वित्तीय परिणाम

वर्ष 2010–11, और चालू वर्ष में कंपनी का भौतिक और वित्तीय कार्यनिष्पादन इस प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मद	2010–11	2011–12 (दिसंबर 2011 तक)	अनुमान (जनवरी–मार्च '12)
1.	उत्पादन			
	क) मैंगनीज अयस्क ('000 टन)	1151	755.36	316.76
	ख) ई.एम.डी. (टन)	805	484	220
	ग) फैरो मेंगनीज (टन)	9081	6510	2100
2.	कर पूर्व लाभ	880.15	445.07	153.93

4.5.3 विपणन

वर्ष 2010–11 और 2011–12 (31 दिसंबर 2011 तक) बिक्री निष्पादन इस प्रकार रहा :

क्र. सं.	विवरण	2010–11		2011–12, 31.12.11 तक (अनंतिम)	
	सेल	मात्रा (टन)	मूल्य (₹ करोड़)	मात्रा (टन)	मूल्य (₹ करोड़)
1.	मैंगनीज अयस्क				
	घरेलू	999249	1069.25	777725	621.67
	निर्यात	–	–	–	–
	कुल	**999249**	**1069.25**	**777725**	**621.67**
2.	ईएमडी	911	6.21	691	4.71
3.	फैरो मेंगनीज	6903	45.31	11655	64.59
4.	स्लैग	14339	16.21	6491	5.61
5.	डब्ल्यू.टी.जी. (केडब्ल्यूएच)	22449760	8.31	19246200	6.82
	कुल		**1145.29**		**703.40**

4.6 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी लिमिटेड, जिसे पहले मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, की स्थापना सितंबर 1964 को देश से स्क्रैप के निर्यात के नियमन के लिए की गई थी। फरवरी 1974 में कंपनी के स्वरूप में परिवर्तन आया और यह स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि. की सहायक कंपनी बनाई गई। 1982–83 में निगम को इस्पात मंत्रालय के अधीन स्वाधीन सार्वजनिक उपक्रम बनाया गया। यह फरवरी 1992 तक कार्बन स्टील मेल्टिंग स्क्रैप, स्पंज लोहे, हॉट ब्रिक्वेटेड लोहे और पुनर्बेलन स्क्रैप के लिए केनेलाइजिंग एजेन्सी थी। यह विघटन के लिए पुराने पोतों के आयात हेतु भी केनेलाइजिंग एजेन्सी थी। परन्तु अगस्त, 1991 में पोत आयात को ओजीएल के अंतर्गत लाया गया और इसका यह कार्य बन्द हो गया।

इस समय कंपनी वाणिज्यिक गतिविधियां, ई–कॉमर्स, फैरस और नॉन–फेरस स्क्रैप के निपटान, अधिशेष भंडार और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों और रक्षा मंत्रालय सहित, सरकारी विभागों, तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम से मानव बाल सहित सेकेण्डरी सामान का कारोबार करती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एमएसटीसी को बेल्लारी हॉस्पेट क्षेत्र में लौह अयस्क खानों के मुहाने पर जमा लौह अयस्क चूर्ण के ई–नीलामी के लिए केंद्रीय स ाक्त समिति/मॉनिटरिंग समिति की मार्फत नियुंक्त किया है। कंपनी बड़े औद्योगिक घरानों के लिए जरूरी सामग्रियों का भी बड़ी मात्रा में बैक–टू–बैक आधार पर आयात करती है। आयातित मदों में एलएएम कोक, कोकिंग कोयला, डीआर पेलेट, एचआर कॉयल, मेल्टिंग स्क्रैप और नेफ्था इत्यादि शामिल हैं। यह अन्य किसी भी निजी व्यापारी के साथ प्रतिस्पर्द्धा करते हुए देश के अंदर भी इन मदों का व्यापार करती है।

पूंजी संरचना व शेयर धारण पद्धति

31 मार्च, 2011 को कंपनी की अधिकृत पूंजी ₹10 प्रति शेयर के 50,00,000 इक्विटी शेयर हैं जिनका मूल्य ₹5 करोड़ है। इसकी चुकता पूंजी ₹2.20 करोड़ के ₹10–10 के 22,00,000 इक्विटी शेयर हैं। इनमें से 89.85% भारत सरकार के पास और शेष 10.15 प्रतिशत अन्य के पास हैं। 1993–94 में बोनस शेयर 1:1 में जारी किए गए थे।

4.7 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

एफएसएनएल एमएसटीसी लि. की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसकी चुकता पूंजी ₹200 लाख है। कंपनी राउरकेला, बर्नपुर, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, विशाखापत्तनम, डोल्वी डुबुरी और रांची स्थित नौ संयंत्रों के स्लैग और कचरों से निकले स्क्रैप की रिकवरी और प्रसंस्करण करती है। संयंत्रों से मिलने वाला स्क्रैप रिसाइक्लिंग/निपटान के लिए संयंत्र को लौटा दिया जाता है और कंपनी को स्क्रैप की श्रेणी के अनुसार विभिन्न दरों पर प्रसंस्करण शुल्क दिया जाता है। स्क्रैप लोहे और इस्पात के निर्माण के दौरान और रॉलिंग मिलों से मिलता है। इसके अलावा कंपनी स्लैब की स्कार्फिंग, बीओएफ स्लैग को उठाने–रखने आदि स्टील मिल सेवाएं भी प्रदान करती है।

4.7.1 भौतिक निष्पादन

पिछले दो साल और 2011–12 (दिसंबर 2011 तक) के लिए एफएसएनएल के उत्पादन निष्पादन निम्न हैं:

मद	2009–10	2010–11	2011–12* (अप्रै.–दिसं.)	2011–12 (जन.–मार्च–अनुमानित)
स्क्रैप की प्राप्ति (लाख मीट्रिक टन)	23.71	26.45	16.08	8.86
उत्पादन का बाजार मूल्य (₹ करोड़ में)	1043.40	1163.94	706.64	389.84
*अनंतिम				

4.7.2 वित्तीय कार्य निष्पादन

(₹ लाख में)

मद	2009–10	2010–11	2011–12* (अप्रैल–दिसंबर)	2011–12 (जन.–मार्च अनुमानित)
कुल कारोबार जैसे विविध, आय आदि सहित प्राप्त सेवा प्रभार	15861.01	16853.20	11294.55	6223.24
ब्याज पूर्व सकल मार्जिन और मूल्यह्रास	2119.28	1346.30	244.56	134.75
ब्याज एवं मूल्यह्रास	1543.29	1168.29	1053.84	321.00
कर–पूर्व लाभ	575.99	178.01	–809.28	–186.25
* अनंतिम				

4.8 हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

सन् 1964 में स्थापित हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल) सार्वजनिक क्षेत्र में इस्पात मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण में एक प्रमुख निर्माण एजेंसी है। निगमन के समय इसका उद्देश्य देश में एकीकृत इस्पात कारखानों की स्थापना के लिए स्वदेशी क्षमता को जमा करना था। यह संगठन समय की कसौटी पर खरा उतरा और इसने सक्षम मानव संसाधन और आधुनिक निर्माण उपकरणों को एकत्र कर चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया। एचएससीएल ने भारत में लगभग सभी प्रमुख इस्पात संयंत्रों की स्थापना में भारी योगदान किया है। जैसे–जैसे कंपनी संसाधनों और विशेषज्ञता में आगे बढ़ती गई, इसने बिजलीघर, खनन परियोजनाओं, सिंचाई परियोजनाओं जिनमें बांध और बैराज शामिल हैं, तेल रिफाइनरी, रेलवे, हवाई अड्डे, भवन और वाणिज्यिक कम्पलेक्स, ग्रामीण सड़क, राजमार्ग, फ्लाईओवर, रेलवे और सड़क यातायात के लिए छोटे और बड़े पुल, शैक्षिक संस्थानों के लिए बुनियादी संरचना, स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल आदि क्षेत्रों में अपना विस्तार किया। कंपनी ने अनेक ग्राहकों के लिए लगाने–चलाने के आधार पर अनेक परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी कीं। आज एचएससीएल एक आईएसओ 9001:2008 कंपनी है और सभी तरह की निर्माण गतिविधियों से जुड़ी हुई है।

एचएससीएल द्वारा बोकारो के राख के पौंड से राख निकालने और उसका परिवहन करने का कार्य किया जा रहा हैं।

4.8.1 वित्तीय कार्यनिष्पादन

वर्ष 1965–66 में ₹5 करोड़ से एक छोटी शुरूआत करते हुए, कम्पनी ने 2010–11 में ₹996.30 करोड़ का कारोबार किया जो आरम्भ से अब तक का सबसे अधिक है।

वर्ष 2010–11 में कंपनी ने अपने सभी पुराने रिकार्डों को पार करते हुए ₹1826 करोड़ के ऑर्डर प्राप्त किए। वर्ष 2011–12 में आशा है कि ऑर्डर बुकिंग और भी अधिक होंगे। दिसंबर 2011 तक ₹1652.64 करोड़ के ऑर्डर पहले ही मिल चुके हैं।

2005–06 से 2010–11 के गत छः वर्ष में कंपनी का कारोबार और ऑर्डर बुकिंग सकल वार्षिक विकास दर (सीएजीआर) का क्रमशः 23.28 प्रतिशत और 33.53 प्रतिशत रहा जो देश में उद्योग की कुल विकास दर से कहीं अधिक है। कंपनी के वित्तीय परिणामों में भी सुधार हो रहा है तथा इसने वित्त वर्ष 2011 के दौरान ₹71.21 करोड़ का प्रचालन लाभ अर्जित किया। वित्त वर्ष 2011 तक एचएससीएल ने ₹10600 करोड़ मूल्य की परियोजनाओं पर सफलतापूर्वक कार्य किया है। इनमें से ₹5800 करोड़ की परियोजनाएं इस्पात क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं।

4.8.2 पूंजी संरचना

आज की तिथि को प्राधिकृत एवं चुकता शेयर पूंजी क्रमशः ₹150 करोड़ एवं ₹117.10 करोड़ है।

4.9 मेकॉन लिमिटेड

इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रम, मिनीरत्न, मेकॉन लिमिटेड एक बहुआयामी डिजाइन इंजीनियरी परामर्शदात्री और ठेके पर काम करने वाला संगठन है। यह धातु, बिजली, तेल एवं गैस और आधारभूत क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। मेकॉन का उद्देश्य नए उद्योगों के लिए परिकल्पना से चालू होने तक डिजाइन और इंजीनियरी; डिजाइन और संयंत्रों, उपस्करों तथा प्रणालियों की आपूर्ति करना है।

मेकॉन ने अनेक सपनों को सफलतापूर्वक साकार किया है। भारत के सतीश धवन स्पेस सेन्टर, एसएचएआर; आईआईटी मुम्बई में, जिओ टैक्नीकल सेन्ट्रीफ्यूज सुविधा; पहला स्वदेशी लॉचिंग पैड, श्रीहरिकोटा में दूसरा पैड; आईआईटी, बम्बई में विश्व में अपनी तरह का छठा तथा मानव संसाधन मंत्रालय, डीएसटी, डीआरडीओ द्वारा दिए गए पैसे से बनाया गया; एशिया की सबसे बड़ी कोयला हैंडलिंग सुविधा–एन्नौर बर्थ से टीएनईबी बिजलीघर में कोयला उठाने–रखने की सुविधा– जिसमें 11 किलोमीटर की कन्वेयर बेल्ट प्रणाली है और जिसकी क्षमता 2×4000 टन प्रति घंटा है; भारत में पहला पोत मरम्मत सुविधा, भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट सीबर्ड ऐसे कुछ कार्य हैं जो इसने सफलतापूर्वक पूरे किए हैं।

इस समय मेकॉन भारत में सार्वजनिक तथा निजी, दोनों क्षेत्रों में लगभग सभी बड़ी इस्पात परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है। कंपनी ने बिजली, तेल और गैस तथा आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में भी पैर जमा लिए हैं तथा सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों में अन्य अनेक कार्य कर रहा है।

भारत के साथ मेकॉन ने भी कतर, सऊदी अरब, ओमान, यू.ए.ई., विएतनाम, अमरीका आदि विभिन्न देशों में लगभग 130 परियोजनाओं के लिए क्वालिटी डिजाइन, इंजीनियरी और परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान कर अपनी गतिविधियों का विस्तार किया है। मेकॉन का नाइजीरिया में एक कार्यालय भी है और इसे अजाओकूटा एंड वारी (डेल्टा) स्टील कंपनी के 10 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता के एकीकृत कारखाने के लिए इंजीनियरी और परामर्शदात्री सेवाओं का ठेका भी मिला है।

4.9.1 वित्तीय कार्यनिष्पादन

गत वर्षों में मेकॉन ने वित्तीय दृष्टि से उल्लेखनीय प्रगति की है। वित्त वर्ष 2010–11 में मेकॉन का कारोबार ₹641.38 करोड़ था। कंपनी के शुद्ध लाभ में भी काफी सुधार हुआ है। कंपनी का शुद्ध लाभ ₹10.73 करोड़ (वर्ष 2004–05 में) था जो बढ़कर ₹140.93 करोड़ (वर्ष 2010–11 में) हो गया। कंपनी के शुद्ध मूल्य में 31.3.2008 से वृद्धि हुई है। 31.12.2011 को मेकॉन का शुद्ध मूल्य ₹236.21 करोड़ (अनंतिम) था। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि कंपनी ने 30.9.2009 को अपनी संपूर्ण संचित हानि को मिटाने में सफलता प्राप्त कर ली है।

4.10 केआईओसीएल लिमिटेड

शत–प्रतिशत निर्यातोन्मुख, आईएसओ 9001:2008, आईएसओ 14001:2004 और आईएसओ 18001:2002 प्रमाणित कंपनी केआईओसीएल लिमिटेड, की स्थापना ईरान की दीर्घकालीन जरूरतों की पूर्ति के लिए अप्रैल, 1976 में की गई थी। कुद्रेमुख में 75 लाख टन क्षमता वाले लौह अयस्क कंसेन्ट्रेट संयंत्र की स्थापना की गई। इस परियोजना का वित्त पोषण पूरी तरह से ईरान द्वारा किया जाना था। लेकिन 2550 लाख अमेरिकी डालर अदा करने के बाद ईरान ने आगे ऋण भुगतान बन्द कर दिया और इसे भारत सरकार के पैसे से समय पर पूरा किया गया।

यद्यपि यह परियोजना समय पर शुरू हो गयी लेकिन ईरान में राजनीतिक बदलाव की वजह से उसने परियोजना से कंसेन्ट्रेट नहीं लिए। उत्पादन में विविधता लाने के उपायों के तौर पर सरकार ने मई 1981 में मंगलोर में 30 लाख टन प्रतिवर्ष क्षमता के पैलेट संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दे दी। पैलेट संयंत्र की क्षमता में वृद्धि/संशोधन कर 35 लाख कर दिया गया। 1987 में संयंत्र से वाणिज्यिक उत्पादन होने लगा और अब यह चीन को लौह अयस्क पैलेट के निर्यात के साथ स्वदेशी संयंत्रों को भी पैलेट दे रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद, 1.1.2006 से कुद्रेमुख में खनन कार्य बंद कर दिया गया। निजी लौह अयस्क खान उपलब्ध न होने के कारण उत्पादन एनएमडीसी तथा अन्य एजेंसियों से खरीदे गए हेमाटाइट लौह अयस्क से होता है।

4.10.1 उत्पादन

वर्ष 2011–12 में उत्पादन के लिए तय लक्ष्य 30 लाख टन पैलेट था। वर्ष 2011–12 में दिसंबर 2011 के लिए निर्धारित उत्पादन लक्ष्य 21.72 लाख टन था। दिसंबर 2011 तक वास्तविक उत्पादन 12.97 लाख टन रहा जो निर्धारित लक्ष्य का 60 प्रतिशत था। उत्पादन में कमी का कारण माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कर्नाटक राज्य में खनन गतिविधियों पर रोक लगाने के कारण पर्याप्त मात्रा में लौह अयस्क चूर्ण की उपलब्धि न होना तथा डीटीए अथवा विदेशी बाजारों में मांग में मंदी थी।

अलाभकारी होने के कारण तथा घाटे के योगदान को देखते हुए 5 अगस्त, 2009 से धमन भट्टी यूनिट पर कार्य बंद कर दिया गया है। अतः विवेच्य वर्ष में उत्पादन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

4.10.2 वित्तीय कार्यनिष्पादन

वर्ष 2010–11 और 2011–12 (दिसंबर 2011 तक) बिक्री राजस्व की जानकारी नीचे दी गई है :

(₹ लाख में)

वर्ष	पैलेट	धमन भट्टी यूनिट	कुल
2011–12 (अप्रैल–दिसंबर 2011)	105125	548	105673
2010–11	174931	5415	180346

केआईओसीएल के वर्ष 2009–10, 2010–11 और 2011–12 (दिसंबर 2011 तक) में कार्यनिष्पादन की एक झलक नीचे दी गई है :

(₹ लाख में)

विवरण	2011–12 (दिसंबर 2011 तक)	2010–11	2009–10
कुल बिक्री मूल्य	105673	180346	99272
सकल मार्जिन	7653	16271	(13464)
कर–पश्चात् लाभ	3154	7627	(17727)

4.11 बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज़ (बीजीसी)

(i) सरकार द्वारा अनुमोदित पुनः संरचना के अनुसार ईआईएल, आरआईएनएल की सहायक कंपनी और ओएमडीसी तथा बीएसएलसी की धारक कंपनी बन गई है। ईआईएल, बीएसएलसी और ओएमडीसी

19.3.2010 से सार्वजनिक उपक्रम बन गए। इसके अतिरिक्त ओएमडीसी को 19.3.2010 से अनुसूची 'बी' के अंतर्गत रखा गया।

(ii) बीएसएलसी की अनुसूची के दर्जे पर निर्णय किया जाना शेष है।

(iii) ईआईएल एक शैल कंपनी है और इसे वर्गीकरण के अंतर्गत लाने के बारे में अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है।

विशिष्ट प्रचालनरत कंपनियों का कार्य–निष्पादन

(क) ईस्टर्न इनवेस्टमेंट लिमिटेड (ईआईएल)

ईआईएल एक निवेश कंपनी और ओएमडीसी तथा बीएसएलसी की धारक कंपनी है। ओएमडीसी और बीएसएलसी खनन कंपनियां हैं। कंपनी की अधिकृत पूंजी ₹13.50 करोड़ और चुकता पूंजी ₹1.44 करोड़ है। ईआईएल का वर्ष 2011–12 (दिसंबर 2011 तक) कर–पूर्व लाभ (अनंतिम) ₹1.88 करोड़ है।

(ख) उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओएमडीसीएल)

खानों की स्थिति, गतिविधियां एवं पूंजी संरचना

ओएमडीसी उड़ीसा में लौह अयस्क और मैंगनीज़ अयस्क के 6 खनन पट्टों का परिचालन कर रहा है। यह लौह अयस्क की सबसे पुरानी खनन कंपनी है और केन्द्रीय सरकार के अधीन लौह अयस्क खनन में एनएमडीसी के बाद इसका दूसरा स्थान है। ओएमडीसी की खानें क्योंझर जिले के कबायली क्षेत्र में स्थित हैं और कबायली लोगों को इनसे काफी रोजगार प्राप्त होता है। ओएमडीसी उड़ीसा, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल के गैर–निजी क्षेत्र की इस्पात कंपनियों/स्पंज आयरन यूनिटों को कच्चा माल का प्रमुख सप्लायर है। कंपनी ने अपने उपभोक्ताओं को आकार में तथा जरूरत के अनुसार लौह अयस्क उपलब्ध कराने के लिए चार क्रशिंग और स्क्रीनिंग संयंत्र स्थापित किए हैं। कंपनी ने ठाकुरानी में 2004 में एक छोटा स्पंज आयरन संयंत्र भी स्थापित किया है। कंपनी ने अपने उत्पादन में विविधता लाने और उत्पादों के मूल्य संवर्धन के लिए योजनाएं बनाई हैं। यह उड़ीसा में बारबिल में 20 लाख टन का एक पैलेट संयंत्र और 20 लाख टन प्रतिवर्ष का बेनिफिसियेशन संयंत्र भी लगाने की योजना बना रही है। इसकी योजना अगले कुछ वर्षों में लौह अयस्क का उत्पादन 100 लाख टन तथा मैंगनीज़ अयस्क का उत्पादन 10 लाख टन तक बढ़ाने की है। कंपनी की अधिकृत तथा चुकता पूंजी ₹0.60 करोड़ है।

वित्तीय निष्पादन

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010–11	2011–12 (अप्रैल–दिसंबर 2011) (अनंतिम)
बिक्री	44.83	1.52
अन्य आय	54.33	47.65
कर–पूर्व लाभ	13.35	7.56

(ग) बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (बीएसएलसी)

बीएसएलसी उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में चूना–पत्थर और डोलोमाइट के एक पट्टे पर कार्य कर रही है। यह मुख्य रूप से पूर्वी क्षेत्र में कार्य कर रहे सेल के इस्पात कारखानों को चूना–पत्थर और डोलोमाइट सप्लाई करती है। इसकी योजना खनन कार्यों का आधुनिकीकरण कर और क्रशरों की संख्या बढ़ाकर उत्पादन क्षमता 50 लाख टन करने की है। यह एक शताब्दी पुरानी कंपनी है और इस क्षेत्र के कबायली लोगों को इसमें बड़े पैमाने पर रोजगार मिल रहा है। कंपनी की अधिकृत पूंजी ₹87.50 करोड़ और चुकता पूंजी ₹87.29 करोड़ है।

भौतिक निष्पादन (लाख टनों में)

विवरण	2010–11	2011–12 (अप्रैल–दिसंबर 2011 अनंतिम
चूना–पत्थर	1.25	0.22
डोलोमाइट	8.60	4.92

दिसंबर 2011 तक इसकी संचित हानि ₹ 91.32 करोड़ हो गई है।

अध्याय–V

निजी क्षेत्र

5.1 प्रस्तावना

इस्पात उद्योग का निजी क्षेत्र देश में इस्पात उद्योग के विकास और उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। निजी क्षेत्र के दायरे में एक ओर बड़ी इस्पात कंपनियां और दूसरी ओर स्पंज आयरन संयंत्रों, छोटी धमन भट्टी इकाइयों, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस, रि–रॉलिंग मिलों, कोल्ड–रॉलिंग मिलों और कोटिंग इकाइयों जैसी छोटी और मंझोली कंपनियां, दोनों आती हैं। ये कंपनियां न सिर्फ प्राथमिक और द्वितीयक इस्पात क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, बल्कि गुणवत्ता, अभिनव प्रयोग और किफायतीपन के मामले में भी व्यापक मूल्य संवर्धन योगदान दे रही हैं। संबंधित कंपनियों द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर, कुछ प्रमुख इस्पात कंपनियों की गतिविधियों की संक्षिप्त रिपोर्ट नीचे प्रस्तुत की जा रही है।

5.2 टाटा स्टील लिमिटेड

टाटा स्टील का वित्त वर्ष 2012 की तीसरी तिमाही तक कार्य निष्पादन नीचे दिया गया है:

उत्पादन एवं विक्रय कार्य निष्पादन (आंकड़े '000 टनों में)

मद	पहली तिमाही '12	दूसरी तिमाही '12	तीसरी तिमाही '12
तप्त धातु	1944	1946	1902
कच्चा इस्पात	1794	1742	1766
विक्रेय इस्पात	1750	1710	1732
कुल बिक्री	1593	1648	1622

5.3 जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड

सन् 1994 में निगमित जेएसडब्ल्यू 15 वर्ष से कुछ अधिक की अवधि में 9 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक की कंपनी हो गई है। जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड; यूएसडी 9 बिलियन अमरीकी डॉलर जेएसडब्ल्यू ग्रुप की अग्रणी कंपनी है और इसका मूल्य 6 बिलियन है।

जेएसडब्ल्यू का माल 100 से अधिक देशों में बेचा जा रहा है। इसकी 4 उत्पादक इकाइयां तथा एकीकृत इस्पात निर्माण सुविधाएं तोरनागल्लु (कर्नाटक), वासिंद और तारापुर (महाराष्ट्र) में मूल्य संवर्धित सपाट उत्पाद यूनिट तथा सेलम (तमिलनाडु) में विशेष मिश्र इस्पात यूनिट और बेटाउन (अमरीका) में एचआर प्लेट और पाइप बनाने का कारखाना है।

भारत में विजयनगर में इसका कारखाना एक स्थान पर सबसे बड़ी इस्पात निर्माण सुविधा है। कारखाने में सबसे अच्छी टेक्नोलॉजियों का प्रयोग किया जा रहा है तथा यह विश्व में सबसे कम लागत पर उत्पादन करने वाले इस्पात कारखानों में है। कारखाने से अपशिष्ट व प्रदूषक शून्य है। यहां व्याप्त हरियाली स्थानीय मानसून के कारण चारों तरफ फैली है।

जेएसडब्ल्यू ने 18 जुलाई, 2011 को देश में सबसे बड़ी धमन भट्टी–4 (धमन भट्टी 4) प्रज्ज्वलित की। इस नई धमन भट्टी के जुलाई, 2011 में चालू हो जाने के बाद विजयनगर कारखाने की क्षमता 1 करोड़ टन प्रति वर्ष हो गई है।

कंपनी ने विजयनगर में अपनी विस्तार परियोजनाओं के अंश के रूप में पैलेट संयंत्र–2 (42 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता), सिंटर संयंत्र–3 और 4 (क्रमशः 57.5 लाख टन वार्षिक क्षमता और 28 लाख टन वार्षिक क्षमता), कन्वर्टर 3 और 4 तथा कोक ओवन–4 (19.5 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता) के 4 ब्लॉकों में से बाकी 2 ब्लॉकों की हीटिंग, लैडल हीटिंग भट्टी 3 और 4 तथा चूना केल्सिनेशन संयंत्र (क्षमता 300 टन प्रति दिन) चालू किए हैं।

इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अधिग्रहण के पश्चात् जेएसडब्ल्यू स्टील की कुल क्षमता 143 लाख टन प्रति

वर्ष हो गई है। यह देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनी है तथा पिछले दो दशक से भी कम अवधि में इसने अपनी क्षमता में 10 गुनी वृद्धि की है।

जेएसडब्ल्यू समग्र विकास के लिए कटिबद्ध है। इसने सामुदायिक विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम हाथ में लिए हैं। जेएसडब्ल्यू ने अपने कारखानों के आसपास के इलाकों के 4.67 लाख से अधिक लोगों के जीवन–स्तर में सुधार किया है। जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन ने शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन निर्वाह, खेलकूद, पर्यावरण तथा कला–संस्कृति परंपरा के क्षेत्र में अनेक सामाजिक विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किए हैं।

5.4 जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड

जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड अपनी विस्तार योजना के अंतर्गत अंगुल, उड़ीसा और पतरातू, झारखण्ड में 6 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता की नई परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है।

अंगुल परियोजना की स्थिति

- 6 x 135 मेगावाट क्षमता के निजी बिजलीघर की 2 यूनिटें चालू।
- 15 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता की प्लेट मिल चालू जिसमें देश की सबसे चौड़ी प्लेटें (5 मीटर चौड़ी) तैयार की जाएंगी।

कंपनी के 20 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता के इस्पात कारखाने की प्रगति नीचे दी गई है :

- सभी इंजीनियरी गतिविधियों का 95 प्रतिशत कार्य पूरा।
- 80 प्रतिशत ऑर्डर जारी।
- 76 प्रतिशत सिविल कार्य पूरे।
- 51 प्रतिशत आधारभूत कार्य पूरे।

पतरातू परियोजना की स्थिति

- 10 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता की बार मिल चालू।

रायगढ़, छत्तीसगढ़ में विस्तार परियोजना

4 X 135 मेगावाट क्षमता के निजी बिजलीघर की 3 यूनिटें चालू।

5.5 एस्सार स्टील लिमिटेड (ईएसएल)

एस्सार स्टील अपनी इस्पात निर्माण क्षमता दुगनी कर 1 लाख टन प्रति वर्ष करने की प्रक्रिया में है। इस विस्तार परियोजना ने वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान अनेक मील के पत्थर पार किए। गत 2–3 वर्ष से ऐसी कई परियोजनाएं, जो परियोजना स्तर पर थीं, उन्हें आलोच्य वर्ष में चालू किया गया और उनका परिचालन शुरू हो गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान नाना प्रकार के नए उत्पाद शुरू कर क्षमता का विस्तार किया गया।

आलोच्य वर्ष में कंपनी ने 35.8 लाख टन (सपाट उत्पाद) तैयार किए तथा 33.4 लाख टन की बिक्री की, जो गत वर्ष की अपेक्षा क्रमशः 6% और 3% अधिक है। समीक्षाधीन वर्ष में किरनदूल से वाइजैग तक गारा पाइपलाइन से ढुलाई वर्ष में 8 माह तक बन्द रही। अतः, वाइजैग में पैलेट उत्पादन और हजीरा में इस्पात उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा। कंपनी ने इस दुष्प्रभाव को कम करने के लिए रेल रेक, सड़क से लौह अयस्क की ढुलाई का वैकल्पिक प्रबंध किया और वैकल्पिक स्रोतों से लौह अयस्क चूर्ण तथा पैलेट की खरीद की।

जनवरी 2012 में कंपनी ने अपनी विस्तार परियोजना पूरी कर ली और हजीरा में इसकी क्षमता 1 लाख टन प्रति वर्ष हो गई है। इस प्रकार एस्सार स्टील विश्व में किसी एक स्थान पर सबसे अधिक सपाट इस्पात तैयार करने वाला चौथा कारखाना और भारत का सबसे बड़ा कारखाना बन गया है।

5.6 मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड

मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड (एमआईईएल) भारत की दूसरी सबसे बड़ी स्पंज लोहा बनाने वाली कंपनी है। इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 10 लाख टन प्रति वर्ष है। मोनेट प्रति वर्ष 16 लाख टन स्पंज आयरन, फैरो एलॉय, मृदुल इस्पात बिलेट, बेल्लित उत्पाद तैयार करती और बेचती है। इसके छत्तीसगढ़ में रायपुर और

रायगढ़ में आईएसओ 9001:2000 प्रमाणित एकीकृत इस्पात कारखाने हैं तथा इसका विपणन नेटवर्क देश भर में फैला है। एमआईईएल रायगढ़ में अपने विस्तार कार्यक्रम के अग्रिम चरण में है। यहां कंपनी धमन भट्टी, ईएएफ, टीएमटी/री–बार मिल तथा प्लेट मिल के साथ–साथ सिंटरिंग पैलेटाइजेशन प्लांट लगा रही है। इस प्रकार ग्रुप की इस्पात निर्माण क्षमता वर्ष 2012–13 में बढ़ कर 18 लाख टन प्रति वर्ष हो जाएगी। एमआईईएल राज्य में 30.9.2011 तक ₹2798 करोड़ का निवेश कर चुकी है तथा रायगढ़ संयंत्र के लिए ₹1102.60 करोड़ की मशीनों के ऑर्डर जारी कर चुकी है। अंगुल, उड़ीसा और बोकारो, झारखण्ड में नए स्थानों पर इस्पात कारखाने लगाए जा रहे हैं। जिससे कंपनी की वार्षिक इस्पात उत्पादन क्षमता वर्ष 2013 तक बढ़कर 30 लाख टन हो जाएगी। वर्तमान क्षमताओं और भावी विस्तार कार्यक्रमों को इस प्रकार लागू किया जा रहा है कि उनका पूरी तरह एकीकरण किया जा सके। कीमतों में उतार–चढ़ाव के कारण जोखिम से बचने के लिए कंपनी के पास अपनी खानें हैं और सुविधाओं का एकीकरण किया जा रहा है।

5.7 भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड

भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड, श्री संजय सिंघल (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक) उद्यमी के नेतृत्व में 32 साल पुरानी निर्माण एवं प्रोसेसिंग कंपनी है। कंपनी का दोनों, प्राथमिक और सेकेण्डरी इस्पात क्षेत्रों में सुदृढ़ आधार है। इसकी यूनिटें चंडीगढ़, डेराबस्सी और एक संयंत्र कोलकाता में है। कंपनी ने हाल ही में उड़ीसा के सम्भलपुर जिले के रेंगली तहसील, पो.ओ. लापंगा में थेलकोलोई गांव में अपना बड़ा एकीकृत इस्पात कारखाना सफलतापूर्वक चालू कर अपनी क्षमता 23 लाख कर ली है। इसके साथ ही यहां 376 मेगावाट क्षमता का निजी बिजलीघर भी स्थापित किया गया है। कारखाने की क्षमता 28 लाख टन प्रति वर्ष और बिजलीघर की क्षमता 560 मेगावाट करने के लिए अतिरिक्त निर्माण सुविधाएं जुटाई जा रही हैं।

कंपनी गैल्वल्यूम, कलर कोटिंग, प्रीसिज़न ट्यूब, ब्लैक पाइप और जीआई पाइप की क्षमता भी स्थापित कर रही है। इसके अतिरिक्त, प्राथमिक और सेकेण्डरी उत्पादों के सकल एकीकरण का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए कंपनी ने लौह अयस्क बेनिफिसियेशन संयंत्र तथा पैलेट संयंत्र स्थापित करने का कार्य भी शुरू किया है। अपने विकास की दर बनाए रखने के लिए कंपनी 30 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता का एक अन्य एकीकृत इस्पात कारखाना स्थापित करने के भी अग्रिम चरण में है। इसके अतिरिक्त, 900 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए झारखण्ड में कारखाना लगाया जा रहा है। भूषण पावर एंड स्टील ने छत्तीसगढ़ में अपने विकास की सम्भावनाओं की परिकल्पना की है तथा वे यहां 13 लाख टन प्रति वर्ष का एक अन्य इस्पात कारखाना तथा उसके साथ 300 मेगावाट क्षमता का बिजलीघर लगा रही है। अपने कारोबार में एकजुटता लाने के लिए कंपनी ने छत्तीसगढ़ की इस्पात कंपनी, नोवा आयरन एंड स्टील लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया है।

5.8 सेकेण्डरी लघु एवं मंझौला इस्पात क्षेत्र

5.8.1 इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस उद्योग

इस समय देश में 48 इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस आधारित इस्पात कारखाने कार्य कर रहे हैं, जिनकी कुल क्षमता 185 लाख 96 हजार टन प्रति वर्ष है। इनमें से 10 यूनिटें कास्टिंग यूनिटें हैं। ये कारखाने संयुक्त कारखाना समिति को इस्पात पिण्डों/कॉन्कास्ट बिलेट के अपने उत्पादन के बारे में जानकारी देते हैं। वर्ष 2010–11 (अनंतिम) में इन कारखानों में 162.6 लाख टन उत्पादन किया गया जबकि वर्ष 2009–10 में 159.7 लाख टन किया गया था। यह 1.8% वृद्धि दर्शाता है। यह क्षेत्र निरन्तर कच्चे माल, बिजली की बढ़ती कीमतों, बिजली और संसाधनों की कमी का सामना करता रहा है।

5.8.2 इंडक्शन फर्नेस उद्योग

वर्ष 2010–11 (अनंतिम) के दौरान अनुमान है कि इस क्षेत्र में 1,185 यूनिटें कार्य कर रही थीं जिनकी कुल क्षमता 288 लाख टन थी। संयुक्त कारखाना समिति के पास दाखिल रिपोर्ट के अनुसार 2010–11 में इन इंडक्शन भट्टियों के कुल उत्पादन में 9.4% की बढ़ोतरी हुई तथा इनमें 220.68 लाख टन उत्पादन हुआ जबकि 2009–10 में 198.24 लाख टन हुआ था।

5.8.3 ईएएफ आधारित इस्पात संयंत्रों का निष्पादन

ईएएफ यूनिटों की स्थिति, 2010–11		
	संख्या	क्षमता (10 लाख टनों में)*
चालू की गई यूनिटें	48	18.596
बन्द यूनिटें	0	0
कार्य कर रही यूनिटें	48	18.596
स्रोत : जेपीसी; * = अनंतिम		

उत्पादन

संयुक्त कारखाना समिति को दी गई जानकारी के अनुसार इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस इकाइयों का उत्पादन निम्न है :

ईएएफ यूनिटों का उत्पादन (10 लाख टनों में)						
श्रेणी	**2005–06**	**2006–07**	**2007–08**	**2008–09**	**2009–10**	**2010–11 (अनंतिम)**
मृदुल इस्पात	4.31	5.06	6.13	9.03	12.29	12.51
मंझौले/उच्च कार्बन इस्पात	1.50	1.76	2.76	2.68	2.01	2.05
एलॉय स्टील	1.53	1.80	1.02	1.05	0.84	0.85
स्टेनलैस स्टील	0.92	1.08	0.83	0.75	0.14	0.14
अन्य	0.04	0.05	0.06	0.64	0.69	0.71
रिपोर्ट अनुसार कुल	8.30	9.75	10.67	14.15	15.97	16.26
कुल अनुमानित	0.13	0.13	0.13	–	–	–
महा योग	**8.43**	**9.88**	**10.80**	**14.15**	**15.97**	**16.26**
(स्रोत : जेपीसी)						

अध्याय–VI

अनुसंधान एवं विकास

6.1 लोहे और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास

भारत में लोहे और इस्पात के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां (आर एंड डी) मुख्य रूप से एकीकृत इस्पात कारखानों और कुछ छोटे इस्पात कारखानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं तथा शैक्षणिक संस्थानों में की जा रही हैं। लोहे और इस्पात के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ सुधार किए गए हैं लेकिन अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। भारतीय इस्पात कंपनियों में अनुसंधान एवं विकास पर निवेश बहुत कम, कुल बिक्री कारोबार का, 0.15–0.25 प्रतिशत ही है जबकि अग्रिम देशों के इस्पात कारखानों में यह 1–2 प्रतिशत होता है।

6.1.1 लोहे और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन

इस्पात मंत्रालय अनुसंधान एवं विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से सार्वजनिक तथा निजी, दोनों इस्पात क्षेत्रों में निम्नलिखित दो योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान कर अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन दे रहा है :

(i) अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन के लिए इस्पात विकास निधि (एसडीएफ) से वित्तीय सहायता

इस योजना के अंतर्गत सचिव (इस्पात) की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति ने ₹544 करोड़ की लागत से 68 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की। इसमें से 35 परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं और उनके लाभ मिल रहे हैं। 9 परियोजनाएं मध्यकालीन समीक्षा के पश्चात् रोक दी गई हैं और 24 परियोजनाओं पर कार्य जारी है।

(ii) योजना निधि से प्राप्त वित्तीय सहायता से अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन देने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में ₹118 करोड़ आबंटित किए गए हैं। यह योजना वित्त मंत्रालय ने 23 जनवरी, 2009 को इस शर्त के साथ स्वीकृत की थी कि आगामी वित्त वर्ष (अर्थात् 2009–10) से यह चलाई जाएगी।

परियोजना स्वीकृति एवं मॉनिटरिंग (पीएएमसी) ने अब तक ₹143.84 करोड़ की 8 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है जिनके लिए योजना कोष से ₹96.23 करोड़ दिए गए हैं। निधि जारी करने का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	राशि करोड़ में
2009-10	₹ 4.14
2010-11	₹ 27.05
2011-12	₹ 9.51 (दिसंबर 2011 तक)

सभी परियोजनाओं पर अनुसंधान एवं विकास कार्य शुरू हो चुका है/किया जा रहा है। परियोजनाओं की कार्य अवधि दो से साढ़े तीन वर्ष है।

6.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सेल के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील (आरडीसीआईएस) ने वर्ष 2011–12 के दौरान 107 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं हाथ में लीं। इनमें से 69 परियोजनाएं मार्च 2012 तक पूरी होनी हैं। इन परियोजनाओं ने सेल के कारखानों/इकाइयों को तकनीकी मदद दी और लागत कटौती, मूल्यवर्द्धन, गुणवत्ता सुधार और नए उत्पादों के विकास पर खासतौर पर जोर दिया।

अप्रैल से नवंबर 2011 के दौरान केन्द्र ने 21 पेटेंट और 25 कापीराइट दायर किए। 44 तकनीकी पत्र प्रकाशित किए गए और 109 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। इसके अतिरिक्त, आरडीसीआईएस ने अनुबंध शोध कार्य का दायित्व संभाला और सेल से बाहर के संगठनों को परामर्श सेवाएं और तकनीकी जानकारी मुहैया कराई जिससे बाहरी स्रोतों से ₹152.94 लाख की आय हुई।

विभिन्न टेक्नोलॉजी क्षेत्रों की पूरी की गई परियोजनाओं की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

- आईएसपी में सीओबी–10 में कोक शक्ति के तौर पर सकल कोक गुणवत्ता में सुधार।
- राउरकेला की धमन भट्टी 2 और 3 में ऑक्सीजन की गुणवत्ता में सुधार।
- राउरकेला की एसएमएस–2 में स्टील लेडल के लाइनिंग जीवन में बढ़ोतरी।
- राउरकेला की रिवर्सिंग मिल में बेहतर कूलिंग प्रणाली और सिलिकॉन स्टील मिल की टेन्डम एनीलिंग लाइन में स्ट्रिप कूलिंग प्रणाली में सुधार।
- राउरकेला की कोल्ड रोलिंग मिल के पीएल–2 में बाथ स्थिति में सुधार।
- सेलम में सिमुलेशन अध्ययन से कम निकल स्टेनलैस स्टील के विधाययन में सुधार।
- बोकारो की कोल्ड रोलिंग मिल की पिकलिंग लाइन–1 में हॉरीजेन्टल लूपर स्टोरेज डिसप्ले प्रणाली का विकास।

गत दो वर्ष में अनुसंधान एवं विकास पर खर्च इस प्रकार रहा :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सेल का कारोबार	अनु. एवं विकास पर व्यय			
		पूंजी	राजस्व	कुल	कारोबार का %
2009–10	43935	4.32	102.94	107.26	0.24
2010–11	47041	5.08	127.06	132.14	0.28

6.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल में अनुसंधान एवं विकास पहल चुनौतियों का मुकाबला करने और कारखाने को तकनीकी जानकारी प्रदान करने की दिशा में है। कारखाने के अनुसंधान और विकास प्रयास प्रक्रियागत सुधार, अपशिष्ट प्रबंधन, लागत कटौती और नई टेक्नोलॉजी के विकास तथा पर्यावरण संरक्षण जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए संयंत्र की मौजूदा और भावी जरूरतों को देखते हुए किये जाते हैं।

अनुसंधान एवं विकास से प्राप्त प्रमुख नई टेक्नोलॉजियां/विधाएं नीचे दी गई हैं :

- कन्वर्टर का जीवनकाल बढ़ाने के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड–कार्बन ईंटों के गुणों में सुधार के लिए परियोजना।
- धातुकर्म व्यर्थ जाने वाले सामान और लौह अयस्क चूर्ण (–5 मिमी.) के प्रयोग से धात्विक नगेट तैयार करने के लिए एक नई परियोजना हाथ में ली गई।
- "सिंटर प्रक्रिया की गणितकीय मॉडलिंग" के संबंध में एक नई अनुसंधान परियोजना हाथ में ली गई और उस पर कार्य जारी है।
- वीएसपी में प्राप्त अपशिष्ट के उपयोग से मूल्य संवर्धित सिरेमिक उत्पाद के विकास के लिए नई योजना हाथ में ली गई।

गत तीन वर्ष में अनुसंधान एवं विकास पर व्यय :

वर्ष	कारोबार (₹ करोड़)	अनु. एवं विकास व्यय (₹ करोड़)	कारोबार के % के रूप में अनु. एवं विकास व्यय
2009-10	10634	12.66	0.119
2010-11	11537	14.34	0.124
2011-12* (दिसंबर तक)	9944	11.40	0.115

6.4 एनएमडीसी लिमिटेड

सन् 1970 में कभी अनुसंधान एवं विकास कक्ष के तौर पर स्थापित यह अब पूर्ण रूप से विकसित आधुनिक अनुसंधान एवं विकास केन्द्र बन चुका है। यहां देश में अपनी तरह की सबसे अच्छी प्रकार सुसज्जित प्रयोगशाला है और हैदराबाद स्थित यह केन्द्र लौह बेनिफिसियेशन और खनिज विधाययन के क्षेत्र में कोई भी कार्य हाथ में ले सकता है। उत्कृष्ट अनुसंधान सुविधाओं से युक्त यह केन्द्र खनिज विधाययन, फ्लो शीट विकास, खनिज विज्ञान अध्ययन और उत्पाद विकास जैसे क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी के विकास के कार्य हाथ में ले रहा है। इसे "उत्कृष्टता के केन्द्र" के रूप में मान्यता प्राप्त है।

वर्ष 2011–12 में एनएमडीसी के द्वारा हाथ में लिए गए प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं :

क) बेल्लारी स्थित दोनीमलाई लौह अयस्क परियोजना से बीएचजे/बीएचक्यू का उपयोग

ख) बैलाडीला क्षेत्र से निम्न ग्रेड के लौह अयस्क और बीएचक्यू का उपयोग

ग) सिंटर और पैलेट के लिए स्लाइम का उपयोग

घ) ब्लू डस्ट से नैनो क्रिस्टलाइन पाउडर

ङ) किंबरलाइट अपशिष्ट का उपयोग

च) प्रिसीपेटेड सिलिका, सोडियम सिलिकेट और जियोलाइट–ए के वाणिज्यीकरण के लिए आजमाइशी संयंत्र की स्थापना

गत तीन वर्ष में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर व्यय :

वर्ष	कारोबार (₹ करोड़)	अनु. एवं विकास व्यय (₹ करोड़)	कारोबार के % के रूप में अनु. एवं विकास व्यय
2009–10	6239.09	13.82	0.22
2010–11	11368.94	14.47	0.13
2011–12 (अप्रैल–दिसंबर)	8623	9.19	0.11

6.5 मॉयल लिमिटेड

अनुसंधान एवं विकास प्रयासों का उद्देश्य है भूमिगत खदानों में बढ़ती गहराई के साथ सुरक्षित एवं किफायती खनन तरीकों की चुनौतियों से निपटना। नए निक्षेपों की खोज के अलावा धातुशोधन एवं तकनीकी सुधार प्रविधियों के विकास के लिए भी अनुसंधान एवं विकास गतिविधि पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे क्षेत्र जिन पर कंपनी के अनुसंधान एवं विकास प्रयास केंद्रित हैं, वे हैं :

- सुरक्षित और किफायती खनन तरीके का विकास।
- भूमिगत कार्यों के लिए नई सहयोग प्रणाली का विकास और मौजूदा सहायक प्रविधियों व उपायों में सुधार।
- पर्यावरणानुकूल खनन के लिए नियंत्रित विस्फोटन प्रविधियों का इस्तेमाल।
- कारगर ठोसपन के साथ भूमिगत रिक्तियों को रेत से भरना।
- मैंगनीज आधारित मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन के लिए टेक्नोलॉजी का विकास।
- निम्न गुणवत्ता मैंगनीज धातु की गुणवत्ता में सुधार के लिए किफायती धातुशोधन तकनीक का विकास।

गत तीन वर्ष में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर व्यय :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कारोबार	अनु. एवं विकास व्यय	कारोबार के % के रूप में अनु. एवं विकास व्यय
2009–10	965.47	2.88	0.298
2010–11	1145.31	6.76	0.59
2011–12 (दिसं. '11 तक अनंतिम)	703.40	5.56	0.79

6.6 केआईओसीएल लिमिटेड

कंपनी द्वारा किए गए अनुसंधान एवं विकास कार्यों की मुख्य उपलब्धियां नीचे बताई गई हैं :

- हॉरिजॉन्टल प्रैशर फिल्टर संयंत्र का विकास।
- लौह अयस्क चूर्ण की अतिरिक्त भण्डारण क्षमता तैयार कर वर्तमान बॉल मिल फीडिंग प्रणाली का विस्तार।
- एमबीआर टेक्नोलॉजी : एमबीआर प्रक्रिया व्यर्थ जाने वाले पानी को साफ करने की एक उभरती टेक्नोलॉजी है। इसके अंतर्गत सेकेण्डरी क्लैरीफायर के स्थान पर ठोस/तरल छोटे–छोटे कणों को गारे से अलग किया जाता है।

गत तीन वर्ष में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियौं पर व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कारोबार	अनु. एवं विकास व्यय (₹ करोड़ में)	कारोबार के : के रूप में अनु. एवं विकास व्यय
2009.10	992.72	21.25	2.14
2010.11	1803.46	0.58	0.032
2011.12 (अप्रैल–दिसं. 2011)	1056.73	1.22	0.12

6.7 टाटा स्टील लिमिटेड

कंपनी द्वारा किए गए अनुसंधान एवं विकास कार्यों की मुख्य उपलब्धियां नीचे बताई गई हैं :

- जोडा में बिक्रेट हेतु नयी प्रकिया एवं बेनिफिसियेटेड निम्न श्रेणी मैंगनीज अयस्क चूर्ण का उपयोग।
- अधिक राख वाले कोयले को कम राख वाले क्लीन कोयले में बदलने के लिए रासायनिक वेनिफिसियेशन करने के वास्ते नयी आजमाइशी प्रक्रिया।
- वेनिफिसियेशन में क्लीन कोयला प्राप्ति बढ़ाने के लिए एक नया डेमो–स्केल डेंस मीडिया साइक्लोन।
- क्रोमाइट वेल्यू की वसूली के लिए टेलिंग परिष्करण प्रक्रिया।
- लौह अयस्क परिष्करण के लिए एक आजमाइशी अन्डर बैड एयर पल्सेटेड जिग।
- धमन भट्टी में डाले गए सामान के नियंत्रण के लिए बेहतर मॉडल।
- रेल इंजनों के एक्सल का जीवनकाल बढ़ाने के लिए बेहतर प्रथाएं।
- रीबार सीधा करने की प्रक्रिया के दौरान बो बनने से रोकने की बेहतर विधि।
- वायर रॉड मिल में लेंयिंग हैड पाइप का जीवनकाल बढ़ाने के लिए बेहतर प्रथा।

- हॉट स्ट्रिप मिल में प्राप्ति में वृद्धि के लिए न्यूरल नेटवर्क पर आधारित प्रोपर्टी प्रिडिक्शन।
- स्ट्रिप उत्पादों के लिए जंगरोधक नेनो–हाइब्रिड सोल–जैल की परत।
- ट्यूबों में जंग लगने से रोकने के लिए एक अनोखी अस्थायी परत।

6.8 जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड

कंपनी द्वारा किए गए अनुसंधान एवं विकास कार्यों की मुख्य उपलब्धियां नीचे बताई गई हैं :

- पैलेटाइजिंग डिस्क से बेहतर प्राप्ति।
- इनड्यूरेशन फर्नेस बैड परमिबिलिटी में सुधार के लिए हर्थ लेयर की जांच में वृद्धि।
- लौह अयस्क सिंटर रिड्यूसिबिलिटी में सुधार।
- कोरेक्स प्रक्रिया में स्लैग रिजीम को अधिकतम बनाना।
- धमन भट्टी–3 में गैस उपयोग में सुधार।
- धमन भट्टी के लिए हर्थ लिक्विड लैवल मॉडल।
- तप्त धातु प्री–ट्रीटमेंट में सुधार।
- हॉट स्ट्रिप मिल–1 (एचएसएम–1) में मिल की उपलब्धि बढ़ाने तथा स्टॉक हटाकर फिनिशिंग मिल बैकअप रोल का जीवनकाल बढ़ाने संबंधी कार्य।

अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर व्यय (गत तीन वर्ष में) :

वर्ष	कुल वार्षिक कारोबार (₹ करोड़ में)	अनु. एवं विकास व्यय (₹ करोड़ में)	कारोबार के % के रूप में अनु. एवं विकास व्यय
2008–09	14,001	12.38	0.09
2009–10	15,375	9.14	0.06
2010–11	23,900	45.6	0.19

6.9 एस्सार स्टील लिमिटेड

कुछ ऐसे क्षेत्र जिसमें कंपनी द्वारा अनुसंधान एवं विकास कार्य कर लाभ प्राप्त किए गए :

- तेल और गैस उद्योग के लिए एपीआई मानकों के अनुरूप प्लेट, बॉयलर क्वालिटी की प्लेट, उच्च शक्ति की संरचना श्रेणी की प्लेटें तथा सुरक्षा सेनाओं के विशेष उपयोग के लिए प्लेटें।
- आग पकड़ पाने की प्रवृत्ति कम करने के लिए उपयुक्त प्रक्रिया का सुझाव व कोल्ड डीआरआई पैलेट का वर्गीकरण।
- लौह अयस्क गारे से छान कर सिरेमिक फिल्टरों को साफ करने की आविष्कारिक प्रणाली का विकास।
- बैच एनीलिंग भट्टियों में उच्च कार्बन ग्रेड के लिए एनीलिंग समय में कमी।

अध्याय–VII

ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन

7.1 प्रस्तावना

पर्यावरण प्रबंधन और ऊर्जा कार्यकुशलता वैश्विक और घरेलू दोनों स्तरों पर किसी क्षेत्र या कंपनी का मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण मानक हैं। सरकार के विभिन्न नियमों और योजनाओं के द्वारा इस्पात मंत्रालय इस्पात कारखानों में ऊर्जा की खपत और प्रदूषणकारी तत्वों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कदम उठा रहा है। विभिन्न मंचों और उपायों के जरिए इस साल इस्पात मंत्रालय द्वारा किए गए कुछ प्रयास निम्न हैं :

7.1.1 पर्यावरण सुरक्षा के लिए निगमित दायित्व चार्टर (सीआरईपी)

पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण के लिए यह इस्पात मंत्रालय तथा प्रमुख/बड़े इस्पात कारखानों के सहयोग से पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ)/केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की पहल है। जिसके अंतर्गत आपसी सहयोग व सहमति के आधार पर प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए बने नियमन का उद्देश्य संबद्ध नियमों व मानकों से भी अधिक लक्ष्य हासिल करना है।

सीपीसीबी में एक राष्ट्रीय कार्यदल सीआरईपी की कार्य योजनाओं तथा लक्ष्यों का अनुपालन और उसकी समीक्षा करता है। आलोच्य वर्ष में जिन क्षेत्रों में पर्यावरण कार्य निष्पादन को मॉनीटर किया गया है, वे हैं : कोक ओवन से निकलने वाली गैस, स्टील मेल्टिंग शॉप में सेकेण्डरी गैसों पर नियंत्रण; बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस स्लैग का एसिड युक्त मिट्टी के परिष्करण के लिए उपयोग; उत्पाद बनाते समय व्यर्थ जाने वाले सामान के परिष्करण संयंत्र द्वारा कोक ओवन का प्रभावी परिचालन; और व्याप्त वायु क्वालिटी को मापना।

निम्नलिखित क्षेत्रों में ऊर्जा का उपभोग घटाने के लिए उपाय किए गए (i) धमन भट्टियों में कोयला/टार का इंजेक्शन (ii) जल उपभोग (इस संबंध में अधिकतर एकीकृत कारखानों में प्राथमिक लक्ष्य प्राप्त किए गए) और समीक्षा भी की गई।

7.1.2 क्योटो प्रोटोकॉल के तहत स्वच्छ विकास व्यवस्था (सीडीएम)

इस योजना के तहत इस्पात मंत्रालय पर्यावरण व वन मंत्रालय की राष्ट्रीय सीडीएम अथॉरिटी के जरिए लोहे और इस्पात कारखानों में ऊर्जा कुशल ग्रीन तकनीक अपनाने की पहल कर रहा है। ऊर्जा कुशल तकनीक अपना कर कई लौह और इस्पात कारखानों ने कार्बन क्रेडिट का उपयोग करने के लिए मेजबान देशों की स्वीकृति ली है। अभी तक 1030 लाख टन कार्बन डायऑक्साइड कम करने वाली 158 ऐसी परियोजनाओं को नेशनल स्वच्छ विकास व्यवस्था (सीडीएम) अथॉरिटी ने स्वीकृति दी है।

7.1.3 यूएनडीपी–विश्व पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) इस्पात परियोजना

इस परियोजना के तहत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और इस्पात मंत्रालय के योगदान से एक योजना विकसित की गई है जो ऊर्जा खपत में कमी करने, उत्पादकता सुधारने और ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन और संबंधित प्रदूषण स्तरों में कमी करने जैसे लक्ष्यों के साथ देश में स्टील री–रोलिंग मिलों में ऊर्जा कुशल कम कार्बन टेक्नोलॉजियों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 43 मॉडल यूनिट की अभी तक पहचान की गई है। 25 यूनिट में टेक्नोलॉजी पैकेज लागू कर दिया गया है।

7.1.4 एनईडीओ मॉडल परियोजनाएं

जापान सरकार की वित्तीय सहायता से विभिन्न इस्पात कारखानों में इस्पात मंत्रालय मॉडल परियोजना नाम से पहचानी जाने वाली इस ऊर्जा कुशल, पर्यावरणानुकूल परियोजना की स्थापना कर रहा है। परियोजना का क्रियान्वयन जापान के न्यू एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आर्गनाइजेशन (एनईडीओ) द्वारा किया जा रहा है। अभी टाटा स्टील में दो परियोजनाएं चालू की गई हैं। आरआईएनएल के विशाखापटनम स्टील प्लांट में सिंटर कूलर वेस्ट हीट रिकवरी के लिए एक माडल परियोजना पर कार्य जारी है।

7.1.5 अधिक ऊर्जा कुशलता के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमईईई)

वर्ष 2006 में प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का उद्घाटन किया था। इस कार्य योजना के अंतर्गत 8 मिशन में से एनएमईईई के अंतर्गत इस्पात सहित औद्योगिक क्षेत्रों में ऊर्जा की खपत में कटौती करने संबंधी उपायों की बात की गई थी। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 1961 के अनुसार 30,000 एमटीओई (10 लाख टन तेल के बराबर) तथा उससे अधिक उपभोग करने वाले इस्पात कारखानों को उपभोक्ता कहा जाएगा तथा इनके संबंध में मापदण्ड बनाए जाएंगे। ऐसे इस्पात कारखाने, जो इस मापदण्ड से ऊंचे स्तर पर कार्य करेंगे, उन्हें ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र (ईएससी) प्रदान किए जाएंगे और इन प्रमाणपत्रों को बाजार में खरीदा–बेचा जा सकेगा। बीईई इस्पात मंत्रालय के साथ कार्य करते हुए कच्चे माल की विभिन्न किस्मों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न इस्पात निर्माण टेक्नोलॉजियों में ऊर्जा की खपत के मापदण्ड तैयार कर रहा है।

7.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

7.2.1 सेल कानून द्वारा जरूरी मानकों को प्राप्त करने तथा जहां भी उपयुक्त हो, स्वेच्छा से उनसे भी बेहतर मानक पाने के लिए कटिबद्ध है। सेल द्वारा किए प्रयासों के परिणामस्वरूप प्रमुख पर्यावरण निष्पादन सूचकों में सुधार हुआ है जो नीचे दर्शाया गया है :

सूचक	2009–10	2010–11	2011–12 (अप्रैल–नवंबर 11)
कणों (पीएम) का उत्सर्जन (किग्रा./टन कच्चा इस्पात)	1.55	1.11	1.05
विशेष जल उपभोग (घ.मी./टन कच्चा इस्पात)	3.96	4.06	3.95
विशेष उत्सर्जन निकासी (घ.मी./टन कच्चा इस्पात)	2.53	2.49	2.36
ठोस अपशिष्ट का उपयोग (%)	80	84	82

7.2.2 पर्यावरण सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण

वर्ष 2010–11 के दौरान सेल के कारखानों और खानों में 1.74 लाख पौधे रोपित किए गए। अकेले अप्रैल–नवंबर, 2011 में सेल की यूनिटों में 2.66 लाख पौधे लगाए गए।

7.2.3 आईएसओ 14001 से सम्बद्ध पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) का कार्यान्वयन

- इस्पात मंत्रालय से समझौता ज्ञापन में "माल गोदाम में हरियाली" परियोजना के अंतर्गत आईएसओ–14001:2004 से सम्बद्ध पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) केन्द्रीय विपणन संगठन के मालगोदामों में लागू करने का बीडा उठाया गया। सभी केंद्रों पर आवश्यक दस्तावेजों को तैयार कर लिया गया है। यह प्रणाली कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में चल रही है। विवेच्य अवधि के दौरान दो मालगोदामों में पूर्व–प्रमाणीकरण ऑडिट किया गया।

7.2.4 स्वच्छ विकास व्यवस्था (सीडीएम)

- "इस्को स्टील प्लांट (आईएसपी–37) की धमन भट्टी में अपशिष्ट ताप वसूली" शीर्षक सीडीएम परियोजना पंजीयन के लिए यूएनएफसीसीसी को दी गई है।
- भिलाई के बायलर–6 में "गैस फायरिंग (कोक भट्टी + धमन भट्टी) शीर्षक तथा आईएसपी के बायलर–बी में "गैस फायरिंग (कोक भट्टी + धमन भट्टी) शीर्षक 2 वीईआर परियोजनाओं की कार्यस्थलों पर जांच की गई। स्वीकृति प्रदानकर्ता, मैसर्स आरआईएनए द्वारा ये परियोजनाएं पहले वीसीएस मानक के अनुरूप मानी गई थीं।

7.2.5 पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम

विश्व पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस, ओज़ोन दिवस, पर्यावरण माह, खान तथा खनिज संरक्षण सप्ताह जैसे विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का जागरूकता का प्रसार के उद्देश्य से आयोजन किया गया।

7.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

7.3.1 ऊर्जा प्रबंधन

वर्ष	विशेष ऊर्जा खपत (जी.कैल/टीसीएस)	कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (टन/टीसीएस)
2010–11	6.12	2.615
2011–12 (दिसंबर तक)	6.09	2.610

7.3.2 वर्ष 2010–11 में ऊर्जा उपभोग में कमी के लिए किए गए उपाय

(i) धमन भट्टी 1 की गैस एक्सपैंशन टरबाइन में रिफ्रेक्टरी मुक्त गैस प्री हीटर की स्थापना।

(ii) एकयर सेपेरेशन में ऊर्जा कुशल संयंत्र–4 चालू करना।

(iii) कोक दर 532.7 किलोग्राम/टीएचएम से घटा कर 527 किग्रा/टीएचएम करने के लिए हॉट ब्लास्ट का ताप बढ़ाने और तकनीकी–आर्थिक उपायों के साथ कोकिंग ब्लेण्ड उपयुक्त बनाना।

(iv) रोलिंग के विभिन्न सेक्शनों के लिए मानकीकृत परिचालन से स्टेलमॉर कन्वेयर ब्लोअर में कमी।

7.3.3 ऊर्जा कुशल टेक्नोलॉजियों को अपनाना (विकसाधीन)

(i) धमन भट्टी 1 और 2 में पलवराइज्ड कोल इंजेक्शन की स्थापना।

(ii) सिंटर मशीन 1 और 2 के सिंटर स्ट्रेट लाइन कूलर में 20.6 मेगावाट क्षमता की वेस्ट हीट रिकवरी प्रणाली की स्थापना। आशा है यह मार्च 2012 तक चालू कर दी जाएगी।

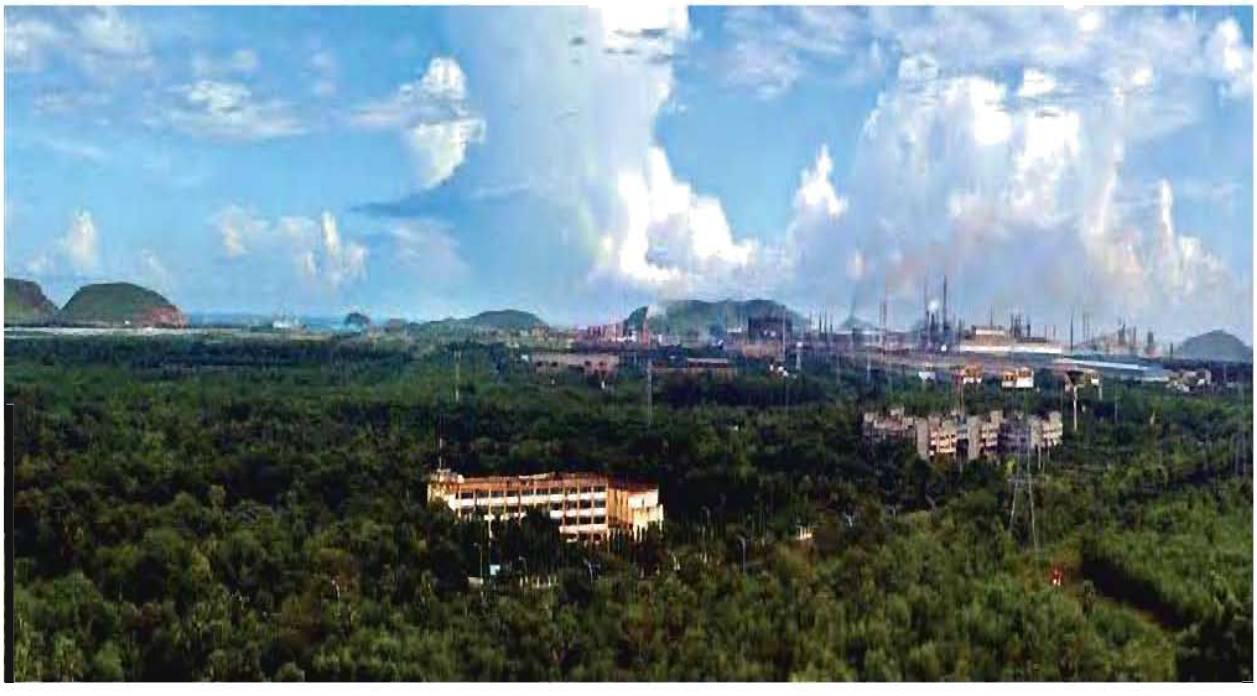

आरआईएनएल का एक विहंगम दृश्य।

7.3.4 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली अपनाना

पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली–ईएन–16001 के स्थान पर आईएसओ–50001 अपनाने पर कार्य जारी है। नवम्बर–2011 में कार्यपालकों में आईएसओ 50001 के संबंध में जागरूकता लाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया।

7.3.5 स्वच्छ विकास व्यवस्था

आरआईएनएल–वीएसपी ने अनेक स्वच्छ विकास व्यवस्थाओं संबंधी परियोजनाएं हाथ में ली हैं और पहचान की गई ऐसी परियोजनाओं के लिए कार्बन क्रेडिट लेने हेतु कार्य किया जा रहा है।

(i) आलोच्य वर्ष में आरआईएनएल ने आयोजक राष्ट्र स्वीकृति हेतु सीडीएम प्राधिकारी को परियोजनाओं के परियोजना डिजाइन दस्तावेज दाखिल किए।

(ii) दो परियोजनाएं, यथा धमन भट्टी–3 के स्टोवों से व्यर्थ जा रहे ताप की वसूली तथा धमन भट्टी–3 की टॉप प्रेशर रिकवरी टरबाइन पर व्यर्थ जा रहे प्रेशर का प्रयोग कर बिजली की उत्पत्ति को राष्ट्रीय सीडीएम प्राधिकारी द्वारा आयोजक राष्ट्र स्वीकृति मिल चुकी है। परियोजनाओं को दुरुस्त किया जा रहा है।

7.3.6 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली

वीएसपी का प्रयास है कि नई टेक्नोलॉजी के समावेश और पुराने उपस्करों में बदली से नियत मानकों को पार कर अधुनातन पर्यावरण मानकों को प्राप्त किया जाए। वीएसपी सभी सांवैधानिक जरूरतों का पालन करता है और उत्सर्जन नियत मानकों के भीतर ही है। यह नीचे दर्शाया गया है

I. स्टैक उत्सर्जन : चिमनियों से स्टैक उत्सर्जन मानकों के भीतर है (पूर्ण रूप से अनुपालन)

स्टैक उत्सर्जन (इकाई : मिग्रा./एनकम)				
स्थान	मानदण्ड	एपीपीसीबी मानदण्ड	2010–11	2011–12 (दिस. तक)
कोक ओवन बैटरी (बैटरी 1 से 3)	एसपीएम	50	43.5	42.5
धमन भट्टी (बीएचएस–1 और 2, सीएचईएस–1 और 2)	एसपीएम	115	79.3	83.1
स्टील मेल्टिंग भॉप (सीवीएस)	एसपीएम	115	48.4	54.2
हल्की व मंझौली मर्चेंट मिल	एसपीएम	115	48.4	54.2
(आरएचएफ एवं डब्ल्यूबीएफ)	एसपीएम	115	39.4	44.8
वायर रॉड मिल	एसपीएम	115	53.8	42.1
मंझौली मर्चेंट एवं स्ट्रकचरल मिल	एसपीएम	115	42.7	42.9
सिंटर संयंत्र (एसीपी–1 और 2)	एसपीएम	115	79.2	80.3
थर्मल पावर प्लांट (बॉयलर 1 से 5)	एसपीएम	115	94.8	93.1

II. ठोस अपशिष्ट :

धमन भट्टी और एसएमएस स्लैग का उत्पादन एवं उपयोग			
वर्ष	धमन भट्टी % उपयोग	एसएमएस स्लैग % उपयोग	कुल स्लैग % उपयोग
2010–11	98.91	80.09	94.93
2011–12 (दिसबंर तक)	71.29	152.85	87.17

7.3.7 पर्यावरण निष्पादन में सुधार हेतु नई पहल/आविष्कारिक योजनाएं

पर्यावरणीय निष्पादन में सुधार के लिए संयंत्र में पर्यावरण संबंधी जो उपाय किए गए उनमें से कुछ हैं:

क्र.सं.	पर्यावरण संबंधी उपाय	प्रभाव
1	बैग फिल्टरों के निष्पादन में सुधार हेतु पीटीएफई संलग्न सीआरएमपी के 5 भट्ठों के बैग फिल्टर	उत्सर्जन स्तर कम हो 50 एमजी/एन घन मी.
2	सिंटर संयंत्र में वायु साफ करने वाले संयंत्र के इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रिसीपेटरों को ऑटोमेटिक करना व धूल निपटान प्रणाली में सुधार	• ईएसपी के निष्पादन में सुधार • धूल उत्सर्जन स्तर निरंतर 115 एमजी/ एन घन मी. के मानक से कम बनाए रखना
3	20 स्टैक पर ऑनलाइन मॉनिटर तथा 4 वायु गुणवत्ता स्टेशनों और एक मौसम मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना और पर्यावरण पोर्टल पर उत्सर्जन संबंधी आंकड़े रखना	प्रदूषण मापदण्डों से हटने की घटनाओं का विश्लेषण करने में सहायता तथा उन्हें ठीक करने के लिए दीर्घकालीन व लघुकालीन उपाय करने में सहायता

7.3.8 पर्यावरण प्रबंधन क्षेत्र में उपलब्धियां

- लाइन पर्यावरण मॉनीटरिंग प्रणाली में वातावरण में वायु की क्वालिटी तथा निरन्तर स्टेक उत्सर्जन की मॉनीटरिंग।
- वीएसपी ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई पर्यावरण प्रबंधन परियोजनाएं प्रारम्भ कीं तथा उनमें निवेश किया है। गत पांच वर्षों में ₹98.508 करोड़ मूल्य की पर्यावरण परियोजनाओं को कार्यान्वित किया गया है तथा ₹588.6 करोड़ की परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। आशा है कि ये वर्ष 2011–12 तक पूरी हो जाएंगी।
- वीएसपी वैज्ञानिक तौर पर खतरनाक अपशिष्ट का 100% निपटान कर रहा है तथा उक्त के अतिरिक्त यह भारत का एकमात्र ऐसा कारखाना है जिसने ई–वेस्ट सामान जमा करने के लिए विविध अपशिष्ट भण्डार तैयार किया है।

7.4 एनएमडीसी लिमिटेड

7.4.1 एनएमडीसी की बैलाडीला लौह अयस्क खान, किरानदूल कॉम्प्लेक्स (भण्डार 14/11 सी) और बछेली कॉम्प्लेक्स (भण्डार 5), दोणिमलाई लौह अयस्क परियोजना और हीरा माइनिंग प्रोजेक्ट, मझगावन, पन्ना को आईएसओ 14001:2004 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से प्रमाणपत्र मिला हुआ है।

7.4.2 पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण उपाय :

एनएमडीसी पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से सभी परियोजनाओं के शुरू होने के पश्चात् पर्यावरण मॉनीटरिंग करवा रहा है। अध्ययनों से पता चला है कि पर्यावरण मानदण्ड वायु प्रदूषकों के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा निर्धारित मानकों के भीतर हैं।

परियोजनाओं के तहत की गई गतिविधियों का विवरण नीचे दिया जा रहा है :

- दोणिमलाई में व्यर्थ सामग्री के ढेर पर जीओ–कॉयर मेटिंग बिछाना।
- क्लासीफायर, हाइड्रो क्लोन, थिकनर के प्रयोग के लिए पानी के साथ लौह अयस्क की वसूली।
- मानसून के दौरान टेलिंग बांध की मॉनीटरिंग, जिससे आगे के नालों में साफ पानी भेजा जा सके।
- मानसून के दौरान सभी चैक बांधों से मिट्टी आदि हटाना और उनकी सफाई।

एनएमडीसी की बछेली, छत्तीसगढ़ स्थित नगरी–हरा भरा नगर।

- खानों तक माल ले जाने के लिए सड़कों, सेवा सड़कों तथा फीडर सड़कों पर पानी का छिड़काव जिससे धूल के कण हवा में न जा सकें।
- हवा में धूल जाने से रोकने के लिए डम्पर प्लेटफार्म, हस्तांतरण स्थानों पर पानी का छिड़काव।
- वृक्षारोपण तथा उनका रखरखाव।

7.4.3 ऊर्जा संरक्षण

ऊर्जा की खपत में कमी के लिए किए गए/किए जा रहे उपाय इस प्रकार हैं :

क) एचटी और एलटी स्टेटिक केपेसिटर के साथ उपयुक्त मांग प्रबंधन से पावर फेक्टर 0.95 से अधिक रखा जाता है। स्वचालित पावर फेक्टर कंट्रोलरों का भी प्रयोग हो रहा है।

ख) डाउनहिल कन्वेयर प्रणाली से बिजली बनाने और ऊर्जा की कुल खपत कम करने के लिए इस बिजली के उपयोग हेतु फीड दर अधिकतम बनाए रखी जाती है।

ग) होस्टलों/अस्पताल/कैन्टीन में पानी गर्म करने के लिए सौर हीटर लगाए गए हैं।

7.5 मॉयल लिमिटेड

7.5.1 वायु प्रदूषण नियंत्रण

क) धूल उत्सर्जन के दमन के निम्न बिन्दु हैं :

- ब्लास्ट होल की वेट ड्रिलिंग
- ढुलाई सड़कों पर पानी का छिड़काव अक्सर किया जाता है, जिसके लिए ऐसे पानी के टैंकरों में छिड़काव की व्यवस्था की गई है जिनमें स्प्रिंकलर लगे हैं।
- गहरे बड़े ब्लास्ट हॉल की ड्रिलिंग के दौरान निकलने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए विनिर्माताओं द्वारा यथा अनुशंसित ड्रिलिंग गति रखी जाती है।

माननीय केन्द्रीय बिजली मंत्री, श्री सुशील कुमार शिन्दे मॉयल को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, 2011 प्रदान करते हुए।

ख) धूल धूसरित माहौल में सभी कामगारों को डस्ट रेस्पिरेटर्स प्रदान किए गए हैं।

7.5.2 जल प्रदूषण

- भूमिगत खनन प्रचालन के दौरान पम्प किए गए पानी को वृक्षारोपण एवं सैंड स्टोविंग प्रचालन के लिए पूर्णतः उपयोग किया जाता है।
- खुले गड्ढ़ों में एकत्रित बरसात का पानी हर वर्ष धूल शमन एवं वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है।
- नजदीक के जल स्रोतों में किसी भी खान से पानी की निकासी नहीं की जाती।

7.5.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

- विवेच्य अवधि के दौरान औसतन 319.6 लाख घन मीटर ठोस अपशिष्ट पैदा हुआ। मॉयल ने इस अपशिष्ट को दो श्रेणियों में विभाजित करने की एक प्रणाली अपनाई है यथा : (i) व्हाइट वेस्ट, और (ii) ब्लैक वेस्ट। ब्लेक वेस्ट अधिकांशतः मेग्नीफैरस रॉक अथवा सब ग्रेड मिनरल है जिसका भविष्य में उपयोग किया जा सकता है।
- व्हाइट डम्प्स एक बार भर जाने के बाद उन पर वृक्षारोपण किया जाता है। मॉयल ने राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई) के परामर्श से इन व्हाइट डम्प्स पर सफलतापूर्वक वृक्षारोपण किया है।

7.6 मेकॉन लिमिटेड

7.6.1 ऊर्जा संरक्षण

मेकॉन आरआईएनएल, वाइज़ैग में दो स्ट्रेट लाइन सिंटर कूलरों के लिए 20.6 मेगावाट सिंटर कूलर वेस्ट हीट

रिकवरी सिस्टम के लिए विस्तृत इंजीनियरी परामर्शदाता के तौर पर एनईडीओ मॉडल परियोजना पर कार्य कर रहा है।

7.6.2 प्रदूषण नियंत्रण एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

मेकॉन ने निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र से आर्डर प्राप्त किये हैं। कच्चा माल डिविजन, सेल कारखानों, यूसीआईएल, एचपीजीसीएल, सीईएससी लिमिटेड, आईजीसीएआर, बीपीएसएल, भूषण स्टील लिमिटेड इत्यादि के लिए (ईआईए/ ईएमपी) रिपोर्ट्स तैयार की हैं।

इस्पात के विभिन्न संयंत्रों एवं अन्य निजी व सार्वजनिक क्षेत्रों में हवा, जल, कोलाहल, मलजल एवं मिट्टी गुणवत्ता की परख, परीक्षण व विश्लेषण हेतु पर्यावरण इंजी. ने अपनी सेवाएं अर्पि करता है।

मेकॉन ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से देश में स्पंज आयरन कारखानों के लिए पर्यावरण मानक तैयार किए हैं और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इसे सिंटर प्लांट्स के लिए पर्यावरण एवं ऊर्जा बचत मानकों को तैयार करने के लिए कहा है; रिरोलिंग मिल्स के लिए व्यापक उद्योग दस्तावेज एवं पर्यावरण मानकों के विकास की परियोजना; एकीकृत लौह एवं इस्पात उद्योग में सृजित ठोस एवं हानिकारक अपशिष्ट के प्रबंधन के दिशानिर्देश बनाने इत्यादि।

मेकॉन ने यूएनडीपी/जीईएफ, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार से भारत में स्टील रिरोलिंग मिल्स में प्रत्येक में पांच मॉडल यूनिट में आईएसओ 9001 एवं आईएसओ 14001 कार्यान्वित करने के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रतिष्ठित कार्य प्राप्त किए हैं।

मेकॉन ने आईएसपी, बर्नपुर के कोक ओवन बैटरी सं. 10 का पुनर्निर्माण कार्य का जिम्मा लिया है और कोक ओवन कचरे के डिग्रेडेशन हेतु बॉयोलॉजिकल आक्सिडेशन और डिफेनोलाइजेशन एवं आईएसपी बर्नपुर के 25 लाख टन विस्तार हेतु बीओडी प्लांट के लिए भी एक कंसलटेंट है। इसके अलावा, मेकॉन एनएलसी, नेवेली के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज सुविधाओं एवं अन्य कचरा उपचार सुविधाओं; बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर की सेल परियोजनाओं के साथ–साथ विभिन्न निजी क्षेत्र की कंपनियों जैसे भूषण ग्रुप, जिंदल ग्रुप इत्यादि के लिए विस्तृत इंजीनियरी कार्य कर रहा है।

7.7 केआईओसीएल लिमिटेड

पर्यावरण प्रबंधन मंगलौर में

पैलेट संयंत्र, गोदी सुविधाएं तथा निजी बिजलीघर

क) गाद को रोकने के लिए कैच बांध के साथ संयंत्र क्षेत्र में ड्रेन्स की व्यवस्था की गई है। इस तरह एकत्रित गाद को संसाधन संरक्षण/प्रदूषण नियंत्रण की दृष्टि से प्रक्रिया में पुनः परिचालित किया जाता है।

ख) धूल शमन के लिए धूल वाले बिन्दुओं पर 150 स्प्रिंकलरों से पानी का छिड़काव किया जा रहा है।

ग) उत्पादन के दौरान उत्पन्न धूल का मुकाबला करने के लिए पैलेट संयंत्र में वेट स्क्रबर्स, बैग फिल्टर्स एवं मल्टी क्लोंस जैसे 10 स्टैक्स लगाए गए हैं। मल्टीक्लोन्स बैग फिल्टर्स में एकत्रित धूल को पैलेट चूर्ण के रूप में पुनः परिचालित/निपटान कर दिया जाता है।

ब्लास्ट फर्नेस यूनिट में

क) ब्लास्ट फर्नेस में डस्ट कैचर, गैस क्लीनिंग प्लांट एवं कचरा उपचार प्लांट प्रदान किए गए हैं।

ख) उपचार प्लांट (थिकनर्स) : स्लरी के रूप में थिकनर में से अलग किए गए ठोस पदार्थ को संसाधनों के संरक्षण की दृष्टि से पुनः परिचालन के लिए टैंकरों के जरिए पैलेट संयंत्र में भेजा जा रहा है।

ग) रेन हार्वेस्टिंग/जल संरक्षण : बरसात के पानी की हार्वेस्टिंग 2007 से मानसून के बाद सफलतापूर्वक की जा रही है।

वैधानिक आवश्यकता का अनुपालन (सभी स्थानों पर)

क) वायु एवं जल गुणवत्ता निगरानी के संबंध में केएसपीसीबी द्वारा निर्धारित मानकों का सभी कार्यक्षेत्रों में अनुपालन किया जा रहा है।

ख) सहमतियों में निर्धारित शर्तों के संबंध में अनुपालन स्थिति को नियमित रूप से संबंधित प्राधिकारियों के पास भेजा जाता है। सहमति शर्तों का अनुपालन संतोषजनक है।

ग) कंपनी के पास मंगलौर प्रतिष्ठान के लिए आईएसओ–14001, आईएसओ–9001 और आईएसओ–18001 वैध प्रमाणपत्र हैं।

7.8 टाटा स्टील लिमिटेड

7.8.1 उपलब्धियां (2011–12)

- 25 प्रमुख ढेरों में उत्सर्जन पर निरंतर ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था चालू की गई और पर्यावरण मॉनिटरिंग प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए 4 एम्बिएन्ट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए गए।
- 2010–11 में विशेष जल खपत 2010–11 में 6.04 घन मीटर से घटाकर 2011–12 में 5.77 घन मीटर की गई।
- पर्यावरण के लिए जांच लेखा परीक्षा सफलतापूर्वक की गई। स्वास्थ्य और कारखाने में सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली मैसर्स भारतीय रजिस्टर क्वालिटी सिस्टम (आईआरक्यूएस) द्वारा नियत ओएचएसएएस–18001:2007 तथा आईएसओ 14001:2004 के अनुरूप हैं।
- इस वर्ष के लिए अनुमानित व्यर्थ जल की मात्रा (2048 मिमी) गत वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले जमशेदपुर में बेहतर मानसून (552 मिमी) के कारण अधिक है।

7.8.2 इस्पात कारखाने में वायु प्रदूषण की स्थिति

स्टैक उत्सर्जन (मिग्रा./एनएम^3)

क्र. सं.	प्रक्रिया स्टेक	प्रदूषक	पर्या. एवं वन मंत्रा. मानक	वास्तविक 07–08	वास्तविक 08–09	वास्तविक 09–10	वास्तविक 10–11	वास्तविक 11–12*
1	धमन भट्टी स्टोव	पीएम	≤150	21	23	26	23	26
2	सिंटर संयंत्र	पीएम	≤150	103	137	117	146	149
3	चूना संयंत्र	पीएम	≤150	43	45	38	38	30
4	एलडी शॉप	पीएम	≤150	79	95	92	72	80
5	कोक संयंत्र व्यर्थ गैस	पीएम	≤150	37	43	28	41	44
		एसओ2	≤800	138	160	152	133	100
		एनओ$_{एक्स}$	≤500	253	249	219	191	191
6	निजी बिजलीघर	पीएम	≤350	32	33	30	30	33

* अप्रैल 2011 से दिसंबर 2011 तक वास्तविक आंकड़ों पर आधारित

7.8.3 इस्पात कारखानों में ठोस अपशिष्ट का प्रतिशत उपयोग :

% उपयोग	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11
धमन भट्टी स्लैग	94.3	96.4	100	100
एल.डी. स्लैग (इस्पात निर्माण)	74.1	78.5	74.1	84.5
लाइम फाइन	100	100	100	100
फ्लू डस्ट	83.5	87.9	93.7	73.4
मिल स्केल	96.8	100	100	98.9
धमन भट्टी स्लज	84.3	72	100	92.2
एल.डी. स्लज	69.1	82.9	86	86.5
मिल स्लज	96.3	96.9	100	79.7
अन्य (डोलोमाइट धूलि, छोटा चूना–पत्थर, रिफ्रैक्टरी का व्यर्थ सामान, कोल टार/तेल स्लज, बीओडी स्लज)	100	100	100	100
कुल उपयोग	85.4	89.6	91.1	94.4

7.9 जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड

7.9.1 ऊर्जा प्रबंधन

- भारत के इस्पात कारखानों में सबसे कम ऊर्जा खपत, जो 6 गेगा कैलो./प्रति टन कच्चा इस्पात है और एक विशेष वर्ष में 4% से अधिक की बचत दिखाती है।
- टॉप गैस रिकवरी टरबाइन (टीआरटी–4) चालू की गई और टीआरटी से 24–25 मेगावाट निजी बिजली प्राप्त की गई।
- ऊर्जा प्रबंधन केन्द्र की स्थापना।
- जेएसडब्ल्यू में प्राकृतिक गैस की राह प्रशस्त।

7.9.2 पर्यावरण प्रबंधन

- वर्ष 2010–11 में जेएसडब्ल्यू ने अपने 100 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता के विस्तार संबंधी सुविधाएं चालू कीं।

प्रमुख सुविधाएं :

  - कोक ओवन–2 (20 टन प्रति वर्ष क्षमता की 2 बैटरियां); धमन भट्टी–4 (30 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता); प्रति 180 लाख टन क्षमता के 2 कन्वर्टर; पैलेट संयंत्र–2 और सिंटर संयंत्र–3 एवं 4

- आधुनिक उत्पादन सुविधाओं में आवश्यक पर्यावरण नियंत्रण सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनसे पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण किया जाता है। कुछ विशेषताएं हैं :
  - कोक ड्राई क्वेंचिंग; कोक पुशिंग नियंत्रण उपस्कर; कास्ट हाउस से गैस निकासी प्रणाली; टॉप गैस रिकवरी टरबाइन; कन्वर्टरों के लिए सेकेण्डरी फ्यूम प्रणाली; लौह एवं इस्पात निर्माण स्लैग का छिद्रिलीकरण।
- जेएसडब्ल्यू में वर्ष 2010–11 के दौरान व्यर्थ जाने वाले पदार्थों के उपयोग के लिए अनेक योजनाओं/परियोजनाओं को अन्तिम रूप दिया गया। इनमें शामिल हैं :

- कन्वर्टरों में प्रयोग के लिए मिल स्केल ब्रिक्वेटिंग; धातुयी धूलि का मिनी छिद्रिलीकरण; पैलेट संयंत्र में उपयोग के लिए कोरक्स स्लैरी डीवाटरिंग; निर्माण में उपयोग के लिए छिद्रिलीकृत बीओएफ स्लैग का वर्गीकरण।

- वर्ष 2010–11 के लिए पर्यावरण गुणवत्ता मानक हैं :

कार्बन डायोक्साइड	:	2.49 टन/टीसीएस
जल	:	3.01 घन मीटर/टीसीएस
डस्ट (प्रक्रिया)	:	0.69 किलोग्राम/टीसीएस
सल्फर डायोक्साइड	:	1.06 किलोग्राम/टीसीएस
नाइट्रोजन ऑक्साइड	:	1.49 किलोग्राम/टीसीएस

कचरा उपयोग : 100% (स्लाइम पॉण्ड निर्माण में बीओएफ स्लैग के साथ उपयोग)

- सीडीएम परियोजनाओं के विशेष पक्ष
  - i. सीपीपी–1 : 100 मेगावाट (लगभग 7.1 लाख सीईआर प्राप्त की गईं)
  - ii. टीआरटी–3 : 12 मेगावाट
  - iii. टीआरटी–4 : 12 मेगावाट पंजीयन के अंतर्गत
- आईएसओ : 14001 जैसी पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियों को अपनाना।
  - जेएसडब्ल्यू स्टील 2011 में संशोधित पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली आईएसओ 14001 का अनुसरण किया जाता है।
  - आज तक 14 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं तथा यह कार्य जारी है।
  - आंतरिक पुनर्उपयोग के लिए 125 घन मीटर/घंटे तथा 300 घन मीटर/घंटे क्षमता के दो आरओ संयंत्र चालू किए गए हैं।

7.10 एस्सार स्टील लिमिटेड

7.10.1 पर्यावरण प्रबंधन की दिशा में किए गए उपायों में शामिल हैं :

क) वायु

i. लैडल फर्नेस सक्शन हुड में संशोधन, जिससे एलएफ धूलि खींचने की क्षमता बढ़ती है। इसके अतिरिक्त, सभी एलएफ आईडी पंखों के स्थान पर उच्च क्षमता वाले पंखे लगाए गए हैं।

ii. चूना संयंत्र क्षेत्र में कंक्रीट का फर्श बिछाया गया।

iii. चूना भट्ठा–3 और 4 में धूलि निकालने की प्रणाली का उन्नयन।

iv. चूना भट्ठा–1 और 2 में उच्च क्षमता के बैग फिल्टर की स्थापना।

v. सामान उठाने–रखने के क्षेत्र में कार्य स्थल पर धूल की मात्रा कम करने के लिए ड्राई फॉग प्रणाली चालू करना।

ख) जल

i. जल के पुनः उपयोग के लिए कुशल प्रणाली विकसित की गई।

ii. तरल निकासी शून्य की गई – व्यर्थ जा रहे पानी को पुनः उपयोग के लिए पूरी तरह प्राप्त किया गया।

iii. बारिश के पानी के संरक्षण तथा उसके पुनः उपयोग की योजना के अंतर्गत 218,300 घन मीटर बरसात के पानी का संरक्षण।

ग) अन्य पहल

i. ऑनलाइन मॉनिटरों से उत्सर्जन और निकासी पर नजर।

ii. तेल की खपत में कमी और व्यर्थ जा रहे तेल को पुनः प्राप्त करने की प्रणाली।

iii. 2 ऑनलाइन एम्बिएन्ट वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग स्टेशनों की स्थापना तथा 15 ऑनलाइन स्टैक एनलाइजर विश्लेषक।

iv. सभी वातानुकूलन यंत्र, चिलिंग यूनिट और ड्रायर अब क्लोरो–फ्लूरो कार्बन चिलिंग गैस के बिना कार्य कर रहे हैं।

v. ईटीपी स्लज का सिंटर बनाने के लिए पुनः उपयोग करने के वास्ते माइक्रो पेलेटाइजेशन योजना का विकास।

7.10.2 ऊर्जा प्रबंधन की दिशा में विभिन्न उपायों में शामिल हैं :

क) सीडीएम परियोजनाएं

i. डीआरआई मॉड्यूल में व्यर्थ जा रही गैसों से बिजली का उत्पादन।
ii. धमन भट्टी के लिए टीआरटी।
iii. स्टोव से धमन भट्टी फ्लू गैस की वसूली।
iv. धमन भट्टी गैस से भाप की उत्पत्ति।
v. धमन भट्टी में उच्च टॉप दाब प्रचालन।
vi. धमन भट्टी के स्टोवों में उच्च क्षमता के बर्नर।
vii. इस्पात कॉम्प्लेक्स में विभिन्न स्थानों पर प्राकृतिक गैस के स्थान पर कोरेक्स एक्सपोर्ट गैस का उपयोग।

ख) ऊर्जा बचत के लिए अन्य पहल

i. हॉट डीआरआई के स्थान पर हॉट मैटल का अधिक उपयोग–430.34 लाख किलो वाट।
ii. एचबीआई के स्थान पर कोल्ड डीआरआई के उपयोग को बढ़ावा–159.398 लाख किलो वाट।
iii. चूना संयंत्र में ब्लोअरों के लिए सक्शन फिल्टर में बदली कर बचत–3.57 लाख किलो वाट।
iv. एफईएस पंखों का परिचालन अधिकतम कर बचत–18.46 लाख किलो वाट।
v. बिजली की फिटिंग/बल्बों के स्थान पर सीएफएल का प्रयोग अधिकतम कर 2.64 लाख किलो वाट की बचत।
vi. सीआरएम कम्प्रैशरों में ऊर्जा की खपत में कमी–14.51 लाख किलो वाट।
vii. विभिन्न एचवीएसी परियोजनाओं की मार्फत बचत – 11.49 लाख किलो वाट।

7.11 जेएसडब्ल्यू इस्पात स्टील लिमिटेड

7.11.1 वित्त वर्ष 2009 से 2011 तक ऊर्जा की खपत और कार्बन डाइऑक्साइड$_2$ उत्सर्जन :

	वित्त वर्ष 2009–10	वित्त वर्ष 2010–11
प्रति टन कच्चे इस्पात पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन	2.04 टन कार्बन डाइऑक्साइड/टीसीएस	2.10 टन कार्बन डाइऑक्साइड/टीसीएस
विशेष ऊर्जा खपत	6 जी कैल/टीसीएस	6.37 जी कैल/टीसीएस

7.11.2 डोलवी इस्पात कॉम्प्लेक्स में कम कार्बन वाली टेक्नोलॉजी और ऊर्जा संरक्षण के उपाय

- टनल भट्टी ए और बी को ₹10.57 करोड़ के निवेश से तेल द्वारा प्रज्ज्वलित भट्टी (एलडीओ) से बदलकर

दो ईंधन से प्रज्ज्वलन वाली भट्टी (आरएलएनजी/एलडीओ) की गई जिससे लगभग ₹5.42 करोड़ प्रति माह की बचत हुई।

- एचएफओ के स्थान पर बॉयलरों में आरएलएनजी और धमन भट्टी गैस का उपयोग।
- कोक का उपभोग घटाने के लिए धमन भट्टी में प्राकृतिक गैस का इंजेक्शन।

जेएसडब्ल्यू इस्पात में व्यर्थ जाने वाले पदार्थों की मात्रा में कमी करने तथा पर्यावरण पर उत्पादों तथा सेवाओं का दुष्प्रभाव रोकने के उद्देश्य से निम्नलिखित उपाय किए गए :

- इस्पात निर्माण प्रक्रिया के दौरान प्रयोग जल को साफ कर पुनः प्रयोग में लाने के लिए एक पूर्णतः सुसज्जित एफ्लुलेंट ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था की गई है।
- वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए पर्याप्त व्यवस्था है।
- प्रक्रिया के दौरान प्राप्त ठोस अपशिष्ट को सिंटर संयंत्र में उपयोग योग्य बनाया जाता है।
- प्रक्रिया के दौरान प्राप्त व्यर्थ जाने वाली गैस का हीटिंग के लिए पुनः उपयोग किया जाता है।

इस्पात कारखाने में एसआईपी स्लज, ईएएफ स्लैग, मिल स्केल और फ्लू डस्ट (धमन भट्टी से)/जीसीपी डस्ट (स्टील मेल्टिंग शॉप से) को नियमित तौर पर सिंटर संयंत्र ले जाया जाता है जिससे सिंटर की लागत में कमी होती है और उक्त व्यर्थ पदार्थों का प्रयोग न कर प्रदूषण से बचा जाता है।

7.11.3 जेएसडब्ल्यू इस्पात में कार्बन डाइऑक्साइड में कमी लाने के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं लागू की गईं

- धमन भट्टी संयंत्र में उच्च कौशल का टॉप गैस रिकवरी टरबाइन और ड्राई जीसीपी स्थापित किया गया।
- टनल फर्नेस 1 और 2 में एलडीओ के स्थान पर पुनः गैसीकृत तरल प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) का प्रयोग।

7.11.4 अपशिष्ट को उपयोगी बनाना तथा निपटान

स्पंज लोहा संयंत्र में स्क्रबर और कूलरों से व्यर्थ पानी मिलता है। इस पानी को क्लासीफायर और क्लैरीफायर में साफ किया जाता है और इससे भारी तथा दूसरे कणों को अलग किया जाता है।

धमन भट्टी संयंत्र में गैस क्लीनिंग संयंत्र से गरम पानी व्यर्थ जाने वाले पानी के परिष्करण संयंत्र तक लाया जाता है। नीचे बैठने वाले पदार्थों को एजीटेटर्स से स्लज स्टोरेज टैंकों में भेजा जाता है तथा बाद में इसे वैक्यूम ड्रम फिल्टर पहुंचाया जाता है। इससे नमी समाप्त हो जाती है। साफ पानी कूलिंग टावर भेजा जाता है और इसे क्लीनिंग संयंत्र में पुनः प्रयोग किया जाता है।

विशेष जल उपभोग

जेएसडब्ल्यू इस्पात में वर्ष 2010–11 के दौरान सपाट उत्पादों के लिए जल का उपभोग 3.54 घन मीटर/टन कच्चा इस्पात था।

हरित अभियान

जेएसडब्ल्यू इस्पात स्टील लिमिटेड ने एमपीसीबी द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप कारखाने के क्षेत्र में अनेक वृक्ष लगाए हैं। इसके लिए एक कुशल बागबानी अधिकारी की देखरेख में नर्सरी बनाई गई है, जहां कारखाने की आवश्यकता के लिए पौधे तैयार किए जाते हैं।

अध्याय-VIII

सूचना प्रौद्योगिकी का विकास

8.1 प्रस्तावना

इस्पात मंत्रालय और इसके तहत आने वाले सार्वजनिक उपक्रम सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े ढांचे के विकास और संचालन को उन्नत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।

- मंत्रालय का कंप्यूटर केंद्र विंडोज 2003 सर्वर, पेंटियम आधारित उपभोक्ता व्यवस्था, दस्तावेजों के चित्र लेने के लिए एक स्कैनर और लेजर प्रिंटर से युक्त है। इसके अलावा यह केंद्र स्विचों और हब जैसे लोकल एरिया नेटवर्क (लैन) से भी जुड़ा है जो मंत्रालय के विस्तृत लोकल एरिया नेटवर्क से सूचनाओं को हासिल करने के साथ मंत्रालय में इंटरनेट के साथ इंटरानेट आधारित कार्यों को करने लिए मुख्य माध्यम का कार्य करता है।
- एनआईसी की केंद्रीय सुविधा के अलावा 200 पेंटियम आधारित उपभोक्ता सर्वर दिन प्रतिदिन के विंडोज साफ्टवेयर आधारित कार्यों और मंत्रालय के विभागों/अनुभागों और अधिकारियों के कार्यों का संचालन करने में सक्षम हैं।
- मंत्रालय में करीब 200 नोड का गीगाबाइट बैकबोन सहित एक लैन काम कर रहा है और इसका निम्नांकित के लिए व्यापक उपयोग हो रहा है:
  - इलेक्ट्रॉनिक डाक और डायरी
  - फाइलों/दस्तावेजों का आदान–प्रदान
  - सेक्शन/डेस्क से वार्षिक रिपोर्टों, संसदीय प्रश्नों, लंबित मामलों, आवेदनों की स्थिति और उन पर निगरानी (अतिविशिष्ट संदर्भों, जन शिकायतों, संसदीय आश्वासनों, रिक्त पदों की स्थिति, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) की मंजूरियों, समीक्षा/अपील मामलों, ड्राफ्ट आडिट पैराओं) से जुड़ी सूचना/सामग्री हासिल करना।
  - मंत्रालय के डेस्क/सैक्शन से संसदीय प्रश्नों के उत्तर का संकलन और संग्रह और उन्हें ई–मेल से राज्यसभा और लोकसभा में भेजना।
- क्षेत्रीय सूचनाओं तक पहुंच के लिए सभी अधिकारियों/डेस्क/सेक्शनों तक इंटरनेट की पहुंच।

8.1.1 मंत्रालय में ई–गवर्नेंस और कागजविहीन कार्यालय की अवधारणा को बढ़ावा

- ई–गवर्नेंस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मंत्रालय का एक विस्तृत पोर्टल है जो मंत्रालय के उपयोगकर्ताओं को एक बुलेटिन सेवाओं के जरिए नोटिस/परिपत्रों/कार्यालयीय आदेश संबंधी सूचनाएं उपलब्ध कराता है और इनका प्रसार करता है।
- पोर्टल दस्तावेजों और अन्य लंबित आवेदन पत्रों की निगरानी की स्थिति की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक डाक/डायरी के जरिए देता है।
- इसके माध्यम से छुट्टी और अग्रिम की स्वीकृति, चिकित्सा खर्च की वापसी के फार्मों को डाउनलोड किया जा सकता है और मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, पहचान पत्र, स्टाफ कार बुकिंग, आयकर, टेलीफोन लिस्ट, मंत्रालय के अधिकारियों/डेस्क/सेक्शनों के ई–मेल पते और डायरेक्टरी, संगठनात्मक चार्ट, कार्य सूची की जानकारी भी मंत्रालय के पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
- पोर्टल पर कर्मचारियों का प्रोफाइल, वेतन की जानकरी, जीपीएफ जानकारी, कार्यालय ज्ञापनों, कार्यालयीय आदेशों, कार्यालयीय परिपत्रों और भारत सरकार में प्रतिनियुक्तियों, रिक्तियों, पदों की संख्या उपलब्ध है। यह सब इसके पर्सनल कॉर्नर खंड में उपलब्ध है।

- निर्णय लेने में विलंब को कम करने के लिए इंटरनेट पोर्टल कंप्यूटर आधारित प्रणालियों के तहत निगरानी और निरीक्षण के लिए महत्वपूर्ण संदर्भों, संसदीय आश्वासनों, जन शिकायतों, रिक्त पदों की संख्या और मंत्रालय और उसके सार्वजनिक उपक्रमों में उनकी स्थिति, लंबित समीक्षा/अपील मामलों, अदालती मामलों से जुड़ी सूचनाओं और आडिट दस्तावेजों तक पहुंच उपलब्ध कराता है।
- भारत सरकार की ई–गर्वनेंस योजना के हिस्से के रूप में मंत्रालय में निम्नलिखित वेब आधारित व्यवस्था संचालित हो रही है:
  - > सूचना का अधिकार कानून, 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों और अपीलों पर आरटीआई–एमआईएस सुविधा के माध्यम से निगरानी रखी जाती है। यह व्यवस्था मंत्रालय और इसके सार्वजनिक उपक्रमों में पूरी तरह से लागू है। इस व्यवस्था का विकास केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों/अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों/सार्वजनिक उपक्रमों के लिए केंद्रीय व्यवस्था के रूप में की गई है।
  - > मंत्रालय और उसके पीएसयूज में पेंशनधारियों की शिकायतों के निवारण के लिए केन्द्रीयकृत पेंशनधारक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीईएनजीआरएएमएस) भी कार्यान्वित की गई है। यह प्रणाली भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में पेंशन एवं पेंशनधारक कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित एवं नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा विकसित की गई है।
  - > पीएसयूज में रिक्तियों की निगरानी के लिए एसीसी वेकंसी निगरानी प्रणाली कार्यान्वित की गई है। यह प्रणाली कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा विकसित की गई है।
  - > कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निर्देशानुसार मंत्रालय में ई–सर्विस बुक इलेक्ट्रानिक, ई–सर्विस बुक कार्यान्वित की जा रही है।

8.1.2 मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट

मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट (http://steel.gov.in) द्विभाषी रूप में इन्टरनेट पर उपलब्ध है। इस पर मंत्रालय के बारे में सूचना, उसकी नीतियों, प्रशासकीय गठन, बड़े कार्यक्रमों और पहल, लौह और इस्पात के भारतीय निर्माताओं और प्रक्रमों, सूचना का अधिकार कानून–2005, वार्षिक रिपोर्टों, अनुदान के लिए विस्तृत मांग और निष्कर्ष बजट, लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास उन्नयन, डीसीए द्वारा क्वालिटी प्रमाणपत्र के लिए आवश्यक जारी मानक लोकसभा के पटल पर रखे गए दस्तावेज, शिप ब्रेकिंग, निविदाएं और मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रमों के लिंक के साथ इस्पात क्षेत्र की विस्तृत जानकारी उपलब्ध है।

8.1.3 वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा

मंत्रालय और उसके सार्वजनिक उपक्रमों के बीच महत्वपूर्ण बैठकों के आयोजन, निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करने, कार्यकारियों के समय का उपयोग बढ़ाने और यात्रा व्यय कम करने के लिए एक वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा स्थापित की गई है। यह अंतर–विभागीय विचार–विमर्श के लिए इस्पात सचिव के कक्ष में ईवीसीएस निकनेट पर आधारित है।

8.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

8.2.1 इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी)

सेल ने ईआरपी को लागू करने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से आरंभ की है और भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) ने एसएपी–ईआरपी को लागू करने की पहल की है।

- भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो और केन्द्रीय विपणन संगठन (चरण–1) में क्रमशः 1.4.2009, 1.10.2009, 1.4.2010 और 1.7.2011 से ईआरपी चालू किए गए हैं और उनमें स्थायित्व लाया गया है।
- केन्द्रीय विपणन संगठन (चरण–2) में ईआरपी शुरू करने का कार्य जारी है और राउरकेला में यह 31.3.2012 से काम करने लगेगा।
- वृहद् प्रक्रिया और प्रणाली के एकीकरण से सूचना प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त हुई है तथा इससे कंपनी

सेल के इस्पात कारखानों में स्वचालित इस्पात उपकरणों से उच्च क्वालिटी का इस्पात उत्पादन सुनिश्चित होता है।

को अपने कारोबार और बाजार में परिवर्तनों के अनुरूप स्वयं को जल्दी ढालने में सहायता मिलेगी। इस परियोजना से सेल के कारखानों/यूनिटों में बेहतर राजस्व प्रबंधन और भावी कारोबारी अवसरों का पता लगाने तथा प्रारम्भ से अंत तक समय पर सूचना प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

- सेल में सामग्री, पार्टी, उत्पाद और सेवाओं के क्षेत्र में यूनीफाईड कोडिफिकेशन प्रणाली लागू की जा रही है।

8.2.2 मैनुफैक्चरिंग एग्जिक्यूशन सिस्टम्स (एमईएस)

बीएसपी ने एमईएस का भी कार्यान्वयन स्टील मेल्टिंग शॉप–2, प्लेट मिल एवं रेल मिल में शुरू कर दिया है। कार्यान्वयन भागीदार के रूप में मैसर्स पोस्डाटा का चयन किया गया है। मैसर्स पोस्डाटा के सहयोग से आजमाइशी तौर पर कार्य जारी है तथा आशा है कि यह प्रणाली 31.3.2012 तक चालू हो जाएगी।

8.2.3 नेटवर्किंग

वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) – सेल ने अपने सभी एमपीएलएस–वीपीएन आधारित वैन कारखानों/यूनिटों तथा अन्य कार्यालयों को 512 केबीपीएस से लेकर 8 एमबीपीएस रेंज की बैंड विड्थ के साथ एक सुरक्षित एवं विश्वसनीय एमपीएलएस– वीपीएन से जोड़ा है।

8.2.4 नई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विकसित – सतर्कता के लिए वेब आधारित प्रणाली

कागजविहीन कार्यालय और समय पर मॉनिटरिंग के लिए सेल में एक केन्द्रीकृत प्रणाली का विकास किया है जिससे सेल के सतर्कता अधिकारी पीईएसबी प्रारूप में किसी भी कर्मचारी के संबंध में निश्चित अवधि में सतर्कता स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। सेल के सभी सतर्कता अधिकारियों को अन्तर–सतर्कता ब्लॉक के जरिए ऑनलाइन विचार–विमर्श करने की सुविधा भी प्राप्त है।

8.2.5 ई–अदायगी

सेल कर्मचारियों को वेतन की अदायगी और सप्लायरों के बिलों का भुगतान ई–अदायगी द्वारा किया जाता है।

8.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आरआईएनएल की 2011–12 में उपलब्धियां व पहल का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

8.3.1 ई–पहल

वीएसपी ने इन्टरनेट और इन्ट्रानेट पर विभिन्न कार्यों के लिए विभागीय पोर्टल तथा वेब एप्लिकेशन्स के साथ निगमित वेबसाइट का हिन्दी संस्करण भी तैयार किया है।

बाजार से कम से कम मूल्य पर खरीद तथा सौदों पर बातचीत में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से बाजार में उठाने–रखने के ठेकों/कन्साइन्मेंट एजेन्टों को भी ई–ऑक्शन में लाया गया है। मेट्स और ई–ऑक्शन को जोड़कर तुलनात्मक वक्तव्य तैयार करने और सबसे कम कीमत की पेशकश पर निर्णय लेने की व्यवस्था की गई है।

उपभोक्ता की संतुष्टि के लिए सप्लायर सूचना प्रणाली (इससे सप्लायर को वीएसपी के साथ अपने कारोबार की सूचना ऑनलाइन मिलती है), उपभोक्ता सूचना प्रणाली और ठेकेदार स्वरूप प्रबंधन जैसे एप्लीकेशन इस वर्ष प्रयोग में लाये गए। इस संबंध में जिला–स्तरीय और ग्रामीण डीलरों के लिए पोर्टल, भर्ती के लिए अदायगी तथा वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए वृहद कारोबारी भाषा (XBRL) अन्य उपलब्धियां रहीं।

इन्टरनेट साइट को भारतीय जन संपर्क सोसाइटी (PRSI) से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

8.3.2 सुरक्षा पहल

वीएसपी में आईटी गतिविधियों से संबंधित सुरक्षा आश्वासन के लिए सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू करने के लिए गतिविधियां प्रारम्भ की गई हैं और पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर लागू किया जा रहा है। डिजीटल हस्ताक्षर पर कार्य हाथ में है।

8.3.3 प्रक्रिया नियंत्रण पहल

वायर रॉड मिल स्तर–2 का अधुनातन नियंत्रण प्रणाली से उन्नयन किया गया और एमएमएसएम स्तर–2 का उन्नयन समाप्ति के अग्रिम चरण में है।

8.3.4 विशेष पहल

कारोबार से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में निर्णयों के लिए बिज़नेस इंटेलिजेन्स डैशबोर्ड विकसित किए गए। एनएसआर के लिए डेशबोर्ड प्राप्त किये गये व डीएके प्रबंध प्रणाली शुरू की गई।

कारखाने के लिए सीसीटीवी निगरानी प्रणाली तथा उपस्थिति और नियंत्रण प्रणाली लगाई जा रही हैं। आईटी प्रणालियों हेतु सीएमएमआई स्तर–3 पुनः प्रमाणन प्रणाली शुरू की गई है।

8.4 एनएमडीसी लिमिटेड

- वेब पर आधारित एचआरएमएस और एफएएस लागू किया गया है।
- कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन अवकाश मॉड्यूल प्रारम्भ किया गया। मॉड्यूल अब यात्रा भत्ते दावे, कफेटेरिया विकल्प पर भी लागू है।
- एफएएस में अचल परिसंपत्तियों के मॉड्यूल और एचआरएमएस में भत्तों एवं प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू किए जा रहे हैं।
- वेब आधारित ऑनलाइन मालसूची प्रबंधन प्रणाली (IMS) प्रयोग जा रही है।
- वार्षिक सम्पदा रिटर्न के लिए ऑनलाइन सुविधा नियमित रूप से प्रयोग की जा रही है।
- मुख्यालय और यूनिटों के बीच वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा का नियमित उपयोग हो रहा है।
- मुख्यालय और यूनिटों के बीच एमपीएलएस संपर्क स्थापित किया जाता है।

8.5 मॉयल लिमिटेड

अपने कार्य क्षेत्रों में प्रभावी कंप्यूटरीकरण को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी ने एक पूर्णकालिक सिस्टम्स विभाग की स्थापना की है। पर्याप्त आईटी ढांचा सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम्स विभाग ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

- 352 कंप्यूटर लगाए गए। इनमें से 210 मुख्यालय में और 142 को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की खानों में वितरित किया गया है।
- कंपनी के विभिन्न विभागों, मसलन बिक्री और विपणन, खरीद और भंडारण, मानव संसाधन और कार्मिक, उत्पादन और गुणवत्ता, लागत और वित्त विभाग की जरूरतों के हिसाब से कंप्यूटर आधारित कार्यक्रमों की डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन।
- नागपुर स्थित मुख्यालय में विंडोज–2003 आर–2 प्लेटफार्म पर लोकल एरिया नेटवर्क (लैन) की स्थापना की गई है। कंपनी की सभी 9 खानों में भी लैन का डिजाइन व विकास पूर्ण कर लिया गया है।
- एनआईसी सर्वर पर एक कारगर वेबसाइट का डिजाइन, विकास और होस्टिंग।
- इन–हाउस मॉयलनेट सर्वर पर एक कारगर इंटरानेट वेबसाइट का डिजाइन, विकास और होस्टिंग। सुरक्षा उपाय के तौर पर सिस्टम में सीआईएससीओ फायरवाल लगाया गया है।
- दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित खानों और मुख्यालय के बीच तथ्यों, सूचनाओं और दूसरे संसाधन की नियमित रूप से प्रभावी साझेदारी के लिए उन्हें वीसेट से जोड़ा गया है।
- सभी 9 खानों में हाल में ब्रॉडबैण्ड इन्टरनेट व वीपीएन उपयोग सुविधा प्रदान कर दी गई है।
- लगातार जानकारी हासिल करने, ई–मेल और आंकड़े भेजने के लिए मुख्यालय के सभी संबंधित अधिकारियों को 4 एमबीपीएस (1:2) इन्टरनेट लाइन के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है।

8.6 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी ने आईटी आधारभूत संरचना के संबंध में कई उपाय किए हैं। सारांश इस प्रकार है :

- आईएसओ 27001 का पुनः प्रमाणीकरण।
- आईबीएम पावर सर्वर पी–740 स्थापित।
- नए सीआईएससीयू नेटवर्क के उपकरणों के लिए ऑर्डर जारी।
- सीवीसी के मार्गदर्शी सिद्धान्तों, आयकर अधिनियम, 2000 व आयकर संशोधन अधिनियम 2008 का अनुपालन तथा एमएसटीसी के लिए कोयले की ई–नीलामी के वास्ते मैसर्स पालादीओन नेटवर्क्स से, जो सीईआरटी के पैनल में सुरक्षा ऑडिटर के रूप में है, प्रमाणपत्र प्राप्त।
- लौह अयस्क आदि की ई–नीलामी।
- विश्वव्यापी नीलामी से टंगस्टन की बिक्री।
- सेवा प्रभार बिलिंग अब वेब पर तथा उसे नए आईएसटीएमएस से जोड़ा गया।
- नए फार्म–16 को वेतन पर्ची में आयकर मॉडयूल से जोड़ा गया।
- नए आईएसटीएमएस में टीडीएस प्रमाणपत्र शामिल।
- नए आईएसटीएमएस में बैंक समायोजन वक्तव्य (बीआरएस) जोड़ा गया।
- निगमित वेब पोर्टल से सीपीजीआरएएमएस का संपर्क।

8.7 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

- निगमित कार्यालय के विभिन्न विभागों और इकाइयों को कंप्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं। वेतन, वित्तीय लेखा, सामग्री प्रबंधन से जुड़े क्षेत्रों का कंप्यूटरीकरण किया गया है।
- एप्लीकेशन पैकजों से एमआईएस का सृजन किया जा रहा है।

- इकाइयां इंटरनेट के माध्यम से जुड़ी हुई हैं।
- वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) की स्थापना और एसएपी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) को लागू करने का काम प्रगति पर है।
- कंपनी के पीएफ, आयकर, निविदाओं जैसी सांविधिक जरूरतों को ई–माध्यम से पूरा किया जा रहा है।
- सूचना अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी कंपनी की वेबसाइट पर दी गई है।

8.8 हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

कंपनी की वेबसाइट www.hscl.co.in है, जिसके माध्यम से कंपनी पारदर्शी तरीके से अपना व्यापार चलाने के साथ ही सूचना के अधिकार अधिनियम के सभी सांविधिक निर्देशों का पालन करती है। एचएससीएल ने ऑनलाइन कार्यान्वयन का कार्यक्रम हाथ में लिया है। मार्च, 2012 के अन्त तक यह देश भर में कंपनी की सभी यूनिटों में चालू हो जाएगा। इससे कंपनी बेहतर तरीके से काम कर पाएगी।

8.9 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन के रांची, बंगलौर और दिल्ली कार्यालय अत्याधुनिक हार्डवेयर, नेटवर्क एवं आटोकैड, आटोप्लांट, पीडीएस, ई–टेप, सीजर, पीवी लाइट इत्यादि जैसे विभिन्न इंजीनियरी सॉफ्टवेयर टूल्स से सज्जित हैं, जिनसे विभिन्न परियोजनाओं का गुणवत्तापूर्ण डिजाइन बनाने एवं समय पर पूर्ण करने में मदद मिलती है।

मेकॉन विभिन्न जारी परियोजनाओं की योजना बनाने एवं निगरानी के लिए प्राइमावेरा, एमएस प्रोजेक्ट्स और कंपनी में विकसित परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर जैसे विभिन्न परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा है।

मानव संसाधन, निगमित वित्त, परियोजना वित्त, एमआईएस, नॉलेज मैनेजमेंट, ई–आरकाइव जैसे स्वयं विकसित वैब आधारित माड्यूल्स का इस्तेमाल रोजमर्रा की गतिविधियों में किया जा रहा है।

मेकॉन विचार–विमर्श के लिए एवं मेकॉन के विभिन्न कार्यालयों और ग्राहकों/विक्रेताओं के साथ समीक्षा बैठकों के लिए भी वीडियो कांफ्रेंसिंग प्रणाली का गहन इस्तेमाल कर रहा है।

8.10 केआईओसीएल लिमिटेड

8.10.1 विस्तार–भौगोलिक

केआईओसीएल में कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी का 1976 से प्रयोग किया जा रहा है। इसके सभी कारखानों और कार्यालयों में कम्प्यूटरों का उपयोग होता है। केआईओसीएल भारत में ऐसी पहली खनन कंपनी है जहां प्रारम्भ से ही सभी कार्यों में स्वचालन उपकरणों तथा कम्प्यूटरों का प्रयोग होता है।

8.10.2 सेवा का क्षेत्र/क्रियाकलापों का दायरा

केआईओसीएल में परिचालन पूरी तरह से कम्प्यूटरों से होता है। कम्प्यूटरीकरण के प्रमुख क्षेत्र हैं :

- मालसूची तथा सामग्री प्रबंधन।
- वित्त एवं वेतन प्रबंधन : 5 लाख रुपये मूल्य से अधिक की सभी खरीद ई–खरीदारी से की जाती हैं और इस प्रकार कंपनी को बड़ी संख्या में सप्लायर और खरीद प्रणाली में पारदर्शिता का लाभ मिलता है।
- विपणन : पैलेट की बिक्री के लिए प्रति माह ई–निविदा आमंत्रित की जाती हैं।
- प्रविधि प्रबंधन : सेन्सर टेक्नोलॉजी में उत्पादकता में सुधार लाने की बहुत अधिक क्षमता है। विभिन्न क्षेत्रों में सेन्सर लगाकर तापमान, वातावरण में नमी, बहाव, दबाव, जल के स्तर आदि पर नियंत्रण रखा जा सकता है जिससे इंजीनियरों को तुरन्त ठीक या भूल सुधारने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का मौका मिलता है। केआईओसीएल के सभी संयंत्र पूरी तरह स्वचालित हैं तथा उनका प्रक्रिया स्वचालन कक्ष से नियंत्रण किया जा सकता है। केआईओसीएल प्रविधि स्वचालन के लिए वितरित नियंत्रण प्रणाली में निवेश करने वाले पहले कारखानों में से एक है। इससे जनशक्ति की आवश्यकता कम हुई है और उत्पादकता बढ़ी है। हमारी पूर्णतः स्वचालित प्रणाली से 3,500 मीट्रिक टन/घंटा तक लदान किया जा

सकता है। यह सामग्री विभाग को पूर्णतः स्वचालित बल्कि सामग्री उठाने–रखने वाली ऑटोमेटिक प्रणाली से लैस कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमारे पास मालडिब्बा ट्रिपलिंग यूनिट और ढकी हुई कन्वेइंग प्रणाली सहित एक निजी रेलवे साइडिंग हो जाएगी।

8.10.3 उत्पादकता में वृद्धि

ई–निविदा, ई–खरीद और आरटीजीएस शुरू करने से काफी हद तक कागजी कार्रवाई कम हुई है और बाह्य एजेंसियों के साथ लेन–देन करने में पारदर्शिता बढ़ती है।

8.10.4 परिभाषित एवं प्राप्त परिणाम

केआईओसीएल की ई–वाणिज्यिक गतिविधियां : आंतरिक व बाह्य दोनों को बेहतर, तीव्र, पारदर्शी और विश्वसनीय सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त।

आईसीटी पहल / टेक्नोलॉजी उन्नयन : जल्दी लेन–देन, कम मालसूची, पारदर्शिता, विश्वसनीयता, कम कागजी कार्रवाई व उपभोग का लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त।

लागत नियंत्रण : आईसीटी के आविष्कारिक प्रयोग से संचार, यात्रा और स्टेशनरी पर खर्च में काफी बचत।

8.11 बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज़ (बीजीसी)

लौह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क के लिए ऑनलाइन निविदा आमंत्रण ई–नीलामी से किया जा रहा है। ओएमडीसी ई–नीलामी वेतन का भुगतान स्टेट बैंक को ई–नीलामी से कर रहा है। करों की अदायगी भी ई–अदायगी से की जा रही है।

8.12 संयुक्त कारखाना समिति (जेपीसी)

ऑनलाइन इंटीग्रेटेड प्रणाली का प्रथम चरण सफलतापूर्वक पूरा करने से आयात–निर्यात और संबंधित रिपोर्ट तेजी से प्राप्त हुई है। जेपीसी इस प्रणाली का दूसरा चरण भी सफलतापूर्वक लागू कर रही है। इससे उत्पादन, भण्डारों, दिखाई दे रहा उपभोग, कीमतों के बारे में आंकड़े रखने व भेजने में सहायता मिलेगी। बहुस्तरीय प्रणाली के तौर पर परिकल्पित नए चरण से न केवल तेजी से आंकड़े एकत्र किए और भेजे जा सकेंगे बल्कि उनकी चैकिंग, उनमें सुधार का काम भी सहज हो जाएगा। इससे हर माहवार, अवधिवार, क्षेत्रवार, राज्यवार, यूनिटवार व श्रेणीवार उत्पादन आंकड़े संकलित किये जाएंगे। यही नहीं, जेपीसी ने अपनी सामान्य गतिविधियों को भी सहज बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया है ओर प्रशासन तथा वित्त कार्रवाइयों के लिए सूचना प्रणालियां विकसित की हैं।

अध्याय-IX

सुरक्षा

9.1 प्रस्तावना

किसी भी उद्योग के संचालन में सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह न सिर्फ इसके कर्मचारियों और कामगारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यावरण और राष्ट्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। लौह एवं इस्पात उत्पादन जटिल और जोखिम वाली गतिविधि है इसलिए कर्मचारियों को जख्मी होने से रोकने और हादसे नहीं होने देने के लिए स्वस्थ कार्य वातावरण और सभी तरह के खतरों और जोखिम के प्रति पर्याप्त सावधानी की जरूरत है। इस अध्याय में मंत्रालय के अधीन आने वाले पीएसयू द्वारा उठाए गए सुरक्षात्मक कदमों पर प्रकाश डाला गया है।

9.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सेल में सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली और प्रथाओं के अभिन्न अंगों में निम्नलिखित शामिल हैं :

9.2.1 प्रबंधन प्रतिबद्धता

इस्पात कारखानों में दुर्घटना मुक्त काम–काज सुनिश्चित करना सेल प्रबंधन की एक प्रमुख प्राथमिकता है। यह 'शून्य दुर्घटना' का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कृत संकल्प है।

सेल में सुरक्षा प्रबंधन की शीर्ष स्तर पर निगरानी की जाती है अर्थात् सुरक्षा, जागरूकता जगाने एवं सुरक्षा के प्रति मानवीय व्यवहार सुधारने के लिए अध्यक्ष एवं निदेशक स्तर के साथ–साथ संबंधित कारखानों/यूनिटों के प्रमुख कार्यपालकों द्वारा बल दिया जाता है। सुरक्षा सभी समुचित मंचों पर प्रथम मत के रूप में परिचर्चा का विषय होता है और सुरक्षा मानकों में निरंतर सुधार लाने के लिए सभी जरूरी उपाय अपनाने हेतु दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैं।

सेल की अत्याधुनिक सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली ओएचएसएएस–18001 कार्यान्वित करने के साथ–साथ एक व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नीति भी है।

9.2.2 सेल में सुरक्षा व्यवस्था

सेल के प्रत्येक कारखाने/यूनिट में पूर्णतः सुसज्जित सुरक्षा इंजीनियरी विभाग कार्य कर रहे हैं तथा प्रत्येक कारखाना प्रमुख के अधीन सुरक्षा प्रबंधन के कार्य की देखभाल करते हैं। इसके अतिरिक्त सेल सुरक्षा संगठन (एसएसओ) के नाम से एक निगमित सुरक्षा यूनिट भी कार्य कर रही है जो विभिन्न कारखानों/यूनिटों में परिचालन/अग्नि सुरक्षा गतिविधियों की निगरानी करती है तथा कंपनी में सुरक्षा प्रबंधन पर निगमित स्तर पर पर्याप्त ध्यान देती है।

9.2.3 प्रणाली एवं प्रक्रिया

सुरक्षा पहलुओं में शमिल हैं :

- सुरक्षा पहलुओं को स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रैक्टिसेस (एसओपी) और स्टैंडर्ड मेन्टिनेंस प्रैक्टिसेस (एसएमपी) के तौर पर शामिल किया जाता रहा है।
- वर्क परमिट/प्रोटोकॉल में सेफ्टी पहलुओं को शामिल किया जाता है।
- प्रतिरोधी जांच के दौरान असुरक्षित कार्यों एवं परिस्थितियों की पहचान।
- "ऊंचाई पर कार्य करने वालों" और "गतिशील उपस्करों" को चलाने वाले कर्मियों की विशेष चिकित्सा जांच अनिवार्य।

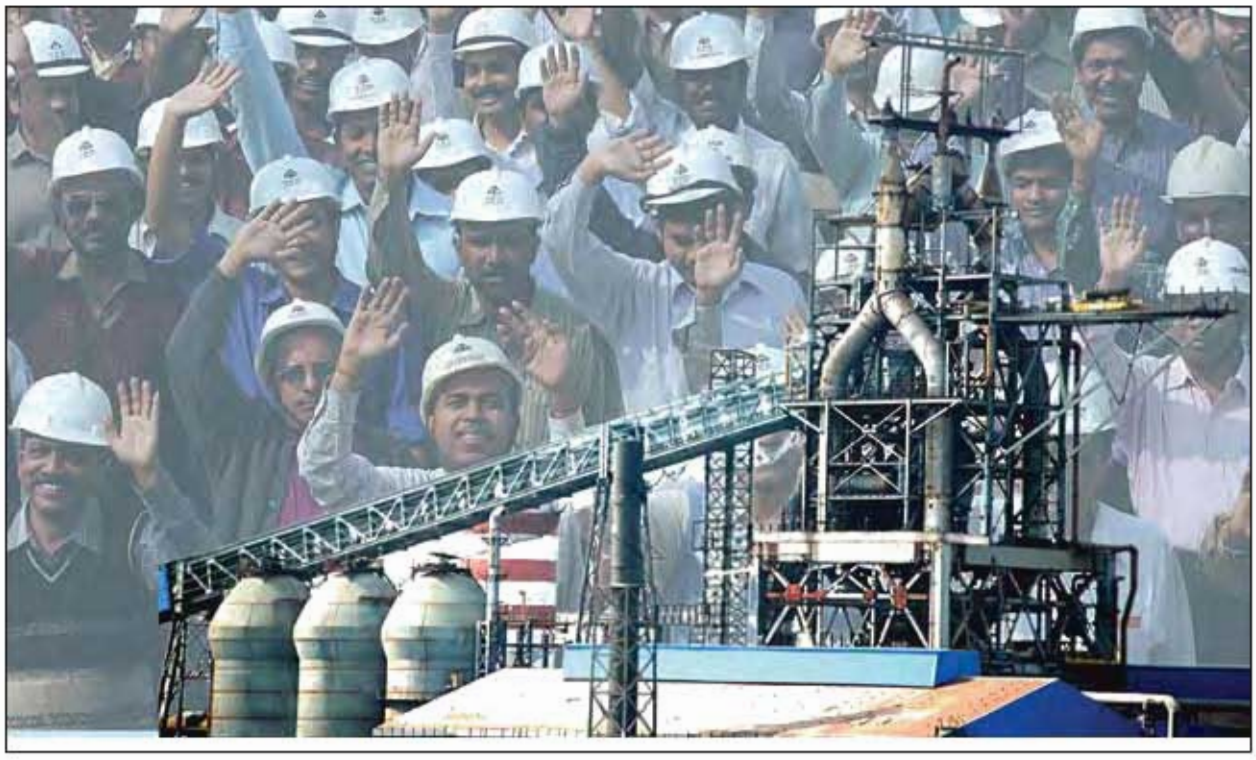

सेल में सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

9.2.4 सुरक्षा ऑडिट/मॉनिटरिंग

कारखानों और यूनिटों में निम्न सुरक्षा ऑडिट किए जाते हैं :

- संबंधित कारखानों के सुरक्षा इंजीनियरी विभाग द्वारा आंतरिक सुरक्षा ऑडिट।
- सहयोगी कारखानों/यूनिटों के प्रतिनिधियों के सहयोग से सेल सुरक्षा संगठन द्वारा सुरक्षा ऑडिट।
- राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्, वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावित बाह्य एजेंसियों, ओएचएसएएस ऑडिटर द्वारा सुरक्षा ऑडिट।

9.2.5 जागरूकता एवं प्रशिक्षण

- विभागाध्यक्षों, लाइन मैनेजरों और विभागीय सुरक्षा अधिकारियों (डीएसओ) द्वारा सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों में मानव संसाधन हस्तक्षेप किए जाते हैं।
- क्षेत्र विशेष के संबंध में कार्यशालाओं का आयोजन।
- विशेष कार्यों के लिए आवश्यक कौशल में सुरक्षा प्रशिक्षण जोड़ा जाता है।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऑडियो–विजुअल और सुरक्षा फिल्में दिखाई जाती हैं।
- कारखानों के स्थानीय टीवी नेटवर्क पर सुरक्षा से संबंधित सूचना दिखाई जाती है।

9.2.6 दुर्घटना आंकड़े एवं जांच

- जख्मी होने के कारण व्यर्थ जाने वाले बताए गए समय की दर (आरएलटीआईएफआर)
  - वित्त वर्ष 2010–11 के लिए : 0.36
  - अप्रैल–नवम्बर, 2011 की अवधि के लिए : 0.20
- सभी दुर्घटनाओं की जांच होती है और उनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए समीक्षा की जाती है।
- सभी घातक दुर्घटनाओं का "मौके पर अध्ययन" कर सिफारिशें दी जाती हैं और इन पर सभी कारखानों/यूनिटों में अमल किया जाता है।

9.2.7 ठेकेदार के कर्मचारियों की सुरक्षा

ठेकेदार के कार्यक्षेत्र में सुरक्षा मानकों को प्रोत्साहन देने को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। सेल सुरक्षा संगठन द्वारा जोखिम भरी स्थिति से पार पाने तथा उनके नियंत्रण के लिए "परियोजना सुरक्षा मार्गदर्शी सिद्धांत" जारी किए गए हैं। दुर्घटना रहित कार्यक्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रों से आए व्यक्तियों को प्रशिक्षित और शिक्षित करने के लिए समेकित प्रयास किए जाते हैं। इस क्षेत्र के लिए लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों में ठेकों में सुरक्षा तथा कार्य करने वाले प्राधिकारियों आदि के संबंध में सुरक्षा और दण्ड के प्रावधान किए गए हैं।

9.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल–वीएसपी में इस्पात निर्माण के समय सुरक्षा और पूरी देखभाल के साथ कार्य किया जाता है। शून्य दुर्घटना का उद्देश्य प्राप्त करने तथा कंपनी में सुरक्षा आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। इस दिशा में किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों में शामिल हैं :

- वीएसपी में ओएचएसएएमएस का कार्यान्वयनः ओएचएसएएमएस–18001:1999 से इसके 2007 संस्करण की अपनी प्रणाली का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया है। समय–समय पर जोखिम की पहचान तथा जोखिम मूल्यांकन प्रणाली (एचआईआरए) की समीक्षा की जाती है और जब भी आवश्यकता होती है, उनमें संशोधन किए जाते हैं।
- सुरक्षा ऑडिट और निरीक्षण : सभी प्रमुख विभागों में एक तिमाही में एक बार आंतरिक सुरक्षा ऑडिट आयोजित किया जाता है। मैसर्स वीईएक्सआईएल बिज़नेस प्रोसेस प्रा.लि. द्वारा वार्षिक बाह्य सुरक्षा ऑडिट भी किया गया है। इस ऑडिट द्वारा की गई सिफारिशों को लागू किया गया।

सुरक्षा प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान : सामान्य सुरक्षा और दुर्घटना प्रतिरोधक कार्यक्रमों के अतिरिक्त लोगों में सुरक्षा जागरूकता जागृत करने के लिए निम्नलिखित समय रहते उपाय किए गए हैं:

- व्यवहार पर आधारित सुरक्षा प्रबंधन (बीबीएसएम) लागू किया गया है तथा एन.एस.सी. के विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर एच.एल. कैला, भूतपूर्व निदेशक सी.एल.आई., ने "आचार सुरक्षा पहलुओं और निदान उपायों" विषय पर अपने विचार व्यक्त किए।

आरआईएनएल में कारखाना स्तर पर सीओसीसीपी में "मॉक फायर फाइटिंग ड्रिल"।

- गैस सुरक्षा तथा कार्य परमिट जागरूकता के संबंध में सत्र आयोजित किए गए।
- मैसर्स बीवीसीआई द्वारा "वैधानिक चेतना" विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- मैसर्स बीवीसीआई द्वारा 2007 मानक आंतरिक ऑडिट पाठ्यक्रम ओएचएसएएस–18001 आयोजित किया गया।
- कर्मचारियों में सुरक्षित प्रणालियों और प्रयोग के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपकरणों के उपयोग के संबंध में जागरूकता लाने के लिए विख्यात व्यक्तियों द्वारा सुरक्षा उपकरणों के बारे में भाषणमाला और समय–समय पर संगोष्ठियां तथा प्रदर्शनियां आयोजित की गईं।

सुरक्षा प्रोत्साहन : स्वतंत्र विभागों द्वारा सुरक्षा सप्ताह समारोह आयोजित किए गए। कर्मचारियों और ठेकेदार के कामगारों के लिए सुरक्षा वाद–विवाद, सुरक्षा लेख, सुरक्षा पोस्टर, पेन्टिंग, सड़क सुरक्षा तथा विभिन्न क्विज़ प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

मॉक ड्रिल : सभी विभागों तथा कारखाना स्तर पर आग, इलेक्ट्रिक शॉक, गैस रिसाव, ऊँचाई से बचाव, जलने से हुई क्षति की स्थिति में आपात तैयारी के प्रशिक्षण के लिए आपातकालीन योजना और मॉक ड्रिल आयोजित की जाती हैं। विभिन्न विभागों में 144 से अधिक आग लगने की स्थिति जैसी मॉक ड्रिक आयोजित की गईं तथा इस दौरान पाई गई कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक उपाय किए गए।

इन सभी उपायों के परिणामस्वरूप वीएसपी उच्च सुरक्षा मानक स्थापित करने तथा सुरक्षित कार्य वातावरण तैयार करने में सफल हुआ है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है और "दुर्घटना आवृत्ति दर" अप्रैल '11 से दिसंबर '11 तक 0.52 रह गया है जो गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 17.46% कम है।

9.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी की सभी परियोजनाओं में इसके प्रशिक्षण केंद्र हैं। उन्हें खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियमों के अंतर्गत जरूरी बुनियादी सुविधाओं से लैस किया गया है। ये केंद्र मौलिक प्रशिक्षण, रिफ्रेशर ट्रेनिंग, कुशल कामगारों और यहां तक कि ड्यूटी के दौरान जख्मी होने वाले कामगारों के लिए भी प्रशिक्षण देते हैं। एनएमडीसी की प्रत्येक खनन परियोजना में खनन कार्यों और यांत्रिक एवं इलेक्ट्रिक संस्थापनों के लिए कानूनी प्रावधानों के मुताबिक पर्याप्त संख्या में कामगार निरीक्षकों का नामांकन/नियुक्ति की जाती है। सभी चालू खानों में खदान स्तरीय त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठकें आयोजित की गई हैं। ये बैठकें हर साल परियोजना स्तर पर आयोजित की जाती रही हैं और इसमें वरिष्ठ अधिकारी, यूनियन प्रतिनिधि और डीजीएमएस के अधिकारी भाग लेते रहे हैं। जिसमें सुरक्षा कार्य–निष्पादन एवं उसका मूल्यांकन किया जाता है और सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाता है। मुख्यालय में साल में एक बार नियमित रूप से त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठकें आयोजित हो रही हैं। हर चालू खान के लिए सुरक्षा समिति गठित की गई है और पिट सुरक्षा को लेकर हर महीने सुरक्षा बैठकें आयोजित होती रही हैं जहां कार्य वातावरण को लेकर सुरक्षा मामलों और सुधारात्मक उपायों पर चर्चा होती है।

वर्ष 2011–12 (दिसंबर 2011 तक) में प्रति 1000 मानव कार्य दिवसों पर 0.56 मानव कार्य दिवसों का नुकसान हुआ, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 0.60 था।

9.4.1 ओएचएसएएस 18001:2007 प्रमाणीकरण

एनएमडीसी की परियोजनाएं – बीआईओएम, किरनदूल कॉम्प्लेक्स, बीआईओएम, बछेली कॉम्प्लेक्स एवं दोनीमलाई लौह अयस्क खान को ओएचएसएएस 18001:2007 प्रमाणीकरण प्राप्त है।

9.4.2 ओएचएस गतिविधियां

पर्याप्त जनशक्ति पूंजी और बुनियादी सुविधाओं के साथ व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाएं (ओएचएस) मुहैया कराई गईं और मुंबई के सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट के ओएचएस में प्रशिक्षित डाक्टरों के नेतृत्व में इन सभी परियोजनाओं में ये सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध कराई गई हैं।

9.5 मॉयल लिमिटेड

माइन मेट, माइन फोरमेन और प्रशिक्षित माइनिंग इंजीनियर जैसे सक्षम सुपरवाइजरों द्वारा सभी खनन कार्यों पर नियमित नजर रखी जाती है। वर्कमेन इंस्पेक्टर, सुरक्षा अधिकारियों, खदान प्रबंधकों और एजेंटों द्वारा कार्य पारी के दौरान भी सुरक्षा निरीक्षण किए जाते हैं। मुख्यालय स्तर पर महाप्रबंधक के नेतृत्व में आंतरिक सुरक्षा संगठन द्वारा खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है और समय–समय पर इसका निरीक्षण किया जाता है।

खदानों में नियमित सुरक्षा समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं जहां कामगारों के प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित कर रोजाना के सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा होती है। असुरक्षित कार्यों और खदान दुर्घटनाओं का व्यापक विश्लेषण किया जाता है ताकि किसी घटना की पुनरावृत्ति न हो।

1) **जोखिम निर्धारण और जोखिम प्रबंधन**

सभी प्रमुख मैंगनीज खानों में जोखिम निर्धारण अध्ययन किया गया है। भूमिगत और ऊपरी खानों में विशेषज्ञों और सुरक्षा प्रबंधन योजना द्वारा डीजीएमएस की आवश्यकताओं के अनुरूप योजना तैयार की गई है। जोखिम प्रबंधन योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न गतिविधियों में जोखिम की पहचान करना, जोखिम मूल्यांकन की समीक्षा करना और जोखिम प्रबंधन को प्राथमिकता प्रदान करने के साथ–साथ जोखिम कम करने की योजनाएं तैयार करना है।

2) **व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन (ओएचएसएएस 18001:2007)**

व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के क्षेत्र में मॉयल को बालाघाट, डोंगरी बुजुर्ग, चिकला और खांडरी खानों के लिए ओएचएसएएस 18001:2007 प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है। अन्य खानों के लिए भी ओएचएसएएस प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है।

9.6 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी एक व्यापारिक संगठन है तथा इसका कोई संयंत्र/कार्यशाला नहीं है। परन्तु एमएसटीसी के कार्यालयों में कार्यालय घंटों के दौरान डॉक्टर की उपस्थिति सहित आवश्यक प्रबंध किए जाते हैं।

9.7 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

कर्मचारियों को सुरक्षा सतर्कता और सुरक्षित कार्य प्रणालियां अपनाने के लिए प्रेरित करने के उपाय किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, पूरे वर्ष के लिए तैयार प्रशिक्षण कैलेंडर में सुरक्षा एवं संबद्ध क्षेत्रों पर कर्मचारियों के लाभ के लिए विशेष कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और दूसरी विख्यात एजेंसियों जैसी संस्थाओं से सुरक्षा तथा सम्बद्ध मामलों में उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कर्मचारियों को शामिल करने का आग्रह किया जाता है। कंपनी में सुरक्षा दिवस समारोहों का आयोजन किया जाता है जिनमें सुरक्षा पर वाद–विवाद प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन किया जाता है और विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार दिए जाते हैं।

कर्मचारियों, खासतौर पर सभी आपरेटरों के लिए संबंधित इस्पात कारखानों के अग्निशमन सेवा केंद्र के जरिए अग्नि खतरे एवं उपचारात्मक उपायों पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं जिनमें भारी उपकरणों के ऑपरेटरों को भाग लेने के लिए नामित किया जाता है जिससे उनमें स्वयं को बचाने तथा कार्य स्थल पर अग्नि दुर्घटना रोकने के लिए चेतना जागृत हो सके।

9.8 हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

एचएससीएल ने सुरक्षा संहिता तैयार की है तथा इसे लागू करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी निर्माण गतिविधियों से जुड़े तमाम सुरक्षा उपायों पर अमल करती है। कंपनी की इस्पात संयंत्र इकाइयों, जहां 98% से ज्यादा कामगार हैं, में सुविधा संपन्न सुरक्षा विभाग है।

कर्मचारियों को सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक करने तथा उन्हें सुरक्षा सावधानियां बरतने और इस क्षेत्र में सामने आ रहे नए–नए उपायों के बारे में जानकारी देने के लिए विकास कार्यक्रम भी तैयार किए गए हैं।

9.9 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन के डिजाइन और परामर्शदात्री कार्यालय हैं। इसकी कोई औद्योगिक इकाई नहीं है। तथापि, परियोजना स्थलों पर ऐहतियात के तौर पर सभी तरह की सुरक्षा चौकसी बरती जाती है और इसका परिणाम यह निकला कि आलोच्य वर्ष में कोई दुर्घटना नहीं हुई।

9.10 केआईओसीएल लिमिटेड

- सुरक्षा विभाग सभी स्थलों पर प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। कंपनी अपने कर्मचारियों के व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखती है। यूं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से 1 जनवरी, 2006 से कुद्रेमुख खान में खनन कार्य रोक दिया गया है, फिर भी, वहां खनन उपकरणों की देखभाल और मरम्मत तथा वाटर पंपिंग, निगरानी आदि जैसे जरूरी कार्यों में लगे कर्मचारियों की सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य का नियमित निरीक्षण किया जाता है।
- ठेकेदार के कर्मचारियों, जो संरचनाएं तोड़ने अथवा उससे संबंधित कार्य करने के लिए आते हैं, के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं तथा उनमें सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाई जा रही है।
- सुरक्षा जागरूकता जागृत करने तथा मानव संसाधन विकसित करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्षेत्र, प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण, "महत्वपूर्ण वैयक्तिक सुरक्षा उपस्करों" के संबंध में जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम, आईएमएस (क्यूएमएस+ईएमएस+ओएचएसएमएस) पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे रिफ्रैशर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आवश्यकतानुरूप नियमित तौर पर परिचालन, मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और हार्डवेयर के संबंध में लंबे समय तक प्रभावी विकास कार्यक्रम तथा "सामाजिक प्रतिबद्धता–8000:2008" विशय पर चेतना प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।
- "सामाजिक प्रतिबद्धता–8000:2008" विषय पर ठेकेदार के कामगारों के लिए दिसंबर 2011 में एक जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

9.11 बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज (बीजीसी)

बर्ड ग्रुप के अंतर्गत खनन कंपनियां खनन गतिविधि अधिनियम, 1952, नियमावलियों, विनियमों के प्रावधान एवं दिशा–निर्देशों के अनुसार खनन एवं संबंधित कार्यकलापों में लगे कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपाय करते हैं। संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक सुरक्षा उपायों, औजार एवं उपकरणों से लैस किया जाता है। खनन प्रचालन में विभिन्न गतिविधियों से जुड़ी सुरक्षित प्रविधियों को स्थानीय के साथ–साथ क्षेत्रीय आधार पर सुरक्षा प्रदर्शनी में कामगारों की भागीदारी के जरिए प्रदर्शित किया जाता है। ऐसी ही खानों में नियमित दौरों से नई प्रथाओं का पता लगाकर उन्हें अपनाया जाता है तथा विभिन्न क्षेत्रों एवं प्रचालन गतिविधियों में व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की गई हैं। कर्मचारियों ने इस क्षेत्र में वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह आयोजन समिति से पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त किए हैं।

अध्याय-X

शिप ब्रेकिंग

10.1 प्रस्तावना

- कई दूसरे उद्योगों की तरह पिछले तीन से चार दशकों में पूरी दुनिया में शिप ब्रेकिंग उद्योग का विकास और विस्तार हुआ है। यह उद्योग लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए बड़ी मात्रा में पुनः इस्तेमाल योग्य और स्क्रैप उपलब्ध कराता है। इसने अर्ध–तैयार सामग्री की उपलब्धता बढ़ा दी है। यदि यह नहीं होता तो हमें लौह अयस्क का इस्तेमाल करना पड़ता। इस तरह यह उद्योग प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण में मदद दे रहा है।
- नियमित व्यावसायिक गतिविधि के तौर पर शिप ब्रेकिंग उद्योग का प्रारंभ ब्रिटेन, अमेरिका और जर्मनी जैसे उन्नत देशों में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हुआ। 1960 तक यह गतिविधि औद्योगीकृत देशों से दूसरे यूरोपीय और सुदूर–पूर्व देशों में फैल गई। परन्तु, पिछले 10 वर्षों में 90% से ज्यादा शिप ब्रेकिंग गतिविधियां भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन जैसे देशों में होती रही हैं।
- भारत में शिप ब्रेकिंग का कार्य निजी उद्यमियों द्वारा किया जाता है। यह एक श्रम प्रधान कार्य है और भारत में प्रचुर मात्रा में मानव संसाधन होने की वजह से यह एक किफायती गतिविधि है। साठ के दशक तक, भारत में शिप ब्रेकिंग सिर्फ छोटी नावों एवं तटीय कचरे तक सीमित थी। वर्ष 1979 तक यह गतिविधि एक संपूर्ण उद्योग के रूप में उभर कर सामने आई है।

10.1.1 मौजूदा शिप ब्रेकिंग गतिविधियों के केन्द्र

- गुजरात में अलांग और सोसिया यार्ड
- गुजरात में सचाना
- मुंबई
- कोलकाता

अलांग और सोसिया गुजरात के भावनगर जिले में अरब सागर तट पर स्थित दो गांव हैं, जहां देश की 90% शिप ब्रेकिंग गतिविधि केंद्रित है। विगत तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष 2011–12 (दिसंबर 2011 तक) के दौरान शिप ब्रेकिंग आंकड़े# निम्नवत हैं :

(मिलियन टन में)

वर्ष	तट पर लाए गए जहाजों की संख्या	प्राप्त स्क्रैप की मात्रा (एलडीटी)*
2008–09	267	2.00
2009–10	379	3.1
2010–11	357	2.8
2011–12 (दिसंबर 2011 तक)	291	2.5
2011–12 (जनवरी–मार्च–अनुमानित)	–	0.6

*एलटीडी शिप के भौतिक वजन की इकाई है
#गुजरात मेरीटाइम बोर्ड, अलांग द्वारा यथा प्रस्तुत आंकड़े

10.1.2 शिप ब्रेकिंग का योगदान

शिप ब्रेकिंग एक ऐसी औद्योगिक गतिविधि है, जिससे न सिर्फ पुनः इस्तेमाल योग्य इस्पात प्राप्त होता है बल्कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिलते हैं। शिप ब्रेकिंग प्रक्रिया से उत्पादित इस्पात के जरिए एकीकृत इस्पात संयंत्रों में इस्पात उत्पादन के लिए प्रयोग हेतु लौह अयस्क, कोयला आदि जैसे जरूरी प्राकृतिक संसाधनों की

बचत होती है। इस प्रक्रिया से उत्पादित इस्पात देश की कुल इस्पात मांग में करीब 1% से 2% का योगदान देता है। शिप ब्रेकिंग उद्योग में एक लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है। शिप ब्रेकिंग से प्राप्त पुनः बेलन योग्य स्क्रैप से गलाई की एक प्रक्रिया कम हो जाती है और इस प्रकार वैद्युत ऊर्जा खपत में काफी बचत होती है।

10.1.3 शिप ब्रेकिंग पर अंतर मंत्रालय समिति (आईएमसी)

- कार्य आवंटन (कृपया परिशिष्ट–1 देखें) के मुताबिक इस्पात मंत्रालय शिप ब्रेकिंग से संबद्ध है।
- रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस टेक्नोलॉजी नेशनल रिसोर्स पालिसी द्वारा 1995 में दाखिल याचिका संख्या 657 के अनुसरण में नुकसानदेह अपशिष्ट के नियंत्रण और प्रबंधन का सामान्य मसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। आवेदनकर्ता ने पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा निर्मित नुकसानदेय अपशिष्ट (प्रबंधन और निपटान) नियमावली 1989 और औद्योगिक अपशिष्ट के नियंत्रण एवं प्रबंधन के सामान्य मसले से संबद्ध प्रावधानों एवं सुधारात्मक उपायों को लागू किए जाने की मांग की। विभिन्न राज्य सरकारें/केंद्रीय मंत्रालय इस मामले में प्रभावित हुए। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) इस मामले में नोडल मंत्रालय था।
- सुनवाई के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न आदेश जारी किए जिनमें पहला मुख्य आदेश 14 अक्टूबर, 2003 को दिया गया। इस आदेश में कहा गया कि शिप ब्रेकिंग गतिविधियों के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया जाएगा। इस्पात मंत्रालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को लागू करने तथा अन्य कार्यों के लिए 12 जनवरी, 2004 को जारी आदेश के तहत अतिरिक्त सचिव और वित्त सलाहकार की अध्यक्षता में एक अंतर–मंत्रालय समिति (आईएमसी) का गठन किया जिसमें जहाजरानी मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड, गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्रम संगठन, स्टील स्क्रैप और शिप ब्रेकर्स एसोसिएशन आदि के प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। अब तक, आईएमसी ने 13 बैठकें की हैं जिसमें अन्य संगठनों के सदस्यों को भी शामिल किया गया और शिप ब्रेकिंग उद्योग से जुड़े विभिन्न मसलों पर विचार–विमर्श किया गया और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए अनेक निर्देश जारी किए।
- आईएमसी की पिछली बैठक 8 जुलाई, 2011 को गांधीनगर में आयोजित हुई थी। इस बैठक में जिन मसलों पर चर्चा की गई उनमें से अधिकांश कामगारों की सुरक्षा एवं कल्याण से जुड़े थे (यथा चिकित्सीय सहायता, सुरक्षा उपकरण, प्रदूषित पर्यावरण से एक्स–रे, बीमारी, आवास सुविधा इत्यादि)। कामगारों के स्वास्थ्य एवं आवास सुविधा से संबंधित मामलों में संबद्ध प्राधिकारियों के साथ भी बात की गई है।

10.1.4 शिप ब्रेकिंग गतिविधि पर आचार संहिता तैयार

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 17.02.06 को अपने एक आदेश के जरिए शिप ब्रेकिंग पर तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का निर्देश दिया। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 24.03.06 को सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अध्यक्षता और विभिन्न अन्य संगठनों/प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के विशेषज्ञों से युक्त एक समिति गठित की। इस समिति ने अनेक सिफारिशें कीं जिनको सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 06.09.07 के फैसले में स्वीकार कर लिया है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 06.09.2007 के फैसले में कहा है कि भारत सरकार सिफारिशों को शामिल करते हुए एक व्यापक आचार–संहिता तैयार करेगी और तब तक लागू रहेगी जब तक कि संबंधित स्थिति को सिफारिशों के अनुरूप संशोधित न किया जाए। जब तक आचार–संहित लागू होती है, ये सिफारिशें दिनांक 06.09.07 के फैसले के अनुरूप लागू रहेंगी। आचार–संहिता इस्पात मंत्रालय द्वारा तैयार की जा रही है।
- प्रभावित लोगों से विस्तृत विचार–विमर्श के पश्चात् संहिता का मसौदा तैयार कर लिया गया है। शिप ब्रेकिंग से संबंधित मसौदे के साथ मंत्रिमंडल मसौदे को सभी मंत्रालयों/विभागो में, उनके विचार/टिप्पणियां मांगने के लिए परिचालित किया गया है। उनके विचारों/टिप्पणियों को शामिल करते हुए संशोधित मसौदा संहिता की विधि मंत्रालय के साथ विचार–विमर्श करके और आगे जांच की जाएगी।

अध्याय–XI

समाज के कमज़ोर वर्गों का कल्याण

11.1 प्रस्तावना

इस्पात मंत्रालय और इसके अधीन आने वाले सरकारी उपक्रम समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण संबंधी सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करते हैं। मंत्रालय में 31.12.2011 को 230 कर्मचारियों में से 60 अनुसूचित जाति (26.08%), 12 अनु. जनजाति (5.2%) और 15 अन्य पिछड़े वर्ग (6.52%) के थे। 1.4.2011 से 31.12.2011 तक की अवधि में एक अनुसूचित जाति के कर्मचारी की सीधी भर्ती की गई और 6 अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति की गई।

11.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

अनुसूचित जाति और अनु. जनजाति के सार्वजनिक उपक्रमों में नियुक्तियों के लिए राष्ट्रपति के निर्देशों का निरंतर पालन किया जाता है। 31 दिसंबर, 2011 को कुल 107841 की जनशक्ति में से 15.82% अनुसूचित जाति और 13.11% अनु. जनजाति श्रेणी के थे।

सेल ने अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए अनेक पहल की हैं; जैसा कि:

- सेल द्वारा विकसित इस्पात नगरियां सर्वश्रेष्ठ चिकित्सीय, शैक्षणिक और नागरिक सुविधाओं से लैस हैं और ये स्थानीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य लोगों, जो सेल कर्मचारियों के साथ समृद्धि का लाभ उठाते रहे हैं, के लिए उम्मीद की किरण हैं।
- सेल के पांच एकीकृत इस्पात कारखानों के क्षेत्रों में विशेष रूप से गरीब तथा कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए विशेष स्कूल शुरू किए गए हैं। यहां दी जा रही सुविधाओं में निःशुल्क शिक्षा, दोपहर का भोजन, जूतों सहित यूनिफार्म, किताबें, लेखन सामग्री, स्कूल बैग, पानी की बोतल और कुछ मामलों में परिवहन सुविधाएं भी हैं। इन स्कूलों में इस समय लगभग 1500 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
- सेल कारखानों ने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों/पुराने कबायली परिवारों के 188 से अधिक अनु. जाति/अनु. जनजाति के छात्रों को अपनी शरण में लिया है। इन्हें निःशुल्क शिक्षा, रहने–खाने की सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं ताकि उनका संपूर्ण विकास हो सके।
- अनु. जाति/अनु. जनजाति के छात्रों, चाहे वे सेल के कर्मचारियों के बच्चे हों अथवा नहीं, कंपनी द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में पढ़ाई के लिए कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है।
- गुआ खानों में एक आईटीआई खोला गया है। इस क्षेत्र की स्थानीय जनता मुख्यतः अनु. जाति/अनु. जनजाति तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग की है। अतः इस पहल से इन बच्चों को रोजगार पाने के लिए आवश्यक तकनीकी जानकारी प्राप्त होगी।
- भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो और बर्नपुर में आसपास की गरीब अनु. जाति/अनु. जनजाति तथा समाज के कमजोर वर्गों की जनता को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श देने के लिए निःशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए हैं।
- किरिबुरु, गुआ और चिरिया की खानों के अस्पतालों में आसपास के गांवों के मणकी/मुण्डा (स्थानीय कबायली ग्राम प्रमुख) की सिफारिश पर अस्पतालों में दाखिल होने तथा इलाज कराने आने वाले, दोनों तरह के मरीजों का, निःशुल्क इलाज किया जाता है। इससे मुख्य रूप से अनु. जनजाति समुदाय तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लोगों को लाभ मिल रहा है।
- सेल ने आठ राज्यों में 79 आदर्श इस्पात ग्राम के रूप में अपनी शरण में लिया है। इन गांवों में जो विकास गतिविधियां चलाई जा रही हैं, उनमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, सड़क एवं विभिन्न मार्गों को

जोड़ने, साफ–सफाई, सामुदायिक केन्द्र, जीवन–यापन, खेलकूद सुविधाएं शामिल हैं। मार्च 2011 तक 62 आदर्श गांवों में कार्य पूरा हो गया है। शेष 17 गांवों में कार्य जारी है।

11.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

31.12.2011 की स्थिति के अनुसार आरआईएनएल की कुल जनशक्ति 18080 थी, जिसमें 2942 अनुसूचित जाति (16.27%), 1203 अनुसूचित जनजाति (6.65%) तथा 1512 अन्य पिछड़े वर्ग (8.36%) के थे।

अनु. जाति/अनु. जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण

अनु. जाति एवं अनु. जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के लिए मृत्युकोष योजना जनवरी 2009 से शुरू की गई जिसके तहत किसी सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में एसोसिएशन के सदस्यों (लगभग 4000) के वेतन से ₹50 की कटौती की जाएगी और इस तरह से एकत्र की गई राशि मृत कर्मचारी के आश्रित को दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत अब तक 57 परिवारों को मदद मिली है तथा ऐसे प्रत्येक परिवार को औसतन ₹2 लाख से कुछ अधिक की राशि प्राप्त हुई है।

डा० बी.आर. अम्बेडकर योग्यता पुरस्कार योजना – अनु. जाति/अनु. जनजाति श्रेणियां

निम्न छात्रवृत्तियां केवल अनु. जाति/अनु. जनजाति श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चों के लिए हैं :

उत्तीर्ण परीक्षा	आवेदित पाठ्यक्रम	छात्रवृत्तियों की राशि	छात्रवृत्तियों की संख्या	
			अ.जा.	अ.ज.जा.
12वीं कक्षा/ इंटरमीडिएट परीक्षा	इंजीनियरिंग में डिग्री कोर्सेस/ वास्तु कला/चिकित्सा/पशु चिकित्सा/दन्त रोग/ कृषि विज्ञान/दवाइयों/विधि	पाठ्यक्रम की पूर्ण अवधि हेतु ₹1500 प्रति माह	8 (आठ)	4 (चार)

टिप्पणी : प्रत्येक समूह में दो वर्गों के लिए 50 प्रतिशत छात्रवृत्तियां मैरिट के आधार पर प्रदान की जाती हैं, चाहे कर्मचारी किसी भी कैडर का हो अर्थात् कार्यपालक या गैर–कार्यपालक और शेष 50 प्रतिशत छात्रवृत्तियां केवल गैर–कार्यपालक कर्मचारियों के बच्चों के लिए नियत की गई हैं।

आरआईएनएल द्वारा आस–पास के गांवों/कबायली इलाकों में आयोजित नेत्र जाँच शिविरों में, मैसर्स शंकर नेत्र फाउंडेशन के साथ मिल कर 5000 ऑपरेशन किए जा चुके हैं।

11.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी में 31 दिसंबर, 2011 को कुल 5,992 कर्मचारी थे, जिनमें से 1,072 कर्मचारी अनुसूचित जातियों (17.89%), 1,317 अनुसूचित जनजाति (21.97%) और 786 अन्य पिछड़े वर्ग (13.12%) के थे।

नीति के अनुसार, निरंतर आधार पर अगले वर्ष में बैकलॉग रिक्ति को भरने के प्रयास किए जाते हैं और कंपनी अब तक आरक्षित रिक्तियों को भरने में सफल रही है।

11.5 मॉयल लिमिटेड

मॉयल लिमिटेड एक श्रम–प्रधान संगठन है जिसमें 31.12.2011 को 6,575 कर्मचारी थे। इनमें से कुल का लगभग 73.23% (6575 में से 4815) अनु. जाति/अनु. जनजाति/पिछड़े वर्ग के थे। कुल कर्मचारियों में से 1282 अनु. जाति (19.50%) 1598 अनु. जनजाति (24.30%) एवं 1935 अन्य पिछड़े वर्ग (29.43%) के थे। 1.4.2011 से 31.12.2011 तक सीधी भर्ती से अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के 30 उम्मीदवारों को और 86 अनु. जाति/अनु. जनजाति के लोगों को पदोन्नति से भर्ती किया गया। मॉयल देश के दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित खानों के आसपास रहने वाले इन पिछड़े वर्ग के लोगों के विकास में काफी रुचि ले रहा है। विवरण नीचे दिया गया है :

- खानों के निकट गांवों को गोद लिया गया है तथा उन्हें पेयजल, चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं तथा इन गांवों में सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।
- खनन क्षेत्र से लगे स्कूलों को वित्तीय सहायता, लेखन सामग्री, पुस्तकें आदि दी जा रही हैं।
- क्षेत्र की महिलाओं को उनके विकास तथा स्व–रोजगार के लिए सिलाई की मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- स्व–रोजगार योजना के लिए प्रशिक्षण कक्षाएं आयोजित की जाती हैं।
- शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए तिपहिए वाहन दिए जा रहे हैं।
- कबायली महिलाओं के कल्याण और विकास के लिए जो अन्य कल्याणकारी उपाय किए जा रहे हैं उनमें सिलाई कक्षाओं, प्रौढ़ शिक्षा कक्षाओं, एड्स चेतना कार्यक्रमों का आयोजन तथा पोस्टर, नोटिस, बैनर आदि लगाकर लोगों को शिक्षित करना व कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता लाने से संबंधित कार्यक्रम हैं।
- प्रशिक्षु अधिनियम के अंतर्गत शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।

11.6 एमएसटीसी लिमिटेड

31.12.2011 को एमएसटीसी लि. में कुल कर्मचारियों की संख्या 311 थी जिनमें से अनुसूचित जाति के 63 (20.26%), अनु. जनजाति के 14 (4.5%) और अन्य पिछड़े वर्ग के 37 (11.90%) थे।

विभागीय पदोन्नति समितियों व चयन समितियों (भर्ती के समय) दोनों में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अनु. जाति/अनु. जनजाति/पिछड़े वर्ग के सदस्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। आलोच्य वर्ष में कंपनी ने अनु. जाति/अनु. जनजाति/पिछड़े वर्गों के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया।

31 दिसंबर, 2011 तक, 1 अनुसूचित जन जाति और 1 पिछड़े वर्ग के कार्यपालक तथा 1 अनु. जाति एवं 1 अनु. जनजाति कर्मचारी को कंपनी के भीतर और संस्था में प्रशिक्षण हेतु प्रायोजित किया गया।

इसके अतिरिक्त एमएसटीसी के अनु. जाति/अनु. जनजाति के कर्मचारी परिषद् को, जो मुख्य रूप से कंपनी के आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा का कार्य करती है, सभी सम्भव सहायता व सहयोग प्रदान किया गया।

11.7 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

31.12.2011 को कम्पनी की कुल जनशक्ति 1070 में से 194 अनु. जाति (18.13%), 120 अनु. जनजाति

(11.21%) और 130 अन्य पिछड़े वर्ग (12.15%) के कर्मचारी थे। 1.4.2.11 से 31.12.2011 तक छह अनु. जाति/अनु. जनजाति/पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों की सीधी भर्ती एवं अनु. जाति/जनजाति के 19 कर्मचारियों की पदोन्नति हुई। एफएसएनएल द्वारा अपनाई गई पदोन्नति नीति तथा विभिन्न कल्याणकारी उपायों से अनु. जाति/अनु. जनजाति/पिछड़े वर्ग के समुदायों के कर्मचारियों को पर्याप्त लाभ मिल रहा है।

11.8 हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

31 दिसंबर, 2011 को कंपनी के 601 कर्मचारियों में से 48 अनु. जातियों (7.99%), 65 अनु. जनजातियों (10.82%) और 51 अन्य पिछड़े वर्ग (8.49%) के थे। एचएससीएल ऐसे क्षेत्रों में जहां अधिकतर अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग तथा शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी रहते हैं, में स्कूल खोलने में सहायता प्रदान कर रहा है। पेयजल की सप्लाई के लिए भी सहायता दी जाती है। कर्मचारियों को झोंपड़ियां बनाने के लिए भूमि दी गई है तथा इन स्थानों पर बिजली, पानी और साफ–सफाई की व्यवस्था आदि की गई है। अनु. जाति/अनु. जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों के बच्चों को परियोजना स्थलों पर स्कूल के संबंध में अपेक्षित प्राथमिकता दी जा रही है। अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग तथा शारीरिक तौर से विकलांग कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नति में केन्द्रीय सरकार के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाता है। एचएससीएल ने हाल ही में एक गैर–सरकारी संगठन एआरडीएआर के साथ एक समझौता किया है जिसके अंतर्गत सामाजिक उत्तरदायित्वों के अंश के तौर पर विशाखापत्तनम में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को तिपहिए वाहन दिए गए हैं।

11.9 मेकॉन लिमिटेड

31.12.2011 को कम्पनी में 1779 कर्मचारियों में से 313 अनु. जाति (17.59%), 180 अनु. जनजाति (10.12%) एवं 232 अन्य पिछड़े वर्ग (13.04%) के थे। कम्पनी समाज के कमजोर वर्ग के विकास एवं कल्याण के लिए अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति पूर्णतः सजग है। कंपनी ने उनके हितों की सुरक्षा के लिए और शामली कॉलोनी, रांची में सामुदायिक शिक्षण योजना, संसाधन सृजन योजना, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, शेशायर होम में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, विकलांग लोगों की सहायता, ग्राम आधारित कार्यक्रमों, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं इत्यादि जैसी कल्याणकारी गतिविधियों के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं।

11.10 केआईओसीएल लिमिटेड

केआईओसीएल में 31 दिसंबर, 2011 तक कर्मचारियों की कुल संख्या 1,325 थी, जिनमें से 190 कर्मचारी अनुसूचित जाति (14.33%), 60 कर्मचारी अनु. जनजाति (4.52%) और 206 कर्मचारी अन्य पिछड़े वर्ग (15.54%) के थे। इनके अलावा, 53 महिला कर्मचारी (4.07%), 19 शारीरिक रूप से विकलांग (1.43%) और 10 भूतपूर्व सैनिक (0.75%) के हैं। जनवरी, 2011 से दिसंबर, 2011 तक की अवधि में अनु. जाति के 28 और अनु. जनजाति के 6 कर्मचारियों की पदोन्नति की गई।

- कंपनी ने कुद्रेमुख और मंगलौर में एक आधुनिक नगरी, अस्पताल, मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध कराकर पूर्ण सुविधाएं मुहैया कराई हैं। यहां 10 प्रतिशत "ए" और "बी" टाइप के क्वार्टर एवं 5 प्रतिशत "सी" और "डी" टाइप के क्वार्टर अनु. जाति/अनु. जनजाति के कर्मचारियों के लिए आरक्षित हैं।
- वित्त वर्ष 2011–12 (दिसंबर 2011 तक) के दौरान, कर्मचारियों के बच्चों के लिए 15 मेधा छात्रवृत्तियां और 40 मेधा–सहायता छात्रवृत्तियां स्वीकृत की गईं। 55 छात्रवृत्तियों में कुल 11 यानी 20 प्रतिशत छात्रवृत्तियां अनु. जाति/अनु. जनजाति कर्मचारियों के बच्चों के लिए आरक्षित की जानी थीं। वर्ष के दौरान अनु. जाति/अनु. जनजाति के कर्मचारियों के बच्चों के लिए 11 छात्रवृत्तियां मंजूर की गई हैं। अर्हता मानक, जो प्रथम श्रेणी या 60 प्रतिशत उत्तीर्णांक, दोनों में से जो भी अधिक हो, को अनु. जाति/अनु. जनजाति के कर्मचारियों के बच्चों के लिए घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है।

11.11 बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज़ (बीजीसी)

31 दिसंबर, 2011 को बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में कर्मचारियों की कुल संख्या 1849 थी। कुल जनशक्ति का लगभग 79.12% (1849 में से 1463) अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के थे। इनमें से 373 अनु. जाति (20.17%), 859 अनु. जनजातियों (46.45%) और 231 अन्य पिछड़े वर्गों (12.49%) के थे। 1.4.2011 से 31.12.2011 तक की अवधि में सीधी भर्ती से 3 अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई।

बीजीसी बर्ड ग्रुप के अंतर्गत ओएमडीसी और बीएसएलसी में आसपास के स्कूलों और कॉलेजों को सहायता प्रदान कर रहा है। ये कंपनियां भवन निर्माण, पठन सामग्री तथा फर्नीचर उपलब्ध कराने, स्कूल की बसों, स्वरोजगार के लिए महिलाओं को सिलाई की मशीनें देने में मदद कर रहा है।

बीजीसी की ओएमडीसी और बीएसएलसी कंपनियों के अस्पतालों में सभी कर्मचारियों और इसकी खनन गतिविधि स्थल के आसपास के गांवों के लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

बीजीसी कुएं खोदकर और ट्यूबवैल आदि लगाकर अपनी खनन गतिविधि स्थलों के आसपास के गांवों और कर्मचारियों को पेयजल भी उपलब्ध करा रहा है।

बीजीसी व्यावसायिक स्वास्थ्य सतर्कता बरतता है। कंपनी अपने ओएमडीसी और बीएसएलसी के अस्पतालों में सभी कर्मचारियों और खनन गतिविधि स्थल के आसपास के गांवों के लिए मलेरिया उन्मूलन, पल्स पोलियो इत्यादि कार्यक्रम चलाती है।

ओएमडीसी द्वारा कंपनी की खनन गतिविधि स्थलों के आसपास के गांवों के लिए समय–समय पर एक्स–रे, पैथोलॉजी प्रयोगशाला, ऑडियामेट्री, ईसीजी, फेफड़ों की स्थिति के संबंध में परीक्षण तथा दंत क्लीनिक आदि व्यावसायिक स्वास्थ्य सतर्कता कार्यक्रम भी चला रहा है।

अध्याय–XII

सतर्कता

12.1 इस्पात मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग की गतिविधियां

केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर नियुक्त संयुक्त सचिव स्तर का मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) मंत्रालय की सतर्कता इकाई का अध्यक्ष है। मुख्य सतर्कता अधिकारी एक डिप्टी सैक्रेटरी, एक अंडर सैक्रेटरी और सहायक कर्मचारियों के साथ मंत्रालय के सतर्कता ढांचे के अंतर्गत प्रमुख केन्द्र बिंदु के रूप में काम करते हैं।

मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सतर्कता गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए अलग–अलग बैठकें आयोजित करता है तथा मासिक आधार पर स्थिति का विश्लेषण करता है और केन्द्रीय सतर्कता अधिकारियों द्वारा समय–समय पर भेजे गए विवरणों की समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त पुराने मामलों के आधार पर मंत्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के सतर्कता अधिकारियों से आवश्यकता पड़ने पर विचार–विमर्श भी करता है। 17 अक्टूबर, 2011 को इस्पात मंत्रालय में सचिव, श्री पी.के. मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के केंद्रीय सतर्कता अधिकारियों की बैठक में संपूर्ण कार्य प्रणाली की समीक्षा की गई। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में प्रक्रिया सुधार और सतर्कता की आवश्यकता न पड़ने देने के उपायों पर विशेष बल दिया गया। मुख्य सतर्कता अधिकारी से विभिन्न सतर्कता पहलुओं पर प्राप्त निर्देशों और मार्गदर्शी सिद्धांतों को सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के सतर्कता अधिकारियों को भेजा गया जिससे उनका अनुपालन सुनिश्चित किया गया। इसके पश्चात् कार्य में हुई प्रगति पर नजर रखी गई और आवश्यक कार्रवाई की गई।

वर्ष 2011–12 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सीवीओ को निर्देश दिए गए कि :

- अपने संबद्ध सार्वजनिक उपक्रम में सत्यनिष्ठा समझौता लागू करने की प्रक्रिया में सक्रियता से शामिल हों, समन्वय बनाएं और ऐहतियाती उपाय कितने कारगर रहे, उसकी भी समीक्षा करें।
- टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने की दृष्टि से सीवीसी के दिशा–निर्देशों का पालन किया जाए।

माननीय इस्पात मंत्री श्री बेनी प्रसाद वर्मा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परिपत्रों और मार्गदर्शी निर्देशों की हैण्डबुक जारी करते हुए।

- ई–खरीद और ई–भुगतान सहित ई–कॉमर्स को सम्बद्ध सार्वजनिक उपक्रम में किस हद तक लागू किया जा सकता है इस बारे में सतर्कता के लिहाज से किये जा सकने वाले उपाय बताये जाएं।

12.1.1 आईएसओ प्रमाणपत्र

मंत्रालय द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करते हुए, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों के सतर्कता विभागों ने आईएसओ प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिए हैं।

12.1.2 सत्यनिष्ठा समझौता

इस्पात मंत्रालय द्वारा किए गए सतत प्रयासों से प्रेरणा लेकर, इस्पात मंत्रालय के अधीन सभी सार्वजनिक उपक्रमों ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (टीआईआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसमें अपने–अपने संगठनों में इस तरह के सभी सौदों में सत्यनिष्ठा समझौता लागू करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। वर्ष 2011–12 के दौरान सार्वजनिक उपक्रमों में सत्यनिष्ठा समझौते के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का निकट से मुआयना किया गया।

12.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सेल सतर्कता विभाग ने अपने कार्यों को कंपनी के कारोबारी उद्देश्यों के साथ इस प्रकार मिलाया है कि ऐसा माहौल तैयार किया जाए जिसमें लोग मिल–जुलकर संगठन में नैतिकता के सर्वोच्च मानदंडों को बरकरार रख सकें। तदनुसार, अप्रैल '11–दिसंबर '11 की अवधि के दौरान निम्नलिखित उपाय किए गए :

- प्रक्रिया सुधार परियोजनाओं, गहन जांच और सतर्कता विभाग द्वारा बताए गए विशेष क्षेत्रों की महत्वपूर्ण गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सेल सतर्कता द्वारा परिणाम प्रारूप दस्तावेज तैयार किया गया है जिससे गतिविधियों का मूल्यांकन और उनकी मॉनिटरिंग की जा सकती है
- स्कूली बच्चों में नैतिकता का समावेश करने के लिए पहल की गई है। इस गतिविधि के अंश के रूप में भिलाई, बोकारो और राउरकेला में नैतिकता क्लब शुरू किए गए हैं।
- सेल सतर्कता द्वारा सतर्कता कार्यों में टेक्नोलॉजी का समावेश बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। इनमें ऑनलाइन संपत्ति रिटर्न दाखिल करने, सतर्कता की स्थिति का ऑनलाइन पता लगाने, सेल के कारखानों/यूनिटों के सतर्कता विभागों की रिपोर्टों के संबंध में ऑनलाइन जानकारियां प्राप्त करना, विभिन्न प्रक्रियाओं की ऑनलाइन जानकारियां पाना तथा सतर्कता संबंधी मामलों पर ब्लॉग विचार–विमर्श करना आदि शामिल हैं।
- 2003 में प्रकाशित सेल सतर्कता मैनुअल में संशोधन किया गया है और इसमें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त द्वारा जारी नवीनतम दिशा–निर्देशों, परिपत्रों को स्थान दिया गया है। संशोधित संस्करण सेल सतर्कता मैनुअल 2011 प्रकाशित किया गया। इसे इस्पात सचिव ने 27 जुलाई, 2011 को जारी किया।
- कर्मचारियों में सतर्कता के प्रति जागरूकता लाने के लिए विभिन्न मामलों के संबंध में एक पुस्तिका प्रकाशित की गई है जिसे 31 दिसंबर, 2011 को सेल अध्यक्ष द्वारा जारी किया गया।
- सेल के सभी कारखानों/यूनिटों में 31 अक्टूबर से 5 नवंबर, 2011 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2011 मनाया गया। इस अवसर पर वाद–विवाद, लेख, "भागीदारी सतर्कता" आदि विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। विभिन्न सम्बद्ध पक्षों, सप्लायर/उपभोक्ता बैठकें भी आयोजित की गईं जिनका उद्देश्य इनमें जागरूकता बढ़ाना था।
- सेल सतर्कता द्वारा "ब्लूम कास्टर शॉप में छत के निर्माण के लिए निम्न कोटि के माल का उपयोग" विषय पर एक अध्ययन को हैदराबाद स्थित सतर्कता अध्ययन सर्किल द्वारा "राष्ट्रीय सतर्कता उत्कृष्टता पुरस्कार–2011" मिला है। यह पुरस्कार हैदराबाद में 8.7.2011 को वीएससी के वार्षिक समारोह में प्रदान किया गया।
- कंपनी के संवेदनशील स्थानों पर नियमित रूप से संयुक्त निरीक्षण सहित समय–समय पर अचानक निरीक्षण किये गये। अनेक कारखानों/यूनिटों में 286 संयुक्त निरीक्षण सहित समय–समय पर कुल 2,714

सामयिक निरीक्षण किये गये। एहतियाती सतर्कता गतिविधियों, मुख्य रूप से अचानक हुए इन निरीक्षणों के कारण लगभग ₹20.98 करोड़ की बचत हुई।

- विभिन्न कारखानों/यूनिटों में कुल 12 मामलों की व्यापक जांच–पड़ताल की गई। सघन जांच के दौरान ज्यादा राशि वाले सामानों/ठेकों की सिलसिलेवार छानबीन की गई और भविष्य में बेहतर करने के सुझावों पर अमल करने के लिए संबद्ध विभागों को आवश्यक सुझाव दिये गये।
- सेल के विभिन्न कारखानों/यूनिटों में 8 प्रमुख प्रणाली सुधार योजनाएं हाथ में ली गईं।

12.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल के सतर्कता विभाग ने कंपनी में पारदर्शिता और निष्ठा को बढ़ावा देने के लिए सतर्कता की आवश्यकता न पड़ने के उपायों पर विशेष रूप से बल दिया। कंपनी में पारदर्शिता और निष्ठा को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2011–दिसंबर–2011 की अवधि में निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की गईं :

- 178 प्रणाली निरीक्षण किए गए जिनमें 23 गुणवत्ता निरीक्षण और 44 रेक/सड़क पर भार की जांच कार्य शामिल हैं।
- लगभग 670 कर्मचारियों के लिए सतर्कता प्रतिरोधक के 8 सतर्कता जागरूकता सत्र आयोजित किए गए।
- सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2011 कार्यक्रम के भाग के रूप में 4.11.2011 को केरल राज्य के अतिरिक्त पुलिस निदेशक, श्री वेणुगोपाल के. नायर का भाषण आयोजित किया गया। "सतर्कता और निगमित प्रशासन–आज के परिवेष में" विषय पर इस भाषण का कर्मचारियों ने लाभ प्राप्त किया।
- निष्पक्ष बाहरी मॉनीटर (आईईएम), श्री पी.सी. परख ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशकों, केंद्रीय सतर्कता अधिकारी और आरआईएनएल के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में 23.10.2011 को सत्यनिष्ठा समझौते के कार्यान्वयन की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। 30.11.2011 तक 876 ठेकों पर सत्यनिष्ठा समझौता लागू किया गया है जो मूल्य के तौर पर माल एवं सेवाओं की खरीद के लिए जारी निविदाओं का 85% है।
- सतर्कता विभाग की तिमाही आंतरिक पत्रिका "स्पन्दन" सभी अधिकारियों में प्रचारित की गई। इसमें संगठन में घटित घटनाओं का अध्ययन प्रकाशित किया गया तथा अधिकारियों को ऐसी स्थिति से बचने और इन्हें ठीक करने के उपायों के बारे में सोचने को प्रेरित किया गया।

12.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी के सतर्कता विभाग ने भागीदारी सतर्कता के क्षेत्र में आलोच्य वर्ष के दौरान अनेक पहल की हैं। आलोच्य वर्ष में 96 बार अचानक जांच की गई। 102 नियमित जांच और 72 सीटीई जांच कीं।

सभी लेन–देन और ₹30 लाख से अधिक की सभी निविदाओं के बारे में सूचनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए टेक्नोलॉजी के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। इसके अतिरिक्त, ₹10 लाख से अधिक के ठेकों की जानकारी, नामांकन के आधार पर दिए गए कार्य, ₹1 लाख से अधिक मूल्य के एक निविदा के आधार पर दिए गए कार्य और ठेकेदारों को बिलों की अदायगी संबंधी सूचनाएं कंपनी की वेबसाइट पर जारी की गईं।

एनएमडीसी ने नवम्बर, 2007 से कॉन्ट्रैक्टरों और वैन्डरों के साथ लेन–देन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सत्यनिष्ठा समझौते का अनुसरण किया है। हाल ही में, एनएमडीसी ने सिविल कार्यों और कॉन्ट्रैक्टों के मामले में थ्रैशहोल्ड सीमा कम कर ₹20 करोड़ और खरीद के मामले में ₹10 करोड़ कर दी है। आज तक ₹13763.65 करोड़ मूल्य के 58 कॉन्ट्रैक्ट में सत्यनिष्ठा समझौता अपनाया गया है और ठेकों के मूल्य के आधार पर 90% सत्यनिष्ठा समझौते के अंतर्गत लाये गये हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् श्री एस. अनवर, आईएएस (सेवानिवृत्त) और डॉ. जे.एस. जुनेजा को आईईएम नियुक्त किया गया है।

एनएमडीसी का सतर्कता विभाग आईएसओ 9001:2008 के अंतर्गत प्रमाणित है। यह गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के अनुरूप कार्य करता है। इसे अक्टूबर, 2006 के बाद से इंटीग्रेटेड क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड,

बंगलौर द्वारा प्रमाणपत्र प्राप्त है। मैसर्स इंटीग्रेटेड क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने 17.10.2011 को सतर्कता विभाग के लिए आईएसओ 9001:2008 के भाग के रूप में जांच लेखा परीक्षा की है। इस परीक्षा के आधार पर आईएसओ प्रमाणपत्र एक और वर्ष अर्थात् 25 अक्टूबर, 2012 तक बढ़ा दिया गया है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 31.10.2011 से 5.11.2011 तक मनाया गया। इस सप्ताह के दौरान सतर्कता विभाग ने "भागीदारी सतर्कता", "साइबर क्राइम" और "सूचना सुरक्षा" विषयों पर विख्यात व्यक्तियों द्वारा भाषणों का आयोजन किया। समापन दिवस अर्थात् 5 नवम्बर को भूतपूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग, श्री एन. वित्तल का सम्बोधन आयोजित किया गया।

12.5 मॉयल लिमिटेड

सतर्कता विभाग के कार्यों में नागपुर स्थित निगमित कार्यालय सहित कंपनी के सभी प्रतिष्ठानों/खानों/कारखानों में रोकथाम तथा दण्ड, दोनों तरह की कार्रवाइयां शामिल हैं। विवेच्य वर्ष में सतर्कता विभाग की विभिन्न गतिविधियां इस प्रकार रहीं :

- सभी विभागाध्यक्षों और प्रबंधन के साथ "सतर्कता संबंधी बैठक" आयोजित की गई। इसमें उत्पादन, विपणन, कार्मिक तथा प्रक्रिया विभाग जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की गई।
- मॉयल ने "सतर्कता गतिविधियों पर संगोष्ठी" विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की। इसका उद्देश्य क्षमता विस्तार और विभिन्न मामले प्रस्तुत कर व खनन गतिविधियों से जुड़ी विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के सतर्कता विभागों की सफल गतिविधियों की जानकारियों का आदान–प्रदान करना था।
- सतर्कता चेतना सप्ताह–2011 विभिन्न प्रतिष्ठानों/मॉयल की खानों में 31 अक्टूबर, 2011 से 5 नवम्बर, 2011 तक मनाया गया। इस अवसर पर कर्मचारियों में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इसके अतिरिक्त डोंगरी बुजुर्ग खान में समाज के विभिन्न समूहों के विख्यात व्यक्तियों की संगोष्ठी भी आयोजित की गई।
- सतर्कता के अंतर्गत आलोच्य वर्ष में 13 कार्य ठेकों की जांच की गई और 48 निरीक्षण किए गए। समय–समय पर प्रक्रियाओं को सहज बनाने तथा परिचालन के विभिन्न स्तरों पर कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए सलाह आदि भी दी गई।

  ई–बिक्री : मॉयल ने फैरो मैंगनीज, फैरो मैंगनीज स्लैग और डोंगरी बुजुर्ग खान से डायोऑक्साइड श्रेणी के अयस्क की ई–बिक्री में सुधार कर लिया है। वर्ष 2011–12 के दौरान कुल 20 बार ई–बिक्री की गई।

  ई–खरीद : मॉयल ने ई–खरीद के लिए ₹1 करोड़ तथा उससे अधिक की थ्रैशहोल्ड सीमा नियत की है। कंपनी द्वारा एचएसडी, चिकनाई वाले पदार्थ, विस्फोटकों (रिवर्स नीलामी), कोक और कोयले की ई–खरीद अधिकांशतः सार्वजनिक उपक्रमों से की जाती है।

  ई–भुगतान : जहां भी सम्भव हो, कंपनी 'ऑनलाइन' भुगतान सुनिश्चित कर रही है। अन्य मामलों में भुगतान आरटीजीएस या खाते में देय चैकों से किया जाता है। आयकर, सेवा कर भुगतान ई–भुगतान से किया जा रहा है।

12.6 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी ईमानदारी और संगठन में कार्य कुशलता को बनाए रखने के लिए भ्रष्टाचार के संबंध में 'शून्य बर्दास्त' की नीति का लगातार अनुसरण कर रहा है। इस संबंध में किए गए कुछ प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं:

एमएसटीसी की वेबसाइट www.mstcindia.co.in पर शिकायत दर्ज कराने और उस पर नजर रखने के लिए एक सतर्कता पृष्ठ बनाया गया है। इसके अतिरिक्त जनता की शिकायतों और सुझावों के लिए भी वेबसाइट पर व्यवस्था की गई है। कंपनी में क्या करें अथवा क्या न करें – पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों को भी प्रचारित किया गया है।

सभी सम्बद्ध स्टेकहोल्डरों को गुणवत्ता के प्रति आश्वस्त करने के उद्देश्य से एमएसटीसी की सतर्कता शाखा ने आईएसओ 9001:2000 प्राप्त किया है जिसका नवीकरण कर अब आईएसओ 9001:2008 स्तर पर लाया गया है।

सतर्कता विभाग ने आंतरिक लेखा परीक्षा को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। तद्नुसार, इस उद्देश्य के लिए मैसर्स पीडब्ल्यूसी की नियुक्ति की गई है। सम्बद्ध सीबीआई कार्यालयों से विचार–विमर्श के पश्चात् 2011 के लिए एक सहमति सूची तैयार की गई है। संगठन में संवेदनशील पदों की पहचान भी कर ली गई है।

एमएसटीसी द्वारा सत्यनिष्ठा समझौता स्वीकार किया जा चुका है तथा यह विपणन विभाग में ₹2 करोड़ से अधिक और बिक्री एजेंसी कारोबार में ₹50 लाख से अधिक के सभी ठेकों पर लागू है।

आलोच्य वर्ष में सतर्कता विभाग ने 31 अक्टूबर से 5 नवंबर 2011 तक "सतर्कता जागरूकता सप्ताह" आयोजित किया, जिसमें भागीदारी सतर्कता पर जोर दिया गया तथा इससे कर्मचारी और कारोबारी सहयोगियों में सतर्कता के प्रति जागरूकता बढ़ाने व लेन–देन में पारदर्शिता लाने में सहायता मिली।

12.7 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

वर्ष के दौरान, निरोधक सतर्कता वर्तमान व्यवस्था में सुधार के विश्लेषण पर विशेष जोर देते हुए सतर्कता गतिविधियां जारी रहीं। सतर्कता विभाग का प्रयास प्रणालियों एवं प्रविधियों को सुधारने में प्रबंधन की मदद पहुंचाने का रहा है ताकि निर्णय लेने की प्रक्रिया पारदर्शी हो सके। सीवीसी और मंत्रालय द्वारा जारी विभिन्न दिशा–निर्देशों को व्यापक रूप से परिपत्रित किया गया। सीबीआई के साथ समन्वय बैठक एवं अधिकारियों की संपत्ति विवरणियों की अचानक समीक्षा की गई।

सतर्कता विभाग के लिए आईएसओ 9001:2000 प्राप्त किया गया। सतर्कता प्रशासन सुधारने के उद्देश्य से टेक्नालॉजी का लाभ उठाने के लिए भी कार्रवाई की गई। जिसमें निविदाओं की पूर्व अर्हता हेतु ठेकेदारों का पंजीकरण और स्टोर मदों की विभिन्न श्रेणियों की आपूर्ति, विक्रेता सूची को अद्यतन करने, विक्रेताओं को ई–भुगतान करने के लिए डाउनलोड करने योग्य आवेदन फार्म कम्पनी की वेबसाइट पर अपलोड करना शामिल है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 31 अक्टूबर से 5 नवंबर 2011 के दौरान मनाया गया। इस दौरान कर्मचारियों में सतर्कता जागरूकता लाने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया गया।

12.8 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन लिमिटेड के सतर्कता विभाग द्वारा निम्नलिखित पहल की गईं :

क) सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2011

रांची स्थित मुख्यालय में नगर प्रशासन और निर्माण विभाग तथा इस्पात अस्पताल और सभी क्षेत्रीय/मेकॉन के कार्यस्थलों पर 31 अक्टूबर से 5 नवंबर 2011 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इस सप्ताह के दौरान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशकों और केंद्रीय सतर्कता अधिकारी द्वारा सतर्कता विभाग के कार्यक्रमों में कर्मचारियों को संबोधित किया गया।

ख) मेकॉन में सत्यनिष्ठा समझौता लागू करना

मेकॉन ने ₹5 करोड़ मूल्य से अधिक मूल्य के 27 सप्लायरों/ठेकेदारों के साथ सत्यनिष्ठा समझौते (आईपी) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता एनआईटी दस्तावेज का भाग है और मेकॉन की वेबसाइट पर प्रत्येक एनआईटी को स्थान दिया गया है। सभी निविदाकर्ताओं को अपनी निविदाएं दाखिल करते समय सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करने होते हैं।

मेकॉन में पिछले कुछ वर्षों से निष्पक्ष बाहय मॉनिटर (आईईएम) कार्य कर रहा है। समय–समय पर मेकॉन के प्रबंधन और आईईएम के बीच तिमाही समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

ग) मेकॉन में ई–खरीद और ई–भुगतान लागू करना

मेकॉन में इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण की मार्फत सप्लायरों और सांवैधानिक संस्थाओं (बिक्री कर, सेवा कर, आयकर आदि) को ई–भुगतान किया जाता है। मेकॉन वेबसाइट पर निविदा दस्तावेज रखे जाते हैं

जो निविदाकर्ता डाउनलोड कर सकते हैं। इससे सभी योग्य निविदाकर्ताओं को बराबर के अवसर मिलते हैं तथा निविदाकरण प्रणाली में पारदर्शिता पाई जाती है।

घ) सतर्कता विभाग, मेकॉन, रांची का आईएसओ प्रमाणपत्र

मेकॉन, रांची के सतर्कता विभाग का अपना सतर्कता गुणवत्ता मैनुअल है, जो प्रख्यात गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के अनुरूप है। सतर्कता विभाग ने वर्ष 2006 में टीयूवी नॉर्ड इंडिया प्रा.लि. से आईएसओ 9001: 2008 प्राप्त किया। टीयूवी ने नवंबर 2010 में आईएसओ 9001:2000 से आईएसओ 9001:2008 में पदार्पण करने के लिए लेखा परीक्षा की तथा इसे 14.11.2010 को प्रमाणपत्र जारी किया गया। यह प्रमाणपत्र 26. 11.2012 तक लागू है। टीयूवी द्वारा वर्ष 2011 के लिए जांच ऑडिट 14–15 अक्टूबर, 2011 को किया गया। टीयूवी ने सतर्कता विभाग के कार्यों पर संतोष व्यक्त किया है।

12.9 हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

- एचएससीएल ने पारदर्शी तथा समान निगमित प्रशासन के प्रति अपनी कटिबद्धता "सीवीसी परिपत्र और मार्गदर्शी सिद्धांत पुस्तिका" प्रकाशित कर व्यक्त की है। इससे 250 से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को लाभ मिला है। इस प्रकाशन का विमोचन माननीय इस्पात मंत्री, श्री बेनी प्रसाद वर्मा ने दिसंबर 2011 में लखनऊ में आयोजित एक समारोह में किया।
- बंगलौर, वाइजैग और रांची में सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा इनकी रिपोर्ट केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को भेजी गई।

12.10 केआईओसीएल लिमिटेड

12.10.1 सत्यनिष्ठा समझौता कार्यक्रम :

सत्यनिष्ठा समझौता केआईओसीएल में 1 जनवरी, 2008 को लागू किया गया। सत्यनिष्ठा समझौता लागू होने के बाद से इसे 96 ऑर्डरों पर लागू किया गया।

12.10.2 आईएसओ 9001:2008 :

केआईओसीएल के सतर्कता विभाग ने 7.11.2006 को 3 वर्ष की मान्यता के साथ आईएसओ–9001:2008 प्रमाणपत्र प्राप्त किया। 3 वर्ष की समाप्ति पर खुली निविदा के आधार पर मैसर्स आईसीएस प्रा.लि. को प्रमाणीकरण एजेंसी नियुक्त किया गया। उन्होंने 6 नवंबर, 2009 को लेखा परीक्षा की तथा प्रमाणपत्र जारी किया जो 8 दिसंबर, 2012 तक वैध है।

12.10.3 वार्षिक सम्पत्ति रिटर्न जमा करना

वार्षिक सम्पत्ति रिटर्न ऑनलाइन जमा कराने की प्रक्रिया अपनाई गई है। संगठन में कुल मिलाकर 481 अधिकारी हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप प्रत्येक वर्ष 20% से अधिक अधिकारियों की सम्पत्ति रिटर्न की जांच की जाती है। तद्नुसार, अप्रैल में 96 अधिकारियों की वार्षिक सम्पत्ति रिटर्न की जांच शुरू की गई और अक्टूबर 2011 तक खत्म की गई।

12.10.4 निरीक्षण

कंपनी में नियमित रूप से सीटीई किस्म में निरीक्षण किए जाते हैं जिससे मानकों का कड़ाई से अनुपालन होता है और उनसे हटने की स्थिति समाप्त की जाती है। जनवरी 2011 से दिसंबर 2011 तक की समीक्षा अवधि के दौरान 8 सीटीई निरीक्षण, 23 अचानक निरीक्षण, 28 सामान्य निरीक्षण और 40 बार फाइलों की जांच–पड़ताल की गई।

12.10.5 ई–गवर्नेंस

सितंबर 2004 से स्क्रैप/अतिरिक्त मदों का निपटान ई–नीलामी से हो रहा है। मंगलौर और कुद्रेमुख में

नियमित तौर पर ई–नीलामी की जाती हैं। गत चार वर्ष से ई–बिक्री की जा रही है। वाणिज्य विभाग ई–निविदा मंगवाकर पैलेट की बिक्री कर रहा है तथा सितंबर 2010 से ई–खरीदारी रिवर्स नीलामी के माध्यम से की जाती है। ई–खरीदारी की प्रथम सीमा ₹5 लाख व अधिक मानी गई है। प्रारम्भिक सीमा से अधिक मूल्य की सभी अदायगियां इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जा रही हैं।

12.10.6 कार्य की अदला–बदली

सतर्कता विभाग ने कुल मिलाकर 115 पदों को संवेदनशील माना है। इनमें से 79 में गत 3–5 वर्षों में कार्य की अदला–बदली की गई।

12.10.7 सतर्कता जागरूकता सप्ताह

केआईओसीएल लिमिटेड के सभी स्थानों/कार्यालयों में 31 अक्टूबर से 5 नवंबर 2011 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

12.11 बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज (बीजीसी)

31 अक्टूबर, 2011 से 5 नवंबर, 2011 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2011 मनाया गया। इस सप्ताह के दौरान कंपनी ने शपथ ग्रहण समारोह, संगोष्ठियां, लेख प्रतियोगिता, क्विज़ प्रतियोगिता, विचार–विमर्श सत्र आदि का आयोजन किया। कार्यालयों में इस सप्ताह के दौरान प्रमुख स्थानों पर बैनर भी लगाए गए। बीजीसी के कार्यपालकों और गैर–कार्यपालकों में ओएमडीसी, कोलकाता में सहायक प्रबंधक (सतर्कता) की उपस्थिति में 1.11.2011 को क्विज़ प्रतियोगिता आयोजित की गई।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त प्रतियोगिताओं के सभी सफल भागीदारों में पुरस्कार वितरण किया गया और "सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2011" का समापन समारोह आयोजित किया गया।

बीएसएलसी की बीरमित्रपुर तथा ओएमडीसी खान, बारबिल में भी सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2011 मनाया गया।

अध्याय-XIII

शिकायत निवारण तंत्र

13.1 केन्द्रीयकृत जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली

मंत्रालय और उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में जन शिकायतों को आगे बढ़ाने के लिए केन्द्रीयकृत जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) लागू की गई हैं। सीपीजीआरएएमएस निकनेट पर एक ऑनलाइन वेब प्रणाली है जिसे एनआईसी ने प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के साथ मिलकर तैयार किया है। इसका उद्देश्य भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों की शिकायतों का तेज़ी से निपटारा और उनकी प्रभावकारी मॉनीटरिंग करना है। शिकायत निवारण कार्य का पूरा चक्र है : (i) नागरिक की शिकायत को दर्ज करना, (ii) संगठन द्वारा शिकायत दर्ज किए जाने की पुष्टि, (iii) आगे की कार्रवाई के संबंध में शिकायतों का आकलन, (iv) आगे बढ़ाना और हस्तांतरण, (v) स्मरणपत्र और स्पष्टीकरण, तथा (vi) मामले का निपटारा। 1.4.2011 से 31.12.2011 तक सीपीजीआरएएमएस के अंतर्गत निपटाए गए मामलों का विवरण निम्न है :

अग्रेषित	अवधि में प्राप्त	कुल प्राप्तियां	निपटान	लंबित
30	263	293	261	32

4.12.2011 को सेवोत्तम अनुरूप सिटीजंस चार्टर/ग्राहक चार्टर तैयार किया गया है और मंत्रालय में लागू कर दिया गया है।

मंत्रालय और इस्पात सार्वजनिक उद्यमों में "सात उपाय आदर्श सिटीजंस चार्टर/ग्राहक चार्टर–सेवोत्तम लागू करने की स्थिति" अनुलग्नक–XVII में दी गई है।

केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के फैसलों/आदेशों पर कार्रवाई की स्थिति अनुलग्नक–XIII में दी गई है।

13.2 स्टील अथॉरिटी इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सेल के कारखानों और यूनिटों में एक प्रभावकारी आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है। इसमें कार्यपालकों और गैर–कार्यपालकों के लिए अलग–अलग व्यवस्था है। सेल में शिकायत की प्रक्रिया कर्मचारियों, ट्रेड यूनियनों और संगठनों के साथ लगातार बातचीत और उनकी सहमति के बाद शुरू की गई।

सेल के कारखानों और यूनिटों में शिकायतों से 3 स्तरों में निपटा जाता है और कर्मचारियों को हर चरण में एक मौका दिया जाता है ताकि वे वेतन अनियमितताओं, कार्य परिस्थितियों, तबादले, छुट्टी, उन्हें सौंपे गए कार्य और कल्याणकारी सुख–सुविधाओं आदि से जुड़ी शिकायतों को हर स्तर पर उठा सकें। शिकायत प्रबंधन की व्यवस्था के जरिये इनसे कारगर तरीके से निपटा जाता है। हालांकि इस्पात कारखानों के सहयोगपूर्ण वातावरण को देखते हुए अधिकतर शिकायतों को अनौपचारिक तरीके से ही निपटा दिया जाता है।

1.4.2011 से 30.11.2011 के बीच कर्मचारी शिकायतों की स्थिति इस प्रकार है :

क्र. सं.	शिकायतों के प्रकार	1.4.2011 को शेष शिकायतें	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें	निपटाए गए मामलों की संख्या	30.11.2011 को लम्बित मामले
1	जन शिकायत	7	79	81	5
2	कर्मचारी शिकायत	183	1767	1844	106

13.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल–वीएसपी में, कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण करने के लिए पृथक सुनियोजित एवं

औपचारिक शिकायत निवारण प्रणालियां है। गैर–कार्यपालकों की औपचारिक शिकायत प्रणाली के अंतर्गत समिति में कामगारों का एक प्रतिनिधि उपस्थित होता है। इसके अलावा, कार्यपालक एवं गैर–कार्यपालक दोनों की शिकायत निवारण प्रणालियों में शिकायतों का निवारण करने के लिए समय–सीमा निश्चित की गई है। जन शिकायतों का निपटारा करने के लिए महाप्रबंधक स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी को विशेष कार्य अधिकारी (जन शिकायतें) के रूप में नियुक्त किया गया है।

वर्ष 2011–12 (दिसंबर 2011 तक) की जन एवं कर्मचारी शिकायतों का विवरण नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	शिकायतों के प्रकार	1.4.2011 को शेष शिकायतें	अप्रै.–दिसं. 2011 के दौरान प्राप्त शिकायतें	अप्रै.–दिसं. 2011 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	30.11.2011 को लम्बित शिकायतें
1	जन शिकायत	6	9	9	6
2	कर्मचारी शिकायत	शून्य	2	1	1

13.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी में शिकायत निवारण तंत्र मुख्यालय में एक संयुक्त महाप्रबंधक और चार उत्पादन परियोजनाओं में परियोजना प्रमुखों के नेतृत्व में काम करता है। सीवीओ को शिकायत निवारण तंत्र की निगरानी के लिये नोडल अधिकारी मनोनीत किया गया है। शिकायतें दर्ज करने के लिए एनएमडीसी की वेबसाइट के होम पेज पर जन शिकायतों के लिए भारत सरकार के पोर्टल के लिए 'लिंक' दिया गया है। संगठन का जनता से सीधा संपर्क बहुत कम है, इस नाते समय सीमा आदि के लिये कोई दिशानिर्देश तय नहीं किये गये हैं। लेकिन जब कभी कोई जन शिकायत (चाहे प्रेस के जरिये ही क्यों न मिले) प्राप्त होती है तो उस पर तत्परता से कार्रवाई की जाती है। पूरी स्थिति से अवगत कराने के लिये मंत्रालय को हर महीने और हर तिमाही में कर्मचारी/जन शिकायतों की रिपोर्टें भेजी जाती हैं।

जन/कर्मचारी शिकायतों की स्थिति :

क्र. सं.	शिकायतों के प्रकार	वर्ष के प्रारम्भ में शेष शिकायतें	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें	निपटाए गए मामलों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित मामले
1	जन शिकायत	1	2	2	1
2	कर्मचारी शिकायत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

13.5 मॉयल लिमिटेड

क) कर्मचारियों की शिकायतें : मॉयल में कार्यपालक तथा गैर–कार्यपालक कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण की अपनी प्रक्रिया है। मॉयल में शिकायतों की निपटान व्यवस्था में प्रत्येक इकाई के लिए एक शिकायत अधिकारी मनोनीत किया जाता है। मुख्यालय में मनोनीत शिकायत अधिकारी कारगर तरीके से काम करने के लिये प्रत्येक इकाई के शिकायत अधिकारी के साथ समन्वय बनाकर रखता है।

ख) सभी शिकायत अधिकारियों को यह बता दिया गया है कि शिकायत मिलते ही उससे किस तरीके से निपटा जाए। जन शिकायतों का निपटारा करने के लिये जो प्रणाली अपनाई गई है वह अतीत में विभिन्न अधिकारियों से प्राप्त निर्देशों के आधार पर बनाई गई है।

ग) मुख्यालय में निगरानी इकाई से प्राप्त आंकड़ों, शिकायत अधिकारी से हर महीने मिलने वाली रिपोर्ट और यहां तक कि मुख्यालय अधिकारियों के निरीक्षण के आधार पर मिलने वाली रिपोर्ट के जरिए शिकायतों पर निगरानी रखी जाती है।

01.04.2011 से 31.12.2011 की अवधि में जन/कर्मचारी शिकायतों की स्थिति :

क्र. सं.	शिकायतों के प्रकार	01.04.2011 को शेष शिकायतें	विवेच्य अवधि में प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटाई गयी शिकायतों की संख्या	31.12.2011 को बकाया शिकायतें
1	जन शिकायतें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	कर्मचारी शिकायतें	शून्य	851	849	2

13.6 एमएसटीसी लिमिटेड

कंपनी ने निगमित वेबसाइट www.mstcindia.co.in शुरू की है तथा इसे जन शिकायतों के निपटान के साथ जोड़ा गया है। इस वेबसाइट पर खरीदार/सम्बद्ध व्यक्ति अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और उनपर कार्रवाई पर नजर रख सकते हैं। दर्ज शिकायतों के लिए यह पोर्टल एक अनोखे सिस्टम से तैयार कोड उपलब्ध कराता है जिससे ऑनलाइन रजिस्टर की गई शिकायतों पर हो रही प्रगति देखी जा सकती है। कुछ शिकायतें डाक द्वारा केन्द्रीय शिकायत कक्ष में भी प्राप्त होती हैं।

सभी क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों में शिकायत कक्ष खोले गए हैं। शिकायत कक्ष समय–समय पर तीन महीनों से लंबित मामलों की समीक्षा करने के लिए बैठकें आयोजित करते हैं। दर्ज किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाती है तथा शिकायत का निपटान/समाधान एक पखवाड़े के भीतर करने के लिए सभी सम्भव प्रयास किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त कंपनी ने मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप एक केंद्रीयकृत शिकायत निपटान व्यवस्था (सीपीजीआरएमएस) भी प्रारम्भ की है जिसकी निगरानी इस उद्देश्य के लिए नामित अधिकारी करता है। शिकायतों के प्रभावी ऑनलाइन निपटान के लिए ये उपाय विशेष रूप से सहायक हैं। अब तक सीपीजीआरएमएस पर एक (1) शिकायत दर्ज की गई है जिस पर समय सीमा के भीतर उच्च प्राधिकारी द्वारा समाधान प्रस्तुत किया गया। कंपनी की निगमित वेबसाइट पर सेवोत्तम शिकायत सिटीजंस चार्टर रखा गया है।

01.04.2011 से 30.11.11 की अवधि में जन शिकायतों की स्थिति :

क्र. सं.	शिकायतों के प्रकार	01.04.2011 को शेष शिकायतें	विवेच्य अवधि में प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटाई गयी शिकायतों की संख्या	31.11.2011 को बकाया शिकायतें
1	जन शिकायतें	2	14	12	4
2	कर्मचारी शिकायतें	शून्य	1	1	शून्य

13.7 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

1 अप्रैल, 2011 से 31 दिसंबर, 2011 की अवधि में प्राप्त जन–कर्मचारी शिकायतों की स्थिति :

क्र. सं.	शिकायतों के प्रकार	01.04.2011 को शेष शिकायतें	विवेच्य अवधि में प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटाई गयी शिकायतों की संख्या	31.12.2011 को बकाया शिकायतें
1	जन शिकायतें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	कर्मचारी शिकायतें	3	3	5	1

13.8 हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

वर्ष 2010–11 और 2011–12 (दिसंबर 2011 तक) में जन/कर्मचारी शिकायतों के निपटान के संबंध में अनुपालन किया गया है। आरटीआई कानून के प्रावधान लागू हैं।

13.9 मेकॉन लिमिटेड

जन शिकायतें

आमतौर पर मेकॉन का जनता से कार्य व्यापार नहीं होता है। लेकिन यदि किसी प्रकार के उत्पीड़न से जुड़ी कोई निश्चित शिकायत मिलती है तो उसे एक शिकायत के रूप में लिया जाता है। उपभोक्ता की शिकायतों को अत्यन्त गंभीरता से लिया जाता है और उनका निस्तारण किया जाता है। सामान्य तौर पर ठेकेदारों/उपभोक्ताओं या जनता की कोई शिकायत लंबित नहीं है। मेकॉन ने जन शिकायतों के लिए केंद्रीयकृत जन शिकायत निवारण और मॉनिटरिंग प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के अंतर्गत नोडल अधिकारी नामजद किया है जो पेंशन से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करता है तथा इस नोडल अधिकारी का नाम कार्मिक, जन शिकायत मंत्रालय की वेबसाइट पर रखा गया है।

कर्मचारियों की शिकायतें

मेकॉन में कर्मचारियों की शिकायतों के निपटारे के लिये तीन–स्तरीय प्रक्रिया अपनाई जाती है। कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार करने और उनके निपटारे की सिफारिश कार्यपालक और गैर–कार्यपालक कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की एक शिकायत सलाहकार समिति करती है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के लिये भी अलग से एक प्रकोष्ठ है। फिलहाल कहीं से भी किसी कर्मचारी की कोई शिकायत नहीं मिली है। सामान्य तौर पर गैर–कार्यपालक कर्मचारियों के मामलों में कर्मचारी अपने मुद्दों/शिकायतों को उनके द्वारा निर्वाचित मेकॉन कर्मचारी यूनियन (एमईयू) के माध्यम से और कार्यपालक कर्मचारियों के मामले में मेकॉन एक्जीक्यूटिव एसोसिएशन (एमईए) के माध्यम से रखने को प्राथमिकता देता है जिन्हें कंपनी ने मान्यता दे रखी है।

13.10 केआईओसीएल लिमिटेड

केआईओसीएल ने मार्च 1977 में अनुशासन संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत शिकायतों के निपटारे के लिये एक सुपरिभाषित प्रक्रिया तैयार कर ली थी जिसके दायरे में कार्यपालक और गैर–कार्यपालक सभी कर्मचारियों को रखा गया। शिकायतों के बारे में आसानी से पता लग जाता है और निचले स्तर पर ही उनका निपटान कर दिया जाता है।

01.04.11 से 31.12.2011 कर्मचारी/जन शिकायतों की स्थिति :

क्र. सं.	शिकायत का प्रकार	1.4.2011 को शेष शिकायतें	अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतें	निपटाए गए मामलों की संख्या	31.12.2011 को लंबित मामले
1	जन शिकायतें	2	शून्य	1	1
2	कर्मचारी शिकायतें	1	शून्य	शून्य	1

13.11 बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज (बीजीसी)

बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज में निगमित और यूनिट स्तरों पर शिकायत निपटान व्यवस्था लागू है। इस कार्य के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इन अधिकारियों के नाम और पदनाम कंपनी की वेबसाइट में प्रदर्शित किए गए हैं।

क्र. सं.	शिकायत का प्रकार	1.4.2011 को शेष शिकायतें	अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतें	निपटाए गए मामलों की संख्या	31.12.2011 को लंबित मामले
1	जन शिकायतें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	कर्मचारी शिकायतें	2	3	शून्य	5

अध्याय-XIV

निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन

14.1 इस्पात मंत्रालय

इस्पात मंत्रालय और उसके तहत आने वाले सभी सार्वजनिक उपक्रम निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन से जुड़े सभी सरकारी नियमों का पालन करते हैं। इस्पात मंत्रालय 31 दिसंबर 2011 तक, तीन (03) [एक नेत्र से निःशक्त, एक सुनने से निःशक्त और एक हड्डियों से निःशक्त] व्यक्ति को रोजगार मिला हुआ है।

14.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

- सेल अपने कर्मचारियों के निःशक्त बच्चों को उनकी शिक्षा में सहायता देने के लिए छात्रवृत्तियां दे रहा है।

सेल के दुर्गापुर इस्पात कारखाने के सहयोग से संचालित दुर्गापुर विकलांग हैप्पी होम (शिशुओं व अपंगों के लिए गृह)।

- कारखानों में काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों, जो सेवाकाल में निःशक्त हो जाते हैं, को प्रशिक्षण देने के पश्चात् पहचान किए गए पदों पर पुनः नियुक्त किया जाता है। उन्हें जयपुर फुट और व्हील चेयर जैसी उपयुक्त चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं।
- निःशक्त कर्मचारियों को क्वार्टरों के आबंटन में विशेष छूट दी जाती है। ऐसे कर्मचारियों को आबंटन के समय ग्राउण्ड फ्लोर पर आवास दिया जाता है।
- हकदार न होने पर भी, सेल कर्मचारी के आश्रित निःशक्त भाई और बहन को भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
- सेल के कारखानों में निःशक्त व्यक्तियों को दुकान, एसटीडी बूथ, दूध के बूथ, छोटी–मोटी दुकानें भी आबंटित की जाती हैं।
- कारखाना स्थलों में निःशक्त व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से विभिन्न खेल तथा सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। कारखाने के कुछ स्थानों में निःशक्त व्यक्तियों के लिए अलग से खेल के मैदान निश्चित किए गए हैं। भिलाई में निःशक्त को प्रोत्साहित करने के लिए पूर्वी क्षेत्र निःशक्त क्रिकेट तथा अंतर–राज्य निःशक्त क्रिकेट प्रतियोगिताएं आदि आयोजित की गई हैं।

14.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

प्रत्येक वर्ष "निःशुल्क शिक्षा को प्रोत्साहन" योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चों को निःशुल्क सीट उपलब्ध कराई जाती है, जिनके माता–पिता सफेद राशन कार्ड के अंतर्गत आते हैं।

इसके अलावा, आरआईएनएल/विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने के निगमित कार्यालय के प्रमुख प्रशासनिक भवन में स्थित विभिन्न कार्यालयों में आने वाले निःशक्त लोगों की सुविधा के लिए निम्न व्यवस्थाएं की गई हैं :

- रैम्प मार्ग
- भवन की दोनों लिफ्ट में स्पीकरों की व्यवस्था
- प्रमुख प्रशासनिक भवन के प्रवेश द्वार पर स्थित स्वागत कक्ष में व्हील चेयर का प्रावधान
- 7.2.1996 को निःशक्तता अधिनियम लागू होने के पश्चात् आरआईएनएल ने विभिन्न निःशक्तताओं से ग्रस्त 72 लोगों को नियुक्त किया।

आरआईएनएल द्वारा जरूरतमंदों को कृत्रिम अंगों का वितरण।

14.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी एक खनन संगठन है तथा इस पर खनन अधिनियम तथा नियम एवं विनियम लागू होते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से निःशक्त व्यक्तियों को खानों/कारखानों में नियुक्त नहीं किया जा सकता। फिर भी, निःशक्त व्यक्तियों को ऐसे पदों पर भर्ती करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जहां बाहर काम करने की जरूरत नहीं होती है और एनएमडीसी में इस समय विभिन्न पदों पर 42 निःशक्त कर्मचारी कार्य कर रहे हैं।

14.5 मॉयल लिमिटेड

मॉयल लिमिटेड एक खनन कंपनी है और इसकी प्रमुख गतिविधियां दुर्गम इलाकों में जमीन के अंदर खनन कार्य करना हैं। खनन अधिनियम और मेटलीफेरस खान विनियमनों के प्रावधानों के मुताबिक सुरक्षा कारणों

से विकलांगों को उन खानों में नियुक्त करना संभव नहीं है जहां काम की प्रकृति जोखिम भरी है। फिर भी, निःशक्त कर्मचारियों को ऐसे पदों पर रोजगार देने के प्रयास किये जा रहे है जिनमें फील्ड वर्क ना हो। वर्तमान रूप से, मॉयल में निःशक्तता वाले 24 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है।

14.6 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी में निःशक्तता वाले 8 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया।

14.7 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुरूप निःशक्त व्यक्तियों के लिए पदों की पहचान कर ली गई है तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उन पर भर्ती की जा रही है।

एफएसएनएल स्क्रैप विधाययन कंपनी है और एकीकृत इस्पात कारखानों को सेवाएं प्रदान करता है। एफएसएनएल की गतिविधियां सभी मौसमों में खुले क्षेत्र में की जाती हैं। यही नहीं, परिचालन गतिविधियों के लिए बालिंग क्रेन, मेग्नेटिक सेपरेटर, डोज़र, डम्परों आदि का प्रयोग किया जाता है। अतः एफएसएनएल का वातावरण/कार्य परिस्थितियां निःशक्त व्यक्तियों के लिए ठीक नहीं हैं। अतः निःशक्तों को काम में लगाना उनके लिए सुरक्षित नहीं होगा।

जहां भी सम्भव हो एफएसएनएल ऐसे व्यक्तियों को समूह 'ग' के दफ्तरों में काम पर लगाता है। समान अवसर, सुरक्षा और सम्पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 पारित होने पर कम्पनी ने समूह 'क' के गैर–कारखाना विभाग के 3 पदों की पहचान की है, जिसमें से 1 पद भरा गया, परन्तु नियुक्त व्यक्ति ने सेवा से इस्तीफा दे दिया। फिर भी, पहचान किए गए पदों पर भर्ती के लिए कार्रवाई जारी है।

14.8 हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

एचएससीएल लिमिटेड में निःशक्तता वाले 4 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया।

14.9 मेकॉन लिमिटेड

कंपनी ने "निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित अधिनियम, 1995" के प्रावधानों को कार्यान्वित किया है। मेकॉन के कुल कर्मचारियों की संख्या 31.12.2011 को 1779 थी, जिनमें से निःशक्त/शारीरिक अक्षम वर्ग के लोगों की विभिन्न पदों पर संख्या 11 थी।

14.10 केआईओसीएल लिमिटेड

केआईओसीएल में 31.12.2011 को विभिन्न समूहों में निःशक्तता श्रेणी से संबंधित 19 व्यक्ति हैं।

14.11 बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज़ (बीजीसी)

बीजीसी भर्ती/पदोन्नति होने के समय निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित अधिनियम, 1955 के अधीन सभी निर्देशों को लागू करेगा।

अध्याय-XV

हिंदी का प्रगामी उपयोग

15.1 प्रस्तावना

केंद्र सरकार की राजभाषा को लागू करने की नीति के तहत राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा तैयार और जारी वार्षिक कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, इस्पात मंत्रालय ने वर्ष 2011–12 में आधिकारिक कार्यों में हिंदी के व्यापक प्रयोग में काफी प्रगति की है।

मंत्रालय में हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग संबंधी कार्य एक संयुक्त सचिव के प्रशासकीय नियंत्रण में है। संयुक्त निदेशक (राजभाषा) के प्रत्यक्ष नियंत्रण में हिंदी अनुभाग राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित कार्य देखता है और हिंदी अनुवाद कार्य के लिए एक सहायक निदेशक (राजभाषा), एक वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, तीन कनिष्ठ हिंदी अनुवादक और एक यूडीसी तथा अन्य सहायक कर्मचारी हैं।

15.1.1 राजभाषा कार्यान्वयन समिति

मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव के अधीन राजभाषा कार्यान्वयन समिति है। समिति मंत्रालय और इसके अधीन सार्वजनिक उपक्रमों में हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करती है। समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। चालू वर्ष के दौरान दिसंबर 2011 तक ऐसी तीन बैठकें आयोजित की गईं।

15.1.2 हिंदी सलाहकार समिति

इस मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन 15.6.2010 को किया गया तथा इसकी पहली बैठक माननीय इस्पात मंत्री की अध्यक्षता में 29.11.2010 को आयोजित की गई।

माननीय इस्पात मंत्री, श्री बेनी प्रसाद वर्मा सफल प्रतियोगियों को पुरस्कार प्रदान करते हुए। चित्र में श्री पी.के. मिश्रा, सचिव (इस्पात) भी देखे जा सकते हैं।

15.1.3 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का कार्यान्वयन

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण के लिए राजभाषा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 3(3) के अतंर्गत आने वाले सभी दस्तावेजों को हिंदी और अंग्रेजी में तैयार किया जाता है। क्षेत्र 'क', 'ख' और 'ग' में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी में पत्र भेजने को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय में निगरानी बिंदुओं की पहचान की गई है।

15.1.4 हिंदी में मौलिक कार्य के लिए प्रोत्साहन योजना

राजभाषा विभाग द्वारा प्रारम्भ हिंदी में मौलिक कार्य के लिए नकद प्रोत्साहन योजना को मंत्रालय में लागू किया गया है।

15.1.5 राजभाषा शील्ड/ट्रॉफी

मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए इस्पात राजभाषा शील्ड (प्रथम पुरस्कार), इस्पात राजभाषा ट्राफी (द्वितीय पुरस्कार), और इस्पात राजभाषा ट्राफी (तृतीय पुरस्कार), के साथ ही क्षेत्र 'ग' में स्थित सार्वजनिक उपक्रमों के लिए एक राजभाषा शील्ड पुरस्कार की स्थापना की गई है। हिंदी के प्रगामी प्रयोग में प्रदर्शन के आधार पर प्रतिवर्ष सार्वजनिक उपक्रमों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। वर्ष 2010–11 के लिए शील्ड और ट्रॉफी सार्वजनिक उपक्रमों को माननीय इस्पात मंत्री की अध्यक्षता में आगामी हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में दी जाएंगी।

15.1.6 हिंदी में श्रुत लेखन के लिए नकद पुरस्कार

मंत्रालय में अधिकारियों को हिंदी में टिप्पणी का डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है।

15.1.7 हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए पुरस्कार

मंत्रालय में इस्पात उद्योग और इससे जुड़े विषयों पर हिंदी में तकनीकी पुस्तकों के लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए एक नकद पुरस्कार योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के लिए क्रमशः ₹25,000/–, ₹20,000/– और ₹16,000/– का नकद पुरस्कार दिया जाता है।

15.1.8 हिंदी दिवस/हिंदी पखवाड़ा

मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को आधिकारिक कार्य हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु माननीय इस्पात मंत्री ने 14 सितम्बर, 2011 को अपील जारी की। मंत्रालय में 1 से 14 सितम्बर 2011 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस अवधि के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं तथा माननीय इस्पात मंत्री ने 21.12.2011 को आयोजित एक समारोह में 43 पुरस्कारों का वितरण किया।

15.1.9 हिंदी/हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण

सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान है। जहां तक हिन्दी टंकण और आशुलिपि का प्रश्न है, 7 एलडीसी एवं 18 आशुलिपिकों में से 6 एलडीसी (1 एलडीसी को टंकण से छूट प्राप्त है) और सभी आशुलिपिक क्रमशः हिंदी टाइपिंग एवं आशुलिपि जानते हैं।

15.1.10 राजभाषा से सम्बद्ध संसदीय समिति द्वारा निरीक्षण

राजभाषा से सम्बद्ध संसदीय समिति ने इस्पात मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली; स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली; एनएमडीसी, विशाखापत्तनम्; बोकारो इस्पात कारखाना, यूनिट कार्यालय, दिल्ली में हिन्दी के प्रयोग का निरीक्षण किया गया।

15.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

हिन्दी कम्प्यूटरीकरण के लिए विशेष अभियान के अंतर्गत बोकारो इस्पात कारखाने और भिलाई इस्पात कारखाने में विशेष 5–दिवसीय हिन्दी कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में यूनिकोड पर ध्यान केन्द्रित किया गया। सेल पोर्टल में आज का विचार/आज का शब्द (हिन्दी/अंग्रेजी) एक अच्छा विचार/शब्द के अंतर्गत शामिल करना शुरू किया गया। समेकित प्रणाली से द्विभाषी रूप में 51 दस्तावेज तैयार किए गए। आलोच्य वर्ष में हिन्दी में सरकारी कामकाज करने की योजना में संशोधन किया गया।

हिन्दी में "सूचना प्रौद्योगिकी, राजभाषा और कारोबारी चुनौतियों" विषय पर एक दो–दिवसीय राष्ट्रीय गोष्ठी सफलतापूर्वक आयोजित की गई। इसमें एमडीआई, गुड़गांव, दिल्ली विश्वविद्यालय, आईआईएम तथा अन्य प्रतिष्ठित संगठनों के विशेषज्ञों और सेल सहित विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों/बैंकों/सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

भिलाई इस्पात कारखाने में अखिल भारतीय राजभाषा संगोष्ठी आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महामहिम श्री शेखर दत्त इस अवसर पर उपस्थित थे।

नगर राजभाषा क्रियान्वयन समिति की पहली बैठक सेल की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक आयोजित की गई।

सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप हिन्दी पखवाड़े के दौरान हिन्दी कार्यशाला, हिन्दी संगोष्ठी और कवि सम्मेलन तथा अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इस्पात भाषा भारती के दो–विशेषांक – एक पर्यावरण और दूसरा राजभाषा पर, प्रकाशित किए गए। सेल की हिन्दी गृह पत्रिका ने नगर स्तर पर दिल्ली के सभी सार्वजनिक उपक्रमों की गृह पत्रिकाओं में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।

15.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल–वीएसपी ने वर्ष 2011–12 में राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अनेक उपाय किए हैं। मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार 'यूनीकोड' प्रणाली लागू की गई है। कर्मचारियों को कम्प्यूटरों पर 'यूनीकोड प्रशिक्षण' मॉड्यूल से प्रशिक्षण और सघन किया गया तथा मुख्यालय के अतिरिक्त क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

राजभाषा से संबंधित संसदीय समिति द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर), नई दिल्ली और आरआईएनएल मुख्यालय का क्रमशः 9 मई, 2011 तथा 28 सितंबर, 2011 को निरीक्षण किया गया। सभी वायदे नियत समय पर पूरे किए गए।

वर्ष 2011–12 में दिसंबर तक हिन्दी के प्रगामी विकास के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :

- हिन्दी प्रबोध/प्रवीण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 269 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
- मुख्यालय और खान कार्यालयों में हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गईं।
- मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय में केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, भारत सरकार की सहायता से सघन अनुवाद पाठ्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पश्चिम क्षेत्र की सभी शाखाओं के कर्मचारियों ने भाग लिया व प्रशिक्षण प्राप्त किया।
- "ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात के उपयोग को प्रोत्साहन" विषय पर राष्ट्रीय स्तर की हिन्दी गोष्ठी एचआरडी केन्द्र में आयोजित की गई और इस अवसर पर एक विशेष प्रकाशन 'खपत' जारी किया गया जिसमें शिष्टमंडलीय सदस्यों के लेखों को स्थान दिया गया।
- हिन्दी पत्रिका 'सुगन्ध' नियमित रूप से प्रकाशित की गई।
- हिन्दी सप्ताह समारोह आयोजित किए गए और मुख्यालय, खान कार्यालयों तथा क्षेत्रीय/शाखा बिक्री कार्यालयों में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।
- संगठन में राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आरआईएनएल के प्रयासों की मान्यतास्वरूप महामहिम राष्ट्रपति, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल ने प्रथम पुरस्कार के तौर पर इन्दिरा गांधी राजभाषा शील्ड प्रदान की।

15.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा आलोच्य वर्ष में अपनी समस्त उत्पादन इकाइयों एवं मुख्यालय में राजभाषा के कार्यान्वयन एवं प्रगामी प्रयोग के लिए सफल प्रयास किए गए।

हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। एक कार्यशाला में एनएमडीसी द्वारा तैयार शब्दकोश का वितरण किया गया। कर्मचारियों को मंगल–यूनीकोड फॉन्ट में हिंदी टाइपिंग का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। आलोच्य वर्ष में हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा, राजभाषा माह आदि का आयोजन किया गया। आलोच्य वर्ष में हिंदी में नोटिंग, ड्राफ्टिंग और सेवा पुस्तिका/रजिस्टर में एन्ट्री करने, हिंदी में डिक्टेशन देने तथा कार्यालयों में कम्प्यूटरों पर कार्य करने के लिए एक नई मासिक प्रोत्साहन योजना लागू की गई।

तकनीकी क्षेत्र में भी राजभाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए कंपनी उत्पादन इकाइयों द्वारा हिंदी में राजभाषा तकनीकी/व्यावसायिक गोष्ठियां आयोजित की गईं। अब तक कंपनी द्वारा इस प्रकार की 45 राजभाषा तकनीकी गोष्ठियां आयोजित की गईं। राजभाषा स्मारिका और तकनीकी गोष्ठी पुस्तिका भी प्रकाशित की गई।

हिंदी गृह पत्रिका अर्थात् एनएमडीसी पत्रिका, दि समाचार – द्विभाषी तिमाही पत्रिकाएं, बैला समाचार, बचेली समाचार और हीरा समाचार – मासिक हिंदी बुलेटिन भी प्रकाशित किए गए। आलोच्य वर्ष में दोनी समाचार नामक त्रिभाषी मासिक बुलेटिन भी प्रकाशित किया गया।

एनएमडीसी लिमिटेड को ग–क्षेत्र के लिए राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन और 2010–11 में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए इस्पात मंत्रालय की राजभाषा शील्ड प्रदान की गई।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (प्रतिष्ठान) हैदराबाद–सिकंदराबाद ने राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2010–11 की राजभाषा शील्ड एनएमडीसी को प्रदान की।

15.5 मॉयल लिमिटेड

मॉयल हिंदी में कार्यशालाएं नियमित रूप से आयोजित कर रहा है। 'संकल्प' नामक गृह पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है ताकि कर्मचारियों को हिंदी के निबंध लेखन, टिप्पणी लेखन, आलेखन, कविता और लेख जैसी कई प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन मिले।

खानों में 97 प्रतिशत काम हिंदी में हो रहा है। कंपनी के सभी कंप्यूटरों में यूनिकोड प्रणाली कार्यान्वित की गई है। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए हिंदी भाषा सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया है ताकि वे अपने दिन–प्रतिदिन के कार्यों के लिए इसका प्रयोग कर सकें।

मॉयल को इस्पात मंत्रालय ने हिंदी में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2010–11 हेतु "इस्पात राजभाषा ट्रॉफी–प्रथम पुरस्कार" प्रदान किया है।

कर्मचारियों को गृह मंत्रालय की "हिन्दी शिक्षा योजना" के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें 120 कर्मचारियों ने प्राज्ञ (उच्चतर स्तर) हेतु पहले ही प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है और कंपनी के 40 अन्य कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का कार्य जारी है।

"नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति" नागपुर ने मॉयल को अपने कार्यालय में हिंदी को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में अद्वितीय कार्यों के लिए वर्ष 2008–09 के लिए "प्रोत्साहन पुरस्कार" प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त राजभाषा संस्थान ने कंपनी की गृह पत्रिका "संकल्प" की भी सराहना की है।

15.6 एमएसटीसी लिमिटेड

भारत सरकार के राजभाषा विभाग की हिंदी प्रशिक्षण योजना के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को नामांकित किया गया है। इस वर्ष 7 अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी परीक्षाओं के लिए नामित किया गया। इस्पात मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अधिकारियों ने मुख्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण से सम्बद्ध सभी जानकारियां उपलब्ध कराई गईं। अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक ने राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेताओं और हिंदी परीक्षा पारित करने वाले 14 अधिकारियों और कर्मचारियों को

पुरस्कार बांटे। इस वर्ष एमएसटीसी राजभाषा त्रिमास उद्घाटन समारोह 14.9.2011 को आयोजित किया गया। राजभाषा त्रिमास के दौरान मुख्यालय तथा क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों में हिंदी प्रतियोगिताएं तथा कार्यशालाएं आयोजित की गईं। हिंदी प्रतियोगिताओं में संवाद–वचन और भाव–पल्लवन थे।

हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद का कार्य किया गया है। एमएसटीसी की वेबसाइट के हिंदी संस्करण का नवीकरण किया गया। एमएसटीसी का हिंदी विभाग आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित है।

15.7 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

राजभाषा नीति को लागू करने के संबंध में सरकार/मंत्रालय के दिशा–निर्देशों/निर्देशों का कंपनी में कड़ाई से पालन और उन्हें कार्यान्वित किया जाता है।

एफएसएनएल में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की दिशा में उत्कृष्ट कार्य के लिए कंपनी को सदैव सराहना प्राप्त हुई है। हिंदी के कार्यान्वयन में उदाहरणीय कार्य के लिए कंपनी ने मंत्रालय से इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड, इस्पात राजभाषा शील्ड, राजभाषा ट्राफी सहित कई अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए हैं।

15.8 हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

कंपनी ने भारत सरकार और राजभाषा विभाग की राजभाषा नीति और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए कई उत्साहजनक प्रयास किए हैं। कंपनी नगर सरकारी कार्यान्वयन समिति की सदस्य है तथा इसके सभी कार्यों में बढ़–चढ़ कर भाग लेती है। प्रत्येक तिमाही में यूनिट स्तर पर कर्मचारियों को अपने दिन–प्रतिदिन के सरकारी कार्य में हिंदी के प्रयोग के लिए प्रोत्साहन व शिक्षित किया जाता है।

14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया जिसमें अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक ने अपना सन्देश प्रस्तुत किया।

15 सितंबर से 30 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया जिसमें हिंदी लेख, टिप्पण और ड्राफ्टिंग, क्विज़ व भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ।

15.9 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन भारत सरकार की सरकारी भाषा को सरकारी कार्य में उपयोग के लिए प्रभावी उपाय कर रहा है। कंपनी की वेबसाइट हिंदी में भी तैयार की गई है।

कंपनी के मुख्यालय के साथ–साथ सभी साइट कार्यालयों में 14.09.2011 से 28.09.2011 तक "हिंदी पखवाड़ा" मनाया गया। इस अवसर पर सभी कर्मचारियों ने दिन–प्रतिदिन के सरकारी काम में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने की शपथ ली। "हिंदी पखवाड़े" के दौरान मुख्यालय एवं कंपनी के अन्य कार्यालयों में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

इसके अतिरिक्त "मेकॉन भारती" हिंदी गृह पत्रिका भी नियमित रूप से प्रकाशित की जा रही है, जो तकनीकी क्षेत्र में सृजनात्मक लेखन के लिए कर्मचारियों को एक मंच प्रदान करती है। कंपनी की तिमाही गृह पत्रिका "मेकॉन संसार" में हिंदी के समाचार भी प्रकाशित किए जाते हैं।

15.10 केआईओसीएल लिमिटेड

कंपनी इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार तथा गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से समय–समय पर राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में जारी निर्देशों का पालन करती है।

सभी विभागों के कम्प्यूटरों में हिंदी सॉफ्टवेयर डाला गया है। साथ ही, यूनीकोड सभी कम्प्यूटरों में कार्य करने लगा है तथा कंपनी के सभी कार्यालय स्थलों पर प्रयोग किया जा रहा है।

कंपनी के वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए 14.9.2011 को "चन्द्रायन" पर प्रस्तुति तथा एक पुनः अनुकूलन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर निदेशक (वाणिज्य) ने 24.9.2011 को कंपनी की हिंदी वेबसाइट का विमोचन किया। हिंदी में कार्यालयीन कार्य करने वाले कर्मचारियों को नकद पुरस्कार भी दिए गए।

विवेच्य वर्ष में कर्मचारियों को अपना सरकारी कार्य हिंदी में करने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण देने हेतु 4 हिंदी कार्यशालाओं–हर तिमाही में एक–का आयोजन किया गया।

केआईओसीएल को राजभाषा कार्यान्वयन के लिए 4.7.2011 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (प्रतिष्ठान), बंगलौर से राजभाषा शील्ड प्राप्त हुई।

कंपनी बंगलौर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (प्रतिष्ठान) की संयोजक है और नियमित रूप से बंगलौर में सभी सार्वजनिक उपक्रमों के लिए नियमित बैठकें एवं संयुक्त हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित करती है।

केआईओसीएल ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (प्रतिष्ठान) सदस्यों के लिए संयुक्त हिंदी पखवाड़ा और 16 हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। बंगलौर स्थित अधिकांश सार्वजनिक उपक्रम कार्यालयों ने इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया।

15.11 बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज़ (बीजीसी)

बीजीसी ने कर्मचारियों में राजभाषा के प्रयोग के प्रति जागरूकता लाने के लिए उपाय किए हैं। कंपनी ने 17 सितंबर से 23 सिबंतर, 2011 को हिंदी सप्ताह मनाया। इस दौरान लेखन, हिंदी गायन, लघु कविता पाठ आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगियों को पुरस्कार भी बांटे गए। बीजीसी मुख्यालय के प्रवेश द्वार पर "राजभाषा शिक्षण बोर्ड" रखा गया है जिस पर कर्मचारियों के लिए प्रतिदिन एक नया हिंदी शब्द लिखा जाता है।

अध्याय-XVI

महिला सशक्तिकरण

16.1 प्रस्तावना

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्त 1997 में विसाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य के मामले में अपने फैसले में महिलाओं की जेंडर समानता से संबद्ध अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और नियमों को उनके कार्य के संबंध में वैधता प्रदान करते हुए कार्यस्थलों पर महिलाओं के उत्पीड़न को उनकी गरिमा के खिलाफ और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15(1) और 21 के प्रावधानों का उल्लंघन करार दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार निजी या सार्वजनिक क्षेत्र को यौन प्रताड़ना रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिए। इस व्यवस्था के तहत संगठन के बाहर के प्रतिनिधियों की सदस्यता युक्त एक शिकायत समिति (कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण) का गठन किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, इस्पात मंत्रालय ने महिला कर्मचारियों की शिकायतों को देखने और उनसे निपटने के लिए संयुक्त सचिव स्तर की अधिकारी की अध्यक्षता में पांच–सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसमें तीन महिला सदस्य हैं। समिति को वर्ष 2010–11 में एक भी शिकायत नहीं मिली है जो मंत्रालय में महिलाओं में आम संतुष्टि का संकेत है।

मंत्रालय के अधीन सभी सार्वजनिक उपक्रमों को भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर अमल करने के लिए कहा गया है।

16.1.1 महिला सशक्तिकरण

वित्त मंत्रालय तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार इस्पात मंत्रालय में एक जेंडर बजट कक्ष की स्थापना की गई है जिसका उद्देश्य इस मंत्रालय की अवधारणा को लागू करने के लिए पहल करना है।

16.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

भिलाई इस्पात संयंत्र के आरंभ होने के तुरंत बाद जेंडर समानता और महिला सशक्तिकरण को स्वीकार करते हुए सामाजिक प्रगति को तेज करने के लिए वर्ष 1957 में महिला समाज की स्थापना की गई। इस संस्था ने

सेल के राउरकेला इस्पात कारखाने द्वारा प्रशिक्षित महिलाएं 'प्रोजेक्ट जीविका' के अंतर्गत आज अपने पैरों पर खड़ी हैं।

सेल के सभी कारखानों में महिला समाज/समूहों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। कारखाना स्तर के इन विभिन्न संगठनों की आज, 4000 सदस्या हैं और राष्ट्रीय स्तर के 15 संगठनों के साथ संबद्धता है। ये संगठन सामुदायिक कल्याण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान कर रहे हैं और कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के उत्थान के लिए कई गतिविधियों में शामिल हैं। इनके सदस्य आतंरिक रूप से चंदा जमा करके कई कार्यों को अंजाम देते हैं। दस्तानों, मसालों, साबुन और थैलों के निर्माण के साथ–साथ महिलाओं के कालेज तथा निःशक्त महिलाओं के पुनर्वास तथा ऐसी ही अन्य गतिविधियों में भी योगदान दिया जा रहा है।

सेल ने महिला समाज के सहयोग से गरीब महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किए हैं। इनमें से कुछ हैं :

सेल कर्मचारियों के लिए तैयार उत्पाद	दस्ताने, मसाले, साबुन इत्यादि
सामुदायिक कल्याण	सिलाई/कढ़ाई केंद्र, क्रेच किंडरगार्टेन स्कूल, विशेष लोगों के लिए स्कूल, प्रौढ़ शिक्षा, बच्चों का पुस्तकालय, स्वास्थ्य और सफाई शिक्षा, अत्याचार प्रस्त आदिवासी महिलाओं को मनोवैज्ञानिक समर्थन उपलब्ध कराना, चिकित्सा केंद्र और डिस्पेंसरी स्थापित करना, भिलाई में पेट्रोल पम्प का संचालन।
कार्यशालाएं	बैंकिंग, बीमा, महिलाओं के अधिकार, सूचना प्रौद्योगिकी, नागरिक सुविधाओं पर महिलाओं द्वारा कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

16.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

महिला कर्मचारियों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, आरआईएनएल–वीएसपी ने महिला कर्मचारियों को एक मजबूत ताने–बाने से बुना हुआ मंच 'वीमेन इन पब्लिक सेक्टर' (विप्स) का स्थानीय मंच प्रदान किया है।

कैरियर उत्थान, महिला सशक्तिकरण, व्यक्तित्व विकास, जेंडर संवेदनशीलता, सुरक्षा जागरूकता, व्यावसायिक स्वास्थ्य, अंतःवैयक्तिक कौशल, कम्प्यूटर कौशल, संचार कौशल, कामकाजी जीवन में संतुलन, नेतृत्व एवं सुरक्षित व स्वस्थ जीवन शैली इत्यादि के ध्येय से प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।

वर्ष के दौरान, लगभग 60 प्रतिशत महिला कर्मचारियों को इन कार्यक्रमों में शामिल किया गया है। अप्रैल–दिसंबर, 2011 के दौरान कुछ उल्लेखनीय कार्यक्रम हैं :

- वीएसपी द्वारा स्कोप के तत्वावधान में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिलाओं के मंच से महिलाओं के विकास के लिए उल्लेखनीय कार्य करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ उपक्रम पुरस्कार (III) जीता।
- 3 महिला कार्यपालकों के एक दल ने एआईएमए–युवा मैनेजरों के लिए राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 'II रनर्स अप' का खिताब हासिल किया।
- धमन भट्टी और बिजली वितरण प्रणाली के लिए नवीनतम टेक्नोलॉजियों के संबंध में प्रशिक्षण हेतु 2 महिला कर्मचारियों को फ्रांस और इटली भेजा गया।
- 25 महिला कर्मचारियों का संगठन में परिचालन व रखरखाव से संबंधी कार्यों का एक वर्ष का प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा प्रमुख उत्पादन विभागों में काम करने की चुनौती का सामना करने का अवसर दिया गया।
- महिला सदस्यों की अलग से क्वालिटी सर्किल टीमों को प्रोत्साहन दिया गया तथा उन्हें संगठनात्मक, क्षेत्रीय व राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों में भाग लेने का अधिकार दिया गया। इन दलों ने भारतीय क्वालिटी

सर्किल फोरम (QCFI) द्वारा संचालित क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय सम्मेलनों में स्वर्ण व उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त किए।

- अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 'विप्स'–वीएसपी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें आन्ध्र प्रदेश सरकार के भूतपूर्व निदेशक, चिकित्सा शिक्षा मण्डल, डॉ. आर. शशिप्रभा को 'विप्स' को सम्बोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया। इस संबंध में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए और विजेताओं को पुरस्कार एवं स्मारिकाएं दी गईं।
- 'विप्स'–वीएसपी ने अपनी क्रैच "हैप्पी आवर" में एक कार्यक्रम आयोजित किया।

16.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी लिमिटेड में 305 महिला कर्मचारी हैं जो कुल कर्मचारी संख्या 5,992 (31 दिसंबर, 2011 की स्थिति) का करीब 5.1 प्रतिशत हैं। पुरुष एवं महिलाओं दोनों को कंपनी चयन, भर्ती, नियुक्ति और पदोन्नति सभी स्तरों पर समान अवसर प्रदान करती है। वरिष्ठ पदों पर महिलाओं की संख्या बढ़ रही है और एनएमडीसी बोर्ड में एक स्वतंत्र महिला निदेशक हैं।

मुख्यालय और कई परियोजनाओं में महिलाओं को अलग शौचालय, प्रसाधन कक्ष/लंच रूम उपलब्ध कराए गए हैं। एनएमडीसी महिला कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल और परिवार नियोजन सहित अन्य क्षेत्रों में जागरूकता के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रायोजित करती है। महिला कर्मचारियों संबंधी नीतियों से कंपनी की सभी सांविधिक जिम्मेदारियां परिलक्षित होती हैं।

कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार मुख्यालय और सभी परियोजना स्थलों पर शिकायत समितियों की स्थापना की गई है। महिला की अध्यक्षता में समिति प्राप्त शिकायतों की स्थिति की समीक्षा के लिए नियमित तौर पर बैठक करती है। अभी तक उत्पीड़न का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। निर्देशों को विस्तृत रूप से प्रसारित किया गया है और कार्यस्थलों पर महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए वर्ष 1998 में आचार संहिता नियमों में संशोधन किया गया।

एनएमडीसी ने अपनी दूरस्थ इलाकों में स्थित खानों के क्षेत्र में महिलाओं में सामान्य जागरूकता फैलाने

एनएमडीसी कबायली किशोरियों को जूट का सामान तैयार करने का प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

के गंभीरता से प्रयास किए हैं। परियोजनाओं में काम करने वाली महिला समितियों की सक्रिय भागीदारी से स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, प्रसव संबंधी सेवाओं, एड्स नियंत्रण पर जानकारी संबंधी कार्यक्रम और अन्य सामाजिक मुद्दों पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है।

16.5 मॉयल लिमिटेड

मॉयल में 823 महिला कर्मचारी काम करती हैं जो 31.12.2011 को कुल 6575 कार्यबल का 12.52 प्रतिशत है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार भारत सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुरूप वर्ष 1999 में एक शिकायत समिति का गठन किया गया था। मार्च 2006 में इसका पुनर्गठन किया गया। समिति में एक महिला चिकित्सक सहित तीन सदस्य हैं। अभी कंपनी की खानों और मुख्यालय में उत्पीड़न का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। महिला कर्मचारियों में जागरूकता लाने के लिए निर्देशों को विस्तृत रूप से प्रसारित किया गया है।

कंपनी की सभी खानों में महिला मण्डल सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। महिलाओं के लाभ के लिए प्रौढ़ शिक्षा, रक्तदान शिविर, नेत्र शिविर और परिवार नियोजन जैसे विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक और सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित खानों में रहने वाली महिलाओं के लिए नियमित तौर पर किया जाता है।

प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

कंपनी मातृत्व अवकाश परिवार नियोजन के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश देती है। कंपनी ने खानों में शिशुगृहों की स्थापना की है और शिशुओं को स्तनपान कराने वाली माताओं को कार्य समय के दौरान अवकाश दिया जाता है।

सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत खानों में स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है जिसमें दूरस्थ गांवों में रहने वाली महिलाओं को शामिल किया जाता है। इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मोमबत्ती, वाशिंग पाउडर, साबुन, बांस की टोकरियां बनाने, सिलाई सहित विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाता है।

16.6 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी लिमिटेड फोरम ऑफ वीमेन इन पब्लिक सेक्टर (विप्स) का कारपोरेट जीवनपर्यन्त सदस्य है। वर्ष 2011–12 में विप्स द्वारा आयोजित कई कार्यक्रमों में कंपनी की महिलाओं ने काफी अधिक संख्या में हिस्सा लिया। कंपनी की एक कार्यपालक विप्स के कार्यकारी मण्डल की सदस्य है तथा सार्वजनिक उपक्रमों में महिला कर्मचारियों के विकास और निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी गतिविधियों के माध्यम से समाज में पिछड़ी बालिकाओं/महिलाओं के उत्थान में योगदान कर रही है।

16.7 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

एफएसएनएल के विभिन्न प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों में महिलाओं की क्षमता को स्वीकार करने के साथ ही सभी क्षेत्रों में महिला कर्मचारियों को महत्व दिया गया है। यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए स्थापित समिति सहित कंपनी की सभी समितियों में महिला को प्रतिनिधित्व देना सुनिश्चित किया जाता है।

16.8 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

कंपनी में 1.1.2012 को 27 महिला कर्मचारी हैं। ये सभी महिला कर्मचारी कंपनी की विभिन्न इकाइयों में नियुक्त हैं। अधिकांश महिलाएं बोकारो और भिलाई में पदस्थ हैं। कंपनी में महिला कर्मचारियों का कोई संगठन नहीं है। फिर भी, कंपनी प्रबंधन महिला कर्मचारियों के हितों और विशेषाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि कार्य स्थलों पर वे किसी भी किस्म के यौन उत्पीड़न का शिकार नहीं बनें।

16.9 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन लिमिटेड में महिला कर्मचारियों की शिकायतों को देखने के लिए एक समिति गठित की गई है जिसकी अध्यक्ष एक वरिष्ठ महिला कार्यपालक हैं।

16.10 केआईओसीएल लिमिटेड

महिला कर्मचारियों के हितों के मामलों जैसे वेतन, कार्य के घंटे, स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के पहलुओं, मातृत्व लाभ से जुड़े सभी उपायों/सांविधिक प्रावधानों का कंपनी पालन करती है।

कंपनी में 31.12.2011 को 53 महिला कर्मचारी कार्य कर रही थीं।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए कंपनी के आचार नियमों में संशोधन करके एक उपयुक्त अनुच्छेद शामिल किया गया है। यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं की शिकायतों की जांच करने के लिए सितंबर 1998 में एक शिकायत समिति की स्थापना की गई। उप–प्रबंधक स्तर की एक महिला कार्यपालक को शिकायत समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसमें तीन महिला सदस्यों और तृतीय पक्ष की सदस्य के रूप में कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक महिला वकील को नामित किया गया है।

केआईओसीएल में वीमेन इन पब्लिक सेक्टर नामक एक महिला संगठन कार्य कर रहा है और अधिकांश महिला कर्मचारी इसकी सदस्य हैं। केआईओसीएल विप्स का आजीवन सदस्य है। विप्स से संबंध रखने के लिए केआईओसीएल से संयोजक बारी–बारी से नामांकित की जाती हैं जो विप्स के साथ संपर्क में रहती हैं और महिला कर्मचारियों (सदस्यों) को कंपनी द्वारा विप्स की वार्षिक/क्षेत्रीय बैठकों में हिस्सा लेने के लिए भेजा जाता है। कंपनी में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पूरे जोश के साथ मनाया जाता है।

16.11 बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज़ (बीजीसी)

बीजीसी में जेन्डर समानता को उपयुक्त महत्व दिया जाता है। महिलाओं की शिकायतों के निपटान के लिए महिला शिकायत कक्ष कार्य कर रहा है। बीजीसी में 301 महिला कर्मचारी हैं जो 31.12.2011 में कुल 1849 जनशक्ति का 16.28% है। महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कंपनी में 'जेन्डर बजटिंग कक्ष' बनाए गए हैं जिनमें महिला प्रतिनिधियों को स्थान दिया गया है।

अध्याय-XVII

इस्पात के इस्तेमाल को प्रोत्साहन

17.1 घरेलू इस्पात की खपत बढ़ाने के लिए उपाय

इस्पात विकास और प्रगति संस्थान (इंसडेग), जिसे इस्पात मंत्रालय और भारत के प्रमुख निर्माताओं ने आगे बढ़ाया पिछले एक दशक से अधिक से भारतीय निर्माण और आधारभूत क्षेत्र में अधिक इस्पात प्रयोग करने वाली संरचनाओं की स्थापना पर जोर दे रहा है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संस्थान इस्पात संबंधी सूचना/ ज्ञान के प्रसार के लिए सम्मेलन, कार्यशालाएं आयोजित व प्रकाशित करता है। इनमें व्यावसायिक शिक्षक आदि भाग लेते हैं। प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं और इस्पात के उपयोग के नए–नए क्षेत्रों का पता लगाया जाता है।

नगरीय व ग्रामीण दोनों के इस्पात पर आधारित विभिन्न संरचनाओं के निर्माण में, इंसडेग समय–समय पर सभी प्रमुख सरकारी संस्थाओं और मंत्रालयों के सम्मुख प्रस्तुतियां प्रस्तुत करता रहता है। इन संस्थाओं/ मंत्रालयों में ग्रामीण विकास मंत्रालय, नगर विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग (एमओआरटीएच), भवन निर्माण और टेक्नोलॉजी प्रोत्साहन परिषद, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड आदि शामिल हैं।

एचएससीएल द्वारा नौएडा, गौतमबुद्ध नगर में निर्मित फ्लाईओवर का दृश्य।

एमओआरटीएच ने इंसडेग को पुलों के विभिन्न स्पैनों का डिजाइन बनाने का कार्य सौंपा है। इंसडेग द्वारा डिजाइन किए गए अन्य उल्लेखनीय संरचनाओं में जनपथ, नई दिल्ली पर कपड़ा मंत्रालय के अधीन हैण्डलूम हाउस, आरआईएनएल द्वारा विशाखापतनम में स्थापित किया जा रहा मॉडल इस्पात ग्राम और पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के एक गांव में कम कीमत के स्टील फ्रेमों के घर, जिन्हें अन्यत्र भी बनाया जा सकता है, शामिल हैं।

इंसडेग को अभी हाल में हरियाणा, गुड़गांव में मैट्रो वैली परियोजना का इस्पात पर आधारित विभिन्न सरकारी व निजी एजेंसियों को इस्पात–कंक्रीट के डिजाइन व इस्पात के फ्रेम प्रयोग करने के लिए तैयार करता रहता है। इससे न केवल पारंपरिक आरसीसी आधारित डिजाइन से हटकर काम किया जा सकता है बल्कि इनका जीवनकाल भी अधिक होता है।

17.2 ग्रामीण भारत में इस्पात मांग के आंकलन हेतु अध्ययन

आगामी वर्षों में भारत की इस्पात उत्पादन क्षमता कई गुना बढ़ने जा रही है। वर्तमान में 55 किलोग्राम प्रति व्यक्ति की न्यून खपत 200 किलोग्राम विश्व औसत की तुलना में काफी कम है, जो इस तर्क को बल देता है कि घरेलू इस्पात उद्योग में आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। इस्पात मंत्रालय की कोयला एवं इस्पात पर अनुदान मांग (2007–08) की संसदीय स्थायी समिति (पीएससी) ने अपनी 25वीं रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि 'इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, इस्पात उद्योग के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा बनाने के साथ–साथ प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत बढ़ाने की जरूरत है'।

स्थायी समिति की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए, इस्पात मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात की मांग का आंकलन करने के लिए संयुक्त कारखाना समिति के जरिये एक सर्वेक्षण करवाया है। समिति ने अपनी अंतिम सर्वेक्षण रिपोर्ट जुलाई, 2011 में प्रस्तुत की। सर्वेक्षण से ग्रामीण भारत में तैयार इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत, इस्पात के उपभोग की प्रवृत्ति और ग्रामीण भारत के लिए भावी सम्भावनाओं का पता चला है।

सर्वेक्षण के लिए विश्लेषण उद्देश्य से, आंकड़े तीन वर्षों अर्थात् 2006–07, 2007–08 और 2008–09 के लिए एकत्रित किये गए और ग्रामीण इस्पात मांग का आंकलन 2011–12, 2016–17 और 2019–20 की अवधियों के लिए किया गया। ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति औसत तैयार इस्पात खपत 2007 से 2009 तक 9.78 किग्रा. होने का अनुमान है जो आशा है कि इस्पात के अधिक उपयोग से बढ़कर लगभग 12 किग्रा. हो जाएगी। यह वृद्धि मुख्य रूप से निर्माण गतिविधियों, अधिकतर घरेलू स्तर पर उपयोग के कारण और फर्नीचर व मोटर गाड़ी जैसे व्यावसायिक उपयोग के कारण होगी। आशा है कि घरेलू मदों के लिए मांग आगामी वर्षों में कम होगी। इसका मुख्य कारण इस श्रेणी की मदों में इस्पात के स्थान पर प्लास्टिक का उपयोग होना है।

सर्वेक्षण में सुझाव दिया गया है कि ग्रामीण भारत में इस्पात का उपयोग बढ़ाने के लिए मकानों की संरचनाओं की किस्म में बदलाव, विभिन्न उपयोग के इस्पात डिजाइन पर पुनर्विचार, सामुदायिक संरचनाओं में निवेश, छोटे और मंझौले इस्पात उत्पादों के निर्माण, इस्पात के लाभों पर प्रकाश, इस्पात के स्वरूप में सुधार, इस्पात वितरण के लिए सुविधाओं में सुधार तथा इस्पात की क्वालिटी संबंधी मामलों पर जोर देना होगा।

सर्वेक्षण में की गई सिफारिशों पर कार्य करने के लिए इस्पात मंत्रालय ने एक कार्य योजना तैयार की है और उसके लिए आवश्यक उपायों का निर्धारण किया है।

17.3 सेल द्वारा इस्पात के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

- 1 जनवरी 2012 को सेल के 37 शाखा बिक्री कार्यालय, 27 ग्राहक संपर्क कार्यालय और 66 मालगोदाम थे। सेल के देश में इस विशाल विपणन तंत्र से अनेक क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को समय पर अपनी आवश्यकताओं के लिए इस्पात प्राप्त करने में सहायता मिल रही है।
- सेल ने अपने डीलर नेटवर्क में भी बड़े पैमाने पर विस्तार किया है। 1 जनवरी, 2012 को सेल के 630 जिलों में 2665 डीलर थे। री–बार और गैल्वेनाइज्ड शीट जैसे बड़े पैमाने पर खपत वाले ऐसे उत्पाद, जिनकी जरूरत आम लोगों को रहती है, उन्हें जिला स्तर के डीलरों के माध्यम से बेचा जा रहा है। इसके अतिरिक्त डीलर तंत्र के माध्यम से हल्की संरचनाओं, कुछ मात्रा में हॉट रोल्ड शीटों, कोल्ड रोल्ड शीटों और वायर रॉड की भी बिक्री की जा रही है। सेल के डीलर तंत्र का और विस्तार जारी है।
- सेल अपने इस्पात को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्य कर रहा है। वर्ष 2010–11 और अप्रैल–दिसंबर, 2011 के दौरान सेल इस्पात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए :
  - देश के प्रमुख हवाई अड्डों और मैट्रो तथा दूसरे स्तर के शहरों में सेल के होर्डिंग लगाना,
  - डीलरों द्वारा अंदरूनी क्षेत्रों के अलावा कई स्थानों पर वाल पेंटिंग्स बनवा कर बिक्री को बढ़ावा देना,
  - राजधानी और चुनी हुई शताब्दी रेलगाड़ियों, बस के बाहरी हिस्सों तथा स्थानीय रेलगाड़ियों में सेल इस्पात के विज्ञापन,

लखनऊ में इस्पात व्यापारियों की बैठक में माननीय इस्पात मंत्री, श्री बेनी प्रसाद वर्मा।

- सेल इस्पात के उपयोग के संबंध में हवाई जहाजों में रखी जाने वाली पत्रिकाओं में विज्ञापन,
- सभी डीलर दुकानों पर सेल का अधिकतम खुदरा मूल्य प्रदर्शित करना तथा सेल वेबसाइट पर इसका नियमित रूप से नवीकरण।

- सेल द्वारा 2010–11 और चालू वित्त वर्ष में विभिन्न व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लिया गया तथा इस्पात के विभिन्न उपयोगों पर प्रकाश डाला गया।
- सेल कंपनी के उपभोक्ताओं द्वारा विशेष उपयोग के लिए मांगे गए उत्पादों के विकास के लिए निरंतर प्रयास करता है। नए क्षेत्रों में इस्पात के उपयोग के लिए इस्पात विकास से इस्पात का उपयोग बढ़ता है। वर्ष 2010–11 में विभिन्न उपयोगों के लिए सेल में 19 नए उत्पाद तैयार किए गए। अप्रैल–दिसंबर, 2011 के दौरान विकसित उत्पादों में एचएसएफक्यू 350 एचआर कॉयल, एएसटीएम ए 53/आइएस 1161 ईआरडब्ल्यु पाइप्स, एचएसएफक्यू 450 एच आर कॉयल, सेल फोर्मिंग 450/550 एच कॉयल, सी–मैंगनीज–बी एचआर/सीआर स्टील, सीआर–सीयू–एनआई वातावरण जंगरोधक स्टील प्लेटें आदि शामिल हैं।

17.4 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल–वीएसपी लगातार इस्पात के उपयोग को बढावा देने के लिए विभिन्न उपयोगों की जरूरतों को पूरा करने के ध्येय से नए उत्पादों का विकास कर रहा है। उपभोक्ताओं की नए इस्पात उत्पादों/ग्रेडों/आकारों की जरूरत का अध्ययन किया गया और यदि यह व्यावहारिक पाया गया तो इनका विकास कर उपभोक्ताओं को इनकी आपूर्ति की गई है। इन नये उत्पादों का मोटरगाड़ी क्षेत्र में एक्सल और फास्टनर, ट्रांसमिशन लाइन टावर क्षेत्र के लिए फास्टनर, ट्रांसमिशन लाइन टावरों की संरचनाएं तैयार करने के लिए स्क्वायर, एसएई 1019 एस श्रेणी की सीमलैस ट्यूब बनाने के लिए बिलेट, रेलवे के लिए स्प्रिंग स्टील, वायर ड्राईंग उद्योग के लिए फाइन ड्राईंग क्वालिटी वायर रॉड, निर्माण क्षेत्र के लिए भूकम्परोधक एफई 500 डी श्रेणी के टीएमटी बार आदि का विकास किया जा रहा है।

इस्पात सचिव, श्री पी.के. मिश्रा विशाखापटनम में "आरआईएनएल की उपभोगक्ता नीति" जारी करते हुए।

ग्रामीण इलाकों में इस्पात की खपत को बढ़ावा देने के लिए, आरआईएनएल–वीएसपी ने छोटे नगरों में जिला स्तरीय डीलरशिप योजना और पंचायत तथा ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण डीलर योजना शुरू की है। ग्रामीण डीलरशिप योजना देश के महत्वपूर्ण शहरों में शुरू की जा रही है। इसके लिए पंजीयन की प्रक्रिया सरल है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण डीलरशिप के लिए अल्पसंख्यकों और महिला उद्यमियों को प्राथमिकता भी दी जा रही है। दिसंबर 2011 के अंत तक 69 जिला स्तर के डीलर और 217 ग्रामीण स्तर के डीलर कार्य कर रहे थे।

आरआईएनएल–वीएसपी इस्पात विधाययन यूनिटों की योजना भी बना रहा है। ये यूनिटें आरआईएनएल में अर्ध तैयार उत्पादों से रीबार और संरचनाएं तैयार करेंगीं। इस प्रकार तैयार उत्पाद ग्रामीण क्षेत्रों में एक अलग ब्राण्ड नाम से बेचे जाएंगे।

17.5 हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

एचएससीएल और इस्पात विकास तथा प्रगति संस्थान (इंसडेग) के बीच किए गए एक समझौते के अनुसार एचएससीएल ने कोलकाता में इंसडेग भवन का निर्माण कार्य हाथ में लिया है। यह इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में पहला कदम है। एचएससीएल की भारत में इस्पात का उपयोग बढ़ाने के लिए इंसडेग के साथ और परियोजनाएं हाथ में लेने की योजना है।

अध्याय-XVIII

निगमित सामाजिक दायित्व

18.1 प्रस्तावना

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) एक ऐसा सिद्धांत है जहां संगठन उपभोक्ताओं, कर्मचारियों, शेयरधारकों, समुदायों और अपने कार्य क्षेत्र के सभी पर्यावरण पक्षों पर अपनी गतिविधियों के प्रभाव का उत्तरदायित्व लेते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का अर्थव्यवस्था पर्यावरण और समाज पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अतः सीएसआर का संवृद्धि विकास से सीधा संबंध है।

जहां तक संभव हो, सीएसआर गतिविधियां आसपास के उन इलाकों में चलाई जाती हैं जहां कंपनी की वाणिज्यिक गतिविधियां हो रही हों। परन्तु, यह आवश्यक नहीं कि सार्वजनिक उपक्रमों के आसपास के इलाकों तक ही सीएसआर गतिविधियों को सीमित रखा जाए। सीएसआर गतिविधियां लंबी आपूर्ति श्रृंखला, उपभोक्ता आधार के विस्तार तथा सामाजिक और पर्यावरण मांगों को देखते हुए अन्य स्थानों पर भी चलाई जानी चाहिएं।

सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा दिनांक 9 अप्रैल, 2010 को जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कंपनी अपने निदेशक मंडल में प्रस्ताव पारित कर अपने शुद्ध लाभ का एक प्रतिशत निम्न तरीके से अनिवार्य रूप से अलग रखेगी :

केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम (गत वर्ष का शुद्ध लाभ)	वित्त वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर व्यय का दायरा (लाभ का %)
₹100 करोड़ से कम वाले	3% – 5%
₹100–500 करोड़ वाले	2%–3% (कम से कम ₹3 करोड़)
₹500 करोड़ और अधिक	0.5%–2%

यह निधि वर्ष के साथ समाप्त नहीं होती। यह सीएसआर निधि, जो जमा होती रहती है, में जमा हो जाती है।

इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सार्वजनिक उपक्रम विभाग के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप निधि का आबंटन किया है। इस संबंध में विवरण परिशिष्ट–XVI में दिया गया है।

18.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक ऐसा नाम है जो अनेक भारतीयों के हृदयों में आशा की किरण जागृत करता है। आरम्भ से ही सेल में "सामाजिक उत्तरदायित्व" (जिसे अब निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व कहा जाता है) की बात की जाती रही है। सेल ने ऐसे स्थानों जहां इसके कारखाने तथा यूनिट चलाए जा रहे हैं, के आसपास के क्षेत्रों और समुदायों के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए निश्चित योजना शुरू की है। पिछले कुछ वर्षों में सेल ने अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए एक त्रि–स्तरीय सीमा रेखा निश्चित की है और इसका लाभ अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने और जनता तथा अपने सभी स्टेकहोल्डरों के साथ संबंधों में सुधार के लिए किया है। सेल द्वारा किए गए कुछ प्रमुख उपाय नीचे दिए गए हैं :

- सेल ने 53 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 7 प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य केंद्र, 18 अस्पताल और 7 अत्यंत विशिष्ट अस्पताल स्थापित किये हैं जहां लगभग 310 लाख लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है। सेल ने अपनी इस्पात नगरियों में 139 से अधिक स्कूल खोले हैं जिनमें करीब 63,000 बच्चों को आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। जनजातीय बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के अलावा, सेल 254 से अधिक स्कूलों को मदद प्रदान कर रहा है। अपने इस प्रयास से, सेल ने शिक्षा के सभी स्तरों पर बालक और बालिका में 1:1.03 का अनुपात पाने में सफलता हासिल की है और पढ़ाई जारी रखने की दर अर्थात् नामांकित बच्चों का स्कूल में बने रहने की दर सेल के प्राथमिक विद्यालयों में 96 प्रतिशत है।

- सेल ने देश भर के 8 राज्यों (छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखण्ड, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश) में 79 गांवों को गोद लिया है और इनको चरणबद्ध तरीके से आदर्श इस्पात गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन गांवों में चलाई जा रही विकास संबंधी गतिविधियों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, सड़क और संपर्क मार्ग, जल सुविधाओं की पहुंच, सफाई, सामुदायिक केंद्र, जीविका उपार्जन, खेल संबंधी सुविधाएं, इत्यादि शामिल हैं। 31 मार्च, 2011 तक 62 आदर्श इस्पात गांवों में विकास कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष 17 गांवों में विकास कार्य जारी है तथा आशा है कि यह वर्ष 2011–12 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा।
- सेल ने झारखण्ड सरकार तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से सारन्दा वन, पश्चिम सिंहभूम, झारखण्ड में रहने वाले लोगों के विकास का कार्य हाथ में लिया है। यह दूरदराज के जंगलों में रहने वाले पिछड़े वर्ग के लोगों को विकास के नए युग में लाने की दिशा में एक प्रयास है। सेल अनुमानित ₹10 करोड़ की लागत से एम्बुलेंस, साइकल, ट्रांजिस्टर, सौर लालटेन उपलब्ध करा रहा है तथा चरणबद्ध तरीके से एक एकीकृत विकास केन्द्र स्थापित कर रहा है।
- प्राकृतिक आपदाओं के समय सेल राष्ट्र के साथ खड़ा रहता है। 2011 में सिक्किम भूकम्प के पश्चात् 350 टन जीसी शीट उपलब्ध कराई गईं। उस वर्ष उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावित लोगों को सहायता सामग्री भी भेजी गई। उड़ीसा के मुख्यमंत्री को उड़ीसा बाढ़ सहायता कोश के लिए ₹1 करोड़ की राशि दी गई है।
- वर्ष 2007–08 से 2011–12 (प्रथम छमाही) के दौरान विभिन्न राज्यों के दूरदराज के क्षेत्रों में फैले कारखानों और यूनिटों के आसपास रहने वाले लोगों के लिए 10 हजार से अधिक चिकित्सा/स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए।
- गरीब तथा जरूरतमंद लोगों के लिए पांच कारखाना स्थलों पर अलग से स्वास्थ्य केन्द्र (सर्व स्वास्थ्य केन्द्र) खोले गए हैं। इन केन्द्रों में निःशुल्क इलाज किया जाता है। विभिन्न गैर–सरकारी संगठनों को गरीब तथा पिछड़े वर्ग के लोगों की मदद के लिए 59 एमएमयू/एम्बुलेंस दी गई हैं।
- गरीब, पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए पांच एकीकृत इस्पात कारखानों के स्थलों पर छह विशेष स्कूल

सेल के दुर्गापुर इस्पात कारखाने के सहयोग से संचालित सेल कन्या शिक्षा निकेतन।

खोले गए हैं। इन स्कूलों में लगभग 1500 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के साथ–साथ दोपहर का भोजन, यूनीफार्म, जूते, पुस्तकें, लेखन सामग्री, स्कूली बस्ते, पानी की बोतलें आदि भी दी जाती हैं। भिलाई में "अक्षयपात्र फाउंडेशन" के सहयोग से प्रतिदिन 18500 से अधिक छात्रों को दोपहर का भोजन दिया जा रहा है।

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के इंजीनियरी पढ़ रहे छात्रों को छात्रवृत्तियों जैसे लाभ भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सेल ने भिलाई में 186 अनुसूचित जनजाति के बच्चों और बोकारो में लगभग समाप्त हो रही बिरहोर जनजाति के 12 बच्चों को अपनी शरण में लिया है। इन्हें निःशुल्क शिक्षा, रहने–खाने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सेल ने 254 से अधिक स्कूलों को सहायता उपलब्ध कराई है।
- सेल के तत्वावधान में गुवा खानों में एक आईटीआई चलाया जा रहा है तथा बोकारो, झारखण्ड में एक अन्य आईटीआई को सहायता प्रदान की जा रही है। उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर और गोण्डा में आईटीसी/आईटीआई स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सेल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग और समुदायों के छात्रों को आईटीआई प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित भी कर रहा है।
- सेल प्रति वर्ष औसतन 157 जल सुविधाएं तैयार करता है। 2011–12 (प्रथम छमाही) तक लगभग 5200 जल संरचनाएं तैयार की गईं जिससे 38.73 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिला है।
- सीएसआर के अंतर्गत 2010–11 में 363 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत/निर्माण किया गया।
- कंपनी ने 6 खेलकूद अकादमियों की स्थापना की है। इनमें भिलाई में लड़कों के लिए एथलेटिक्स अकादमी, राउरकेला में हॉकी अकादमी, बोकारो में फुटबॉल अकादमी, दुर्गापुर में लड़कियों के लिए एथलेटिक्स अकादमी, किरीबुरू में तीरंदाजी अकादमी और बर्नपुर में फुटबॉल अकादमी शामिल हैं।
- सेल विभिन्न प्रमुख खेलकूद कार्यक्रमों को प्रायोजित भी करता है। वर्श 2010–11 के दौरान 42 खेलकूद गतिविधियों का आयोजन कर 31 हजार से अधिक खिलाड़ियों को खेलकूद सामग्री और प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

अनवरत आय स्रोत का सृजन

सेल लगातार ऐसे क्षेत्रों की पहचान करता रहता है जहां समुदाय को प्रशिक्षण तथा सहायता प्रदान कर उन्हें स्वयं के लिए आय अर्जित करने का अवसर मिल सके तथा वे आत्मनिर्भर हो सकें। सेल के कारखानों/यूनिटों के आसपास रहने वाले लोगों को पशुपालन, चूल्हा निर्माण, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन आदि जैसे हुनर सिखाए जाते हैं। इससे उन्हें दिन में दो वक्त की रोटी से अधिक जीवन स्तर बनाने में मदद मिलेगी।

18.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

सीएसआर गतिविधियां विभिन्न गैर–सरकारी संगठनों और राज्य सरकार, नगर निगम, सीपीडब्ल्यूडी आदि की भागीदारी में चलाई जा रही हैं। अधिकतर गतिविधियां पुनर्वास कालोनियों और आसपास के गांवों के उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने इस्पात कारखाना स्थापित करने के लिए अपनी जमीन दी। कबायली/अनु. जाति/अनु. जनजाति/समाज के कमजोर वर्ग वाले लोगों के रहने के क्षेत्र में कल्याण गतिविधियों के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समुदाय विकास आदि गतिविधियां हाथ में ली गई हैं।

आरआईएनएल की प्रमुख सीएसआर गतिविधियों में शामिल हैं :

- अलग तरह से अक्षम बच्चों (अरुणोदय विशेष स्कूल) के लिए स्कूली भवन का निर्माण
- गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवार्थ लॉयन्स कैंसर अस्पताल को ₹1.15 करोड़ मूल्य का अति आधुनिक "संजीवन चलता–फिरता क्लीनिक"।
- कबायली लोगों के बीच कृत्रिम अंगों का वितरण।
- "जलधारा" के तृतीय चरण में कबायली क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए यह असाधारण योजना हाथ में ली गई।

- उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, बहराइच और गोरखपुर क्षेत्रों में सड़कों पर सौर ऊर्जा की व्यवस्था।
- स्कूली भवनों का निर्माण और स्कूल के लिए फर्नीचर, खेल का सामान, लाइब्रेरी के पुस्तकों, जूतों, स्कूली बस्तों, प्लेट, गिलास आदि की व्यवस्था।
- बेरोजगार युवाओं के लिए हल्की मोटरगाड़ी ड्राइविंग, ड्रैस बनाने, कढ़ाई कार्य, कपड़े पर पेन्टिंग, ब्यूटीशियन पाठ्यक्रम, कागज की प्लेट बनाने, फिनाइल, डिटरजेंट पाउडर तैयार करने और इलेक्ट्रिशियन पाठ्यक्रम आदि जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण/आय सृजन कार्यक्रमों का आयोजन।
- विभिन्न चिकित्सा शिविर, लत छुड़ाने के कार्यक्रम, बच्चों को टीके, एड्स जागरूकता अभियान का संचालन।
- मैसर्स शंकर फाउंडेशन के माध्यम से गरीबों के लाभ के लिए निःशुल्क कैटेरेक्ट ऑपरेशन।
- उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले में आईटीआई के लिए आधार शिलान्यास।

18.4 एनएमडीसी लिमिटेड

- बैलाडिला में 13 गांवों का समेकित विकास।
- वर्ष 2011–12 (नवम्बर तक) में नवंबर तक स्थानीय आदिवासियों को 48922 बाह्य एवं 5240 भर्ती कर के मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी गयी।
- वर्ष 2011–12 के दौरान दूरदराज के क्षेत्रों के 37 गांवों में 17404 ग्रामीणों का उनके घर–घर जाकर उपचार किया गया।
- कांकेर में एक आवासीय पब्लिक स्कूल खोलने का प्रबंध किया गया है। यह स्कूल शैक्षिक वर्ष 2012–13 से कार्य करना शुरू करेगा। आरम्भ में इसमें छोटी कक्षाएं ही होंगी।
- बस्तर जिले की कबायली छात्राओं के लाभ के लिए एनएमडीसी ने "बालिका शिक्षा योजना" तैयार की है। इस योजना के अंतर्गत छात्राओं को इंजीनियरी, चिकित्सा, बीडीएस, प्रबंधन, नर्सिंग, डिप्लोमा आदि विभिन्न शैक्षिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रायोजित किया जाता है। इस पर पूरा खर्च एनएमडीसी उठाएगा।
- 2011–12 के प्रथम वर्ष में बस्तर जिले की 25 कबायली लड़कियों को मैसर्स अपोलो अस्पताल, हैदराबाद के नर्सिंग पाठ्यक्रम (बीएससी एंड जीएनएम) में दाखिला मिला है।

एनएमडीसी द्वारा "चलते–फिरते अस्पताल" योजना के अंतर्गत जरूरतमंद ग्रामीणों का इलाज़ किया जाता है।

- गत शैक्षिक वर्ष में नगरनार में शुरू किया गया आवासीय पब्लिक स्कूल सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है।
- वर्ष 2010–11 के शैक्षिक सत्र में नगरनार में आईटीआई में वैल्डर और मिस्त्री के बारे में पढ़ाई शुरू की गई और सफलतापूर्वक चलाई जा रही है।
- गत शैक्षिक सत्र में आईटीआई, भांसी में वैल्डर और फिटर के जो दो नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए, वे सफलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं।
- दांतेवाड़ा में गत शैक्षिक सत्र से मेकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम्स के साथ एक पॉलिटेक्निक कॉलेज सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में सेन्ट्रल काउंसलिंग न कर बस्तर क्षेत्र के कबायलियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने की आज्ञा दिलाई गई।
- एससी/एसटी बच्चों का हौंसला बनाये रखने लिए एक छात्रवृत्ति योजना है जिसे काफी अच्छी लोकप्रियता मिली है।
- दोणिमलाई परियोजना एवं आसपास के क्षेत्र में 10150 स्कूली बच्चों को दिन का भोजन देने का कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहा है।
- दांतेवाड़ा ब्लॉक में ₹3.68 करोड़ की लागत से 84 स्कूलों में शिक्षा सुधार कार्यक्रम लागू किया जा रहा है।
- विमिन्न बुनियादी विकास कार्यों जैसे ₹3586.20 लाख की लागत से जगदलपुर में बाई पास रोड़ निर्माण, ₹525.96 लाख की लागत से एक ऊँचे पुल का निर्माण, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तावित ₹200 लाख के वित्तीय योगदान से भिलाई एवं रायपुर में आदिवासी बच्चों (प्रयास) के लिए विशेष स्कूल की स्थापना शामिल है। इसके अतिरिक्त ₹1000 लाख की लागत से बस्तर, दक्षिण बस्तर और रायपुर जिलों में 10 आवासीय हॉस्टल, ₹99.71 लाख की लागत से राजनंद गांव में आवासीय स्कूल के निर्माण, ₹1702.72 लाख की लागत से आरनपुर–जागरगुंडा सड़क, ₹2103.09 लाख की लागत से गीदम में आवासीय स्कूल "आस्था गुरुकुल" का निर्माण छत्तीसगढ़ सरकार की भागीदारी में हाथ में लिया गया है। निर्माण गतिविधियां जारी हैं।
- वर्ष 2011–12 (नवबंर तक) के दौरान शिक्षा, पेयजल, पर्यावरण इत्यादि विशेष बल वाले क्षेत्रों सहित विभिन्न बुनियादी एवं विकासपरक कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को ₹2948.66 लाख दिये गये।
- कुश्वेश्वर आस्थान, बिहार में बाढ़ राहत आश्रय का निर्माण समाप्ति के निकट है।
- उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में आवासीय स्कूल की स्थापना का कार्य पूरा हो चुका है।
- उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में हॉस्टल का निर्माण कार्य जारी है।
- छत्तीसगढ़ में तीरंदाजी एवं हैण्डबाल को बढ़ावा।
- बस्तर में उपानपल गांव में खेल सामान के लिए वित्तीय सहायता।

18.5 मॉयल लिमिटेड

मॉयल ने सीएसआर के तहत अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाये, जो इस प्रकार हैं :

- कंपनी महाराष्ट्र के दूरदराज के क्षेत्र भांदरा जिले के चिकला गांव में एक डीएवी पब्लिक स्कूल खोलने की योजना बना रही है। यह स्कूल आधुनिक सुविधाओं तथा पूर्ण रूप से सुसज्जित प्रयोगशाला सहित एक बड़े मैदान में फैला होगा। स्कूल में कुशल शिक्षक होंगे तथा यह सीबीएसई प्रणाली का अनुसरण करेगा। डीएवी कॉलेज प्रबंधन समिति स्वतंत्र रूप से स्कूल चलाएगी तथा सारे खर्च मॉयल सुदूर क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के अपने सीएसआर दायित्वों के भाग के रूप में वहन करेगा।
- मॉयल लिमिटेड ने स्वयं गोद लिये गये गाँवों और कम्पनी की खदानों के आस–पास अन्य गाँवों में सीएसआर के तहत अनेक योजनाएँ चलाई हैं। इनमें सड़कों, शवदाह गृहों का निर्माण, स्कूलों की मरम्मत, अतिरिक्त कक्षाओं, जलनिकासी एवं पेयजल सुविधाओं का निर्माण, आदि शामिल हैं।
- अनेक सीएसआर गतिविधियां जैसे एम्बुलेंस उपलब्ध कराना, स्कूल बस, खेलकूद को बढ़ावा आदि के लिए वित्तीय सहायता चलाई जा रही हैं।

18.6 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति कटिबद्ध है और इस संबंध में सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी सीएसआर मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करता है। आलोच्य वर्ष में कंपनी ने गरीब ग्रामीणों के लिए सामुदायिक केन्द्र के निर्माण, गरीब बच्चों के लिए प्राथमिक स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था, गरीब बच्चों के लिए पेयजल सुविधा, समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों के लाभ के लिए अस्पतालों में चिकित्सा उपकरण, साफ–सफाई गतिविधियों, वृद्धाश्रम के लिए आधारभूत सुविधाओं के निर्माण, गरीब बच्चों के लिए हॉस्टल आदि उपलब्ध कराए हैं। कंपनी के सम्मुख आलोच्य वर्ष के लिए समझौता ज्ञापन में ₹165 लाख (उत्कृष्ट) का लक्ष्य रखा गया था और दिसंबर तक की परियोजनाओं के लिए ₹159 लाख (अनुमानित) राशि की स्वीकृति की गई है। वित्त वर्ष के शेष भाग में कुछ और परियोजनाएं हाथ में ली जाएंगी।

18.7 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

एफएसएनएल ने राउरकेला, बर्नपुर, भिलाई, बोकारो, विशाखापतनम, दुर्गापुर, डोल्वी (महाराष्ट्र) और ड्रुबुरी (उड़ीसा) में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की पहचान की है। हर वर्ष इन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से इनमें पढ़ने वाले अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों अथवा विकलांग लेकिन प्रतिभावान बच्चों की सूची मांगी जाती है और विद्यालय प्रबंधन द्वारा दी गई सूची में शामिल छात्रों को स्कूली यूनिफार्म मुहैया कराई जाती हैं।

इसके अतिरिक्त, एफएसएनएल अपनी सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत खेलकूद, पर्यावरण संरक्षण, वातावरण, बाढ़ पीड़ित जनता के लिए सहायता उपाय तथा समाज के जरूरतमंद लोगों के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं पर भी व्यय कर रही है।

18.8 हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

- कंपनी की सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत 29 अक्टूबर, 2011 को वाइजैग में गैर–सरकारी संगठन एआरडीएआर (एसोसिएशन फार रूरल डेवलपमेंट एंड एक्शन रिसर्च) के सहयोग से शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को 34 तिपहिए वाहन वितरित किए गए।

छत्रा जिला, झारखण्ड में एचएससीएल द्वारा प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण।

- सेलम में बेसहारा बच्चों को 200 स्कूली सामान की किट दी गई। यह परियोजना ऐसी सामाजिक गतिविधियों में लगे विख्यात गैर–सरकारी संगठन "सीशा" की मार्फत चलाई गई।
- एचएससीएल ने पश्चिम बंगाल के स्लम इलाकों में किशोरों में नेतृत्व शिक्षा के लिए एक संस्थान के लिए सहायता दी जो इन युवाओं को अपने जीवन में रोजगार के बारे में निर्णय करने में सहायता देगा। यह परियोजना, "ऑनट्रैक" गैर–सरकारी संगठन "प्रयासम" द्वारा चलाई जा रही है।

18.9 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन 1960 के वर्षों से आसपास के इलाकों में ग्रामीण/सामुदायिक विकास गतिविधियां चला रहा है। चालू वित्त वर्ष 2011–12 (2011–12 की तीसरी तिमाही तक) मेकॉन द्वारा चलाई गई प्रमुख विकास गतिविधियां इस प्रकार हैं :

- "सामुदायिक शिक्षा योजना" के अंतर्गत, पिछड़े और गरीब बच्चों के लिए 13 प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। ये स्कूल रांची और खुन्टी जिलों के स्लम/पिछड़े/ग्रामीण इलाकों में चलाए जा रहे हैं। इन केन्द्रों में करीब 400 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।
- संसाधन सृजन योजना के अंतर्गत, 7 सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र रांची में और उसके आसपास के स्लम/पिछडे इलाकों में चलाए जा रहे हैं। इन संसाधन सृजन केन्द्रों में लगभग 99 छात्र हैं। प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक केन्द्र को कमीज़, नेकर और स्कर्ट के लिए नए कपड़े के साथ आवश्यक सिलाई का सामान दिया जाता है।
- ऐसे गरीब और ग्रामीण युवाओं को, जो उच्च शिक्षा जारी नहीं रख सकते, तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान को सहायता दी जा रही है। यह संस्थान नई दिल्ली स्थित, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से सम्बद्ध है।

  पूर्व सत्र (2011) में विभिन्न व्यावसायों में कुल मिलाकर 21 छात्र थे। चालू सत्र 2012 में इनकी संख्या बढ़कर 43 हो गई है। कक्षाएं जनवरी 2012 से शुरू हुईं।
- रांची के पास बरिआतु स्थित शेशायर होम (निःशक्त लोगों का आश्रय) को 40 बिस्तरों का हॉस्टल भवन बनाने के लिए मेकॉन वित्तीय तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध करा रहा है।
- वनरोपण कार्यक्रम के अंतर्गत बागवानी और कृषि वन अनुसंधान कार्यक्रम (एचएआरपी), पालन्दू, रांची से आम, लीची, अमरूद, नींबू आदि के लगभग 575 पौधे प्राप्त किए गए तथा इन्हें रांची जिले के कबायली गांव पांचा, ताईमाड़ा निवासियों में बांटा गया।

18.10 केआईओसीएल लिमिटेड

सीएसआर के तहत चलाई जा रही कुछ प्रमुख गतिविधियां निम्नलिखित हैं :

- होरानाडू स्कूल की प्रयोगशाला के लिए उपकरण, इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी, टुमकुर द्वारा मूक एवं बधिर बच्चों के लिए स्कूल में कक्षा का निर्माण मैसर्स समर्थनम ट्रस्ट, बंगलौर द्वारा नेत्रहीनों के लिए डोरमिटरी, स्नेहदीप ट्रस्ट फॉर विजुअली चैलेंज्ड के लिए कम्प्यूटर, चेतना स्पास्तिक सोसाइटी, मंगलौर की सेवा भारती के लिए स्कूल बस की व्यवस्था, बाइकंपाडी मोगावीरा महासभा और श्री भारती कॉलेज, नानाथुर के लिए कक्षाओं का निर्माण कावूर फर्स्ट ग्रेड कॉलेज के अनु. जाति/अनु. जनजाति स्कूल के लिए जूते, मोजे, टाई, बेल्ट आदि हेतु वित्तीय सहायता और आधारभूत सुविधाएं।
- कलासा में जल आपूर्ति, सरस्वती विद्या निकेतन में बोरवेल तथा सूरतकल बस स्टैण्ड पर पेयजल सुविधा के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई।
- मादीवाला में बस शैल्टर के निर्माण और बीएफयू में नागपूजा के लिए वित्तीय सहायता।
- कला, संस्कृति और खेलकूद को प्रोत्साहन के लिए वित्तीय सहायता – लिटिल सिस्टर ऑफ पुअर में आईसीयू का निर्माण तथा चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा, वृद्धाश्रम के लिए सहायता, शारीरिक रूप से प्रभावित व्यक्ति को अमरीकी विश्व बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2011 के लिए प्रायोजित किया गया और पिलकुला

निसर्गधाम में बाघ की देखभाल, बंगलौर में आयोजित राष्ट्रीय निःशक्त खेलकूद प्रतियोगियों आदि के लिए टी–शर्ट।

- चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा के लिए वित्तीय सहायता जैसे कालसा अस्पताल के लिए चिकित्सा उपकरण, बंगलौर स्थित स्पास्तिक सोसाइटी के टेली–पुनर्वास केन्द्र के लिए व्यवस्था, मंगलौर स्थित सरकारी टीबी अस्पताल के लिए चिकित्सा उपकरण/जनरेटर आदि, केनाकानाकोंडा के चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्र को सहायता, एवीई मारिया पेलिएटिव सेन्टर के लिए आधारभूत सुविधा, मीनाकालिया में चिकित्सा शिविर तथा कुद्रेमुख अस्पताल में बाहरी लोगों के लिए चिकित्सा सुविधाएं।
- श्री रंजीत को चिकित्सा सहायता, बंगलौर स्थित निगमित कार्यालय के आसपास गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को चिकित्सा सुविधाएं, कुद्रेमुख में श्रीमती हीरम्मा के हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट के लिए सहायता तथा संदेहास्पद बीमारियों से पीड़ित रेखा और रामया को चिकित्सा सहायता।
- केवीईएस चिकबलपुर, केवी कुद्रेमुख के छात्रों के लिए स्कूल फीस, केवी कुद्रेमुख में बाहरी बच्चों की स्कूल फीस, मानसिक रूप से निःशक्त लोगों के आशानिकेतन के लिए फर्नीचर।

18.11 बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज (बीजीसी)

बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज जल आपूर्ति, ग्राम विकास, स्वास्थ्य कार्यक्रम, ग्राम्य शिक्षा अभिज्ञान आदि पर सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत खर्च कर रहा है।

अध्याय-XIX

इस्पात मंत्रालय के अधीन तकनीकी संस्थान

19.1 प्रस्तावना

इस्पात मंत्रालय पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों के जरिए कामगारों की तकनीकी कुशलता को लगातार निखारने की कोशिश करता रहा है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्थापित किए गए निम्नलिखित संस्थानों के सराहनीय कार्य एवं योगदान का उल्लेख करना आवश्यक है:

19.2 बीजू पटनायक नेशनल स्टील इंस्टीट्यूट (बीपीएनएसआई)

इस्पात मंत्रालय द्वारा गठित एक टास्क फोर्स की ओर से विकसित एक अवधारणा योजना के आधार पर पुरी में एक बीजू पटनायक नेशनल स्टील इंस्टीट्यूट (बीपीएनएसआई) की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। इसे एक प्रशिक्षण–सेवा–शोध एवं विकास केंद्र के तौर पर स्थापित किया गया। यह संस्थान सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत पंजीकृत है और इसने 1 जनवरी, 2002 से काम करना शुरू किया। जेपीसी के चेयरमैन ही बीपीएनएसआई के चेयरमैन भी हैं। इसकी स्थापना वैश्विक एवं भारतीय इस्पात उद्योगों में हो रहे तेज बदलाव के अनुरूप घरेलू द्वितीयक इस्पात उद्योग को ढालने में मदद देने के उद्देश्य से की गई। कैबिनेट ने 20 फरवरी, 2004 को जेपीसी की वित्तीय मदद से पुरी में एक पूर्णकालिक संस्थान के तौर पर बीपीएनएसआई की स्थापना किए जाने की मंजूरी दी। फिलहाल, यह संस्थान पुरी में दो पृथक इमारतों से चलाया जाता है और यह पुस्तकालय, प्रयोगशाला और गोष्ठी कक्ष जैसी सुविधाओं से लैस है। प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने के लिए वेल्डिंग टेक्नोलॉजी की एक वर्कशॉप पुरी में स्थापित की गई है। बीपीएनएसआई द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहल निम्न हैं :

- अक्टूबर, 2006 से संस्थान 'लौह एवं इस्पात निर्माण और संयंत्र प्रबंधन' में एडवांस्ड सर्टिफिकेट कोर्स आयोजित कर रहा है, जिसके अंतर्गत छात्रों को उद्योग में प्रबंधकीय जिम्मेवारियों के लिए तैयार किया जाता है। इस समय प्रशिक्षण पा रहे बैच के छात्र दूसरे सेमेस्टर का पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं।
- रोजगार में लगे कार्यपालकों के लाभ के लिए यही पाठ्यक्रम ट्रेनिंग एंड फर्दर एजुकेशन (टीएएफई) के तहत जनवरी, 2007 के बाद से आयोजित किए जा रहे हैं। वर्तमान रूप से तीसरे बैच के छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर हैं और चौथे बैच के लिए प्रवेश प्रक्रिया जारी है।
- उड़ीसा सरकार का राजस्व विभाग इस इंस्टिट्यूट के स्थायी परिसर की स्थापना के लिए जमीन के आवेदन पर कार्रवाई कर रहा है।
- पिछले बैच के छात्र आरती स्टील लि., सूरज प्रोडक्ट्स लि, रोहित मेटेलिक्स, टी.आर. कैमिकल्स जैसी विख्यात कंपनियों में नौकरियां पा चुके हैं।
- इस संस्थान के भुवनेश्वर कार्यालय में, उड़ीसा में इस्पात उद्योगों से उत्पादन आंकड़े और उड़ीसा की खानों से लौह अयस्क के मूल्य एकत्र किए जा रहे हैं।

19.3 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी (एनआईएसएसटी)

द्वितीयक इस्पात क्षेत्र, जिसमें इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेस (ईएएफ) से लैस स्टील मेल्टिंग यूनिट या इंडक्शन फर्नेसेस (आईएफ) आते हैं, में मानव संसाधन विकास और तकनीकी सुधार की जरूरत लंबे समय से महसूस की जाती रही है। 1984 में भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय की स्टील रोलिंग इंडस्ट्रीज से संबद्ध सलाहकार समिति ने भी ऐसी ही राय प्रकट की थी। इन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और उद्योग की मांग को देखते हुए 18 अगस्त, 1987 को तत्कालीन लौह एवं इस्पात विकास आयुक्त एवं मंत्रालय के वर्तमान संयुक्त

सचिव की अध्यक्षता में पंजीकृत सोसायटी के तौर पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई।

इस इंस्टीट्यूट के विचार–क्षेत्र में द्वितीयक क्षेत्र के निम्न क्षेत्र आते हैं :

- वैद्युत आर्क और इन्डक्शन भट्टियां
- लैडल रिफाइनिंग
- रोलिंग मिलें (हॉट और कोल्ड)
- डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन यूनिट

चालू वित्त वर्ष में संस्थान ने कुछ उपलब्धियां हासिल कीं और नीचे बताए गए उपाय किए :

- इन्डक्शन भट्टी इस्पात निर्माण से फास्फोरस में कमी करने के संबंध में अनुसंधान एवं विकास परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। एनआईएसएसटी तक प्रयोगशाला स्तर की एयर इंडक्शन भट्टी पहुंच चुकी है और जनवरी 2012 तक स्थापित व चालू कर दी जाएगी।
- एनआईएसएसटी भारत में एसआरआरएम क्षेत्र के लाभ के लिए यूएनडीपी जीईएफ परियोजना (स्टील) द्वारा दिए गए ऊर्जा संरक्षण, प्रक्रिया सुधार, प्रशिक्षण आदि संबंधी विभिन्न कार्य कर रहा है।
- एनआईएसएसटी द्वारा इस्पात निर्माण और रोलिंग टेक्नोलॉजी के रोजगार–उन्मुख प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम चला रहा है। इसने सेकेण्डरी इस्पात क्षेत्र को 700 से अधिक कुशल/अर्ध कुशल, सुपरवाइजरी स्तर के तकनीकी कर्मी उपलब्ध कराए हैं और रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं।
- एनआईएसएसटी यूएनडीपी/जीईएफ परियोजना (इस्पात) के चार रेजिडेन्ट मिशन की मार्फत मण्डी गोबिन्दगढ़, नागपुर, कोलकाता और चेन्नई में एसएमई के इस्पात क्षेत्र के लिए ऊर्जा कुशल टेक्नोलॉजी लागू करने में सहायता दे रहा है।
- एनआईएसएसटी ने कोलकाता स्थित आईआईआईएम लिमिटेड के सहयोग से पश्चिम बंगाल के अनु. जाति/अनु. जनजाति के लोगों के लिए रोजगार केन्द्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए हैं।

19.4 इंस्टीट्यूट फॉर स्टील डेवेलपमेंट एंड ग्रोथ (इंस्डैग)

इंस्डैग की स्थापना इस्पात मंत्रालय और प्रमुख इस्पात उत्पादकों द्वारा की गई। यह संस्थान एक दशक से भी अधिक समय से निर्माण व आधारभूत क्षेत्र में इस्पात का उपयोग बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। नगरीय व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में इस्पात पर आधारित संरचनाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए इंस्डैग ने सभी प्रमुख सरकारी संस्थाओं और मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुतियां की हैं। सड़क परिवहन एवं हाइवे मंत्रालय ने इंस्डैग को पुलों पर सड़क निर्माण और पुलों के विभिन्न खम्भों के निर्माण का कार्य सौंपा है। इंस्डैग को हाल ही में गुड़गांव, नई दिल्ली में मैट्रो वैली का इस्पात पर आधारित डिजाइन बनाने का ठेका मिला है। इंस्डैग ने संरचना और डिजाइन के लिए 3 पुरस्कार वास्तुकारों और डिजाइन इंजीनियरी के लिए शुरू किए हैं। पुरस्कार हर वर्ष दिए जाएंगे। इन कार्यक्रमों को अपार लोकप्रियता प्राप्त हुई है तथा गत 10 वर्षों में व्यावसायिकों व छात्रों ने इसे स्वीकारा है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों और पुरस्कार प्रतियोगिताओं के कारण उत्साह जागृत हुआ है और देश भर में इस्पात के बारे में ज्ञान प्रसार करने को प्रोत्साहन मिला है। इंस्डैग सभी तकनीकी विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के पाठ्यक्रम में इस्पात पर आधारित डिजाइन मॉड्यूल का समावेश करने के लिए प्रयत्नशील है।

अध्याय-XX

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का कार्यान्वयन

20.1 प्रस्तावना

भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को 15 जून, 2005 को लागू किया। इस अधिनियम का उद्देश्य है प्रशासन में खुलेपन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना और देश में बेहतर प्रशासनिक कामकाज सुनिश्चित करना।

20.2 इस्पात मंत्रालय में आरटीआई अधिनियम का कार्यान्वयन

आरटीआई अधिनियम के क्रियान्वयन और इसकी निगरानी के लिए उप–सचिव स्तर के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के तौर पर मनोनीत किया गया है। उप सचिव/निदेशक, या समकक्ष स्तर, और संबंधित संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को क्रमशः जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और अपीलीय प्राधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त दो सहायक जन सूचना अधिकारियों (एपीआईओ) की नियुक्ति की गयी है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देश पर, एक संयुक्त सचिव स्तरीय अधिकारी को भी इस्पात मंत्रालय के लिए बतौर 'पारदर्शिता अधिकारी' नामित किया गया है। मंत्रालय अपने पीएसयू और अपने प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण वाली कंपनियों में आरटीआई एक्ट के उपयुक्त कार्यान्वयन और उस दिशा में होने वाली प्रगति पर भी नजर रखता है। 17 मद के मैनुअल, अपीलीय प्राधिकारी/जन सूचना अधिकारी, सहायक सूचना अधिकारियों का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट ूप्ेजममसण्हवअण्पद पर उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2011–12 (31 दिसंबर, 2011 तक) के दौरान इस्पात मंत्रालय को कुल 200 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए, जिन्हें नियत अवधि में निपटा दिया गया।

20.3 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

17 मॉडयूल के मैनुअल, अपीलीय प्राधिकारी/जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारियों एवं सेल कारखानों/इकाइयों के नाम को नियमित तौर पर नवीकरण सहित सेल की वेबसाइटः www.sail.co.in पर उपलब्ध कराया गया है।

अप्रैल 2011 से दिसंबर 2011 के दौरान सेल में कुल 2565 आवेदन प्राप्त हुए और सभी आवेदनों का निपटारा आरटीआई अधिनियम के अनुसार नियत समय सीमा में किया गया। केवल 40 मामले सीआईसी को भेजे गए। अब तक इनका भी निपटान कर दिया गया है।

20.4 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आईआईएनएल को 1 अप्रैल, 2011 से 31 दिसंबर, 2011 तक सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कुल 896 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 662 अनुरोधों के मामले में आवेदकों को सूचना उपलब्ध कराकर निपटाया गया, और 234 आवेदन 31 दिसंबर 2011 को लंबित थे। ऐसे मामलों की संख्या 4 (चार) थी, जिनके संबंध में आवेदक द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) में अपील की गई और इन सभी मामलों को सीआईसी द्वारा निपटा दिया गया।

आलोच्य वर्ष में आईआरएनएल–वीएसपी का अलग से एक आरटीआई पोर्टल शुरू किया गया। पोर्टल के 17 मैनुअल में उपलब्ध सूचना को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) की मांग के अनुरूप कंपनी की वेबसाइट पर नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन के तिमाही विवरण, वार्षिक विवरण नियमित रूप से सीआईसी पोर्टल पर प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

20.5 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी ने आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4 (1)(बी) के तहत सूचनाओं को अपनी वेबसाइट

www.nmdc.co.in पर प्रकाशित किया है। कंपनी की वेबसाइट पर आरटीआई एक्ट के तहत सूचना के अलावा अन्य सूचनाएं–वैधानिक या अन्य भी प्रदान करती है।

01.04.2011 से 30.11.2011 के दौरान प्राप्त आरटीआई आवेदनों एवं उनके निपटान की संख्या निम्नवत है:

प्राप्त मामलों की संख्या	उत्तरित मामलों की संख्या	सीआईसी को भेजे गए मामले	सीआईसी द्वारा निपटाए गए मामले
120	109	1	1

20.6 मॉयल लिमिटेड

मॉयल ने अपने निगमित कार्यालय में पीआईओ नियुक्त किये हैं और इसकी सभी खनन इकाइयों में पीआईओ/एपीआईओ की नियुक्ति की गई है। इस अधिनियम के तहत प्रोडक्शन एंड प्लानिंग (पी एवं पी) के निदेशक को अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त/नामित किया गया है तथा कंपनी की वेबसाइट ूण्उवपसण्दपबण् पद पर सभी पीआईओ/एपीआईओ एवं अपीलीय प्राधिकारियों के नाम उपलब्ध कराए गए हैं। इस कानून की धारा (4) की उप–धारा (1) के अनुच्छेद (बी) के तहत तय अवधि में 17 मैनुअल तैयार करने के कर्तव्य की चर्चा कंपनी के पोर्टल पर की गई है और समय–समय पर इसे अद्यतन किया जा रहा है।

मॉयल प्रत्येक तीन महीने के अंदर अधिनियम के अनुच्छेद 25(3) सूचना को अद्यतन बनाता रहा है। मासिक विवरण नियमित रूप से संबंधित प्राधिकारियों को भेजा जा रहा है।

1.4.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान लंबित, प्राप्त आवेदन, उनका निपटान का विवरण निम्नवत है:

01.04.2011 को लंबित आवेदन पत्र	1.4.11 से 31.12.11 के दौरान प्राप्त आवेदन	1.4.11 से 31.12.11 के दौरान निपटाये गये आवेदन	31.12.2011 को लंबित आवेदन
शून्य	79	72	07

20.7 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी ने कंपनी के विभिन्न स्थानों पर प्राप्त सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत आवेदनों पर कार्रवाई के लिए अपने मुख्यालय में एक सीपीआईओ तथा प्रत्येक क्षेत्र/शाखा में एक पीआईओ और एक सहायक पीआईओ नामित किया है। आरटीआई आवेदनों पर आरटीआई अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार कार्रवाई की गई है। तिमाही रिपोर्ट ऑनलाइन दाखिल की जाती है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

01.04.2010 को लंबित आवेदन पत्र	1.4.11 से 31.12.11 के दौरान प्राप्त आवेदन	1.4.11 से 31.12.11 के दौरान निपटाये गये आवेदन	31.12.2011 को लंबित आवेदन
01	59	54	06

20.8 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

एफएसएनएल ने सीपीआईओ/एपीआईओ की नियुक्ति, 17 आइटम (मैनुअल) के मैनुअल की तैयारी और कंपनी की वेबसाइट (www.fsnl.nic.in) पर मैनुअल का विवरण उपलब्ध कराकर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को लागू किया है। इस्पात मंत्रालय और सीआईसी को नियमित तौर पर तिमाही रिपोर्ट सौंपी जाती रही हैं। सूचना के लिए सभी आवेदनों को आरटीआई एक्ट, 2005 के तय दिशानिर्देशों के तहत निपटाया जाता रहा है। 1 अप्रैल, 2011 से 31 दिसंबर, 2011 की अवधि के दौरान कुल 33 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 32 आवेदनों का निपटारा किया गया।

20.9 हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

एचएससीएल ने एक सीपीआईओ और सात एपीआईओ नामित किए हैं। कंपनी के लिए इस अधिनियम के तहत एचएससीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पहले अपीलीय प्राधिकारी है।

1 अप्रैल, 2011 से 31 दिसंबर, 2011 की अवधि में प्राप्त आवेदनों और निपटाए गए मामलों का विवरण निम्न है:

- प्राप्त कुल आरटीआई आवेदनों की संख्या : 59
- सीपीआईओ द्वारा निपटाए गए कुल आरटीआई आवेदनों की संख्या : 56
- प्राप्त प्रथम अपीलों की कुल संख्या : 14
- अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निपटाई गई कुल प्रथम अपील की संख्या : 12

20.10 मेकॉन लिमिटेड

आरटीआई अधिनियम के सभी संगत मैनुअल को 19 सितंबर, 2005 से मेकॉन की वेबसाइट www.meconlimited.co.in पर उपलब्ध कराया गया है। एक जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को मेकॉन द्वारा अपने मुख्यालय में नियुक्त किया गया है और सहायक जन सूचना अधिकारियों (एपीआईओ) को विभिन्न क्षेत्रीय और स्थल कार्यालयों पर तैनात किया गया है। जनता की ओर से मेकॉन को मिलने वाले ऐसे आवेदनों को ये अधिकारी निपटाते हैं और नियत अवधि में जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) द्वारा इसका जवाब दिया जाता है। महाप्रबंधक स्तर का एक अधिकारी मेकॉन में पारदर्शिता अधिकारी नामित किया गया है।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, 2011–12 (नवंबर 2011 तक) के दौरान प्राप्त आवेदन एवं उनके निपटारे की स्थिति निम्नवत है :

01.04.2011 को लंबित आवेदन पत्र	1.4.11 से 30.11.11 के दौरान प्राप्त आवेदन	1.4.11 से 30.11.11 के दौरान निपटाये गये आवेदन	30.11.2011 को लंबित आवेदन
02	55	55	02

20.11 केआईओसीएल लिमिटेड

केआईओसीएल ने निगमित कार्यायल में पीआईओ/एपीआईओ तथा अपने सभी कारखानों/अन्य इकाईयों में भी पीआईओ/एपीआईओ नियुक्त किये हैं। अधिनियम के तहत शीर्ष स्तरीय कार्यपालकों को अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त/पदनामित किया गया है। सभी पीआईओ/एपीआईओ और अपीलीय प्राधिकारी के नाम केआईओसीएल की वेबसाइट **www.kioclltd.com** पर दिये गये हैं। अनुच्छेद (4) के उप–अनुच्छेद (1) की धारा (बी) में निर्धारित मैनुअल तैयार करने के दायित्व का अनुपालन कर लिया गया है और उसे अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा के अन्दर केआईओसीएल के पोर्टल पर भी डाल दिया गया है। विवेच्य अवधि के दौरान प्राप्त, निपटाये गये एवं लंबित आवेदन का विवरण निम्नवत है :

2011–12 के दौरान (दिसंबर 2011 तक) प्राप्त आवेदन : 29
2011–12 के दौरान (दिसंबर 2011 तक) निपटाए गए आवेदन : 27
31.12.2011 को लंबित आवेदन : 02

20.12 बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज (बीजीसी)

इस सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 से संबद्ध सभी संगत मैनुअलों का विवरण बीजीसी की वेबसाइट www.birdgroup.gov.in पर उपलब्ध कराया गया है। आलोच्य अवधि के दौरान 22 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से नवंबर, 2011 तक प्राप्त 12 आवेदनों का निपटान कर दिया गया है।

अध्याय-XXI

पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास

21.1 प्रस्तावना

इस्पात मंत्रालय को इस उद्देश्य हेतु अपने 10 प्रतिशत के बजटीय आबंटन की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया।

21.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

गुवाहाटी में स्टील प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना

इस्पात उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए यह महसूस किया गया कि खपत केंद्रों के पास एक स्टील प्रोसेसिंग यूनिट (एसपीयू) की स्थापना की जाए जहां से उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकता के अनुरूप आकार व श्रेणी का उत्पाद मिल सके। उन राज्यों में, जहां कोई इस्पात संयंत्र नहीं है और जहां इस्पात की खपत राष्ट्रीय औसत से काफी कम है, यह और भी महत्वपूर्ण है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस्पात उद्योग पर गठित कार्य समूह ने इस पर जोर दिया था कि "आर्थिक विकास और पारिवारिक आमदनी में बढ़ोतरी से इस्पात खपत में इजाफे के लिहाज से ग्रामीण क्षेत्र महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। वैसे, शहरी क्षेत्रों से भिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस ग्रामीण संभावना को हकीकत में तब्दील करने के लिए संगठित प्रयासों की आवश्यकता है।"

इसे ध्यान में रखते हुए, सेल पूर्वोत्तर भारत सहित विभिन्न इलाकों में एसपीयू की स्थापना कर रहा है। गुवाहाटी को इस्पात की मांग और उपलब्धता के आधार पर एसपीयू की स्थापना के लिहाज से उपयुक्त माना जा रहा है। खासकर निर्माण और आवासीय क्षेत्र के लिहाज से इसकी स्थापना को ज्यादा उपयुक्त माना जा रहा है। इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार की ओर से कुछ रियायतों और छूट के प्रावधान पर भी जोर दिया गया है।

गुवाहाटी में टीएमटी बार मिल की स्थापना प्रस्तावित है। गुवाहाटी आईआईटी के पास तिलिनगांव में इस परियोजना के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है और राज्य सरकार ने दिसंबर, 2007 में भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। अप्रैल 2008 में सेल निदेशक मण्डल की ओर से एसपीयू की स्थापना के प्रस्ताव को "सैद्धांतिक रूप से" मंजूरी दे दी गई है। सेल 31 एकड़ जमीन के लिए ₹7.97 करोड़ की अदायगी कर चुका है। मृदा अन्वेषण कर लिया गया है, कंटीली तार युक्त चारदीवारी, सुरक्षा कक्ष एवं प्रवेश द्वार का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सेल ने यहाँ पर एक माल गोदाम बनाने की भी योजना बनाई है। सेल ने असम सरकार के साथ रियायत एवं सहायता का मामला उठाया है।

21.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल–वीएसपी उत्तर–पूर्व क्षेत्र के लिए क्षेत्र के विभिन्न उपभोक्ताओं की मांग की पूर्ति सीधे कोलकाता स्थित अपने शाखा बिक्री कार्यालय (बीएसओ) और गुवाहाटी (मैसर्स श्रीराम केशरीमल) और अगरतला (मैसर्स एस.आर. कंस्ट्रक्शन) में कंसाइन्मेंट बिक्री एजेन्ट की मार्फत करता है। विक्रय एवं सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए, बीएसओ, कोलकाता पूर्वी क्षेत्र के परियोजना उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है।

आरआईएनएल–वीएसपी उत्तर–पूर्व क्षेत्र में सीधे कोलकाता में वीएसपी के भण्डार और कोलकाता स्थित खुदरा विक्रेताओं की मार्फत हाइड्रो इलेक्ट्रिक और दूसरी परियोजनाओं को इस्पात उत्पादों की आपूर्ति भी कर रहा है।

आरआईएनएल–वीएसपी ने अप्रैल 2011 से दिसंबर 2011 तक पूर्वोत्तर क्षेत्र को 3681 टन विक्रेय इस्पात की सीधी बिक्री की।

21.4 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी का पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता। परंतु कम्पनी पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों जैसे ऑयल इण्डिया लिमिटेड, ओनएनजीसी, बीआरपीएल, नार्थ इस्टर्न कोल फील्ड्स लि., इत्यादि एवं बैंगडुबी, हाशीमारा, जोरहाट इत्यादि क्षेत्रों में स्थित रक्षा इकाइयों को परोक्ष रूप से स्क्रैप विक्रय का काम करती है। आमतौर पर इन इकाइयों का स्क्रैप स्थानीय व्यापारियों द्वारा खरीदा जाता है जिससे परोक्ष रूप से यह क्षेत्र लाभान्वित होता है।

21.5 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

कंपनी को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत पूर्वोत्तर के त्रिपुरा राज्य में ग्रामीण सड़कों के निर्माण की भारत सरकार की भारत निर्माण योजना में हिस्सा लेने पर विशेष गौरव का एहसास हो रहा है। एचएससीएल वहां पर एक परियोजना कार्यान्वयन इकाई के रूप में कार्य कर रहा है और उसकी जिम्मेदारी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने से लेकर सड़कों के निर्माण के बाद 5 वर्षों तक उसका रखरखाव करना भी है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत चरण–IV और VII में ग्रामीण सड़कों के निर्माण में संतोषजनक प्रगति की है। हाल ही में राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एनआरआरडीए) ने डीपीआर के चरण–VIII के लिए ₹204 करोड़ की स्वीकृति दी है। अब तक कुल निर्धारित 157 में से 94 सड़कों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।

त्रिपुरा में पीएमजीएसवाई के तहत कार्य का वर्तमान मूल्य करीब ₹700 करोड़ है, जिसमें आने वाले वर्षों में वृद्धि होने की सम्भावना है।

एचएससीएल ने त्रिपुरा सरकार के स्वास्थ्य विभाग के तहत उत्तर, दक्षिण एवं धलाई जिले में एक–एक कुल तीन, 150 बिस्तरों वाले जिला अस्पतालों और तेलियामूरा में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का परिचालन अपने हाथ में लिया है। एचएससीएल द्वारा तीन जिला अस्पतालों में स्टाफ क्वार्टर्स का भी निर्माण किया जा रहा है।

कंपनी ने मिजोरम सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के साथ साइहा में 100 बिस्तरों वाला सिविक अस्पताल और लांगतलाई में 50 बिस्तरों वाला अस्पताल खोलने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त, चम्फई और लांगतलाई में ₹25–25 करोड़ की लागत से दो ऑडिटोरियम परियोजनाओं का कार्य भी कंपनी को प्राप्त हुआ है।

पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में निम्न दो परियोजनाओं को संपन्न करने के कार्य में भी एचएससीएल लगा हुआ है, जिससे इस राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास एवं पर्यटन को बढ़ाने में मदद मिलेगी :

(i) सिक्किम के सोलोपोक में पिलग्रिमेज सेंटर का निर्माण, इसके तहत खूबसूरत सिक्किम के पहाड़ी इलाके में 108 फीट ऊंची भगवान शिव की मूर्ति एवं अनेक हिंदू देवी–देवताओं के मंदिर स्थापित किए जाने हैं। 'प्राणप्रतिष्ठा' कार्य पूरा कर लिया गया है। परियोजना समापन के निकट है।

(ii) यांगयांग में सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण समाप्ति की ओर है।

(iii) एचएससीएल ने सिक्किम में जल आपूर्ति परियोजनाओं को शुरू करने के लिए अपनी इच्छा पहले ही जाहिर की है।

एचएससीएल द्वारा सोलोफोक, सिक्किम में निर्मित धार्मिक केन्द्र का एक दृश्य।

अध्याय-XXII

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

इस्पात क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए वैश्विक दृष्टिकोण अनिवार्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस्पात मंत्रालय ने लौह एवं इस्पात क्षेत्र के विकास के हेतु आयोजित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय बैठकों/सम्मेलनों/गोष्ठियों में भाग लिया। विवरण इस प्रकार है :

- 13 से 15 नवंबर, को बर्लिन (जर्मनी) में आयोजित 27वें अंतरराष्ट्रीय फैरो एलॉय सम्मेलन में भाग लिया।
- 12 से 15 मई, 2011 को पैरिस (फ्रांस) में आयोजित 70वीं ओईसीडी इस्पात समीति की बैठक में भाग लिया।
- 05 से 06 दिसंबर, 2011 को पैरिस (फ्रांस) में आयोजित 71वीं ओईसीडी इस्पात समिति की बैठक में भाग लिया।
- वाशिंगठन (अमरीका) में 11 से 13 सितंबर, 2011 को आयोजित विश्व सुपिरीयर ऊर्जा निष्पादन भागीदारी (जीएसईपी) बैठक/कार्यशाला में प्रतिनिधित्व किया।
- ईस्ताम्बुल (तुर्की) में 11 से 16 सितंबर, 1011 को आयोजित विश्व खनन कांग्रेस और एक्स्पो 2011 में भाग लिया।
- ऑस्ट्रेलिया में 15 से 23 मई, 2011 को आयोजित ऊर्जा और खनन पर भारत–ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य दल की 7वीं बैठक में भाग लिया।
- 5 से 10 फरवरी, 2012 को केपटाउन (दक्षिण अफ्रीका) में आयोजित माइनिंग इन्डाबा–2012 में भाग लिया।
- केन्द्रीय इस्पात मंत्री के नेतृत्व में शिष्टमंडल रूस गया और नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन (एनएमडीसी) ने मैसर्स सेवरस्टाल के साथ मास्को (रूस) में 9 से 11 नवंबर, 2011 को आयोजित गैर–बाध्यकारी प्रोटोकॉल समझौता किया।
- मंत्रालय के एक शिष्टमंडल ने सरकारी तथा प्रबंधकीय स्तर पर विचार–विमर्श तथा इन्टरनेशनल कोल वेंचर्स प्रा. लिमिटेड (आईसीवीएल) के लिए वार्ता और उनकी खानों के निरीक्षण हेतु 27 जून, 2011 से 2 जुलाई 2011 तक कोलम्बिया एवं संयुक्त राज्य अमरीका का दौरा किया।

परिशिष्ट–I

भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, 1961 के अनुसार इस्पात मंत्रालय को आवंटित विषयों की सूची

1. इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस यूनिटों (ईएएफ), इंडक्शन फर्नेस यूनिटों (आईएफ), रिरोलर्स, फ्लैट उत्पादों (हॉल्ट/कोल्ड रोलिंग यूनिटों), कोटिंग यूनिटों, वायर ड्राविंग यूनिटों और शिप ब्रेकिंग समेत स्टील स्क्रैपिंग जैसी प्रोसेसिंग सुविधाओं के साथ लौह और इस्पात उत्पादन सुविधाओं की स्थापना के लिए योजना, विकास और सहायता।
2. सार्वजनिक क्षेत्र में लौह अयस्क खानों एवं अन्य अयस्क खानों का विकास (मैंगनीज़ अयस्क, क्रोम अयस्क, लाइमस्टोन, सिलिमेनाइट, कायनाइट और लौह एवं इस्पात में प्रयुक्त अन्य खनिज, परंतु इनमें खनन लीज़ या तत्संबंधित मामले शामिल नहीं हैं)।
3. लौह और इस्पात एवं फेरो एलॉयज़ का उत्पादन, वितरण, कीमतें, आयात एवं निर्यात।
4. निम्न उद्यमों, उनकी सहायक कंपनियों समेत, से संबंधित मामले :
   - (i) स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल);
   - (ii) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल);
   - (iii) एनएमडीसी लिमिटेड;
   - (iv) मॉयल लिमिटेड;
   - (v) एमएसटीसी लिमिटेड;
   - (vi) फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल);
   - (vii) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल);
   - (viii) मेकॉन लिमिटेड;
   - (ix) केआईओसीएल लिमिटेड;
   - (x) बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज; तथा
   - (xi) आईसीवीएल (एसपीवी)

परिशिष्ट–II

इस्पात मंत्रालय में प्रभारी मंत्री और अधिकारीगण

(उप सचिव स्तर तक)

इस्पात मंत्री	श्री बेनी प्रसाद वर्मा
सचिव	श्री पी. के. मिश्रा
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार	श्री एस. मच्छेन्द्र नाथन
संयुक्त सचिव	डा. दलीप सिंह डा. उदय प्रताप सिंह श्री जे. पी. शुक्ला श्री उपेन्द्र प्रसाद सिंह
आर्थिक सलाहकार	श्री सूरज भान
प्रमुख लेखा नियंत्रक	सुश्री एल.एन. तोछवंग
औद्योगिक सलाहकार	श्री ए.सी.आर. दास
निदेशक	श्री संजय मंगल सुश्री इंद्राणी कौशल श्री एम.के. रॉय
निदेशक स्तर के अधिकारी	श्री रविनेश कुमार माननीय इस्पात मंत्री के निजी सचिव श्री बी.डी. घोष, अपर औद्योगिक सलाहकार
उप सचिव	श्री सुनील प्रकाश श्री अनिल कुमार मदान श्री डी.बी. सिंह श्री एच.एल. मीणा
उप सचिव स्तर के अधिकारी	श्री अशोक कुमार, संयुक्त निदेशक श्री आर.के. महाजन, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव

परिशिष्ट–III

प्रमुख एवं द्वितीयक उत्पादकों का उत्पादन

('000 टन)

क्र. सं.	मद / उत्पादक	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11*	2011 –12* अप्रै.–दिसं.
	उत्पादन					
I.	**कच्चा इस्पात :**					
	प्रमुख उत्पादक	21789	21755	22969	23544	17329
	एएसपी + वीआईएसएल	315	263	308	308	229
	अन्य उत्पादक					
	ई.ए.एफ. यूनिट (कॉरेक्स एवं एमबीएफ ईओएफ सहित)	14820	18365	22738	23655	19197
	इंडक्शन फर्नेस	16933	18054	19824	22068	16602
	कुल (कच्चा इस्पात)	**53857**	**58437**	**65839**	**69575**	**53357**
	अन्य उत्पादकों का % अंश	59.0%	62.3%	64.6%	65.7%	67.1%
II.	**कच्चा लोहा :**					
	प्रमुख उत्पादक	936	589	731	579	419
	अन्य उत्पादक	4378	5618	5153	4962	3828
	कुल (कच्चा लोहा)	**5314**	**6207**	**5884**	**5541**	**4247**
	अन्य उत्पादकों का % अंश	82.4%	90.5%	87.6%	89.6%	90.1%
III.	**स्पंज आयरन**					
	गैस आधारित	5845	5516	6148	5794	4136
	कोयला आधारित	14531	15575	18178	20915	17075
	कुल (स्पंज आयरन)	**20376**	**21091**	**24326**	**26709**	**21211**
	प्रक्रिया द्वारा % शेयर (कोयला आधारित)	71.3%	73.8%	74.7%	78.3%	80.5%
IV.	**बिक्री के लिए तैयार इस्पात** (मिश्र / गैर–मिश्र) :					
	प्रमुख उत्पादक	18020	17216	18038	18280	12715
	अन्य उत्पादक	43332	46229	51093	57461	46119
	घटा आईपीटी / स्वयं की खपत	5277	6281	8507	9728	6773
	कुल (बिक्री हेतु तैयार इस्पात)	**56075**	**57164**	**60624**	**66013**	**52061**
	अन्य उत्पादकों का % अंश	77.3%	80.9%	84.3%	87.0%	88.6%

प्रमुख : **सेल, टीएसएल एवं आरआईएनएल (वीएसपी)**
अन्य : मुख्य (एस्सार, जेएसडब्ल्यू इस्पात, जेएसडब्ल्यूएल एवं जेएसपीएल) और ईएएफ, आईएफ, कोरेक्स–बीओएफ आदि
ईएएफ : इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस
एमबीएफ : मिनी ब्लास्ट फर्नेस
ईओएफ : एनर्जी ऑप्टिमाइजिंग फर्नेस
आईपीटी : इंटर–प्लांट ट्रांसफर
* अनंतिम

स्रोत : जेपीसी

परिशिष्ट–IV

कच्चे/तरल इस्पात का उत्पादन

(उत्पादक द्वारा)

('000 टन)

उत्पादक	2007–08			2008–09			2009–10			2010–11*			2011–12* (अप्रै.–दिसं.)		
	कार्य. क्षमता	उत्पादन	% उपयोग	कार्य. क्षमता	उत्पादन	% उपयोग	कार्य. क्षमता	उत्पादन	% उपयोग	कार्य. क्षमता	उत्पादन	% उपयोग	कार्य. क्षमता	उत्पादन	% उपयोग
सार्वजनिक क्षेत्र															
बी एस पी	3925	5055	129%	3925	5183	132%	3925	5108	130%	3925	5329	136%	3925	3642	124%
डी एस पी	1802	1914	106%	1802	1886	105%	1802	1966	109%	1802	1961	109%	1802	1403	104%
आर एस पी	1900	2093	110%	1900	2083	110%	1900	2128	112%	1900	2160	114%	1900	1597	112%
बी एस एल	4360	4127	95%	4360	3577	82%	4360	3599	83%	4360	3592	82%	4360	2754	84%
आई एस पी	500	458	92%	500	417	83%	500	400	80%	500	411	82%	500	258	69%
ए एस पी	234	157	67%	234	168	72%	234	205	88%	234	200	85%	234	155	88%
एस एस पी													180	75	56%
वी आई एस एल	118	158	134%	118	95	81%	118	103	87%	118	108	92%	118	74	83%
कुल (सेल)	**12839**	**13962**	**109%**	**12839**	**13409**	**104%**	**12839**	**13509**	**105%**	**12839**	**13761**	**107%**	**13019**	**9958**	**102%**
आर आई एन एल	**2910**	**3129**	**108%**	**2910**	**2963**	**102%**	**2910**	**3205**	**110%**	**2910**	**3235**	**111%**	**2910**	**2298**	**105%**
कुलः (सार्व. क्षेत्र)	**15749**	**17091**	**109%**	**15749**	**16372**	**104%**	**15749**	**16714**	**106%**	**15749**	**16996**	**108%**	**15929**	**12256**	**103%**
निजी क्षेत्र															
टाटा स्टील लि.	5000	5013	100%	5000	5646	113%	6800	6563	97%	6800	6856	101%	6800	5302	104%
मुख्य	11400	9538	84%	14800	10218	69%	18233	14381	79%	18233	14884	82%	21633	12426	77%
अन्य ईएएफ यूनिट/	6831	5282	77%	8614	8147	95%	8419	8357	99%	8419	8771	104%	8419	6771	107%
कॉरेक्स–बीओएफ/ एमबीएफ–इओएफ															
इंडक्शन	20865	16933	81%	22180	18054	81%	25800	19824	77%	28800	22068	77%	31680	16602	70%
फर्नेस यूनिट															
कुल (निजी क्षेत्र)	**44096**	**36766**	**83%**	**50594**	**42065**	**83%**	**59252**	**49125**	**83%**	**62252**	**52579**	**84%**	**68532**	**41101**	**80%**
कुल जोड	**59845**	**53857**	**90%**	**66343**	**58437**	**88%**	**75001**	**65839**	**88%**	**78001**	**69575**	**89%**	**84461**	**53357**	**84%**

* अनंतिम;

मुख्य = एस्सार, इस्पात, जेएसडब्ल्यू एवं जेएसपीएल

स्रोत : जेपीसी

परिशिष्ट– V

कच्चे / तरल इस्पात का उत्पादन

('000 टन)

श्रेणी	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11*	2011–12* (अप्रै.–दिसं.)
ऑक्सीजन मार्ग					
बी एस पी	5055	5183	5108	5329	3642
डी एस पी	1914	1886	1966	1961	1403
आर एस पी	2093	2083	2128	2160	1597
बी एस एल	4127	3577	3599	3592	2754
आई एस पी	458	417	400	411	258
एस एस पी					75
वी आई एस एल	158	95	103	108	74
आर आई एन एल	3129	2963	3205	3235	2298
टी एस एल	5013	5646	6563	6856	5302
जेएसडब्ल्यू स्टील लि.	3147	3218	6254	6864	5365
अन्य ऑक्सीजन प्रणाली	872	995	506	531	399
कुल ऑक्सीजन प्रणाली :	**25966**	**26063**	**29832**	**31047**	**23167**
इलेक्ट्रिक मार्ग इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस					
ए एस पी	157	168	205	200	155
एस्सार स्टील लि.	3564	3342	3474	3367	3209
इस्पात इंडस्ट्रीज लि.	2827	2201	2689	2377	1858
जिंदल स्टील एंड पावर लि.	1219	1457	1961	2273	1994
लॉयड्स स्टील लि.	463	460	505	553	445
जिंदल स्टेनलेस लि.	585	470	679	703	462
अन्य इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस	2143	6222	6667	6984	5465
कुल इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस :	**10958**	**14320**	**16180**	**16457**	**13588**
इलेक्ट्रिक इंडक्शन फर्नेस					
इंडक्शन फर्नेस	16933	18054	19827	22071	16602
कुल इलेक्ट्रिक मार्ग :	**27891**	**32374**	**36007**	**38528**	**30190**
कुल जोड़ :	**53857**	**58437**	**65839**	**69575**	**53357**

*अनंतिम

स्रोत : जेपीसी

परिशिष्ट–VI

तप्त धातु का उत्पादन

('000 टन)

संयंत्र	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11*	2011–12* (अप्रै.–दिसं.)
क. सार्वजनिक क्षेत्र					
भिलाई स्टील प्लांट	5268	5387	5370	5708	3826
दुर्गापुर स्टील प्लांट	2186	2111	2174	2143	1540
राउरकेला स्टील प्लांट	2229	2200	2258	2303	1698
बोकारो स्टील प्लांट	4658	4021	4066	4108	3018
इस्को स्टील प्लांट	640	598	502	495	345
विश्वेश्वराया आई एंड एस प्लांट	218	125	126	131	91
राष्ट्रीय इस्पात निगम	3913	3546	3900	3830	2848
उप योग (क):	**19112**	**17988**	**18396**	**18718**	**13366**
ख. निजी क्षेत्र					
टाटा स्टील लिमिटेड	5507	6254	7232	7501	5162
मिनी ब्लास्ट फर्नेस	12139	12813	15893	16704	12618
उप योग (ख):	**17646**	**19067**	**23125**	**24205**	**17780**
कुल (क+ख):	**36758**	**37055**	**41521**	**42923**	**31146**
निजी क्षेत्र में शेयर का %	**48.0%**	**51.5%**	**55.7%**	**56.4%**	**57.1%**

*अनंतिम

स्रोत : जेपीसी

परिशिष्ट–VII

कच्चे लोहे का उत्पादन

('000 टन)

संयंत्र	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11*	2011–12* (अप्रै.–दिसं.)
क. सार्वजनिक क्षेत्र					
भिलाई स्टील प्लांट	136	61	114	58	6
दुर्गापुर स्टील प्लांट	57	20	42	21	6
राउरकेला स्टील प्लांट	26	1	16	15	6
बोकारो स्टील प्लांट	98	78	111	143	10
इस्को स्टील प्लांट	93	99	36	21	26
विश्वेश्वराया आई एंड एस प्लांट	31	8	4	3	2
राष्ट्रीय इस्पात निगम	495	322	408	318	363
उप योग (क) :	**936**	**589**	**731**	**579**	**419**
ख. निजी क्षेत्र					
अन्य ब्लास्ट फर्नेस/ कॉरेक्स यूनिट	4378	5618	5153	4962	3828
उप योग (ख):	**4378**	**5618**	**5153**	**4962**	**3828**
कुल (क+ख):	**5314**	**6207**	**5884**	**5541**	**4247**
निजी क्षेत्र में शेयर का %	82.4%	90.5%	87.6%	89.6%	90.1%

*अनंतिम

स्रोत : जेपीसी

परिशिष्ट– VIII

तैयार इस्पात का विक्रय हेतु उत्पादन

(गैर–मिश्र एवं मिश्र इस्पात)

('000 टन)

संयंत्र	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11*	2011–12* (अप्रै.–दिसं.)
क. सार्वजनिक क्षेत्र					
भिलाई स्टील प्लांट	3603	3604	3356	3574	2370
दुर्गापुर स्टील प्लांट	685	671	666	673	404
राउरकेला स्टील प्लांट	2059	1944	1963	1994	1477
बोकारो स्टील प्लांट	3592	3274	3382	3344	1943
इस्को स्टील प्लांट	316	318	330	328	170
राष्ट्रीय इस्पात निगम	2899	2558	2960	2928	2080
एलॉय स्टील प्लांट	30	35	24	51	37
सेलम स्टील प्लांट	231	180	227	137	109
विश्वेश्वराया आई एंड एस प्लांट	133	89	110	94	53
घटाएं : अंतःसंयंत्र हस्तांतरण	27				
कुल (क):	**13521**	**12673**	**13018**	**13123**	**8643**
ख. निजी क्षेत्र					
टाटा स्टील लि.	4472	4543	5019	5157	4073
प्रमुख	13000	12086	16049	18112	14825
अन्य	30332	34143	35044	39349	31294
घटाएं : स्वयं की खपत (प्रमुख एवं अन्य)	5250	6281	8507	9728	6773
उप योग (ख):	**42554**	**44491**	**47605**	**52890**	**43419**
विक्रय हेतु कुल योग (क+ख)	56075	57164	60623	66013	52062
निजी क्षेत्र में शेयर का %	75.9%	77.8%	78.5%	80.1%	83.4%

*अनंतिम

स्रोत : जेपीसी

परिशिष्ट–IX

तैयार इस्पात का विक्रय हेतु श्रेणीवार उत्पादन (गैर–मिश्र+मिश्र)

('000 टन)

श्रेणी	2007–08				2008–09				2009–10				2010–11'				2011–12* (अप्रै.दिसं.)			
	मुख्य उत्पाद	मुख्य अन्य उत्पाद	आईपीटी /स्वयं उपयोग	बिक्री हेतु उत्पादन	मुख्य उत्पाद	मुख्य अन्य उत्पाद	आईपीटी /स्वयं उपयोग	बिक्री हेतु उत्पादन	मुख्य उत्पाद	मुख्य अन्य उत्पाद	आईपीटी /स्वयं उपयोग	बिक्री हेतु उत्पादन	मुख्य उत्पाद	मुख्य अन्य उत्पाद	आईपीटी /स्वयं उपयोग	बिक्री हेतु उत्पादन	मुख्य उत्पाद	मुख्य अन्य उत्पाद	आईपीटी /स्वयं उपयोग	बिक्री हेतु उत्पादन
1. गैर सपाट उत्पाद																				
बार्स एंड रॉड्स	5313	14875		20188	5186	15241		20427	5731	16039		21770	5791	18577		24368	4042	14981		19023
स्ट्र./विशेष सेक्शन	1003	4040		5043	935	4431		5366	823	3318		4141	798	4739		5537	526	3842		4368
रेल व रेलवे सामग्री	951	135		1086	1012	170		1182	862	179		1041	898	196		1094	655	137		792
कुल (गैर सपाट उत्पाद)	7267	19050	0	26317	7133	19842	0	26975	7416	19536	0	26952	7487	23512	0	30999	5223	18960	0	24183
2. सपाट उत्पाद																				
प्लेट्स	2688	1369		4057	2498	1506		4004	2521	1454	2	3973	2592	1662	4	4250	1763	1343	2	3104
एचआर कॉयल/ स्केल्प/स्ट्रिप	4707	8977	2010	11674	4577	9633	3043	11167	5033	11726	4757	12002	5036	13076	5750	12362	3628	10262	3770	10120
एचआर शीट	302	455		757	277	338		615	283	342	22	603	265	334	29	570	152	217		369
सीआर कॉयल/ शीट/स्ट्रिप	1891	5560	3012	4439	1657	5941	2983	4615	1761	7545	3392	5914	1778	7581	3597	5762	1183	5869	2758	4294
जीपी/जीसी शीट	729	3652		4381	711	3843		4554	765	4855		5620	672	4924		5596	460	3966		4426
इलेक्ट्रिकल शीट	81	78		159	71	75		146	79	67		146	77	99		176	44	76		120
टिप प्लेट	15	168		183	19	182		201	18	221		239	7	226		233	8	185		193
टीएमबीपी		6		6	0	4		4		0		0	0	0		0	0	0		0
टिन फ्री इस्पात					0	6		6		7		7	0	0		0	0	0		0
कुल (सपाट उत्पाद)	10413	20265	5022	25656	9810	21528	6026	25312	10460	26217	8173	28504	10427	27902	9380	28949	7238	21918	6530	22626
3. पाइप (बड़ा व्यास)	85	1250		1335	77	1788		1865	60	1576		1636	84	1767		1851	55	1477		1532
कुल तैयार इस्पात (गैर मिश्र)	17765	40565	5022	53308	17020	43158	6026	54152	17936	47329	8173	57092	17998	53181	9380	61799	12516	42355	6530	48341
कुल तैयार इस्पात (मिश्र/ स्टेन. स्टील)	255	2767	255	2767	196	3071	255	3012	102	3764	334	3532	282	4280	348	4214	199	3764	243	3720
कुल तैयार इस्पात (गैर–मिश्र+मिश्र)	18020	43332	5277	56075	17216	46229	6281	57164	18038	51093	8507	60624	18280	57461	9728	66013	12715	46119	6773	52061

* अनंतिम

स्रोत : जेपीसी

परिशिष्ट–X

मुख्य भारतीय बंदरगाहों के जरिये लौह और इस्पात का आयात

('000 टन)

क्र. सं.	श्रेणी	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11*	2011–12* (अप्रै.–दिसं.)
I	**अर्द्ध–तैयार इस्पात (गैर–मिश्र)**					
	अर्द्ध तैयार	156.3	481.9	327.3	240.8	299.7
	रि–रोलेबल स्क्रैप	200.8	98.4	95.9	94.0	139.4
	तैयार इस्पात (गैर–मिश्र)					
	बार्स एंड रॉड्स	436.5	433.2	589.7	437.5	314.4
	स्ट्रक्चरल्स	75.7	55.5	90.7	78.8	33.7
	रेलवे मैटीरियल्स	20.0	23.5	11.7	12.4	7.3
	प्लेट्स	1461.9	991.4	911.9	763.6	467.6
	एचआर शीट्स	29.0	55.1	23.5	66.5	43.9
	एचआर कॉयल्स/स्केल्प/स्ट्रिप्स	2947.5	2293.0	2986.3	2307.5	1109.7
	सीआर कॉयल्स/शीट्स	820.8	710.3	892.4	1126.2	1154.6
	जीपी/जीसी शीट्स	268.2	294.0	291.8	330.9	264.1
	इलेक्ट्रिकल शीट्स	241.9	222.0	281.5	314.5	206.1
	टीएमबीपी	3.4	2.3	1.0	1.2	1.2
	टिन प्लेट्स	100.9	101.4	155.5	136.0	91.3
	टिन प्लेट्स डब्ल्यू/डब्ल्यू	46.6	36.2	41.4	33.7	22.9
	टिन फ्री स्टील	44.0	31.8	34.0	56.1	36.8
	पाइप्स	85.1	21.0	29.2	295.6	98.5
	कुल तैयार इस्पात (गैर–मिश्र)	**6581.5**	**5270.7**	**6340.6**	**5960.5**	**3852.1**
II	**एलॉय/स्टेनलेस इस्पात**					
	अर्ध–तैयार इस्पात (मिश्र)	9.5	17.7	19.8	4.0	13.9
	गैर–सपाट मिश्र	162.0	199.0	150.1	198.7	212.2
	सपाट मिश्र	286.0	371.0	890.6	635.6	919.4
	कुल तैयार इस्पात (एलॉय)	**448.0**	**570.0**	**1040.7**	**834.3**	**1131.6**
	कुल इस्पात (I + II)	**7396.1**	**6438.7**	**7824.3**	**7133.6**	**5436.7**
III	**अन्य इस्पात मदें**					
	फिटिंग्स	85.1	25.2	45.1	55.3	454.0
	विविध इस्पात मदें	399.2	302.9	974.4	1222.1	1408.8
	स्टील स्क्रैप	2557.9	3161.9	4423.4	3478.7	4147.8
IV	**लौह**					
	कच्चा लोहा	10.7	7.8	10.8	8.9	6.6
	स्पंज लोहा	0.8	0.5	30.2	0.2	0.1
	एच.बी. लोहा	–	–	–	–	–
V	**फेरो–अलॉयज**	199.0	144.7	96.2	132.4	117.4
	कुल जोड़ :	**10648.8**	**10081.7**	**13404.4**	**12031.2**	**11571.4**

*अनंतिम

स्रोत : जेपीसी

परिशिष्ट–XI

श्रेणीवार निर्यात

('000 टन)

श्रेणी	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11'	2011–12* (अप्रै.–दिसं.)
अर्द्ध–तैयार इस्पात (गैर–मिश्र)	373.0	661.0	625.0	350.0	183.4
तैयार इस्पात (गैर–मिश्र)					
गैर–सपाट					
बार्स एवं रॉड्स	213.0	187.0	212.0	136.0	153.8
स्ट्रक्चरल्स	73.0	73.0	55.0	35.0	29.2
रेलवे सामग्री				6.0	25.9
कुल (गैर–सपाट)	286.0	260.0	267.0	177.0	208.8
सपाट					
प्लेट्स	153.0	264.0	66.0	133.0	315.6
एचआर कॉयल्स/स्केल्प/ स्ट्रिप्स/शीट	1391.0	943.0	540.0	525.0	775.5
सीआर कॉयल्स/शीट्स	510.0	341.0	345.0	283.0	209.5
जीपी/जीसी शीट्स	2026.0	1849.0	1287.0	1250.0	938.9
इलेक्ट्रिकल शीट्स	25.0	8.0	3.0	1.0	0.8
टिन की प्लेटें	36.0	89.1	75.0	62.0	22.5
टिन मुक्त इस्पात					1.9
पाइप्स	200.0	504.0	495.0	608.0	274.9
कुल (सपाट)	**4341.0**	**3998.1**	**2811.0**	**2862.0**	**2539.6**
कुल तैयार इस्पात (गैर–मिश्र)	**4627.0**	**4258.1**	**3078.0**	**3039.0**	**2748.4**
कुल इस्पात (गैर–मिश्र)	**5000.0**	**4919.1**	**3703.0**	**3389.0**	**2931.8**
मिश्र/स्टेनलेस इस्पात					
अर्ध–तैयार इस्पात (मिश्र)	0.0	85.0	0.0	0.0	3.1
गैर–सपाट मिश्र	390.0	124.0	135.0	267.0	189.2
सपाट मिश्र	60.0	55.0	38.0	155.0	109.5
कुल तैयार इस्पात (मिश्र)	**450.0**	**179.0**	**173.0**	**422.0**	**298.7**
कुल इस्पात (मिश्र)	**450.0**	**264.0**	**173.0**	**422.0**	**301.8**
कुल तैयार इस्पात (गैर–मिश्र+मिश्र)	**5077.0**	**4437.1**	**3251.0**	**3461.0**	**3047.1**
कुल इस्पात (गैर–मिश्र+मिश्र)	**5450.0**	**5183.1**	**3876.0**	**3811.0**	**3233.6**
कच्चा लोहा	560. 0	350.0	362.0	358.0	306.2
स्पंज आयरन	38.0	34.0	25.0	8.0	16.7

*अनंतिम

स्रोत : जेपीसी

परिशिष्ट–XII
हाल की महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा टिप्पणियां

इस्पात मंत्रालय के संबध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वित्त मत्रांलय की मार्फत मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन 2011–12 में शामिल करने हेतु उपलब्ध कराई गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों का सारांश

वर्ष 2010–11 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट संख्या पी.ए. 27

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

सेल की नीति में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्वों (सीएसआर) से संबंधित गतिविधियों में उद्देश्य, प्रभाव क्षेत्र, रणनीति और मुख्य क्षेत्रों का उल्लेख नहीं किया गया। यद्यपि वितरणीय लाभ का 2 प्रतिशत सी.एस.आर. गतिविधियों के लिए इंगित किया गया, परन्तु इसे अलग निधि में हस्तांतरित नहीं किया गया। दरअसल, आर.आई.एन.एल. द्वारा 2006–07 से 2009–10 तक नियत बजट का केवल 45 प्रतिशत उपयोग किया गया, जबकि सेल ने मोटे तौर पर अपने बजट का उपयोग किया।

पर्यावरण उत्तरदायित्व

सेल और आर.आई.एन.एल. अपने विभिन्न कारखानों और यूनिटों में पर्यावरण संरक्षण के लिए किये जा रहे कार्यों का मूल्यांकन करने और उनमें निरन्तर सुधार लाने के लिए पर्यावरण प्रबन्धन प्रणालियों (ई.एम.एस.) पर कार्य कर रहे हैं। पर्यावरण प्रबंधन प्रमाणीकरण अर्थात् आई.एस.ओ. 14001 ई.एम.एस. प्रमाण पत्र आर.आई.एन. एल. को और सेल के कुल 5 में से केवल एक कारखाने को ही मिला है।

विश्व में प्रतिटन इस्पात उत्पादन से औसतन 1.9 टन कार्बन डायोक्साइट हवा में जाती है। सेल और आर. आई.एन.एल. द्वारा 2008–09 में औसतन क्रमशः 2.99 टन/प्रतिटन कच्चा इस्पात और 3.18 टन/प्रतिटन कच्चा इस्पात CO_2 गैस वातावरण में फैली, जबकि टाटा स्टील द्वारा उत्सर्जित CO_2 2.09 टन/प्रतिटन कच्चा इस्पात ही है। सेल और आर.आई.एन.एल. ने CO_2 में कमी का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है जबकि टाटा स्टील ने 2012 तक CO_2 उत्सर्जन को 1.7 टन/प्रतिटन कच्चा इस्पात करने का लक्ष्य अपने सम्मुख रखा है। सेल और आर.आई.एन.एल. ने अधिक मात्रा में कार्बन डायोक्साइड के उत्सर्जन के कारणों तक का पता नहीं लगाया है।

विश्व में ऊर्जा उपयोग का औसत 4.5 से 5.5 गेगा कैलो./प्रतिटन कच्चा इस्पात उत्पादन है जबकि 2009–10 में सेल में ऊर्जा की खपत 6.72 गेगा कैलो./प्रतिटन कच्चा इस्पात और आर.आई.एन.एल. में 6.84 गेगा कैलो./ प्रतिटन कच्चा इस्पात उत्पादन और टाटा स्टील में 6.17 गेगा कैलो./प्रतिटन कच्चा इस्पात उत्पादन है।

विश्व में प्रतिटन कच्चा इस्पात उत्पादन में कच्चे माल की खपत 2.6 टन है। सेल में कच्चे माल की खपत और 3.26 से 3.38 टन/प्रतिटन कच्चा इस्पात है और आर.आई.एन.एल. में 3.04 से 3.10 टन/प्रतिटन कच्चा इस्पात है।

सेल में वर्ष 2009–10 के दौरान ठोस अपशिष्ठ [धमन भट्टी (बी.एफ.) और स्टील मेल्टिंग शॉप (एस.एम.एस.) स्लैग] का उपयोग क्रमशः 82.02 प्रतिशत और 75.25 प्रतिशत रहा। इसके विपरीत आर.आई.एन.एल. में उसी अवधि में यह 54 प्रतिशत ही था।

सुरक्षा

सेल और आर.आई.एन.एल. द्वारा इस उद्देश्य के लिए बजट का एक काफी बड़ा भाग इस्तेमाल किए जाने के बावजूद, 2008–09 और 2009–10 के दौरान घातक दुर्घटनाओं की संख्या बढ़नी शुरू हो गयी।

कम्पनियों द्वारा अपर्याप्त हाउस कीपिंग और उपकरणों की सुरक्षा के कारण "शून्य दुर्घटना" का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया है।

यद्यपि सेल और आर.आई.एन.एल. के कारखानों में व्यावसायिक स्वास्थ केन्द्र कार्य कर रहे हैं, कम्पनियां कर्मचारियों की समय–समय पर चिकित्सा परीक्षा (वर्ष में एक बार) के नियम का अनुपालन नहीं कर रही हैं। यही नहीं, स्वास्थ्या चेकअप के लिए आने वाले कर्मचारियों की संख्या भी काफी कम है।

सामाजिक विकास

सेल और आर.आई.एन.एल. दोनों सामुदायिक विकास कार्यक्रमों, चिकित्सा शिविरों, व्यावसायिक प्रविक्षण चिकित्सा सुविधाओं, कम्पनी के स्कूलों में इस्पात नगरी व उनके आस पास के क्षेत्रों के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा के माध्यम से सामाजिक विकास में योगदान दे रहे हैं। सेल ने 8 राज्यों में 79 गांवों को अपनी शरण में लिया है तथा उनका आदर्श ग्राम के तौर पर समेकित विकास किया जा रहा है। आर.आई.एन.एल. ने आदर्श ग्राम के तौर पर विकास के लिए आस–पास के 7 गांवों को विकास के लिए चुना है।

कम्पनियां अपने कारखानों के आस–पास के इलाकों में वहां के लोगों की जरूरतें पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं कर रही हैं तथा पैसों का प्रभावी उपयोग करने के उद्देश्य से अपनी सीएसआर गतिविधियों का सुगठित तरीके से योजना नहीं बना रही है। कंपनियां सीएसआर गतिविधियों का समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का भी मूल्यांकन नहीं कर रही हैं। सी.एस.आर. क्षेत्र में कम्पनियों के निष्पादन में सुधार के कुछ प्रमुख सुझाव हैं:

- कम्पनियां कार्बनडाईआक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए विशेष लक्ष्य नियत करें।
- दोनों कम्पनियां जोखिम भरे अपशिष्ट के निपटान के लिए पर्यावरण–अनुकूल व विश्वसनीय व्यवस्था स्थापित करें।
- सेल वृक्षारोपण के लिए विशेष लक्ष्य नियत करे और उस पर कार्यवाई करे।
- कर्मचारियों में सुरक्षा और चिकित्सा परीक्षा के बारे में प्रशिक्षण, होर्डिंग, फिल्मों आदि के माध्यम से जागरूकता लाई जाए।
- कम्पनियां किसी क्षेत्र विशेष में सीएसआर गतिविधियां शुरू करने से पूर्व जरूरत एवं प्रभाव आक्कलन के संबंध में कोई प्रभावी प्रणाली अपनाएं।

2011–12 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट सं. सीए–3

हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड

पैरा 17.1 संयुक्त उद्यम की गतिविधियों पर नियंत्रण के अभाव व अपर्याप्त संसाधन प्रदान करने के कारण हानि।

कम्पनी को कार्य के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान न कर पाने के कारण और संयुक्त उद्यम के कार्यों व निर्माण कार्य पर अपर्याप्त नियंत्रण के कारण ₹16.64 करोड़ की हानि हुई।

एमएमटीसी लिमिटेड

पैरा 17.2 स्वर्ण आभूषणों का निर्यात

कम्पनी ने स्वर्ण आभूषणों के निर्यात के लिए सहयोगियों से समझौता किया। सहयोगियों को विदेशी खरीदारों का पता लगाना, निर्यात आर्डर प्राप्त करना और कम्पनी के नाम से आभूषणों का निर्यात करना था। विदेशी ग्राहकों को आभूषणों के प्रेषण के दिन से 170 दिन बाद पैसा देना था। कम्पनी को निर्यात के तुरंत पश्चात् बिल का 80 प्रतिशत मूल्य सहयोगियों को अग्रिम के तौर पर जारी करना था। यह निश्चित किया किया

गया था कि यदि खरीदार निर्यात की एवज में अदायगी नहीं करते तो पूरी लागत व जोखिम की जिम्मेदारी सहयोगियों की होगी। कम्पनी ने विदेशी ग्राहकों तथा सहयोगियों की प्रमाणिकता का पता नहीं लगाया। कुछ सहयोगियों और विदेशी खरीदारों के निदेशक एक ही थे लेकिन कम्पनी ने इसे नजरअंदाज कर दिया। कम्पनी ने सहयोगियों को दिये गए अग्रिम की सुरक्षा किए बिना इस जोखिम भरे कारोबार में कदम रखा। परिणामस्वरूप कम्पनी को अग्रिम की वापसी न मिलने और संबंधित वित्तीय खर्च के कारण स्वर्ण आभूषणों के निर्यात में 2008–09 के दौरान ₹611.79 करोड़ की हानि हुई क्योंकि 47 में से 46 विदेशी खरीदारों ने पैसे नहीं दिए। बीमाकर्त्ताओं ने भी हानि की भरपाई करने से इन्कार कर दिया। उनका कहना था कि कम्पनी के पास इस बिजनेस बीमा कराने के लिए कोई हित नहीं था, क्योंकि कारोबार में सभी जोखिम और लागत केवल सहयोगियों को उठानी थी।

पैरा 17.3 बेकार निवेश

कम्पनी द्वारा आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी भंडार खोलने के गलत निर्णय के कारण ₹12.51 करोड़ का व्यर्थ निवेश किया गया।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

पैरा 17.4 कर्मचारियों को अनियमित अदायगी

सार्वजनिक उपक्रम विभाग के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के विपरीत गैर–हकदार कर्मचारियों को नकद व एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने के कारण ₹18.61 करोड़ की अनियमित अदायगी की गई।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड

पैरा 17.5 विश्वेश्वराया आयरन एण्ड स्टील प्लांट, भद्रावती में धमन भट्टी उत्पादकता तथा इस्पात उत्पादन

विश्वेश्वराया आयरन एण्ड स्टील प्लांट, जो सुरक्षा, रेलवे, और मोटर गाड़ी उद्योग के लिए विशेष तथा मिश्र–इस्पात की विभिन्न श्रेणियां तैयार करता है, का स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया ने अधिग्रहण किया (अगस्त, 1989) और अब यह सेल की एक यूनिट के तौर पर कार्य कर रहा है। कारखाने के धमन भट्टी और स्टील मेल्टिंग शॉप की 31 मार्च 2010 को समाप्त गत 3 वर्ष में उत्पादकता, क्षमता उपयोग, उत्पादन निष्पादन, तैयार तप्त धातु की क्वालिटी, तथा उत्पादन/माल उठाने–रखने में हुई हानि की लेखा परीक्षा से पता चला कि:

- घोषित क्षमता से नियोजित उत्पादन कहीं अधिक था। क्षमता के संबंध में इस प्रकार के आंकड़ों से धमन भट्टी के क्षमता उपयोग के आकलन का कोई वास्तविक आधार नहीं हो सकता।
- कारखाने द्वारा प्रयुक्त कच्चे माल की क्वालिटी 2007–08 में लौह अंश और 2008–09 में सिलिका अंश को छोड़ कर वार्षिक कार्य निष्पादन योजना (एपीपी) के अनुरूप नहीं है।
- कारखाने के तप्त धातु लेडल की लाइनिंग जीवन के बारे में कोई मानक नहीं है। यदि 2007–08 में प्रति लाइनिंग औसत जीवनकाल को आधार माना जाए तो पता चलता है कि कारखाने ने ₹2.72 करोड़ अतिरिक्त व्यय किए।
- निजी बिजलीघर स्थापित कर, कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन पर बिजली के लिए आश्रय कम होने से वर्ष 2009–10 को समाप्त 3 वर्ष की अवधि में बिजली की खरीद 256.7 लाख यूनिट कम हो जाती और इस प्रकार ₹4.78 करोड़ की बचत की जा सकती थी।
- कारखाने को रख–रखाव तथा कन्वर्टरों की रिफ्रैक्टरी मरम्मत आदि के कारण प्रचालन बाधाओं से उपलब्ध घण्टों में लगभग 14 प्रतिशत की हानि हुई जिससे 1,44,311 मीट्रिक टन कच्चे इस्पात को उत्पादन की क्षति हुई।

- मानक 2007–08 में 8 प्रतिशत से घटा कर 2008–09 में 6.5 प्रतिशत और 2009–10 में 4 प्रतिशत कर दिए गए। परन्तु वास्तविक स्लैग और माल उठाने–रखने में क्षति 2007–08 में 5.95 प्रतिशत से बढ़ कर 2009–10 में 7.75 प्रतिशत हो गई जिसके कारण कारखाने को ₹3.73 करोड़ की हानि हुई।
- धमन भट्टी और स्टील मेल्टिंग शॉप यूनिटों में वास्तविक ऊर्जा उपयोग 2009–10 को समाप्त 3 वर्षों में कभी भी मानकों के अनुरूप नहीं था। परिणामस्वरूप, 2007–08 से 2009–10 तक बिजली की खपत में वृद्धि के कारण ₹7.15 करोड़ की हानि हुई।

पैरा 17.6 स्टील प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड ने देश के विभिन्न भागों, विशेषकर ऐसे राज्यों में, जहाँ इस्पात कारखाने नहीं हैं और उपभोक्ता की मांग आकार व क्वालिटी की दृष्टि से पूरी नहीं की जा रही है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात की खपत बढ़ाने व बाजार विस्तार के उद्देश्य से स्टील प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने का निर्णय लिया। कम्पनी ने ऐसे 6 राज्यों में जहां एकीकृत इस्पात कारखाने नहीं हैं, 10 स्टील प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव को "सैधांतिक" स्वीकृति प्रदान की। इस पर अक्टूबर 2007 से फरवरी 2009 तक ₹1259.67 करोड़ की राशि निवेश की गई।

लेकिन देखा गया कि 6 स्थानों पर माल के लदान व माल उतारने, बिजली, पानी, सड़क मार्ग जैसी आधार भूत सुविधाएं या तो उपलब्ध नहीं थी या जमीन उपयुक्त नहीं थी। संभाव्यता प्रतिवेदन के अनुसार परियोजना को संभव बनाना राज्य सरकारो की कुछ रियायतों/सहायता पर निर्भर थी; 7 मामलों में कम्पनी द्वारा रियायतों की प्रार्थना या तो अस्वीकार कर दी गई या शर्त सहित मानी गई या अभी तक लम्बित है। कम्पनी को एसपीयू स्थापित करने के इच्छित लाभ इसलिए नहीं प्राप्त हो सके क्योंकि "सैधान्तिक स्वीकृति" के 8–33 माह व्यतीत होने के बाद केवल 2 यूनिटों को अंतिम स्वीकृति दी गई और वास्तव में निर्माण/स्थापना कार्य केवल एक स्थान पर ही शुरू हुआ है।

पैरा 17.7 भिलाई इस्पात कारखाने की एसएपी–ईआरपी प्रणाली के सामग्री प्रबंधन माड्यूल की आईटी लेखा परीक्षा

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि. (सेल) ने ₹51.47 करोड़ की लागत से (दिसम्बर 2006) उद्यम संसाधन आयोजन प्रणाली लागू करने का निर्णय किया। कम्पनी ने एसएपी (ईसीसी 6.0) ईआरपी अप्रैल 2009 में लागू की और इस पर मई 2010 तक एसएपी ₹23.73 करोड़ का खर्च हुआ। कार्यान्वयन की, विशेष रूप से सामग्री प्रबंधन माड्यूल, समीक्षा से पता चला की कार्यान्वयन में देरी, ऑडिट सूचना प्रणाली, सामग्री आवश्यकता आयोजन, वेयरहाउसिंग सब माड्यूल इत्यादि जैसे कुछ ईआरपी पक्षों को शामिल नहीं किया गया। वेन्डर का डाटा बेस पूर्ण नहीं था। भौतिक व स्थानीय पंहुच नियंत्रण, डिजास्टर रिकवरी योजना आदि से संबंधित कुछ अन्य मामले लेखा परीक्षा के सामने आए।

पैरा 17.8 योजना कार्यान्वयन में कमियों के कारण अतिरिक्त अदायगी

विस्तार योजनाओं के साथ ऑक्सीजन सप्लाई सुविधा में तालमेल न बैठने तथा सीडीआई सुविधा की स्थापना में देरी के कारण कम्पनी को निश्चित सुविधा प्रभार के लिए बचाया जा सकने वाला ₹81.96 करोड़ का खर्च तथा जुलाई 2008 से मार्च 2010 तक नियत सुविधा प्रभार सहना पड़ा। ऑक्सीजन की मांग व सप्लाई में अंतर कम किए जाने तक प्रति वर्ष ₹45.72 करोड़ के आवर्ती खर्च करने होंगे।

पैरा 17.9 कर्मचारियों को मकान किराए के लिए अनियमित अधिक भुगतान

कम्पनी ने अपने कर्मचारियों को सार्वजनिक उपक्रम विभाग के निर्देशों की अवहेलना करते हुए अनियमित मकान किराया भत्ता अधिक दर पर अदा किया। कम्पनी ने 2005–06 से 2009–10 तक अनियमित अतिरिक्त मकान किराया भत्ते के तौर पर ₹16.71 करोड़ का भुगतान किया।

परिशिष्ट–XIII

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के फैसलों/आदेशों के कार्यान्वयन की स्थिति

इस्पात मंत्रालय और उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आने वाले सार्वजनिक उद्यमों और कंपनियों में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का कोई भी फैसला/आदेश कार्यान्वयन के लिए लंबित नहीं है।

परिशिष्ट–XIV

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का तुलनात्मक पीबीटी (कर–पूर्व लाभ)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसयू/कंपनी	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12* (अप्रैल.दिसं.)	2011–12 (जन.–मार्च अनुमानित)
क. लाभ अर्जित करने वाले पीएसयू/कंपनियां						
1	सेल	9404.001	10132.03	7194.31	2849.51	उपलब्ध नहीं
2	आरआईएनएल	2026.59	1247.65	981.66	587.59	314.64
3	एनएमडीसी	6648.23	5207.32	9727.17	8320.23	2839.77
4	मॉयल	1006.76	706.79	880.15	445.07	153.93
5	एमएसटीसी	129.53	135.99	149.40	100.15	39.85
6	एफएसएनएल	4.31	5.76	1.78	(–) 8.09	(–) 1.86
7	एसआईआईएल**	(–) 1.29	(–) 12.55	एनएमडीसी लि. के साथ विलय		
8	ओएमडीसी$	286.24	112.26	13.35	7.56	6.10
9	ईआईएल##	10.04	11.93	06.74	1.88	0.43
10	मेकॉन	74.76	124.69	140.93	70.38	25.30
11	केआईओसीएल	24.18	(–) 194.95	99.95	47.23	27.62
ख. घाटा उठाने वाले पीएसयू/कम्पनियां						
12	एचएससीएल	(–) 6.88	(–) 54.59	(–) 38.09	(–) 37.29	11.29
13	बीएसएलसी$	(–) 91.38	620.63	(–) 5.45	(–) 5.73	(–) 7.93
	कुल	**19515.09**	**18042.96**	**19151.90**	**12378.49**	**3409.14**

*अनंतिम, **एसआईआईएल का वर्ष 2010 के दौरान एनएमडीसी में विलय हो गया।

##ईस्टर्न इनवेस्टमेंट लि. (ईआईएल), $उड़ीसा मिलरल डेवलपमेंट कंपनी लि. (ओएमडीसी), बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लि. (बीएसएलसी) बर्ड समूह की कंपनिया हैं।

परिशिष्ट–XIV (क)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का तुलनात्मक पीएटी (कर–पश्चात लाभ)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसयू/कंपनी	2008.09	2009.10	2010.11	2011.12* (अप्रैल–दिसं.)	2011.12 (जन–मार्च अनुमानित)
क. लाभ अर्जित करने वाले पीएसयू/कंपनियां						
1	सेल	6174.81	6754.37	4904.74	1965.74	उपलब्ध नहीं
2	आरआईएनएल	1335.57	796.67	658.49	401.27	218.83
3	एनएमडीसी	4372.38	3447.26	6499.22	5623.11	1915.89
4	मॉयल	663.79	466.35	588.05	297.23	102.77
5	एमएसटीसी	85.05	86.09	99.16	67.67	26.33
6	एफएसएनएल	2.23	4.18	1.20	(–) 8.09	(–) 1.86
7	एसआईआईएल**	(–) 0.92	(–) 31.62	एनएमडीसी लि. के साथ विलय		
8	ओएमडीसी $	181.81	74.44	7.72	5.86	4.10
9	ईआईएल ##	9.19	11.07	06.32	1.48	0.30
10	मेकॉन	65.88	82.62	93.68	47.55	17.10
11	केआईओसीएल	22.01	(–) 177.27	76.27	31.54	18.45
ख. घाटा उठाने वाली पीएसयू/कंपनियां						
12	एचएससीएल	(–) 6.88	(–) 54.59	(–) 38.09	(–) 37.29	11.29
13	बीएसएलसी$	(–) 91.38	620.63	(–) 5.45	(–) 5.73	(–) 7.93
	कुल	**12813.54**	**12080.20**	**12891.31**	**8390.34**	**2305.27**

*अनंतिम, **एसआईआईएल का वर्ष 2010 के दौरान एनएमडीसी में विलय हो गया।
##ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (ईआईएल), $ उड़ीसा मिनरल डेवलेपमेंट कम्पनी लिमिटेड (ओएमडीसी), बिसरा स्टोन लाइम कम्पनी लिमिटेड (बीएसएलसी) बर्ड समूह की कंपनियां हैं।

परिशिष्ट–XV

केंद्र सरकार और सरकारी बीमा कंपनियों में इस्पात पीएएसयू का योगदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसयू/कंपनी	2008.09	2009.10	2010.11	2011.12* (अप्रैल–दिसं.)	2011.12 (जन–मार्च अनुमानित)
1	सेल	10374.00	8973.00	8715.68	5583.00	उपलब्ध नहीं
2	आरआईएनएल	1920.74	1344.63	1477.70	1173.67	198.86
3	एनएमडीसी	2959.78	2668.59	4357.54	4032.00	800.00
4	मॉयल	368.47	341.55	413.27	177.0	86.45
5	एमएसटीसी	62.76	76.94	74.89	56.30	34.20
6	एफएसएनएल	5.33	22.17	24.63	15.60	5.20
7	एसआईआईएल''	5.64	7.89	एनएमडीसी के साथ विलय		
8	मेकॉन	57.83	60.00	121.14	56.72	19.12
9	केआईओसीएल	114.68	85.54	150.28	79.37	42.49
10	एचएससीएल	49.57	0.16	90.51	65.00	22.00
11	बीजीसी	116.67	30.84	11.18	6.34	1.92
	कुल	**16035.47**	**13611.31**	**15436.82**	**11245.00**	**1210.24**

*अनंतिम, **एसआईआईएल का वर्ष 2010 के दौरान एनएमडीसी में विलय हो गया।

परिशिष्ट–XV (क)

राज्य सरकार में इस्पात पीएएसयू का योगदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसयू/कंपनी	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12* (अप्रैल–दिसं.)	2011–12 (जन–मार्च अनुमानित)
1	सेल	2021.00	2160.00	2452.19	1909.00	उपलब्ध नहीं
2	आरआईएनएल	372.25	340.36	333.49	337.65	112.55
3	एनएमडीसी	239.68	454.09	1114.43	939.00	250.00
4	मॉयल	90.84	93.79	109.29	54.84	25.61
5	एमएसटीसी	शून्य	97.53	28.40	20.20	9.00
6	एफएसएनएल	0.47	0.53	0.32	0.73	0.24
7	एसआईआईएल**	1.32	एनएमडीसी के साथ विलय			
8	मेकॉन	0.61	1.51	4.95	5.90	1.72
9	केआईओसीएल	6.10	4.13	8.25	18.00	10.00
10	एचएससीएल	118.87	1.04	26.03	20.00	6.00
11	बीजीसी	13.23	9.47	16.53	4.46	0.06
	कुल	**2864.37**	**3162.45**	**4093.88**	**3309.78**	**415.18**

*अनंतिम, **एसआईआईएल का वर्ष 2010 के दौरान एनएमडीसी में विलय हो गया।

परिशिष्ट–XVI

इस्पात पीएसयू द्वारा सीएसआर पर बजट और व्यय

(₹ लाख में)

पीएसयू	2008–09		2009–10		2010–11		2011–12*	
	बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट	व्यय (अप्रै.–दिसं.)
सेल	11400	8303	8000	7879.4	9400	6895.26	6400	4076.00
आरआईएनएल	3882	2283	900	937	1540	1173	1200	725.72
एनएमडीसी	12440	9884	8000	8307	8156	6223	8013	5732
मॉयल	734	542	300	157	542	575	628	161
केआईओसीएल	216	212	150	271	100	59.36	230	72.67
एमएसटीसी	248	242	110	67.75	100	95.74	150	100
एफएसएनएल	10	10	2.00	2.00	10.00	9.06	9	5.28
मेकॉन	35.92	40.26	140.00	80.71	180.50	110.91	325	103.80
एसआईआईएल**	5	1.07		एनएमडीसी के साथ विलय				
एचएससीएल	20	6.35	10	0	0	2.87	0	2.78
बीजीसी	0	497.93	3.00	0.34	216	83	38	20
कुल	**28990.92**	**22021.61**	**17615.00**	**17702.20**	**20244.50**	**15227.20**	**16993**	**10999.25**

*अनंतिम, **एसआईआईएल का वर्ष 2010 के दौरान एनएमडीसी में विलय हो गया।

परिशिष्ट–XVII

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के अनुसार, 'सिटिजन सेंट्रिक सात सूत्रीय मॉडल–सेवोत्तम' का अंगीकरण

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी 12वीं रिपोर्ट ''सिटिजन्स सेंट्रिक प्रशासन–अधिशासन की आत्मा'' में पैरा 4.6.2 में सिटिजेन्स चार्टर को अधिक प्रभावी एवं अनिवार्य बनाते हुए, संगठन को पारदर्शी, जवाबदेह एवं नागरिकों के अनुकूल बनाने के लिए सिफारिश की है। प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग ने जन सेवा डिलीवरी (सेवोत्तम) में बेंचमार्किंग उत्कृष्टता के लिए एक मॉडल विकसित किया है। यह मॉडल नागरिकों को दी जा रही सेवा की गुणवत्ता का आकलन करने एवं सुधारने के लिए संगठनों को एक रूपरेखा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत सूचना टेक्नोलॉजी की मदद से बिजनेस प्रक्रिया को अधिक सूचनाप्रद बनाने के लिए अभिनव प्रणालियों का उपयोग करते हुए नागरिकों को दी जा रही सेवाओं की पहचान, सेवा की गुणवत्ता, उसका उद्देश्य, गुणवत्ता में सुधार शामिल है।

इस्पात मंत्रालय ने अपना 'सिटिजन चार्टर' निकाला है और इसे स्टेकधारकों की बदलती जरूरतों एवं अपेक्षाओं के अनुरूप समय–समय पर अद्यतन किया जाता है। इस चार्टर को मंत्रालय की वेबसाइट www.steel.nic.in पर डाला गया है। मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं कंपनियों में संबंधित चार्टर्स एवं सात सूत्रीय मॉडल का कार्यान्वयन विभिन्न अवस्थाओं में है। विभिन्न कंपनियों में इस संबंध में प्रगति का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सिटीजन्स चार्टर (जन सेवा प्रदान करने में उत्तम) बनाया गया है और इसके विवरण 1.2 के सेल वेबसाइट पर डाला गया है। इसमें माटे तौर पर तीन भागों में सूचना दी गई है। पहले भाग में चार्टर का दायरा एवं कंपनी के बारे में आम सूचना दी गई है। दूसरे भाग में चार्टर का उद्देश्य, नागरिकों के प्रति प्रबंधन की वचनबद्धता, एवं नागरिकों से अपेक्षाओं के बारे में सूचना दी गई है। तिसरे भाग में नागरिकों को सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया, निगरानी एवं समीक्षा के जरीये चार्टर में सुघार का वर्णन मिलता है।

मॉयल लिमिटेड

(i) मॉयल में सेवोत्तम कम्पलाइंट सिटीजन्स चार्टर बनाया गया है। मॉयल ने इस चार्टर के कार्यान्वयन के लिए अनेक कदम उठाए हैं और उसे कंपनी की वेबसाइट पर डाला गया है और कंपनी के विभागाध्यक्षों एवं खानों में भी वितरित किया गया है। मॉयल ने संगठन के ऐसे प्रमुख स्थलों जहां नागरिकों का आना–जाना होता है, पर भी सिटिजन्स चार्टर की प्रति प्रदर्शित की हैं।

(ii) मॉयल ने परिचर्चा करने, जागरूकता पैदा करने एवं सिटिजन्स चार्टर के समुचित कार्यान्वयन के लिए कंपनी के प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला का आयोजन किया है।

(iii) सिटिजन्स चार्टर के कार्यान्वयन के बाद कोई प्रतिकूल फीडबैक प्राप्त नहीं हुआ है और मॉयल ने इसकी किसी धारा में संसोधन नही किया है।

केआईओसीएल लिमिटेड

सिटिजन चार्टर के अनुरूप सेवोत्तम विकसित करने के बाद कंपनी की वेबसाइट: http://kioclltd.co.in पर डाला गया है। कंपनी ने प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र शिकायत निवारण तंत्र के पोर्टल के लिए अपनी वेबसाइट पर लिंकेज प्रदान किया है ताकि शिकायतों को दर्ज कि जा सके और उनका निवारण हो सके।

बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज (बीजीसी)

बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज ने प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग द्वारा जारी "सेवोत्तम दिशा निर्देश–सितंवर 2011" को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठा लिए हैं।

सेल और आरआईएनएल का देशव्यापी इस्पात वितरण तंत्र

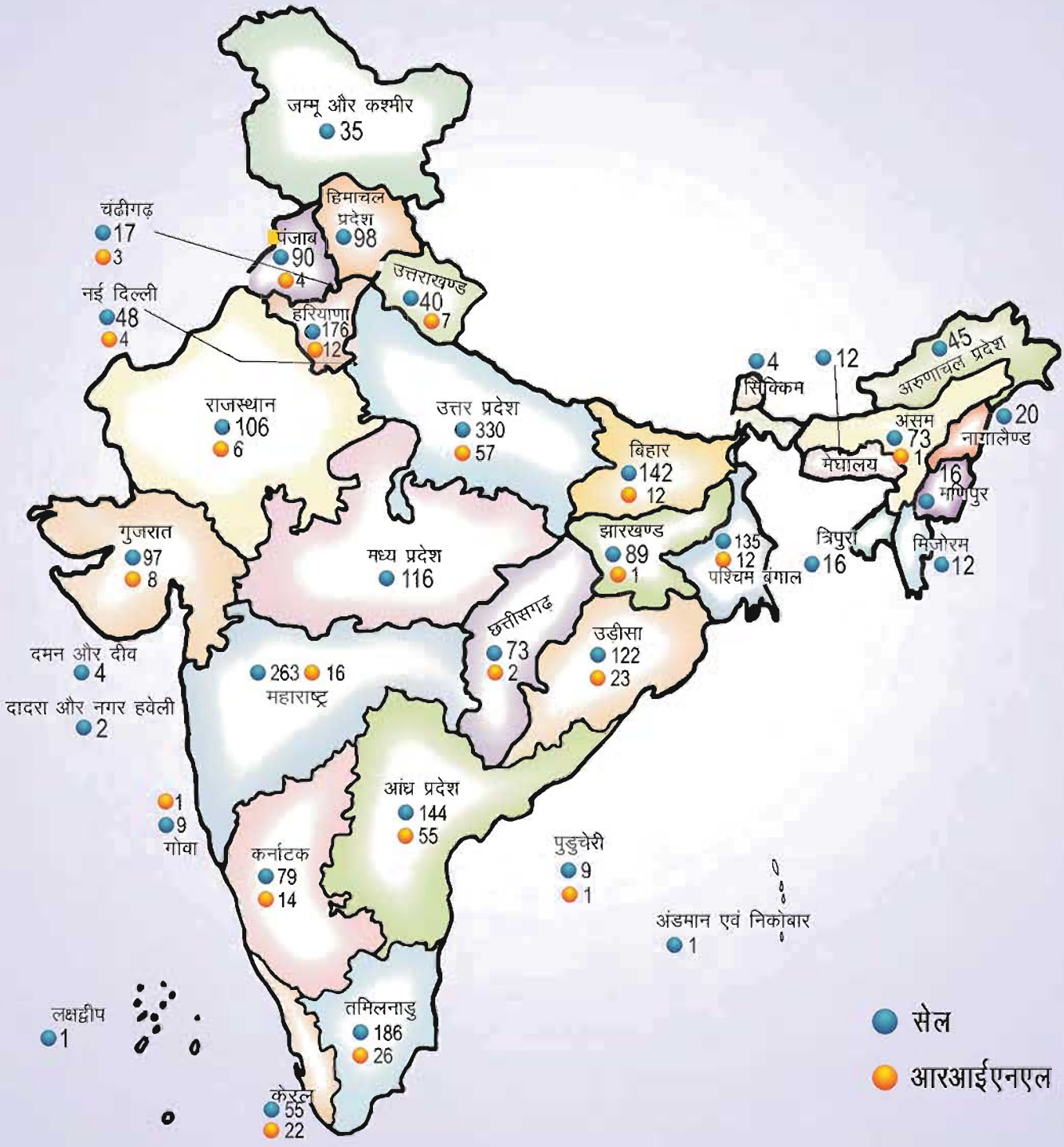

- *01.01.2012* की स्थिति अनुसार देश के 640 जिलों में से 630 जिलों में सेल के 2665 जिला डीलर थे।
- आरआईएनएल के 286 जिला डीलर थे।
  (आंकड़े प्रत्येक राज्य में जिला डीलरों की संख्या दर्शाते हैं)

*मानचित्र पैमाने के अनुसार नहीं है

सत्यमेव जयते

इस्पात मंत्रालय

भारत सरकार

www.steel.gov.in